




वार्षिक रिपोर्ट
2016-2017



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग





सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2016-17



के वि वि आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग

36, जनपथ, नई दिल्ली - 110001

दूरभाष : +91 11 2335303 • फेक्स: +91 11 23753923

www.cercind.gov.in

अध्यक्षीय वक्तव्य

वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने भारत में विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

आयोग नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र के विकास में सदैव रहा है और ग्रिड में इसके प्रभावी समेकन के लिए सक्रिय रहा है। इस दिशा में प्रभावी उपाय के रूप में भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में संसोधन अधिसूचित किया गया है जिसमें केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र एवं अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन के लिए 55 प्रतिशत की तकनीकी न्यूनतम अनुसूची की व्यवस्था की गई है। इसमें उत्पादन केन्द्रों के हित का भी ध्यान रखा गया है चूंकि संशोधन में तकनीक तक यूनियों के फ्लेक्सिंग के मामले में स्टार्टअप ईंधन लागत एवं स्टेशन हीटदर, सहायक उर्जा उपभोग में अवनयन के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

सहायक सेवाएं विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखने और ग्राहकों को उर्जा प्रदान करने के इसके प्राथमिक कार्य में मदद के लिए सहायक सेवाएं हैं। इन्हें कुल उत्पादन और भार के बीच अपेक्षित तात्कालिकता और सतत संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न समय फ्रेम में प्रणाली प्रचालक द्वारा नियोजित किया जाता है। केविविआ ने वांछित स्तर पर फ्रिक्वेंसी स्तर को बहाल करने के उद्देश्य से तथा पारेषण नेटवर्क में संकुलता को मुक्त करने के उद्देश्य से विनियमों को अधिसूचित किया है। विशेष रूप से यह विनियम देश में सहायक सेवाओं को आरंभ करने के लिए प्रथम कदम है जो ग्रिड में विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड प्रचालक को समर्थ बनाएगा। सहायक सेवाएं अप्रैल 2016 में प्रचालनगत की गई थीं और 15 मार्च, 2017 तक 58 सेवा प्रदायकों को सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए रजिस्टर्ड किया गया था।

“उर्जा का उपयोग” और “उर्जा का संरक्षण” उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा विवेचनीय माना गया है। इसके लिए उर्जा दक्षता ब्यूरो ने कार्यनिष्पादन प्राप्ति और व्यापार (पैट) योजना को आरंभ किया है। इस वर्ष के दौरान बाजार विनियामक के रूप में केविविआ ने पावर एक्सचेंजों पर व्यापार/एक्सचेंज को सरल बनाने और उर्जा बचत प्रमाणपत्रों के बाजार के विकास के लिए बड़ी पहल की है और उर्जा गहन बड़े उद्योगों में उर्जा कुशलता में सुधारों की लागत प्रभाव शीलता में वृद्धि के लिए तंत्र के प्रचालनीकरण को सरल बनाया है।

आयोग ने यह आवश्यक समझा है कि राज्य कंपनियों द्वारा उद्योग प्राप्ति की प्रवृत्ति तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली में मौजूदा दार्शनिकता से अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में निर्बाध पहुंच को समरूप किया जाए। आयोग ने समर्पित पारेषण लाइनों से संबंधित विवेचनीय मुद्दों का पता लगाने के लिए और संयोजकता विनियमों में उपयुक्त प्रावधान बनाते हुए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच से दीर्घकालिक पहुंच में अंतरण के लिए अधित्याग प्रभार का पता लगाने के लिए संगत विनियमों को संशोधित किया है।

नवीकरणीय उर्जा उत्पादन की परवर्ती लागत शून्य है इसे मस्ट रन के रूप में जाना जाता है। इसके साथ हमारे पास परिवर्तनीयता और अनिश्चितता का पता लगाने के मुद्दे हैं। इस प्रकार भारत को नवीकरणीय उर्जा क्षमता के 175 जीडब्ल्यू के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के संदर्भ में अग्रणी योजना की आवश्यकता है। इन चुनौतियों में विनिर्दिष्ट उर्जा स्टोरेज समाधान अपेक्षित है ताकि उच्च मांग की पूर्ति की जा सके तथा अंतःवर्ती उत्पादन की परिवर्तनीयता का पता लगाया जा सके। इस उभरती हुई तकनीक के महत्व को रेखांकित करते हुए केविविआ ने “भारत में विद्युत स्टोरेज प्रणाली की शुरुआत” से संबंधित स्टाफ पेपर प्रकाशित किया। केविविआ ने सार्वजनिक क्षेत्र में इस पेपर को प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर कई महत्वपूर्ण पहल की और स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां आमंत्रित की। इस विचार के बाद आयोग वांछित नीति और विनियामक हस्तक्षेपों के अनुसार भावी कार्यवाही का निर्णय करेगा।



टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन पारेषण परियोजनाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां पारेषण क्षेत्र के लिए विवेचनीय हैं। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पारेषण सेवाओं के लिए मानक बोली मार्गनिर्देशों के संदर्भ में आयोग ने कुशल एवं मितव्ययी ढंग से पारेषण क्षमता के तेजी से विकास और इसे सुचारु रूप प्रदान करने के लिए सलाह दी है।

विद्युत मंत्रालय ने भारत और पड़ोसी देशों के बीच विद्युत के व्यापार को सरल बनाने के उद्देश्य से विद्युत के सीमा पार व्यापार से संबंधित मार्गनिर्देशों को अधिसूचित किया है। विद्युत के सीमा पार व्यापार प्रदान करने के लिए पारेषण लिंक की स्थापना के अनुसरण में आयोग ने भारतीय सीमा तक पूलिंग उपकेन्द्रों के बीच पारेषण लिंक पर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार को सलाह दी है जो संवेदी किस्म की है और देश के लिए इसका रणनीतिक महत्व है।

आयोग अपने संसाधन उपलब्ध करवाते हुए विनियामक फोरम, भारतीय विनियामक फोरम और दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम फोरम (साफिर) की गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। आयोग विनियामक फोरम भारतीय विनियामक फोरम और दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम फोरम (साफिर) को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है।

विनियामक फोरम अध्यक्ष केविविआ की अध्यक्षता के अधीन विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत एक निगमित निकाय है। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/जेईआरसी के अध्यक्ष विनियामक फोरम के सदस्य हैं। फोरम ने वर्ष के दौरान 5 बैठकें आयोजित की और कई विवेचनीय मुद्दों पर सर्वसम्मति प्राप्त की। फोरम ने "वितरण हानि कमी के लिए सर्वोत्तम पद्धतियां और रणनीतियां" और "सीजीआरएफ एवं ओमडसमैन की कार्य प्रणाली की समीक्षा" से संबंधित अध्ययन किए।

विनियामक फोरम की तकनीकी समिति केविविआ के सदस्य श्री ए.एस. बक्शी की अध्यक्षता में गठित की गई जिसमें नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के राज्य आयोगों के तकनीकी सदस्यों को शामिल किया गया ताकि नवीकरणीय उर्जा समृद्ध राज्यों में पवन एवं सौर उत्पादकों के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन फ्रेमवर्क को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस अवधि में आयोग ने पाया कि प्रभावी नवीकरणीय उर्जा समेकन के लिए मूलभूत निर्माण ब्लॉक सभी राज्यों के लिए संगत हैं और इस संदर्भ में आयोग ने सभी राज्यों में विद्युत में संव्यवहारों के अनुसूचीकरण, लेखांकन, मीटरिंग और व्यवस्थापन (समस्त) के कार्यान्वयन की आवश्यकता का पता लगाया। राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए समस्त के कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल डीपीआर को पीएसडीएफ से निधियां मांगने के लिए तैयार किया गया। मॉडल विनियम राज्य स्तरीय पूर्वानुमान एवं अनुसूचीकरण फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए प्रकाशित किया गया। मॉडल विनियम राज्य स्तरीय विचलन व्यवस्थापन तंत्र के कार्यान्वयन के लिए प्रकाशित किया गया। समिति ने जैनरिक उपकरण विकसित करने के लिए आरपीओ वेब टूल तैयार किया ताकि राज्य बाध्यता इकाइयों की रिपोर्टिंग एवं अनुपालन मॉनिटरिंग को सुविधाजनक बनाया जा सके।

आयोग अपने उत्तरदायित्व के निर्माण में सभी स्टैकहोल्डरों से उनके सतत सहयोग की कामना करता है।

गिरीश. भा. प्रधान

विषय सूची

1. आयोग	11
2. मिशन विवरण	15
3. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण	19
4. पूर्व वर्ष : एक अवलोकन	27
5. विनियामक क्रियाविधियां और प्रक्रिया	33
6. वर्ष 2016-17 के दौरान गतिविधियां	37
7. उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं की निष्कर्ष	89
8. 2016-17 के दौरान जारी अधिसूचनाएं	93
9. वर्ष 2017-18 के लिए कार्यसूची	97
10. खातों की वार्षिक विवरणी	101
11. आयोग का मानव संसाधन	105
अनुबंध	109

संक्षेप अक्षरों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एबीटी	उपलब्धता आधारित टैरिफ
एडीएमएस	स्वचालित मांग प्रबंधन योजना
एईआरए	एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक अधिकरण
एपीपीसी	औसत पूल क्रय लागत
एपीटीईएल/एटीई	विद्युत का अपीलीय न्यायाधीकरण
एयूएफआर	फ्रीक्वेंसी रिले
बीईई	ऊर्जा कुशलता ब्यूरो
बीपीटीए	बल्क विद्युत पारेषण करार
बीयू	बिलियन यूनिट
सीएसी	केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति
सीसीजीटी	समन्वित साईकिल गैस टर्बाइन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीपी	केप्टिव उत्पादन संयंत्र
सीआईएल	कोयला इंडिया लि.
सीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
सीपीआरआई	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सीपीएसयू	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीटीयू	केन्द्रीय पारेषण कंपनी
डीएएम	डे अहेड मार्केट
डिस्काम	वितरण कंपनी
डीवीसी	दामोदर घाटी निगम
ईए	विद्युत अधिनियम
ईआर	पूर्वी क्षेत्र
ईआरसी	विद्युत विनियामक आयोग
ईआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ईआरपीसी	पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एफजीएमओ	फ्री गवर्नर मोड प्रचालन
एफआई	वित्तीय संस्था

एफओआईआर	भारतीय विनियामक फोरम
एफओआर	विनियामक फोरम
एफएसए	ईंधन आपूर्ति करार
जीसीवी	सकल क्लोरिफिक मूल्य
जीएफए	सकल नियत आस्तियां
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	गैस विद्युत केन्द्र
जीएसईएस	ग्रिड सुरक्षा विशेषज्ञ प्रणाली
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
एसपीएस	हाइड्रो विद्युत केन्द्र
आईसी	स्थापित क्षमता
आईडीसी	निर्माण के दौरान हित
आईईजीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड
आईईएक्स	भारतीय ऊर्जा विनिमय
आईपीपी	स्वतंत्र क्रय उत्पादक
आईएसजीएस	अंतर-राज्यिक उत्पादन प्रणाली
आईएसटीएस	अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
जेएनएनएसएम	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन
जेवी	संयुक्त उद्यम
केवी	किलो वॉल्ट
केडब्ल्यू	किलोवाट
केडब्ल्यूएच	किलावोट घंटा
लीलो	लूप इन लूप आउट
एलटीए	दीर्घकालिक पहुंच
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमएमसी	बाजार मानिट्रिंग कक्ष
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमटीओए	मध्यकालिक निर्बाध पहुंच



एमयू	मिलियन यूनिट
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमवाईटी	बहुवर्ष टैरिफ
एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
निपको	उत्तर-पूर्वी विद्युत ऊर्जा कंपनी
एनईआर	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
एनईआरएलडीसी	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनईआरपीसी	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एनएचपीसी	राष्ट्रीय हाईड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा निगम
एनएलसी	नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन
एनएलडीसी	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनपीसी	राष्ट्रीय विद्युत समिति
एनआर	उत्तर क्षेत्र
एनआरएलडीसी	उत्तर क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एनआरपीसी	उत्तर क्षेत्र विद्युत समिति
एनटीपीसी	राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन
ओएंडएम	प्रचालन तथा रखरखाव
ओसीसी	प्रचालन समन्वय समिति
ओसीजीटी	निर्बाध चक्र गैस टर्बाइन
ओटीसी	ओवर दि काउंटर
पीएएफ	संयंत्र उपलब्धता घटक
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि
पीएलएफ	संयंत्र भार घटक
पीएमयू	फेजर परिमापन यूनिट
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
पीओसी	प्वाइंट ऑफ कनेक्शन
पोसोको	विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम लि.
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएसडीएफ	विद्युत प्रणाली विकास निधि
पीएक्सआईएल	भारतीय विद्युत विनिमय लि.
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईए	क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा

आरईसी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र
आईएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीएमओ	नियंत्रित गवर्नर मोड प्रचालन
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
आरएलएनजी	पुनर्गैसकृत लिक्वीफाईट प्राकृत गैस
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर रिटर्न
आरओई	इक्विटी पर रिटर्न
आरओआर	रन ऑफ दी रिवर
आरपीसी	क्षेत्रीय विद्युत समिति
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता
आरआरआई	विनियामक अनुसंधान संस्थान
साफिर	दक्षिण एशिया अवसररचना विनियम फोरम
स्काडा	पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एससीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएचआर	स्टेशन हीट दर
एसजीवीएनएल	सतलज जल विद्युत निगम लि.
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
एसआर	दक्षिणी क्षेत्र
एसआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एसआरपीसी	दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति
एसएसयू	राज्य क्षेत्र कंपनियां
एसटीओए	अल्पकालिक निर्बाध पहुंच
एसटीपीएस	सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीयू	राज्य पारेषण कंपनी
टीएएम	टर्म एहेड बाजार
टीएएमपी	बड़े पत्तनों की ट्रेफिक अधिकरण
टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो विकास निगम
टीपीएस	थर्मल विद्युत केन्द्र
टीएसए	पारेषण सेवा करार

1 आयोग

1. आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री शरद पवार की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने "सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्डों का गठन" करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि "टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफो को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यावसायिकता आ सकेगी।"

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।

इस प्रकार, केंद्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ तर्कसंगतता आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केंद्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कें.वि.वि.आ.) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

आयोग अर्ध-न्यायिक हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विद्याओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

अधिदेश

जैसाकि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है :-

- (क) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;
- (ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;
- (ग) विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;
- (घ) विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;
- (ङ) किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर-राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;
- (च) उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;
- (छ) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उदगृहीत करना;
- (ज) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;
- (झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;
- (ञ) विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;
- (ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

केंद्रीय सरकार को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(2) के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना

- (क) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;
- (ख) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता का संवर्धन करना;
- (ग) विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन; और
- (घ) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

2

मिशन विवरण

2. मिशन विवरण

आयोग की थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढ़ावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अंतर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह देने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्य :-

- क. भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी), उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना।
- ख. एक कारगर टैरिफ अवधारण तंत्र तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययिता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।
- ग. अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना।
- घ. अंतर-राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।
- ङ. विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।
- च. सभी पणधारियों के लिए जानकारी देने में सुधार लाना।
- छ. थोक ऊर्जा तथा पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तनों को सुकर बनाना।
- ज. प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के सृजन के प्रथम उपाय के रूप में, पर्यावरणीय, सुरक्षा तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमा के भीतर पूंजी तथा प्रबंधन के लिए प्रवेश तथा निकासी की बाधाओं के संबंध में सलाह देना।

मार्गदर्शक सिद्धान्त

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता है:

- क. सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण।
- ख. पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना।
- ग. एक ओर विचारों में संगत रहते हुए, विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना।
- घ. यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासंभव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों।
- ङ. विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना।
- च. विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।

3

अध्यक्ष एवं
सदस्यों का
संक्षिप्त विवरण



श्री गिरीश भा. प्रधान

अध्यक्ष

(22 अक्टूबर 2013- कार्यरत)

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर दोनों के 40 वर्षों से अधिक सिविल सेवा कैरियर का अनुभव रखने वाले श्री गिरीश भा. प्रधान का जन्म 20 दिसम्बर 1952 को मुंबई में हुआ। इन्होंने सेंट जेवियर स्कूल, जयपुर, राजस्थान (1969) से स्कूल की शिक्षा प्राप्त की तथा सेंट स्टीफन कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास (आनर्स) में (1970-73) में स्नातक डिग्री प्राप्त की। इन्होंने वर्ष (1973-75) में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री (इतिहास) में प्राप्त की, स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कार्लेटन विश्वविद्यालय, ओटावा, कनाडा से लोक प्रशासन स्नातकोत्तर (एमपीए 1984-85) की डिग्री प्राप्त की एवं नेशनल डिफेंस कालेज (एनडीसी 1992) से स्ट्रेटिजिक अध्ययन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा, श्री प्रधान ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सेवा कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

वर्ष 1977 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडरग्रेज्युट स्तर पर इतिहास पढ़ाया एवं स्टेट बैंक ग्रुप में प्राबेशनरी अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्हें वर्ष 1977 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में महाराष्ट्र का कैडर आवंटित किया गया एवं इन्होंने राज्य एवं जिला स्तर पर महाराष्ट्र राज्य में कार्य किया। उन्होंने महाराष्ट्र के शोलापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे, नागपुर एवं पुणे जैसे विभिन्न जिलों में विनियामक एवं विकासात्मक कार्यों को संचालित किया।

वे वर्ष 1980-81 में सिंधु दुर्ग के नए जिले से निकटता से संबद्ध रहें। बाद में, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य एवं सचिव के रूप में कार्य किया। श्री प्रधान पुणे के नगरपालिका आयुक्त एवं मुंबई के अपर नगरपालिका आयुक्त रहे। यशवंत राव चव्हाण एकेडमी आफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक के रूप में वे उस संस्था को देश का उच्च सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान बनाने में अग्रणी रहे। स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा सुधारों के लिए उनके पास मोनोग्राफ है।

श्री प्रधान ने राष्ट्रीय स्तर पर, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति, गृह कार्य एवं विद्युत मंत्रालय में कार्य किया है। इन्होंने वर्ष 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में निदेशक तथा राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव दोनों के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 2002 से 2003 तक लोक सभा के स्पीकर के सचिव के रूप में कार्य किया।

श्री प्रधान ने नवम्बर 2003 में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया जहां उन्होंने योजना, समन्वयन, ऊर्जा कुशलता, पारेषण एवं ओएम सहित विभिन्न विषयों में महत्वपूर्ण कार्य किया। वे जनवरी, 2008 में अपर सचिव के रूप में पदोन्नत हुए और पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. से संबंधित मामलों एवं उनकी केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं, पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, प्रचालन एवं



मानिट्रिंग, समन्वयन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन एवं विद्युत मंत्रालय के सूचना तकनीक प्रभाग से संबंधित मामलों को शामिल करते हुए नीति एवं योजना, पारेषण में कार्य किया। उन्होंने दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री प्रधान 1 फरवरी, 2011 से विद्युत मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में पदोन्नत किए गए और अक्टूबर, 2011 में उन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया।

उक्त के अलावा, श्री प्रधान ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित विवेच्य रिपोर्टों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका राज्य तथा केन्द्रीय स्तर दोनों पर विद्युत क्षेत्र में (12 वर्षों) का एक दीर्घकालीन अनुभव रहा है। वे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अंतर्गत एक मिशन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन नामक मिशन में सक्रिय रूप से शामिल रहे जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा में विश्व लीडर के रूप में भारत को स्थापित करना रहा है।



श्री ए.के.सिंघल

सदस्य

(9 अक्टूबर, 2013 – कार्यरत)

व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री ए.के.सिंघल का उत्कृष्ट कैरियर रहा है जिसमें सिद्धान्तों के अनुपालन की विशिष्टता विद्यमान रही है। उनका निगमित वित्त प्रबंधन में 37 वर्षों से अधिक का समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण अनुभव है। उन्होंने 8 वर्षों से अधिक एनटीपीसी लि. (महारत्न कंपनी) के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया।

एनटीपीसी में, श्री सिंघल ने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लेकर बोर्ड को बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और कंपनी की लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान की। वे संगठन के वित्तीय प्रबंधन के संपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार थे जिसमें स्वदेशी एवं विश्व स्रोतों से वित्तीय संसाधन संग्रहण करना, निधियों का अनुकूलतम उपयोग करना, बजट नियंत्रण एवं निवेश निर्णय शामिल है। एनटीपीसी में 12 वर्षों की अवधि के दौरान कंपनी के लिए उन्होंने इक्विटी के आईपीओ, एफपीओ एवं ओएफएस जैसे बड़े महत्वपूर्ण संव्यवहार किए, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से अत्यधिक बड़ी दीर्घकालिक ऋण सुविधाएं लीं एवं यूएसडी 2 बिलियन मध्यकालिक नोट कार्यक्रम की स्थापना की एवं उसके अंतर्गत नोट्स जारी किए। सीएफओ के रूप में उन्होंने पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना की और बेहतर निगमित सुशासन प्रणालियों का अनुपालन किया।

उन्होंने विलयन एवं अधिग्रहणों को शामिल करने वाले निर्णयों में सक्रिय भूमिका अदा की जिसमें उत्पादन, पारेषण, कोयला खनन जैसे विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की गहन जानकारी एवं इसके प्रचालन तथा परिरक्षण के लिए अवधारण, निर्माण से नवीकरणों को ध्यान में रखते हुए कारोबार का बेकवर्ड एवं फारवर्ड समाकलन शामिल है। उन्होंने निवेशकारी समुदाय तथा कंपनी के प्रबंधन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया। उन्होंने अनुभव प्राप्ति के लिए निर्माणाधीन यूनिटों का दौरा किया। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान संबद्ध शासकीय कार्यों के लिए कई देशों का दौरा भी किया।

श्रेष्ठता एवं सुदृढ़ कार्य नैतिकता के लिए श्री सिंघल स्थायी कारबार की सफलता के लिए केवल सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं विनम्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके निर्देशन एवं नेतृत्व में एनटीपीसी ने वित्तीय रिपोर्टिंग एवं निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए। श्री सिंघल को विभिन्न फोरमों में सर्वोत्तम सीएफओ के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें आईसीएआई (दो बार) आईएमए (लाईफटाइम एचीवमेंट अवार्ड), सीएनबीसी टीवी 18, एएसबीए टॉप रैंकर शामिल है और वे 9 डाट 9 मीडिया सीएफओ संस्थान द्वारा देश के सर्वोच्च 100 सीएफओ में तीन बार श्रेष्ठ रैंक पर भी रहे। श्री सिंघल निगमित सामाजिक प्रतिबद्धता (सीएसआर) के लिए विभिन्न प्रकार की पहल के लिए प्रेरक बने रहे।

उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रत्येक सीएसआर पहल का लक्ष्य निम्नतम स्तर के लोगों के जीवन में सुधार लाना है और उन्हें ध्यान में रखकर ही उन्होंने कार्य किए ताकि उनको अंत तक उसका लाभ मिल सके। एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री सिंघल ने ईपीआई, क्रिबको एवं एनएफएल में विभिन्न पदों पर कार्य किया। श्री सिंघल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने विद्युत क्षेत्र विनियामक के रूप में उच्चतर उत्तरदायित्वों को ग्रहण करते हुए, 9 अक्टूबर 2013 को आयोग में पदभार ग्रहण किया।



श्री ए.एस.बख्शी

सदस्य

(5 अगस्त 2014— कार्यरत)

श्री ए.एस.बख्शी, मैकेनिकल इंजिनियर व एमबीए का विद्युत क्षेत्र में 39 वर्षों से अधिक का कुल अनुभव रहा है। श्री बख्शी ने वर्ष 1974 में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (नई दिल्ली) में अपना कैरियर आरंभ किया जबकि प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन था। उन्होंने वर्ष 1974 की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा (सीपीईएस) का कार्य सौंपा गया। उन्होंने वर्ष 1975 में केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग में कार्यभार ग्रहण किया और दोबारा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में तैनात किए गए।

वर्ष 1979 में श्री बख्शी को भारत सरकार द्वारा विदेश कार्य पर जल एवं विद्युत विभाग, आबूधाबी सरकार के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। श्री बख्शी ने अपने परिरक्षण विभाग में उम अल नार(पश्चिम) विद्युत संयंत्र में कार्य किया। इस संयंत्र में 6 आयल फायर्ड विद्युत उत्पादनकारी यूनिट और 6 डिसेलीनेशन संयंत्र हैं। वर्ष 1984 में आबूधाबी से प्रत्यावर्तन पर श्री बख्शी ने अपने मूल विभाग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण किया जहां उन्होंने विद्युत संयंत्रों तथा थर्मल संयंत्रों की ऊर्जा आडिट के आरएंडएम में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। वर्ष 2002 में उन्हें सीईए का निदेशक (प्रशासन) बनाया गया और वर्ष 2004 में उन्हें मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया और योजना विंग में तैनात किया गया – मुख्य इंजीनियर के रूप में वे समग्र रूप से देश के लिए उत्पादनकारी योजना के लिए उत्तरदायी थे। वे वर्ष 2007 और वर्ष 2011 में राष्ट्रीय विद्युत योजनाओं को सामने लाने में प्रेरक रहे। वे 12वीं योजना के लिए विद्युत में कार्यकारी समूह के सदस्य सचिव भी थे जब वे सदस्य (योजना), सीईए थे। वे सदस्य (हाइड्रो) और सदस्य (जीएंडओडी), सीईए भी रहे।

वे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर रहे और जुलाई 2011 में भारत सरकार के पदेन सचिव भी रहे। वे उत्पादनकारी योजना, पारेषण योजना और समग्र रूप से देश के लिए भार पूर्वानुमान के लिए भी उत्तरदायी रहे। उन्होंने हाइड्रो परियोजनाओं को सहमति प्रदान करने के लिए समिति की अध्यक्षता की। वे इस अवधि के दौरान अध्यक्ष, सीबीआईपी और अध्यक्ष ईईसी भी रहे। श्री बख्शी 2011 से 2013 की अवधि के दौरान कई समितियों के सदस्य या अध्यक्ष रहे।

कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों को सीईए के अध्यक्ष के रूप में उनकी अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया गया जिसमें 17वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण, अतिविवेचनीय यूनिटों के लिए मानव विनिर्देशन, 2011-12 की सामान्य समीक्षा, कार्बनडाईआक्साइड बेस लाइन डाटा विद्युत क्षेत्र से सीटीसी की समाप्ति, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इनपुट इत्यादि शामिल हैं।

श्री बख्शी ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य के रूप में 5 अगस्त 2014 को कार्यभार ग्रहण किया।



डॉ. एम. के. अय्यर

सदस्य

(10 अगस्त 2015 – कार्यरत)

10 अगस्त, 2015 को सदस्य के रूप में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व डॉ० एम. के. अय्यर ने 5 वर्षों की अवधि के लिए गुजरात विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (वित्त) के रूप में कार्य किया और गुजरात विद्युत विनियामक आयोग ने कई विनियामक मुद्दों को सफलता से संचालित किया। गुजरात विद्युत विनियामक आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में बहुवर्ष टैरिफ विनियम, सौर, पवन एवं बायोमास के नवीकरणीय टैरिफ आदेश, निर्बाध पहुंच विनियम और इसका इसका प्रवर्तन, टैरिफ की तर्कसंगतता, ईंधन विद्युत क्रय समायोजन फार्मूला के माध्यम से विद्युत खरीद को पासथू करना और अन्य विनियामक मुद्दों का स्कोर तैयार करना ताकि उपभोक्ता हित और कम्पनी हित के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। अगस्त 2010 गुजरात विद्युत विनियामक आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के समय से बड़ी संख्या में आदेश जारी किए गए जिसका गुजरात में विद्युत क्षेत्र की सुचारू कार्यप्रणाली में प्रभाव रहा है।

डॉ० एम. के. अय्यर भौतिकी में स्नातक हैं। एमबीए (वित्त) और प्रबंधन में पी.एच.डी. हैं और स्टैक होल्डरों के लिए समुचित महत्व पैदा करने के लिए रणनीतिक इनपुट में योगदान का सृष्टि रिकॉर्ड है। उन्होंने वित्त, मानव संसाधन और आई.टी. जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 31 वर्ष के लिए राज्य कम्पनी को सहयोग किया है और समूचे संस्थागत नक्शों को सहायता प्रदान की है। उन्होंने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपनी सक्षमताएं प्रदर्शित की हैं जिनमें निगमित योजना, नीति विकास, सुधार और पुनसंरचना, वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, एच.आर. एवं औद्योगिक संबंध, प्रशिक्षण, आई.टी. पहल, वाणिज्यिक और विनियामक मामले शामिल हैं। उन्होंने सुधार परियोजना प्रबंधन समूह के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड के गतिविधियों के 'वित्तीय पुनसंरचनात्मक योजना' में प्रभावी रूप से सहभागिता की है।

उनका विश्लेषणात्मक, प्रशासनिक, कठिनता को दूर करने की कुशलताएं, कुशल टीम लीडर, प्रशिक्षक और प्रेरक की विशेषताएं हैं ताकि परिचालनगत उत्पादकता, श्रेष्ठ सम्प्रेषण, योग्यताओं को बढ़ाने के लिए कार्यात्मक टीमों के प्रयासों के समन्वित करने की योग्यता है।

गुजरात आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे गुजरात ऊर्जा पारेषण कारपोरेशन लिमिटेड, वडोदरा, में वरिष्ठ मुख्य महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए) के रूप में कार्य कर रहे थे। पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड/अनबंडलड जीबी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वरिष्ठ प्रमुख महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए) आई.टी./एच.आर. तथा सीआईओ गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, महाप्रबंधक (लेखा), महाप्रबंधक (एचआर), मुख्य वित्त प्रबंधक (बजट एवं योजना), मुख्य वित्त प्रबंधक (परियोजना एवं योजना/स्टोर क्रय) इत्यादि के रूप में कार्य किया और पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड के सुधार/पुनसंरचना को सफलतापूर्वक संचालित किया तथा आई.टी. पहल को कार्यान्वित किया एवं अंतिम से अंतिम ईआरपी कार्यान्वयन को सभी अनबंडलड 7 कम्पनियों में कार्यान्वित किया।

4

पूर्व वर्ष

एक अवलोकन

4. पूर्व वर्ष एक अवलोकन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा के अधीन कुल संस्थापित क्षमता 57260.23 मेगावाट थी। इसमें से पवन ऊर्जा और सौर की क्रमशः 32279.77 मेगावाट और 12288.83 मेगावाट की क्षमता थी। शेष क्षमता लघु हाइड्रो विद्युत, बायोमास, ऊर्जा इत्यादि के लिए अवशिष्ट के बीच शेयर की गई थी। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पाया जिसमें सौर से 100 जीडब्ल्यू, पवन से 60 जीडब्ल्यू, बायो पावर से 10 जीडब्ल्यू और लघु हाइड्रो पावर से 5 जी डब्ल्यू शामिल है। इस लक्ष्य में सिद्धांत रूप से 40 जीडब्ल्यू रूफ टॉप और बड़े तथा मध्यम ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से 60 जीडब्ल्यू शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वृद्धि के लिए लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने कई उपाय किए हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चितता और विभिन्न प्रकार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इनफर्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (पवन एवं सौर जैसे) के लिए अनुसूची से विचलनों के संचालन, के लिए फ्रेमवर्क सृजित किया है। इस फ्रेमवर्क में आरएलडीसी तथा पवन/सौर उत्पादक द्वारा पूर्वानुमान की आवश्यकता है। केन्द्रीयकृत पूर्वानुमान ग्रिड प्रबंधन परिप्रेक्ष्य से है और आवश्यकताओं के संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जबकि उत्पादक द्वारा पूर्वानुमान का लक्ष्य अनुसूची से विचलनों को कम से कम करना है। इसके बाद आईईजीसी तथा डीएसएम विनियमों के लिए संशोधन किए गए।

नवीकरणीय उर्जा के प्रभावी ग्रिड समेकन के लिए केविविआ ने संशोधित किया है ताकि अधिकतम सतत दर या स्थापित क्षमता या केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र और अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों के लिए नेमप्लेट रेटिंग की 55 प्रतिशत तकनीकी न्यूनतम अनुसूची उपलब्ध करवाई जा सके। यह उपबंध आवश्यक था चूंकि कई उत्पादन केन्द्रों से 11वीं और 12वीं योजना के दौरान पर्याप्त क्षमता वृद्धि, बड़े पैमाने पर उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की वृद्धि के कारण प्रचालन अपेक्षित था। उत्पादन केन्द्रों के हित को ध्यान में रखते हुए संशोधन विनियम में केन्द्रों में अवनयन के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है, संशोधन विनियम में स्टेशन हीटदर, सहायक उर्जा उपभोग तथा न्यूनतम तकनीक तक यूनिटों के बेकिंग डाउन मामले में स्टार्टअप ईंधन लागत के लिए व्यवस्था है। न्यूनतम तकनीक से नीचे अनुसूचीकरण के मामले में उत्पादक को रिज़र्व भाटडाउन के लिए जाने का विकल्प है।

संशोधन विनियम में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों और अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों एवं अंतरराज्यिक पारेशण प्रणालियों के वाणिज्यिक प्रचालन और ट्रायल रन के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की व्यवस्था है। विनियमों में ट्रायल प्रचालन और वाणिज्यिक प्रचालन के संबंध में उत्पादन केन्द्रों और पारेशण प्रणालियों के हिताधिकारियों, आरएलडीसी/एसएलडीसी, उत्पादन कंपनियों और पारेशण अनुज्ञप्तिधारियों को विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किए गए हैं।

आयोग नवीकरणीय की व्यवस्था में राज्यों द्वारा सामना की जा रही प्रचालनगत चुनौतियों को सूक्ष्मता से मॉनिटर करता है जो अनुसूची से विचलन के लिए सामान्यतः राज्यों के लिए कारण बनते हैं और उसके परिणामतः भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। इस संदर्भ में कई राज्यों ने केविविआ, विद्युत मंत्रात्रय, एमएनआरई, पोसोको तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के



साथ बैठकों में अभ्यवेदन किए हैं जिनमें यह बताया गया है कि विचलन सीमा से पर्याप्त वित्तीय भार पड़ता है और राज्यों द्वारा प्रारंभ की जा रही नवीकरणीय क्षमता की रोकथाम होती है। इसके बाद आयोग नवीकरणीय उर्जा समृद्ध राज्यों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श में रहा।

आयोग ने यह माना कि पवन एवं सौर (कम सीमा तक) विद्युत के इनफर्म स्रोत हैं। ग्रिड में पवन एवं सौर उत्पादकों की उच्चतर क्षमता की व्यवस्था के लिए समाधान बेहतर पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और संतुलनकारी क्षमता पर निर्भर करता है। तथापि इको प्रणाली अस्थायी सहायता के रूप में पवन एवं सौर उत्पादन केन्द्रों की उच्चतर क्षमता की व्यवस्था के लिए इस क्षमता को निर्मित करती है अतः आयोग ने सभी अन्य राज्यों के लिए मौजूदा डीएसएम सीमाओं को बनाए रखते समय नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के लिए विचलन सीमाओं में छूट का निर्णय किया है।

केविविआ ने उच्चतर संख्या के सहभागियों वाले पावर एक्सचेंज की तुलना में गैर लाभ वाले कम संख्या के सहभागियों वाले पावर एक्सचेंज में संव्यवहार करने वाले सहभागियों के रूप में विभिन्न पावर एक्सचेंजों पर प्रचालन प्रभार का प्रभाव रहा चूंकि उस एक्सचेंज में प्रतिभागियों को प्रचालन प्रभारों का उच्चतर अंश वहन करना था। ऐसा तंत्र तैयार करने के उद्देश्य से जिससे प्रत्येक प्रतिभागी पर एनएलडीसी प्रचालन प्रभार के उचित शेयर के उदग्रहण के लिए और पावर एक्सचेंज पर आधारित लाभ या अलाभ पर कोई सहभागी नहीं होता इसके लिए केविविआ ने मूल विनियम को संशोधित किया है। संशोधन में यह व्यवस्था है कि सामूहिक संव्यवहारों के मामले में एनएलडीसी प्रचालन प्रभार संबंधित पावर एक्सचेंज में संव्यवहारों के लिए एनएलडीसी द्वारा प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित उर्जा (मेगावाट घण्टे) के आधार पर प्रत्येक सफल क्रेता और विक्रेता द्वारा प्रतिदेय होगा। एनएलडीसी प्रचालन प्रभार पावर एक्सचेंजों द्वारा एकत्रित किया

जाएगा और दैनिक आधार पर एनएलडीसी को अंतरित किया जाएगा। एनएलडीसी प्रचालन प्रभारों की दर सामूहिक संव्यवहारों के लिए एक रूपया/मेगावाट घण्टे होगी। सामूहिक संव्यवहार के मामले में प्रत्येक सफल क्रेता और विक्रेता द्वारा प्रतिदेय एनएलडीसी प्रचालन प्रभार एक दिन के लिए 200 रूपये प्रतिदिन की अधिकतम सीमा में होगा।

राष्ट्रीय उन्नत उर्जा क्षमता मिशन के अधीन एक पहल पीएटी योजना की शुरुआत थी जो उर्जा गहन बड़े उद्योगों में उर्जा कुशलता में सुधारों के लागत प्रभावों में वृद्धि के लिए बाजार आधारित तंत्र है। पीएटी नियमावली 2012 की धारा 12 में केन्द्रीय सरकार को शक्तियां हैं कि उर्जा बचत प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाए। पैट नियमावली में पावर एक्सचेंजों को ऐसे प्लेटफार्म के रूप में नामित किया गया है जिसके माध्यम से उर्जा बचत प्रमाणपत्रों का व्यापार किया जाएगा और प्रमाणपत्रों को जारी किया जाएगा।

चूंकि पावर एक्सचेंजों को केविविआ (केविविआ या आयोग) द्वारा विनियमित किया जाता है अतएव केविविआ ने पावर एक्सचेंजों पर संव्यवहारित किए जाने वाले उत्पाद के रूप में उर्जा बचत प्रमाणपत्रों को शामिल करने के लिए आवश्यक विनियामक फ्रेमवर्क सृजित किया और तदनुसार उर्जा बचत प्रमाणपत्र विनियम 2016 अधिसूचित किया। यह विनियम आयोग द्वारा यथाअनुमोदित उर्जा बचत प्रमाणपत्रों में कंट्रेक्टों सहित पावर एक्सचेंजों पर संव्यवहार के लिए ऑफर किए गए उर्जा बचत प्रमाणपत्रों के लिए लागू हैं और विद्युत अधिनियम के उपबंध, पैट रूल 12 और इन विनियमों के अनुसार संव्यवहारित होंगे।

यह विनियम पावर एक्सचेंजों पर उर्जा बचत प्रमाणपत्रों में लेनदेन के लिए पात्र कंपनियों को विनिर्दिष्ट करता है और रजिस्ट्री के रूप में विद्युत प्रणाली प्रचालन कॉर्पोरेशन लि. (विद्युत मंत्रालय में

भारत सरकार द्वारा नामित) के अधीन एनएलडीसी नामित किया गया है। रजिस्ट्री को विनियमों में यथापरिभाषित विभिन्न कार्यों को निष्पादित करना है। उर्जा दक्षता ब्यूरो को विनियमों में यथापरिभाषित विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए प्रशासक के रूप में नामित किया गया है। संव्यवहारों की मॉनिटरिंग और इन विनियमों का अनुपालन का प्राथमिक उत्तरदायित्व बीईई का है। विनियमों में यह भी विनिर्दिष्ट है कि उर्जा बचत प्रमाणपत्रों का लेनदेन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बाद पावर एक्सचेंज के नियमों और उपनियमों के अनुसार होगा। उर्जा बचत प्रमाणपत्रों के संव्यवहार की फ्रिक्वेंसी मासिक आधार पर होगी। उर्जा बचत प्रमाणपत्रों की बाजार कीमत संबंधित पावर एक्सचेंज में बोली की प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाई जाएगी। बीईई के साथ परामर्श से आयोग को रजिस्ट्री के लिए पात्र कंपनियों द्वारा प्रतिदेय फीस व प्रभार के आदेश से निर्धारित करना होगा।

केन्द्रीय आयोग ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन पारेषण परियोजनाओं द्वारा सामान की जा रही चुनौतियों पर भारत सरकार को सलाह दी और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पारेषण सेवाओं के लिए मानक बोली मार्गनिर्देशों के संदर्भ में सुझाव दिए। इस सलाह का उद्देश्य पारेषण क्षमता का तेज गति से और किफायती ढंग से विकास करना विशेष रूप से टीबीसीबी रूट के अधीन चूंकि विनिर्दिष्ट सुझाए गए उपायों के समयबद्ध कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता है।

केन्द्रीय आयोग ने विद्युत के सीमा पार व्यापार से संबद्ध विशिष्ट मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह दी। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत के सीमा पार व्यापार पर मार्गनिर्देश अधिसूचित किए जिनका उद्देश्य भारत और पड़ोसी देशों के बीच विद्युत के सीमा पार व्यापार को सरल बनाना है। इन मार्गनिर्देशों में अनिवार्य रूप से भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच, संबंधित सरकारों के अनुमोदन सहित दो देशों द्वारा संयुक्त

रूप से पारेषण अंतरसंबंध की योजना की व्यवस्था है। ग्रिड की सुरक्षित और नियंत्रित प्रचालन के लिए मार्गनिर्देशों में पूलिंग स्टेशन के बीच सीमा पार पारेषण लाइनों के निर्माण की व्यवस्था है और मॉनिटर की जाने वाले दो पूलिंग स्टेशनों के बीच इस प्रकार के अंतरसंबंध और उचित समनव्य सहित संबंधित प्रणाली प्रचालकों द्वारा नियंत्रित संबंधों की व्यवस्था है। विद्युत के सीमा पार व्यापार के लिए पारेषण लिंक की स्थापना के अनुसरण में आयोग ने भारतीय सीमा तक पूलिंग उपकेन्द्रों के बीच जो देश के लिए संवेदी किस्म का है और उसका रणनीतिक महत्व है।

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है। यह फोरम केविविआ और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/जेईआरसी के अध्यक्षों से गठित है। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं। केविविआ विनियामक फोरम को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है। फोरम फोरम ने 2016-17 के दौरान 5 बैठकें आयोजित की जिनमें विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और सिफारिशों की गईं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विनियामक फोरम ने "वितरण हानि कमी के लिए सर्वोत्तम पद्धतियां और रणनीतियां" और "सीजीआरएफ एवं ओमडसमैन की कार्य प्रणाली की समीक्षा" से संबंधित अध्ययनों को पूरा किया।

भारतीय विनियामक फोरम वर्ष 1999 में निर्मित एक सोसायटी है जिसमें विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, एयरपोर्ट, बड़े पोर्ट इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विनियामकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह विनियामक पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं में उभर रहे मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है ताकि भारत में विनियमों के समक्ष चुनौतियों की पूर्ति के लिए सामान्य रणनीतियां विकसित की जा सकें और सूचना एवं अनुभवों का



आदान-प्रदान किया जा सके। भारतीय विनियामक फोरम के सदस्यों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विनियामक बोर्ड, एयरपोर्ट, इकॉनॉमिक विनियामक प्राधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और बड़े पोर्टों के टैरिफ प्राधिकरण, भारतीय टेलिकॉम विनियामक प्राधिकरण तथा सभी राज्यों के विद्युत विनियामक शामिल हैं। भारतीय विनियामक फोरम को सचिवीय सेवा केविआ द्वारा दी जाती है। वर्ष के दौरान गवर्निंग बॉडी की तीन बैठकें वार्षिक जनरल बॉडी की एक बैठक और अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया है।

साफिर दक्षिण एशियन देशों के अवसंरचनात्मक विनियामकों के एक फोरम है जो 1999 से अस्तित्व में आया। साफिर को सचिवालय के रूप में केविआ ने अपने सदस्यों के लिए उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एवं जानकारी कार्यक्रम आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। साफिर की 11वीं कार्यकारी समिति की बैठक 27 मई 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जबकि कार्यकारी समिति की 12वीं बैठक 12 नवम्बर 2016 को जयपुर में आयोजित की गई।

5

विनियामक क्रियाविधियां
एवं प्रक्रिया

5. विनियमक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

केंद्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है:


1. विनियमों को अधिसूचित करता है
2. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है:
 - ◆ टैरिफ का अवधारणा करने
 - ◆ अनुज्ञप्ति जारी करने
 - ◆ प्रकीर्ण मामले

क विनियमों के लिए क्रियाविधि

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारीवृंद स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके

बाद, परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। आक्षेप और सुझावों की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है।

प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार-विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किए जाते हैं। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रारूप विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्रवाई की जाती है। इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। आक्षेप और सुझाव प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।



याचिकाओं से संबंधित आदेशों के लिए क्रियाविधि

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं :

1. उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;
2. विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण और

अंतर-राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं :

1. विविध याचिकाएं
2. पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के प्रति सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदकों से, टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा भी की जाती है। तत्पश्चात, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी को, आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अनुमति है।

ख टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सृजन के पूर्व, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात् एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और नीपको, का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात् आयोग ने टैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों को तीन वर्ष की अवधि, अर्थात् 2001-04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम, 2003 (जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत

विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात्, आयोग ने 2004-09 की पांच वर्ष की अवधि तथा मार्च, 2009 में 2009-14 की पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में केन्द्र/स्टेशन/राज्य-वार उत्पादन टैरिफ तथा लाइन या प्रणाली-वार पारेषण टैरिफ को निर्धारण करने का उपबंध है। आयोग ने 21 फरवरी 2014 की अधिसूचना द्वारा केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2014 जारी किए जो 1.4.2014 से प्रभावी हैं।

टैरिफ समय-समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदंड और तकनीकी मानदंड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आंशिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक। थर्मल केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं।

टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ के लिए, लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधार ईंधन कीमत और सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न-भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये केंद्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और क्रेता केंद्रों से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं।

6

2016–17 के
दौरान गतिविधियां

6. 2016-17 के दौरान गतिविधियां

6.1 कानूनी कार्यवाहियां

वर्ष 2016-17 के दौरान 507 याचिकाओं को गतवर्ष अर्थात् 2015-16 से आगे ले जाया गया। इसके अलावा 1.4.2016 और 31.3.2017 के दौरान 322 याचिकाओं को दायर/रजिस्टर्ड किया गया जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 829 हो गई। इनमें से 522 याचिकाएं वर्ष 2016-17 के दौरान निपटा दी गईं। निपटाई गई याचिकाओं की विस्तृत प्रास्थिति के ब्यौरे **अनुबंध-1** में दी गए हैं।

आयोग ने अपने समक्ष अनिर्णित याचिकाओं की बढ़ती संख्या के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। यह देखा गया कि 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ की निबंधन और शर्तों को जारी करने के बाद केन्द्रीय आयोग को मौजूदा आस्तियों (जो 01.04.2014 से पूर्व आरंभ की गई थी) के लिए पारिषण अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कंपनियों से पर्याप्त संख्या में याचिकाएं प्राप्त हुईं और नई आस्तियां जिनकी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख टैरिफ अवधि 2014-19 के दौरान घटित हुईं।

आयोग ने अपनी संबंधित वार्षिक राजस्व अपेक्षा प्रस्ताव में अंतिम टैरिफ प्राप्त करने के लिए वितरण कंपनियों या हिताधिकारियों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से तेजी से याचिकाओं के निपटान का निर्णय किया। इस प्रक्रिया में आयोग ने कई सक्रिय उपाय किए और जिसके परिणामतः वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग ने 522 याचिकाओं का निपटान किया।

6.2 वर्ष 2016-17 में जारी किए गए विनियम/प्रमुख निर्णय

6.2.1 केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (चौथा संशोधन) विनियम 2016

धारा 178 की उपधारा (2) के खण्ड (जी) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केविविआ ने केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 में कुछेक उपबंधों के लिए आदेश करते हुए केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (चौथा संशोधन) विनियम 2016 (संशोधन विनियम) बनाया।

संशोधित विनियम में ट्रायल रन के लिए और केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों एवं अन्तरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों एवं अन्तरराज्यिक पारिषण प्रणालियों के वाणिज्यिक प्रचालन के लिए विनियम फ्रेमवर्क की व्यवस्था की मांग की गई। संशोधन विनियमों में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों तथा अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन के लिए न्यूनतम तकनीकी अनुसूची की व्यवस्था है।

संशोधित विनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क. संशोधित विनियम में ट्रायल प्रचालन और अन्तरराज्यिक पारिषण प्रणालियों तथा हाइड्रो पावर एवं थर्मल पर आधारित अन्तरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों एवं केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा के लिए क्रियाविधि को परिभाषित किया गया।

ख. इन विनियमों में ट्रायल प्रचालन और वाणिज्यिक प्रचालन के संबंध में पारिषण प्रणालियों और उत्पादन केन्द्रों के हिताधिकारियों, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र/राज्य भार प्रेषण केन्द्र, पारिषण अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कंपनियों को विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किए गए हैं।

ग. उत्पादन कंपनी के सीएमडी/सीईओ/एमडी या पारिषण अनुज्ञप्तिधारियों को यह प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है कि उत्पादन केन्द्र या पारिषण प्रणालियां

संगत अपेक्षा और तकनीकी मानदण्ड ग्रिड मानदण्ड और ग्रिड संहिता के उपबंध की पूर्ति करते हैं।

- घ. थर्मल उत्पादन केन्द्रों तथा हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के संबंध में ट्रायल प्रचालन की अवधि उत्पादन केन्द्रों की नेम प्लेट रेटिंग या स्थापित क्षमता या अधिकतम सतत रेटिंग पर क्रमशः 72 घण्टे और 12 घण्टे के रूप में निर्धारित की गई है। पारेषण प्रणाली के मामले में इसे विद्युत के सतत प्रवाह पर 24 घण्टे के लिए सफल प्रभार के रूप में निर्धारित किया गया है।
- ङ. ट्रायल प्रचालन में 4 घण्टे का अल्प व्यवधान किसी आकस्मिकता को ध्यान रखने के उद्देश्य से परीक्षण की अवधि में तदनुसूची वृद्धि सहित थर्मल एवं हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के मामले में अनुमति दी गई है।

इस संशोधन विनियमों में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र एवं अन्तरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन के लिए अधिकतम सतत रेटिंग या स्थापित क्षमता या नेमप्लेट रेटिंग का 55 प्रतिशत पर तकनीकी अधिकतम अनुसूची के लिए व्यवस्था है। यह उपबंध को आवश्यक था चूंकि कई उत्पादन केन्द्रों से उच्चतर उर्जा प्रभारों पर अनुसूचित विद्युत के लिए राज्य डिस्कॉम की उदासीनता और आयातित कोयले के साथ ब्लेंडिंग के कारण उर्जा प्रभारों में वृद्धि से देशी कोयले की कमी, बड़े पैमाने पर उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अतिरिक्त 11वीं व 12वीं योजना के दौरान प्राप्त अतिरिक्त क्षमता के कारण आंशिक भार पर प्रचालन की अपेक्षा थी। उत्पादन केन्द्रों के हित को ध्यान में रखते हुए संशोधन विनियम में केन्द्रों में अवनयन के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है, संशोधित विनियम में न्यूनतम तकनीक तक यूनिट के बेकिंग डाउन के मामले में स्टार्टअप ईंधन लागत और सहायक उर्जा उपभोगा, स्टेशन हीटदर में कमी के

लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। न्यूनतम तकनीकी से नीचे अनुसूची करण के मामले में उत्पादक के पास रिजर्व शटडाउन का विकल्प है।

6.2.2 केविविआ (विचलन व्यवस्थाप तंत्र और संबद्ध मामले) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016

कई राज्यों (गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु इत्यादि) ने यह बल दिया है कि प्रबंधकारी नवीकरण विशेष रूप से पवन से पर्याप्त चुनौती रही है जिससे अनुसूची से विचलन हुआ है और उसके परिणामतः वित्तीय जोखिम हुआ है। इस संदर्भ में कई राज्यों ने केविविआ, विद्युत मंत्रालय, एमएनआरई, पोसोको और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ बैठकों में अभ्यवेदन किए गए जिसमें यह बताया गया कि विचलन सीमा से प्राप्त वित्तीय भार हुआ है और राज्य द्वारा आरंभ की जा रही अधिक नवीकरणीय क्षमता की रोकथाम हुई है। इसके बाद आयोग ने नवीकरणीय उर्जा समृद्ध राज्यों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया।

आयोग ने यह माना कि पवन एवं सौर (कम सीमा तक) उर्जा के इनफर्म स्रोत हैं। ग्रिड पर सौर उत्पादक एवं पवन की उच्चतर क्षमता की व्यवस्था का समाधान बेहतर पूर्वानुमान अनुसूचीकरण और संतुलित क्षमता पर निर्भर करता है। इसके लिए आयोग ने वर्ष 1915 में पवन एवं सौर परियोजनाओं के विचलन व्यवस्थापन एवं अनुसूचीकरण, पूर्वानुमान पर फ्रेमवर्क (प्रोदेशिक इकाइयों) को अधिसूचित किया। आयोग ने विनियामक फोरम के साथ मॉडल विनियम भी शेयर किया। कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने उनके राज्यों के लिए ड्राफ्ट विनियम भी जारी किए। विकासकर्ता तथा तदनुसूची भार प्रेषण केन्द्र के रूप में उन्होंने इनफर्म नवीकरणीय उर्जा में अधिक दृश्यता और इस प्रक्रिया को आरंभ किया जो अंतर्दृष्टि के लिए प्रत्याशित है और इस प्रभन पर कार्य करेगा। इसी प्रकार सभी स्टेकहोल्डरों को स्पिननिंग रिजर्व और सहायक सेवाओं के प्रचालनीकरण के लिए प्रगति करनी है।

आयोग ने “देश में प्रचालनीकरण रिजर्व के लिए रोडमैप” के संबंध में 13.10.2015 की याचिका संख्या II/एसएम/2015 और केविआ (सहायक सेवा प्रचालन) विनियम 2015 के माध्यम से उसके लिए विजन निर्धारित किया।

अस्थायी सहायता के रूप में पवन एवं सौर उत्पादन केन्द्रों की उच्चतर व्यवस्था की क्षमता के लिए ईको सिस्टम का निर्माण करते समय आयोग ने नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के लिए विचलन सीमाओं की छूट का निर्णय किया है जबकि सभी अन्य राज्यों के लिए मौजूदा डीएसएम सीमाओं को बनाए रखा है और तदनुसार तीसरा संशोधन 6.5.2016 को अधिसूचित हुआ और 30.5.2016 को प्रभावी।

नवीकरणीय समृद्ध राज्य को निम्नानुसार विनियमों में परिभाषित किया गया है

“नवीकरणीय समृद्ध राज्य से अभिप्राय ऐसा राज्य है जिसकी पवन एवं सौर उर्जा की न्यूनतम समन्वित संस्थापित क्षमता 1000 मेगावाट या अधिक है।

नोट: समन्वित संस्थापित क्षमता अगले माह के लिए संस्थापित क्षमता के निर्णय के प्रयोजन के लिए माह के अंतिम दिन को संस्थापित क्षमता के आधार पर संगणित की जाएगी।”

नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के लिए विचलन सीमाओं में निम्नानुसार सभी अन्य राज्यों के लिए मौजूदा डीएस-VI सीमाओं को बनाए रखते हुए छूट दी गई है।

नवीकरणीय समृद्ध	पवन एवं सौर परियोजना की समन्वित संस्थापित क्षमता	डीएसएम विनियम के अधीन विचलन सीमा – “एल”
क	>=1000 मेगावाट से 3000 मेगावाट तक	200 मेगावाट
ख	>3000 मेगावाट	250 मेगावाट

नवीकरणीय समृद्ध राज्य के लिए विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किए गए हैं:

(i)	टाइम ब्लॉक में एलएमडब्ल्यू और एल+50MW तक विद्युत की अधिक निकासी/कम अंतक्षेपण के लिए	टाइम ब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के तदनुसूची विचलन के लिए प्रभार के 20% के समतुल्य
(ii)	टाइम ब्लॉक में एलएमडब्ल्यू और एल+50 MW और एल+100 MW तक विद्युत की अधिक निकासी/कम अंतक्षेपण के लिए	टाइम ब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के तदनुसूची विचलन के लिए प्रभार के 40% के समतुल्य
(iii)	टाइम ब्लॉक में एलएमडब्ल्यू और एल+100 MW तक विद्युत की अधिक निकासी/कम अंतक्षेपण के लिए	टाइम ब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के तदनुसूची विचलन के लिए प्रभार के 100% के समतुल्य

नोट “एल” खण्ड 3 में उक्त विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।

कुछ परिवर्तन निम्नानुसार याचिका संख्या 6/आरपी/2014 में 20.1.2015 के केविआ के आदेश के अनुसार किए गए हैं।

क. इन मामलों में जहां अनुसूची 400 मेगावाट से कम या बराबर है वहां विलचन प्रभार और विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार 400 MW की अनुसूची के संदर्भ में निकाले गए विचलन की प्रतिशतता पर आधारित होंगे।

6.2.3 केविआ (उर्जा बचत प्रमाणपत्र के लिए निबंधन व शर्तों) विनियम 2016

एनएमईईई के अधीन एक पहल परफॉर्म एचई एण्ड ट्रेड योजना की शुरुआत थी जो उर्जा गहन उद्योगों में उर्जा कुशलता में सुधार की लागत प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए बाजार आधारित तंत्र है। उर्जा संरक्षण अधिनियम उर्जा के मूल्य को विनिर्दिष्ट करने के लिए धारा 14 बी के अधीन

शक्तियां प्रदान करते हुए धारा 14 ए के अधीन उर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्तियां प्रदान करने के लिए 24.8.2010 को संशोधित किया गया।

इसके बाद उर्जा संरक्षण (नामित उपभोक्ताओं के लिए उपभोग मानदण्ड और मानक जिसके अंदर उपभोग्य उर्जा के समतुल्य तेल के प्रति मीट्रीक टन के मूल्य और उर्जा बचत प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए योजना क्रियाविधि का तैयार करने और कार्यान्वयन का ढंग) नियामावली 2012 (पैट नियामवली 2012) को 30.3.2012 को विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया।

पैट नियामवली 2012 की धारा 12 में इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्तियां प्रदान की गईं। पैट नियामवली में प्लेटफार्म के रूप में पावर एक्सचेंजों को नामित किया गया जिसके माध्यम से उर्जा बचत प्रमाणपत्रों का व्यापार किया जाएगा और प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

चूंकि पावर एक्सचेंज केविविआ (केविविआ या आयोग) द्वारा विनियमित किए जाते हैं। अतः अब केविविआ ने पावर एक्सचेंजों पर संव्यवहारित किए जाने वाले उत्पाद के रूप में उर्जा बचत प्रमाण पत्र को शामिल करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 के अधीन आवश्यक विनियामक फ्रेमवर्क का सृजन किया है और तदनुसार 27.5.2016 को केविविआ (उर्जा बचत प्रमाण पत्र के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2016 अधिसूचित किया है। यह विनियम आयोग द्वारा यथाअनुमोदित उर्जा बचत प्रमाण पत्रों में कंट्रेक्ट सहित पावर एक्सचेंजों पर संव्यवहार के लिए उर्जा बचत प्रमाण पत्रों के लिए लागू हैं और विद्युत अधिनियम, 2003, पैट नियामवली 2012 और विनियमों के उपबंधों के अनुसार निपटाए जाएंगे।

इन विनियमों में पावर एक्सचेंजों पर उर्जा बचत प्रमाणपत्रों के लिए लागू कंपनियों को विनिर्दिष्ट

किया गया है और रजिस्ट्री के रूप में विद्युत प्रणाली प्रचालन कार्पोरेशन लि. (विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा नामित) के अधीन एनएलडीसी प्रचालन को नामित किया गया है। रजिस्ट्री को विनियमों में यथापरिभाषित विभिन्न कार्यों को निपादित करना है। उर्जा दक्षता ब्यूरो को विनियमों में यथापरिभाषित विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासक के रूप में नामित किया गया है। इन विनियमों के संव्यवहार की मॉनिटरिंग और अनुपालन का प्राथमिक उत्तरदायित्व उर्जा दक्षता ब्यूरो के पास है।

विनियम में यह भी विनिर्दिष्ट है कि उर्जा बचत प्रमाणपत्रों को लेन-देन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बाद पावर एक्सचेंज के विनियम एवं उपनियम के अनुसार होगा। उर्जा बचत प्रमाणपत्रों के संव्यवहारों की फ्रिक्वेंसी मासिक आधार पर होगी।

पैट चक्र में चूक के 3 से अधिक मामलों में पात्र कंपनियों को विद्युत अधिनियम के अनुसार लागू किसी दण्ड के बावजूद उर्जा बचत प्रमाणपत्र के संव्यवहार से बहिष्कृत किया जाएगा।

उर्जा बचत प्रमाणपत्रों की बाजार कीमत संबंधित पावर एक्सचेंज में बोली प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाई जाएगी। उर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ परामर्श करते हुए आयोग को रजिस्ट्री के लिए पात्र कंपनियों द्वारा प्रतिदेय फीस एवं प्रभारों के आदेश से निर्धारित किया जाए।

6.2.4 केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016

केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम 2015 में यह व्यवस्था है कि सामूहिक संव्यवहारों के मामलों में प्रचालन प्रभार एनएलडीसी की प्रादेशिक कंपनी/2000 रुपये/दिन की दर पर पावर एक्सचेंजों द्वारा प्रतिदेय होंगे। सामूहिक संव्यवहारों के लिए पावर एक्सचेंज में अपने सभी भागीदारों में समान रूप से लागत को समाजीकृत किया है।

इसलिए कम संख्या के सहभागियों वाले पावर एक्सचेंजों में संव्यवहार करने वाले सहभागी बड़ी संख्या वाले सहभागियों वाले पावर एक्सचेंज की तुलना में बिना लाभ के होंगे। चूंकि उस एक्सचेंज में सहभागियों को प्रचालन प्रभारों की उच्चतर शेयर वाहन करना होगा।

नया तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से जो पावर एक्सचेंज पर लाभ या अलाभ पर प्रतिभागियों को नहीं रखता उसके लिए प्रत्येक सहभागी पर एनएलडीसी प्रचालन प्रभार का उचित शेयर उदग्रहण करने के लिए केविविआ ने निम्नानुसार मूल विनियम को संशोधित किया है।

केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (चौथा संशोधन) विनियम 2016 में उल्लिखित है कि सामूहिक संव्यवहारों के मामले में एनएलडीसी प्रचालन प्रभार संबंधित पावर एक्सचेंज में संव्यवहारों के लिए एनएलडीसी द्वारा प्रादेशिक क्षेत्र के अनुसूचित इसकी उर्जा (मेगावाट घण्टे) के आधार पर प्रत्येक सफल क्रेता और विक्रेता द्वारा प्रतिदेय होगा। एनएलडीसी प्रचालन प्रभार की दर सामूहिक संव्यवहारों के लिए 1 रूपया/मेगावाट घण्टे होगी। सामूहिक संव्यवहारों के मामले में एक दिन के लिए प्रत्येक सफल क्रेता और विक्रेता द्वारा प्रतिदिन एनएलडीसी प्रचालन प्रभार 200 रूपये प्रतिदिन की अधिकतम सीमा होगी।

6.2.5 केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010

केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 (शेयरिंग विनियम) 16.6.2010 को अधिसूचित किया गया और 1.7.2011 से प्रभावी हुआ। शेयरिंग विनियम के विनियम 1 खण्ड 3 के अनुसार उक्त विनियम आरंभ की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे और 30.6.2016 को समाप्त अवधि तक होंगे। चूंकि अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग विनियमों द्वारा अधिशासित की जा रही है

अतः आयोग ने दूसरे पांच वर्षों की अवधि के लिए 1.7.2016 से शेयरिंग विनियम के प्रचालन को बढ़ा दिया है। तदनुसार 5.7.2016 की अधिसूचना 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 1.7.2016 से 30.6.2021 तक की अवधि के लिए शेयरिंग विनियम की प्रयोज्यता को बढ़ा दिया है जब तक कि इसके आयोग द्वारा बढ़ाया नहीं जाता या इसकी समीक्षा नहीं की जाती।

6.2.6 केविविआ (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम 2017

विद्युत अधिनियम, 2003 (200 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 91 (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व प्रकाशन के साथ केविविआ ने निम्नानुसार विनियम 5 के भाग नए विनियम को शामिल करते हुए केविविआ (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम 2008 में संशोधन को अधिसूचित किया है।

“5क. आयु सीमा— विज्ञापन वर्ष की 01 जनवरी को विभिन्न श्रेणियों के लिए वैयक्तिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किए जाने वाले आवेदक की आयु 62 वर्ष से कम होगी। बशर्ते कि किसी परामर्शदाता को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आयोग में नहीं रखा जाएगा।”

इस संशोधन का उद्देश्य युवा प्रतिभा को आकर्षित करना तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अपनाई जा रही पद्धति के अनुसार 65 वर्ष के अंदर परामर्शदाताओं को सीमित करना है।

6.2.7 केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण के लिए संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना एवं संबद्ध मामले) (छठा संशोधन) विनियम, 2017

विद्युत प्राप्ति की हाल की प्रवृत्ति के अनुसार



राज्य कंपनियों ने लगभग 25 साल की दीर्घ अवधि पीपीए से पीपीए की अल्प अवधि में अंतरित हो गई हैं। इसके अलावा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक मार्गनिर्देशों के अनुसार दीर्घकालिक पीपीए की अवधि 07 वर्ष और अधिक निर्धारित किया है और पीपीए मध्यकालिक अवधि 01 और 05 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आयोग ने राज्य कंपनियों तथा प्रतिस्पर्धा बोली में मौजूदा दार्शनिकता से विद्युत प्राप्ति प्रवृत्ति के साथ अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली में निर्बाध पहुंच के समरूप आवश्यक समझा। कुछेक महत्वपूर्ण मुद्दे समर्पित पारेषण लाइन से संबंधित हैं और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच से दीर्घकालिक पहुंच में स्थानांतरण के लिए अधित्याग प्रभार आयोग के समक्ष दाखिल विभिन्न याचिकाओं में पाए गए। आयोग ने संयोजकता विनियम में उपयुक्त उपबंध करते हुए मुद्दों का पता लगाने का निर्णय लिया।

आयोग ने विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए क्रियाविधि) नियमावली 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178(3) के अनुसार व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित ड्राफ्ट संशोधन जारी किया। स्टैकहोल्डरों से टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद आयोग ने स्टैकहोल्डरों के विचारों को व्यक्त करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों के आधार पर आयोग ने संयोजकता विनियमों के छठे संशोधन को अंतिम रूप दिया और अधिसूचित किया।

संयोजकता विनियम में छठे संशोधन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क. पहले दीर्घकालिक पहुंच की अवधि 12 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम थी। दीर्घकालिक पहुंच की न्यूनतमक अवधि 12 वर्ष से 7 वर्ष कर दी गई है ताकि भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार दीर्घकालिक कंट्रेक्टों की अवधि के अनुरूप हो सके।

ख. मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की अवधि भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार मध्यकालिक कंट्रेक्ट की अवधि के अनुरूप करते हुए 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

ग. उत्पादन केन्द्र से समर्पित पारेषण लाइन उत्पादन केन्द्र द्वारा प्रचालित स्वामित्व और विकसित की जाएगी और इस प्रकार की समर्पित लाइन की अधिकतम लंबाई उत्पादन केन्द्र के स्विचयार्ड से 100 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।

घ. 01 वर्ष से अधिक के लिए पीपीए में प्रवेश करने वाले दीर्घकालिक ग्राहक से यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह अलग मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन करें और इसकी उर्जा सीटीयू के साथ पीपीए फाइल करते हुए एक माह की अवधि के अंदर दीर्घकालिक पहुंच के अधीन अनुसूचित होगी।

ङ. ग्राहक जो दीर्घकालिक पहुंच के गैर प्रचालनीकरण के कारण मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त कर रहा है उससे दीर्घकालिक पहुंच के प्रचालनगत होने के पश्चात मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के लिए अधित्याग प्रभार अदा करना अपेक्षित नहीं होगा।

च. 5 दिनों से अधिक के लिए ग्राहक द्वारा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक पहुंच के कम उपयोग के मामले में इस प्रकार की क्षमता कम उपयोग की प्रत्याशित अवधि पर निर्भर करते हुए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या एसटीओए के लिए रिलीज की जाएगी।

6.3 विद्युत बाजार: व्यापार, पावर एक्सचेंज और निर्बाध पहुंच

6.3.1 अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति

आयोग ने विद्युत व्यापार गतिविधियों के विनियमन के लिए फरवरी, 2009 में केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने की क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 को अधिसूचित किया।

31.03.2017 को आयोग ने विद्युत में अन्तरराज्यिक व्यापार के लिए 75 आवेदकों को व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान की। इसमें 40 व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने अनुज्ञप्तियों को अभ्यर्पित किया। शेष 35 अनुज्ञप्तिधारियों में 25 अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पकालिक व्यापार किया।

आयोग ने 11.01.2010 की अधिसूचना के माध्यम से केविविआ (व्यापार मार्जिन का निर्धारण) विनियम 2010 जारी किया। इन विनियमों के अनुसार विद्युत के अन्तरराज्यिक व्यापार के लिए उन अनुज्ञप्तिधारियों को 7पैसे/किलोवाट घण्टे से अधिक व्यापार मार्जिन को प्रभारित करने की अनुमति नहीं है यदि विद्युत की विक्रय कीमत 3रुपये/किलोवाट घण्टे से अधिक है और 4पैसे/किलोवाट घण्टे जहां बिक्री कीमत 3रुपये/किलोवाट घण्टे से कम या बराबर है। इस मार्जिन में अनुसूचित विद्युत, निर्बाध पहुंच और पारेषण हानियों के लिए प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार शामिल हैं। व्यापार मार्जिन विद्युत की अनुसूचित मात्रा पर प्रभारित किया जाता है।

6.3.2 पावर एक्सचेंज

दो पावर एक्सचेंज अर्थात् भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लि (आईईएक्स) नई दिल्ली, और मैसर्स पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल) मुंबई भारत में प्रचालन में है। आईईएक्स और पीएक्सआईएल में क्रमशः 27 जून 2008 और 22 अक्टूबर 2008 से प्रचालनों को आरंभ किया।

जनवरी 2010 में आयोग ने विद्युत बाजार के विनियमों और विकास के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम 2010 जारी किया। इस विनियम का उद्देश्य व्यापक बाजार ढांचे के सृजन में मदद करना था और विद्युत बाजार में सभी प्रकार के संभव उत्पादों के संव्यवहार, कार्यनिष्पादन और उसका कान्ट्रेक्ट करना था। इसके बाद पावर एक्सचेंज की पारदर्शी निगमित सुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) प्रथम संशोधन, विनियम 2014 के माध्यम से पावर एक्सचेंज के बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हकताओं और अनर्हकताओं की व्यवस्था की।

आयोग ने “पावर एक्सचेंज पर विस्तारित बाजार सत्र” और याचिका संख्या 006/एसएम/2015 के मामले में 8 अप्रैल, 2015 के माध्यम से इस आदेश को जारी करने की तारीख से 3 महीने के अंदर 24x7 अंतःदिवस/आकस्मिक बाजार (विस्तारित बाजार सत्र) के प्रचालन के लिए पावर एक्सचेंजों को निर्देश दिया। आयोग का आदेश दोनों पावर एक्सचेंजों द्वारा कार्यान्वित किया गया और विस्तारित बाजार सत्र 20 जुलाई 2015 से प्रचालनीय किया गया।

6.3.3 बाजार निगरानी प्रकोष्ठ

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का एक बाजार निगरानी प्रकोष्ठ “विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों पर मासिक रिपोर्ट” प्रकाशित करता है जो अगस्त 2008 से नियमित रूप से केविविआ की वेबसाइट पर पोस्ट किय जा रहा है।

विद्युत का अल्पकालिक संव्यवहार व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों (द्विपक्षीय संव्यवहार) पावर एक्सचेंजों और विचलन व्यवस्थापन तंत्र (पूर्व अननुसूचित अंतःपरिवर्तन) के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत का उल्लेख करता है। (i) रिपोर्ट का उद्देश्य है कि विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य में प्रवृत्तियों पर ध्यान देना। (ii) बाजार के

व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना (पपप) स्टेकहोल्डरों को संगत बाजार सूचना प्रसारित करना। (iv) व्यापारियों द्वारा निष्पादित द्विपक्षीय कांट्रैक्टो को विभलेषित करना। (v) नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्रों की मात्रा और कीमत को विश्लेषित करना और (vi) स्टेकहोल्डरों को संगत बाजार सूचना प्रसारित करना।

एमएमसी व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जारी द्विपक्षीय संविदाओं/ओटीसी संविदाओं पर एक मासिक रिपोर्ट निकालता है। जिसका शीर्षक

ओटीसी संविदाओं की साप्ताहिक रिपोर्टिंग : मासिक विश्लेषण है। इस रिपोर्ट में (i) एक अग्रवक्र जो भावी अवधि के लिए स्थानिक कीमतों की वर्तमान दिन की आशा को दर्शाता है और (ii) कार्य के उपरान्त विश्लेषण है जो गत माह के विद्युत परिदानों के संबंध में विद्युत केन्द्रों के तुलना में औसत ओटीसी कीमत को दर्शाता है। एमएमसी अल्पकालिक संव्यवहार पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी निकालता है। अल्पकालिक संव्यवहारों में प्रवृत्तियों को नीचे संव्यवहारों में दिया गया है।

विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा (बिलियन यूनिट)				
वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से विद्युत संव्यवहार	पावर एक्सचेंजों (आई ईएक्स और पीएक्स आईएल) के माध्यम से विद्युत संव्यवहार	डीएसएम की मात्रा	डिस्काम के बीच प्रत्यक्षतः संव्यवहारित विद्युत
2009-10	26.72	7.19	25.81	6.19
2010-11	27.70	15.52	28.08	10.25
2011-12	35.84	15.54	27.76	15.37
2012-13	36.12	23.54	24.76	14.52
2013-14	35.11	30.67	21.47	17.38
2014-15	34.56	29.40	19.45	15.58
2015-16	35.43	35.01	20.75	24.04
2016-17	33.51	41.12	23.22	21.38

कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा			
वर्ष	विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा
2009-10	65.90	771.55	9%
2010-11	81.56	811.14	10%
2011-12	94.51	876.89	11%
2012-13	98.94	912.06	11%
2013-14	104.64	967.15	11%
2014-15	98.99	1048.67	9%
2015-16	115.23	1107.82	10%
2016-17	119.23	1157.94	10.3%

व्यापारियों और पावर एक्सचेंजों द्वारा विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कीमत (₹/किलोवाट घंटा)			
वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (डीएएम+टीएएम)	डीएसएम की कीमत (₹/किलोवाट घंटा)
2009-10	5.26	4.96	4.62
2010-11	4.79	3.47	3.91
2011-12	4.18	3.57	4.09
2012-13	4.33	3.67	3.86
2013-14	4.29	2.90	2.05
2014-15	4.28	3.50	2.26
2015-16	4.11	2.72	1.93
2016-17	3.53	2.50	1.76

6.3.4. बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजनार्थ अभिवृद्धि कारकों तथा अन्य मानकों की अधिसूचना

वर्ष 2005 में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए "वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की अवाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण के लिए मार्ग निर्देश" के अनुसार आयोग से बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजन के लिए प्रत्येक 6 माह में विभिन्न घटकों और अन्य मानकों की अधिसूचना अपेक्षित है। तदनुसार आयोग ने 01.04.2016 और 06.10.2016 की अधिसूचना के माध्यम से उत्पादन परियोजनाओं के लिए वृद्धि घटकों और अन्य मानकों को अधिसूचित किया और 31.03.2016 और 28.09.2016 की अधिसूचना के माध्यम से पारेषण परियोजनाओं के लिए वृद्धि घटकों और अन्य पैरामीटरों को अधिसूचित किया।

6.4 थर्मल उत्पादन

केन्द्रीय आयोग केन्द्रीय क्षेत्र की थर्मल पावर उत्पादन कंपनियों अर्थात् एनटीपीसी लि., उत्तर-पूर्वी विद्युत पावर कार्पोरेशन लि. (नीपको), नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन (एनएलसी), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), संयुक्त उद्यम कंपनियों जैसे कंपनियों के टैरिफ को नियमित करता है जिसमें सीपीएसयू और आईपीपी शामिल है जिन्होंने आरंभ की गई प्रतिस्पर्धा टैरिफ आधारित बोली की निर्धारित अवधि से पूर्व दीर्घकालीन हिताधिकारियों के साथ

पीपीए हस्ताक्षरित किया।

6.4.1 थर्मल उत्पादन का टैरिफ निर्धारण

6.4.1.1 एनटीपीसी लिमिटेड के थर्मल उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ

क. 31.03.2017 को एनटीपीसी लिमिटेड के थर्मल उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 49078.23 मेगावाट थी जिसमें कोयले पर 38095 मेगावाट (पिट एवं गैर पिट) और कोयले और गैस दोनों सहित एनटीपीसी संयुक्त उद्यम/अनुषंगी पर 6966.00 मेगावाट एवं प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित 4017.23 मेगावाट थी। वर्ष 2016-17 के दौरान एनटीपीसी ने क्रमशः दिसंबर 2016 और मार्च 2017 में आरंभ प्रत्येक 800 मेगावाट क्षमता के यूनिट -I और यूनिट-II कुदुगी एसटीपीएस, फरवरी 2017 में आरंभ मौदा एसटीपी स्टेज-II (2x660 मेगावाट) 500 मेगावाट आईसी के मार्च 2017 में बोंगेगांव एसटीपीएस के यूनिट-II की आरंभ से 4365 मेगावाट की कुल क्षमता को जोड़ा और 500 मेगावाट के यूनिट-IV के फिरोज गांधी उनचार थर्मल पावर स्टेशन आरंभ हुआ, 250 मेगावाट का यूनिट-I नबी नगर बीआरबीसीएल, 195 मेगावाट क्षमता का स्टेज-II का कांति यूनिट-II जून 2016 में आरंभ हुआ। 31.03.2017 को कुल 20 कोयला आधारित थर्मल स्टेशन (पिट एवं गैर पिट शीर्ष), 07 गैस आधारित स्टेशन है। एनटीपीसी के कुल 08 संयुक्त उद्यम हैं जिसमें 01 गैस आधारित अर्थात् आरजीपीपीपीएल

है। 31.3.2017 को संस्थापित क्षमता तथा एनटीपीसी के प्रत्येक उत्पादनकारी स्टेशन/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुबंध II** में दी गई है।

ख. 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ का टूटिंगअप

आयोग ने केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 (1) के परन्तुक के अनुसार 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित 24 एनटीपीसी केन्द्रों (गैस पावर केन्द्र सहित) के लिए टैरिफ का पुनरीक्षण अनुमोदित किया।



- | | |
|--|--|
| क. विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-II) (1000 MW) | झ कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I (840 MW) |
| ख. विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I) (1260 MW) | ञ. रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I) (1000 MW) |
| ग सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-I) (1980 MW) | ट तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-I) (1000 MW) |
| घ फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -III) (500 MW) | ठ ओरिया गैस पावर स्टेशन (663.36 MW) |
| ड. तलचर थर्मल पावर स्टेशन (460 MW) | ड रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I and II) (2100 MW) |
| च राष्ट्रीय राजधानी थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -II) (980 MW) | ढ. फिरोज गांधी उनचार थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-III) (210 MW) |
| छ रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -III) (500 MW) | ण फिरोज गांधी उनचार थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I) (420 MW) |
| ज बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (705 MW) | |

- त. फिरोज गांधी उन्नचार थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -II (420 MW)
- थ. अंत गैस पावर स्टेशन (419.33 MW)
- द. राष्ट्रीय राजधानी थर्मल पावर स्टेशन, Dadri, स्टेज -I(840 MW)
- ध. झनौर गंधार गैस पावर स्टेशन (657.39 MW)
- न. क्वास गैस पावर स्टेशन (656.20 MW)
- प. सिपत थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -II (1000 MW)
- फ. विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -III (1000 MW)
- ब. फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I&II (1600 MW)
- भ. कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I&II (2100 MW)

ग. 2009-14 की अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों पर पुनरीक्षण याचिकाएं:

एनटीपीसी द्वारा दाखिल एनटीपीसी उत्पादन केन्द्रों की 2009-14 की अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों के विरुद्ध निम्नलिखित 7 पुनरीक्षण याचिकाओं को आयोग द्वारा निपटाया गया:

- क. 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-III (1000 MW) के टैरिफ को संशोधित करते हुए याचिका संख्या 205/जीटी/2013 में आयोग के आदेश 14.03.2016 का पुनरीक्षण
- ख. 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (1000 MW) के टैरिफ को संशोधित करते हुए याचिका संख्या 207/जीटी/2014 में आयोग के आदेश 20.07.2016 का पुनरीक्षण
- ग. 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए बदरपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (705 MW) के टैरिफ को

संशोधित करते हुए याचिका संख्या 302/जीटी/2014 में आयोग के आदेश 19.07.2016 का पुनरीक्षण

- घ. 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (840 MW) के टैरिफ को संशोधित करते हुए याचिका संख्या 271/GT/2014 27.07.2016 का पुनरीक्षण
- ङ. 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (1000 MW) के टैरिफ को संशोधित करते हुए याचिका संख्या 317/GT/2014 29.07.2016 का पुनरीक्षण
- च. 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-III (500 MW) के टैरिफ को संशोधित करते हुए याचिका संख्या 208/GT/2013 - 305/GT/2014 31.08.2015 का पुनरीक्षण
- छ. 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए सिमहादरी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (1000 MW) के टैरिफ को संशोधित करते हुए याचिका संख्या 303/GT/2014 2.11.2015 का पुनरीक्षण

घ. 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने एनटीपीसी के निम्नलिखित 34 स्टेशनों के लिए 2014-19 के लिए टैरिफ अनुमोदित किया।

- क. रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-II (1000 MW)
- ख. रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -III (500 MW)
- ग. राजीव गांधी समन्वित साइकल पावर



- प्रोजेक्ट, कय्यमकुलम (359.58 MW)
- घ. तलचर थर्मल पावर स्टेशन (460 MW)
- ङ. अंत गैस पावर स्टेशन (419.33 MW)
- च. विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -V (500 MW)
- छ. रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I (1000 MW)
- ज. कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -II (1000 MW)
- झ. सिमहादरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I (840 MW)
- ञ. सिमहादरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -II (840 MW)
- ट. सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2000 MW)
- ठ. तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-I (1000 MW)
- ड. फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I & II (1600 MW)
- ढ. फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन (431.586 MW)
- ण. फिरोज गांधी उनचार थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -II (420 MW)
- त. कवास गैस पावर स्टेशन (656.20 MW)
- थ. सिपत थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-I (1980 MW)
- द. फिरोज गांधी थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-I (420 MW)
- ध. सिपत थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-II (1000 MW)
- न. टांडा थर्मल पावर स्टेशन (440 MW).
- प. फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I & II (1600 MW)
- फ. विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -IV (1000 MW)
- ब. कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -III (500 MW).
- भ. फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -III (500 MW)
- म. कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I & II (2100 MW)
- य. विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -III (1000 MW)
- कक. विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I (1260 MW)
- खख. विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -II (1000 MW).
- गग. रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-I (1000 MW)
- घघ. मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-I (1000 MW)
- ङङ. दादरी गैस स्टेशन (829.78 MW)
- चच. रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -I & II (500 MW).
- छछ. कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -II (1500 MW)
- जज. तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज -II (2000 MW).
- ड 2014-19 अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकाएं**
- एनटीपीसी द्वारा दाखिल एनटीपीसी उत्पादन केन्द्रों की 2014-19 अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों के विरुद्ध निम्नलिखित 5 पुनरीक्षण याचिकाओं का आयोग द्वारा निपटान किया गया।

- क. 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज -I (1000 MW) के टैरिफ को संशोधित करते हुए याचिका संख्या 281/GT/2014 29.07.2016 का पुनरीक्षण
- ख. 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज -I (840 MW) के टैरिफ को संशोधित करते हुए याचिका संख्या 279/GT/2014 30.07.2016 का पुनरीक्षण
- ग. 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज -I (1000 MW) के टैरिफ को संशोधित करते हुए याचिका संख्या 281/GT/2014 29.07.2016 का पुनरीक्षण
- घ. 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज -I (1000 MW) के टैरिफ को संशोधित करते हुए याचिका संख्या 270/GT/2014 27.06.2016 का पुनरीक्षण
- ङ. 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन (431.586 MW) के टैरिफ को संशोधित करते हुए याचिका संख्या 286/GT/2014 का पुनरीक्षण

च. अन्य पुनरीक्षण याचिकाएं (कोयले का जीसीवी)

- क. उस स्टेज के पहलू पर याचिका संख्या 283/जीटी/2014 में 25.1.2016 के आदेश का पुनरीक्षण जिस पर कोयले के नमूने उर्जा प्रभारों की संगणना के लिए कोयले के सकल क्लोरिफिक मूल्य "यथा प्राप्त" संगणना के लिए आहरित किए जाएंगे।

6.4.1.2 निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के थर्मल उत्पादन केन्द्रों का टैरिफ

क. 31.3.2017 को निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के उत्पादन केन्द्रों के कुल संस्थापित संस्था 3240 मेगावाट है। एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र का वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और संस्थापित क्षमता अनुबंध-III में दी गई है।

ख. 2009-14 अवधि के लिए टैरिफ का ड्रॉइंगअप

आयोग ने केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2009 के विनियम 6(1) के परन्तुक के अनुसार 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. के तीन थर्मल केन्द्रों के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण को अनुमोदित किया।

- क. NLC थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I एक्सपेंशन (420 MW)
- ख. NLC थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (600 MW)
- ग. NLC थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (630 MW) और स्टेज -II (840 MW)

ग. 2014-19 अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने एनएलसी के निम्नलिखित केन्द्रों के लिए 2014-19 के लिए टैरिफ अनुमोदित किया।

- क. थर्मल पावर स्टेशन स्टेज I (TPS-I) एक्सपेंशन (420 MW).
- ख. थर्मल पावर स्टेशन स्टेज I (TPS-I) (600 MW).
- ग. थर्मल पावर स्टेशन II स्टेज - I (630 MW) और स्टेज - II (840 MW).

6.4.1.3 दामोदर वेली कार्पोरेशन के थर्मल उत्पादन केन्द्रों का टैरिफ

क. 31.3.2017 को डीवीसी के उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 7640 मेगावाट है। वित्तीय

वर्ष 2016-17 के दौरान डीवीसी ने फरवरी, 2017 में बोकारो टीपीएस-ए के आरंभ के साथ 500 मेगावाट की नई क्षमता और 600 मेगावाट की प्रत्येक क्षमता के रंगनाथपुर टीपीएस के यूनिट-1 और यूनिट-2 को जोड़ा। 31.3.2017 को संस्थापित क्षमता तथा डीवीसी के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुबंध-IV** में दी गई है।

ख. 2009-14 अवधि के लिए टैरिफ का टूटिंगअप

आयोग ने केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6(1) के परन्तुक के अनुसार 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. के तीन थर्मल केन्द्रों के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण को अनुमोदित किया। थर्मल पावर स्टेशन यूनिट

- क. मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट VII और VIII (1000 MW)
- ख. मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I to III (630 MW)
- ग. बोकारो थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I to III (630 MW)
- घ. मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट IV (210 MW)
- ङ. चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I to III (390 MW)
- च. दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट III-IV (390 MW)
- छ. दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I & II (1000 MW)
- ज. मेजिया थर्मल पावर स्टेशन एक्सटेंशन यूनिट V और VI (500 MW)
- झ. चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट VII और VIII (500 MW)

ग. 2014.19 अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने डीवीसी के निम्नलिखित 9 केन्द्रों

के लिए 2014-19 के लिए टैरिफ अनुमोदित किया:-

- क. मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट IV (210 MW)
- ख. चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I to III (390 MW)
- ग. बोकारो थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I to III (630 MW)
- घ. मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट V to VI (500 MW)
- ङ. मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट VII and VIII (1000 MW)
- च. मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I to III (630 MW)
- छ. दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I और II (1000 MW)
- ज. कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I और II (1000 MW)
- झ. चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट VII और VIII (500 MW)

घ. 2014-19 के लिए अंतरिम टैरिफ

आयोग ने 1.4.2016 से 31.3.2018 तक की अवधि के लिए रघुनाथपुर को थर्मल पावर स्टेशन फेज-1 यूनिट 1 और 2 (1200 मेगावाट) के लिए अंतरिम टैरिफ प्रदान किया।

6.4.1.4 नीपको के थर्मल उत्पादन केन्द्रों का टैरिफ

31.3.2017 को नीपको के गैस आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित संस्था 527 मेगावाट है अर्थात् असम जीपीएस (291 मेगावाट) अगरतला जीपीएस (135 मेगावाट) और त्रिपुरा गैस आधारित समन्वित साइकल पावर प्रोजेक्ट (101 मेगावाट) त्रिपुरा गैस आधारित समन्वित साइकल पावर प्रोजेक्ट का गैर टरबाईन जनरेटर (65.42 मेगावाट) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 24.12.2015 को प्राप्त की गई जबकि 101 मेगावाट

टीजीबीपी के 35.5 मेगावाट एसटीजी यूनिट का आरंभ 31.3.2017 को किया गया। प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और संस्थापित क्षमता अनुबंध.ट में दी गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 2014-19 अवधि के दौरान टैरिफ अवधारण के लिए नीपको से संबंधित कोई आदेश 2009-14 अवधि के लिए टैरिफ का टूअप और पुनरीक्षण याचिकाएं निपादित नहीं की गईं चूंकि आयोग ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नीपको से संबंधित सभी आदेशों का निपटान किया।

6.1.4.5 थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 31.3.2017 को नियत एवं उर्जा प्रभार जो एनटीपीसी, एनएलसी, डीवीसी और नीपको जैसे सीपीयू से संबद्ध है, उन्हें अनुबंध VI में संलग्न है।

6.1.4.6 संयुक्त उद्यम कंपनियों के थर्मल केन्द्रों के लिए टैरिफ (2009-14)

आयोग ने 2009-14 अवधि के लिए रत्नगिरी गैस एवं पावर प्रोजेक्ट (1967.00 मेगावाट) के लिए टैरिफ को अनुमोदित किया।

6.1.4.7 संयुक्त उद्यम कंपनियों के थर्मल केन्द्रों के लिए टैरिफ (2014-19)

आयोग ने 2014-19 अवधि के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों के निम्नलिखित थर्मल पावर केन्द्रों के लिए टैरिफ अनुमोदित किया।

- क. अरावली पावर कार्पोरेशन लि. के इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (3 x 500 MW)
- ख. कांती बिजली उत्पादन नि.लि. का मुज्जफरपुर थर्मल पावर प्रो. स्टेज-I (2 x 110 MW)
- ग. ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लि का पलाटना समन्वित साईकिल गैस टर्बाइन पावर प्रो0(2x 363.3 MW)
- घ. भिलाई एक्सपेंशन पावर प्लांट (500 MW).

6.4.1.8 2009-14 अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों के विरुद्ध याचिकाओं का पुनरीक्षण

29.11.2012 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए वैलूर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1500 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण करते हुए याचिका संख्या 198/जीटी/2013 में 8.2.2016 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

6.4.1.9 2014-19 अवधि के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के थर्मल केन्द्रों के लिए टैरिफ

आयोग ने 18.8.2016 के माध्यम से 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए टोरंट पावर लि. के यूनोसुजेन पावर संयंत्र (382.5 मेगावाट) के टैरिफ को अनुमोदित किया।

आयोग ने यूनिट-51 (प्रथम ब्लॉक) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए टोरंट पावर लि. के टीजीईएन मेगा पावर प्रोजेक्ट (1200 मेगावाट) के टैरिफ को अनुमोदित किया।

6.4.1.10 2009-14 अवधि के लिए टैरिफ का टूइंगअप

24.3.2017 के आदेश से अवधारित टैरिफ के टूइंगअप कार्य के बाद 11.11.2010 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए उदुपी पावर कार्पोरेशन लि. के उदीपी थर्मल पावर स्टेशन (2 x 600 MW) के टैरिफ का पुनरीक्षण

6.4.1.11 2009-14 अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों के विरुद्ध याचिकाओं का पुनरीक्षण

यूनिट -1 (30.4.2013) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए जीएमआर कमलांगा एनर्जी लि. के कमलांगा पावर प्लांट (262.6 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में याचिका संख्या 77/जीटी/2013 में 12.11.2015 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

6.4.2 थर्मल उत्पादन में आयोग द्वारा पता लगाए गए अन्य विषय (विविध याचिकाएं)

6.4.2.1 एनटीपीसी

क. 143/एनपी/2015: केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 42 के साथ पठित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 30(4) के अनुसार उत्पादन केन्द्र के हिताधिकारियों में क्षमता प्रभारों की शेयरिंग पर स्पष्टीकरण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता ने टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 42 के साथ पठित विनियम 30 (4) के अनुसार उत्पादन केन्द्र के हिताधिकारियों में क्षमता प्रभारों की शेयरिंग के लिए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए याचिका दाखिल की।

आयोग ने 20.3.2017 के आदेश के माध्यम से माह के लिए प्रत्येक हिताधिकारी के मासिक प्रतिशत आवंटन पर आधारित हिताधिकारियों को क्षमता प्रभार बिल के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया।

ख. 82/एमपी/2016: 31.12.2015 से आगे 10 वर्षों के लिए पूर्व हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के साथ 22.12.1995 के विद्युत क्रय करार के विस्तार के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(क) के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता ने पिछली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए 22.12.1995 को नि पादित पूर्व हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (अब हरियाणा विद्युत क्रय केन्द्र) के साथ फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन (431.586 मेगावाट) (उत्पादन केन्द्र) के पीपीए के संदर्भ में याचिका दाखिल की। बशर्तें कि पीपीए को पारस्परिक आधार

पर विस्तारित नवीकृत या प्रतिस्थापित किया गया। मौजूदा याचिका 31.12.2015 के आगे 10 वर्ष की अवधि के लिए पीपीए की विस्तार की मांग करते हुए दाखिल की गई।

एचपीपीसी ने पीपीए के नि पादन से पूर्व 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पीपीए के विस्तार के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ख) के अधीन इस बीच एचईआरसी से संपर्क किया। याचिकाकर्ता ने 24.10.2016 के शपथ पत्र के माध्यम से निवेदन किया कि विद्वान एचईआरसी ने 5.10.2016 के आदेश के माध्यम से फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन के संबंध में 31.12.2025 तक पीपीए को विस्तारित किया। इस प्रकार आयोग ने याचिका को याचिकाकर्ता का निपटान किया क्योंकि याचिकाकर्ता की प्रार्थना निष्फल हो गई।

ग. 68/एमपी/2015: केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 30 (4) के अनुसार हिताधिकारियों को बिलिंग प्रोत्साहन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एकसमान पद्धति प्रदान करने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अन्य संबद्ध विनियमों और विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 55 के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता ने टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 30(4) के अधीन हिताधिकारियों में प्रोत्साहन के वितरण के लिए एकसमान पद्धति विहित करने के लिए याचिका प्रस्तुत की।

टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 55 के अधीन दी गई हमारी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रोत्साहन की बिलिंग के लिए एकसमान बनाए रखने के लिए आयोग ने निर्देश दिया कि ईआरपीसी द्वारा अपनाई गई पद्धति उत्पादन केन्द्र के हिताधिकारियों को बिलिंग प्रोत्साहन उर्जा के लिए सभी प्रादेशिक समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

6.4.2.2 एनएलसी

क. **17/एम/2016: 1.1.2006 से की अवधि के लिए एनएलसी माइन्स में तैनात सीआईएसएफ कार्मिक को वेतन पुनरीक्षण और 1.1.2007 से अवधि के लिए कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण के कारण एनएलसी माइन्स द्वारा किए गए रखरखाव और प्रचालन खर्चों में वृद्धि के कारण एनएलसी टीपीसी-1 एक्सपेंशन (2x210 MW) तथा एनएलसी टीपीएस-1 (600 मेगावाट), एनएलसी टीपीसी-2 स्टेज-1 (3x210 MW) अर्थात् निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. के पावर स्टेशन के संबंध में ब्याज सहित टैरिफ के भुगतान पर विवाद के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ)**

याचिकाकर्ता निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. ने एनएलसी माइन्स में तैनात सीआईएसएफ कार्मिक का और तदनंतर परिवर्ती प्रभारों पर और क्षमता प्रभारों पर प्रभाव 1.1.2006 से और माइन्स के कर्मचारियों के लिए 1.1.2007 से वेतन पुनरीक्षण के कारण खनन संबद्ध के प्रचालन और रखरखाव खर्चों की वृद्धि के कारण टीपीएस-1 और टीपीएस-2 (स्टेज-1 और 2) टीपीसी-1 एक्सपेंशन पावर स्टेशन टैरिफ में वृद्धि पर प्रतिदेय ब्याज पर अन्यथा उठाए गए मुद्दों या प्रत्यर्थियों से उदभूत विवाद के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका दाखिल किया।

आयोग ने 30.8.2016 के आदेश के माध्यम से याचिका संख्या 201/एमपी/2011 में पारित 11.12.2012 के आदेश में विशेष मामले के रूप में बकाया पर किसी ब्याज की अनुमति नहीं दी। यद्यपि आयोग ने याचिका संख्या 65/एमपी/2013 में 12.5.2015 के आदेश में ब्याज भुगतान पर कुछ भी विनिर्दिष्ट नहीं किया तथापि याचिकाकर्ता द्वारा आहारित निष्कर्ष है कि 12.5.2015 के उक्त आदेश में ब्याज के गैर भुगतान के बारे में किसी उल्लेख के अभाव में याचिकाकर्ता को हमारी राय में ब्याज का दावा करने की स्वतंत्रता दी जो ठीक नहीं है।

हिताधिकारी के लाभ को ध्यान में रखते हुए इस मामले में भी इस प्रकार के ब्याज भुगतान की अनुमति न देने के लिए आयोग की इच्छा वैसी थी जो 11.12.2012 के आदेश में थी।

ख. **132/एमपी/2016: केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र और अन्तरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन के लिए तकनीकी न्यूनतम अनुसूची के उर्ध्वगामी पुनरीक्षण के मांग के लिए याचिका।**

निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. याचिकाकर्ता ने समय-समय से संशोधित (ग्रिड कोड) केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों और अन्तरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों आदि के प्रचालन की अनुसूची के लिए न्यूनतम तकनीक के उपबंधों की समीक्षा की मांग करने के लिए याचिका दाखिल की।

आयोग ने विद्वान काउंसिल द्वारा वापिस याचिका का निपटान किया चूंकि मामला ग्रिड कोड के संशोधन से संबंधित है। अतः याचिकाकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों और अन्तरराज्यिक उत्पादन के प्रचालन की अनुसूची के लिए नियत न्यूनतम तकनीक के उर्ध्वगामी पुनरीक्षण के संबंध में 13.12.2016 को अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

6.4.2.3 विद्युत आपूर्ति करार (समन्वित योजना)

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए वास्तविक ईंधन लागत पर आधारित पासथ्रू के रूप में उर्जा प्रभार के लिए निर्देश हेतु 5.1.2011 के विद्युत आपूर्ति करार के उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के लिए याचिका।

याचिकाकर्ता द्वारा की गई वास्तविक ईंधन लागत पर आधारित पासथ्रू के रूप में उर्जा प्रभार के लिए निर्देश देने के लिए 25.3.2011 के पीएसए के अनुच्छेद 10 के उपबंध के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन आधुनिक



उर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन लि. द्वारा दाखिल किए गए।

आयोग ने समन्वित योजना के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिनिर्णय के बाद मामले के उल्लेख के लिए पार्टियों की स्वतंत्रता स्थगित किया जिसे प्रयास एनर्जी ग्रुप लि. द्वारा चुनौती दी गई।

ख. 183/एमपी/2015: याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थियों के बीच कंट्रेक्टो के अधीन (विधि में परिवर्तन) के नाते कोयले पर क्लिन उर्जा उपकरण में विधि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु आंध्रप्रदेश, तेलंगाना अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत संयंत्र विक्रय के लिए याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई टैरिफ में वृद्धि के विवादों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(बी) के साथ पठित 79(1)(एफ) के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि. ने बकाया राशि पर 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर पर विलंब भुगतान के लिए अधिभार सहित क्लिन उर्जा उपकरण में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यर्थियों के विरुद्ध 61,906,964 मात्र की राशि के दावे लिए याचिका दाखिल की।

आयोग में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले के निपटान के बाद आयोग से संपर्क के लिए

याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता को स्थगित करने का निर्देश दिया।

6.4.2.4 पीपीए एवं प्रतिस्पर्धात्मक बोली (विधि का परिवर्तन)

क. 16/एमपी/2016: प्रचालन अवधि के दौरान राजस्व और लागत को प्रभावित करते हुए विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ताओं और सासन पावर लि. के बीच निष्पादित 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छे 13 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत के सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासी प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।

याचिकाकर्ता सासन पावर लि. ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देशों के पैराग्राफ 5.17 और 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार के साथ पठित अनुच्छे 13 और विद्युत अधिनियम, 2003 (इसके बाद 2003 अधिनियम) की धारा 79 की उपधारा 1 के खण्ड ख और एफ के अधीन याचिका दाखिल की जिसमें विधि में परिवर्तन के प्रभाव के कारण क्षतिपूर्ति रकम की वसूली और प्रचालन अवधि के दौरान "विधि में परिवर्तन" के अधीन राहतों की मांग की।

परियोजना की प्रचालन अवधि के दौरान विधि में परिवर्तन के अधीन आयोग के निर्णय का सार नीचे दिया गया है:—

प्रचालन अवधि के दौरान विधि प्रसंगों में परिवर्तन	निर्णय
वी	अनुमति
पर्यावरणीय क्लिरेंस में नई स्थिति	गैर अनुमति
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को भुगतान	अनुमति
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को भुगतान	अनुमति
वाहन लागत	गैर अनुमति

ख. **156/एमपी/2014:** उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि./दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. और अदानी पावर लि. के बीच निष्पादित 7.8.8 के विद्युत क्रय करार के (विधि में परिवर्तन) अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता अदानी पावर लि. ने याचिका दाखिल की जिसमें 7.8.8 के पीपीए के अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि में परिवर्तन के कुछेक प्रसंगों के कारण क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए हरियाणा कंपनियों को निर्देशों की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:-

विधि प्रसंगों में परिवर्तन	निर्णय
कोयले पर रॉल्टी दरों में परिवर्तन	अनुमति
आदेश के पैरा 32 में निर्देशों के अध्याधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण	अनुमति
क्विलन उर्जा उपकरण का उदग्रहण	अनुमति
एसईजेड से डीटीए में हटाई गई उर्जा पर सीमा शुल्क का उदग्रहण	अनुमति
कोयले के वाहन पर व्यस्त समय अधिभार में वृद्धि	गैर अनुमति
कोयले के वाहन पर विकास अधिभार में वृद्धि	गैर अनुमति
कोयले के वाहन पर सेवा कर का उदग्रहण	अनुमति
गुजरात में हरित उर्जा उपकरण का उदग्रहण	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद संपर्क के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई।
कोयल के आकार-प्रकार में वृद्धि	गैर अनुमति
सरफेस वाहन में वृद्धि	गैर अनुमति

ग. **8/एमपी/2014:** प्रचालन अवधि को निर्माण अवधि के दौरान विधि प्रसंगों में परिवर्तन के ऑफसेट/ऑफसेट वित्तीय/वाणिज्यिक प्रभार के लिए क्षतिपूर्ति/उपयुक्त समायोजन के लिए तंत्र विकसित करने के लिए क्रमशः महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली राज्यों में वितरण कंपनियों और एमको एनर्जी लि. के बीच निष्पादित 17.3.2010 और 21.3.2013 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 10 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासी प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका

याचिका में एमको एनर्जी लि. याचिकाकर्ता ने एमएसईडीसीएल, पीपीए और डीएनएचपीपीए के अनुसार निर्माण अवधि और प्रचालन अवधि के दौरान विद्युत परियोजना को प्रभावित करने वाले विधि में परिवर्तन के प्रसंगों के कारण टैरिफ के समायोजन की मांग की। परियोजना की प्रचालन अवधि के दौरान विधि में परिवर्तन के अधीन आयोग का निर्णय का सार नीचे दिया गया है:-

(i) निर्माण अवधि

क्र.सं.	पैरामीटर	एमएसईडीसीएल पीपीए	डीएनएच पीपीए
1.	सीमा शुल्क की दर में परिवर्तन	अनुमति	लागू नहीं
2.	उत्पाद शुल्क की दर में परिवर्तन	अनुमति	लागू नहीं
3.	सेवा कर की दर में परिवर्तन	अनुमति	लागू नहीं
4.	अन्य करों की दर में परिवर्तन (डब्ल्यूसीटी, वैट, सीएसटी)	अनुमति	लागू नहीं
5.	कोयला संचालन संयंत्र में डिजाइन परिवर्तन	गैर अनुमति	लागू नहीं
6.	डीम्ड निर्यात लाभ की वापसी	गैर अनुमति	लागू नहीं

(ii) प्रचालन अवधि

क्र.सं.	पैरामीटर	एमएसईडीसीएल पीपीए	डीएनएच पीपीए
1.	पैरा 69 में उत्पाद योग्य मूल्य के संबंध में अभिमत के अध्याधीन कोयले पर उत्पाद शुल्क	अनुमति	अनुमति
2.	रॉयल्टी में परिवर्तन	अनुमति	अनुमति
3.	क्लिन एनर्जी उपकर	अनुमति	अनुमति
4.	व्यस्त समय अधिभार	गैर अनुमति	लागू नहीं
5.	विकास अधिभार	गैर अनुमति	गैर अनुमति
6.	कोयला वाहन पर सेवा कर	अनुमति	अनुमति
7.	स्वच्छ भार उपकर	अनुमति	अनुमति
8.	आकार प्रभार	गैर अनुमति	गैर अनुमति
9.	सरफस परिवहन प्रभार	गैर अनुमति	गैर अनुमति
10.	निर्यात कर	निर्णित नहीं और स्वतंत्रता प्रदान की गई	निर्णित नहीं और स्वतंत्रता प्रदान की गई
11.	लिंगेज कोयले में कमी	निर्णित नहीं और स्वतंत्रता प्रदान की गई	निर्णित नहीं और स्वतंत्रता प्रदान की गई
12.	जीसीवी में यूएचवी आधारित कीमत से शिफ्ट	गैर अनुमति	गैर अनुमति
13.	कार्य पूंजी अपेक्षा में वृद्धि	गैर अनुमति	गैर अनुमति
14.	मैट दर में परिवर्तन	गैर अनुमति	गैर अनुमति
15.	कोयला गुणवत्ता पर एमओईएफ अधिसूचना	गैर अनुमति	गैर अनुमति

घ. 95/एमपी/2016 आईए:23/2016 बिहार राज्य पावर (होलिडिंग) कं लि. द्वारा 9.7.2010 के पीपीए की समाप्ति से उदभूत विवादों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(बी) के साथ पठित धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका

एसआर पावर (झारखंड) लि. याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य पावर (होलिडिंग) कंपनी द्वारा जारी पत्र संख्या 155/ट्रांस/विविध/आईएस/105 2014 के लिए निर्देश की मांग करते हुए याचिका दाखिल की।

आयोग ने 28.10.2016 के आदेश के पैरा 22 में पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों और याचिकाकर्ता के लिए विद्वाना कौंसिल के अनुरोध के माध्यम से वापसी के रूप में आईए नं. 23/16 सहित याचिका का निपटान किया।

ङ. 159/एमपी/2012: इंडोनेशियन सरकार और अन्य घटकों द्वारा नई कोयला विनियम के विनियमन के कारण आयातित कोयला कीमत में अदृश्य अनियंत्रणीय और प्रत्याशित वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव टैरिफ में ऑफसेट के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 63 और 79 के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता, कोस्टल गुजरात पावर लि. ने इंडोनेशियन सरकार और अन्य घटकों द्वारा नई कोयला विनियम के विनियमन के कारण आयातित कोयला कीमत में अदृश्य अनियंत्रणीय और प्रत्याशित वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव टैरिफ में ऑफसेट के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करने के लिए याचिका दाखिल की।

आयोग ने इंडोनेशिया से प्राप्त कोयले के संबंध में राहत स्वीकार की और आदेश दिया कि याचिकाकर्ता उस क्रम में विनिर्दिष्ट तंत्र के अनुसार पीपीए के अनुच्छेद 12.7(ख) के अनुसार राहत के

लिए हकदार है। इसके अलावा आयोग ने निर्देश दिया कि यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णित सिविल अपील संख्या 5399-5400/2016 की उपलब्धि के अध्याधीन होगा।

च. 155/एमपी/2012: भारत सरकार सीआईएल द्वारा देसी कोयले के आवंटन के लिए और इंडोनेशी सरकार द्वारा नए कोयला कीमत विनियम अनिनियम के लिए परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण पीपीए के अधीन विधि में परिवर्तन (अनुच्छेद 13) और/या इसकी पुनरावृत्ति के कारण (अनुच्छेद 12) संशोधित टैरिफ और/या परिवर्तन सहित विनियमन के लिए तंत्र विकसित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।

याचिकाकर्ता एपीएल ने भारत सरकार सीआईएल द्वारा देसी कोयले के आवंटन के लिए और इंडोनेशी सरकार द्वारा नए कोयला कीमत विनियम अनिनियम के लिए परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण पीपीए के अधीन विधि में परिवर्तन (अनुच्छेद 13) और/या इसकी पुनरावृत्ति के कारण (अनुच्छेद 12) संशोधित टैरिफ और/या परिवर्तन सहित विनियमन के लिए तंत्र विकसित करने के लिए याचिका दाखिल की।

आयोग ने इंडोनेशिया से प्राप्त कोयले के संबंध में राहत स्वीकार की और आदेश दिया कि याचिकाकर्ता उस क्रम में विनिर्दिष्ट तंत्र के अनुसार पीपीए के अनुच्छेद 12.7(ख) के अनुसार राहत के लिए हकदार है। इसके अलावा आयोग ने निर्देश दिया कि यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णित सिविल अपील संख्या 5399-5400/2016 की उपलब्धि के अध्याधीन होगा।

छ. 307/एमपी/2015: याचिका सं. 517/एमपी/2014 में 5.10.2015 के आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग करने के लिए

केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 17 के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता, उदुपी पावर कार्पोरेशन लि. ने याचिका सं. 517/एमपी/2014 में 5.10.2015 के आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग करने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 17 के अधीन मौजूदा दाखिल की। दो विषय जिन पर याचिकाकर्ता ने आयोग से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि वे हैं। (क) अधिक टैरिफ की शेयरिंग और (ख) परियोजना की मेगा पावर स्थिति।

आयोग ने स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ केवल 1181.5 मेगावाट के लिए लागू होगा और मौजूदा हिताधिकारियों को 18.5 मेगावाट के लिए क्षमता प्रभार के लिए कोई दायित्व नहीं होगा। इस प्रकार इसी में याचिकाकर्ता के निपटान पर 18.5 मेगावाट की अबद्ध क्षमता है। याचिकाकर्ता को प्रक्रामित रूट या प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से इस विद्युत को विक्रय की स्वतंत्रता है। इसके अलावा परियोजना के मेगा पावर स्थिति के संबंध में हमारा यह विचार है कि उत्पादन केन्द्र की मेगा पावर स्थिति बनी रहेगी और परियोजना की मेगा पावर स्थिति की समीक्षा के लिए विद्युत मंत्रालय को हमारे निर्देश 3 वर्षों की अवधि के लिए निलंबित रहेगा।

ज. 93/MP/2016: सासन पावर लि. और एमपी पावर मैनेजमेंट लि. तथा केविविआ (विद्युत आपूर्ति का विनियम) विनियम 2010 के बीच 7.8.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता, हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन लि. ने हरियाणा पावर क्रय केन्द्र के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया उसने विद्युत आपूर्ति के विनियम के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी को सासन पावर लि. को द्वारा जारी नोटिस के विरुद्ध याचिका सं. 93/एमपी/2016 में 10.6.2016 और 3.6.2016 के आयोग के आदेश के अनुसार राहत की मांग करते

हुए याचिका दाखिल की और देयताओं के गैरभुगतान के कारण 11.6.2016 की अर्धरात्रि से प्रभावित विद्युत आपूर्ति का परिवर्ती विनियम बनाया। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि बकाया देयताएं विगत अवधि से संबंधित है और मौजूदा देयताओं के संबंध में कोई मामला नहीं है। विगत देयताएं 2014 की अपील संख्या 233 में विद्युत के लिए माननीय अपीलीय न्यायधिकरण के 31.3.2016 के अधिनिर्णय के अनुसरण में किए गए हैं।

आयोग ने तत्काल प्रभाव से विद्युत आपूर्ति विनियम के कार्यान्वयन न करने के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी को निर्देश जारी किया। तथापि डब्ल्यूआरएलडीसी एचपीजीसीएल के संबंध में आरपीएस विनियम के अनुसार कार्रवाई करेगा यदि कोई अनुरोध भुगतान में चूक के अनुसार एसपीएल से प्राप्त होता है। आयोग द्वारा जारी आदेश विद्युत अपीलीय न्यायधिकरण तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विभिन्न अपीलों में निर्देशों/आदेशों के अधीन है।

ज. 84/एमपी/2014: सासन पावर लि. और मासिक बिलों के अनुसार सासन पावर लि. द्वारा दावा की गई रकम की वसूली के लिए प्राप्तकताओं के बीच निष्पादित 7.8.2007 का पीपीए के अनुच्छेद 17 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की सांविधिक अधिशासित प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता सासन पावर लि. ने यह घोषणा की मांग के लिए याचिका दाखिल की कि परियोजना का पहला कंट्रैक्ट वर्ष 31.3.2013 को समाप्त हुआ और इसके बाद पीपीए के अनुसार मासिक बिलों के भुगतान के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश की मांग की गई।

आयोग ने अपीलीय न्यायधिकरण द्वारा 2014 की अपील सं. 233 के निपटान तक इस याचिका को लंबित रखा।

झ. **83/MP/2016:** सासन पावर लि. और एनपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लि. के बीच 7.8.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका के मामले में।

याचिका 7.8.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (2003 अधिनियम) की धारा 79(1)(बी)(सी)(एफ) के अधीन मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लि. द्वारा दाखिल की गई जिसमें मांग की गई

- (i) पीपीए के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा देयताओं के गैर भुगतान के कारण विद्युत आपूर्ति के विनियम के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी को सासन पावर लि. द्वारा जारी 20.5.2016 का नोटिस
- (ii) केविविआ (विद्युत आपूर्ति का विनियम) विनियम 2010 के विनियम 4 के साथ पठित पीपीए के अनुच्छेद 11.5 के अधीन याचिकाकर्ता को एसपीएल द्वारा जारी 20.5.2016 और 21.5.2016 के नोटिस के लिए

आयोग ने याचिका का निपटान किया चूंकि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान कौंसिल ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने 2014 की अपील सं. 233 में 31.3.2016 के विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील दाखिल की और मौजूदा स्थिति में आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देश सिविल अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अध्याधीन बनाए किए जाएंगे।

ड. **162/एमपी/2015:** याचिकाकर्ता सासन पावर लि. ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के साथ पठित अनुच्छेद 13 और 17 के अधीन याचिका सं. 21/एमपी/2013 दाखिल की।

निर्माण अवधि के दौरान विधि विषयों में परिवर्तन के कारण पूंजी लागत के लिए क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मार्गनिर्देशों के पैरा 5.17 दाखिल किया।

आयोग ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि ब्याज/वाहन लागत की अनुमति के लिए हम प्रवृत्त नहीं हैं चूंकि पीपीए में कोई विशेष उपबंध नहीं है। तथापि आयोग के निर्णय के विरुद्ध याचिका सं. 402/एमपी/2014 में सासन यूएमपीपी से संबंधित वाहन लागत की अनुमति नहीं है। अतः याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका 1/आरपी/2016 दाखिल किया है। इस प्रकार, पुनरीक्षण याचिका में लिया गया निर्णय इस मामले के लिए भी लागू होगा और तदनुसार याचिका का निपटान किया।

ट. **62/MP/2014: 19.1.2015** की प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्ग निर्देशों के खण्ड 5.6 (vi) के अधीन केविविआ द्वारा प्रकाशित देसी कोयला (भुगतान के लिए वृद्धि दरों की संगणना के लिए तंत्र के मामला 1 बोली प्रक्रिया और पुनरीक्षण के अधीन पीपीए में टैरिफ भुगतान के प्रयोजन के लिए केविविआ द्वारा प्रकाशित देसी कोयले के लिए वृद्धि दर की संगणना के लिए तंत्र का पुनरीक्षण)

याचिकाकर्ता इंडिया बुलस पावर लि. ने इस ढंग से देसी कोयले (लिंगेज कोयला) की लागत के लिए वृद्धि दर की संगणना के लिए पद्धति के पुनरीक्षण की मांग के लिए याचिका संख्या 62/एमपी/2014 दाखिल की कि उक्त अनुक्रमणी केस-1 बोली प्रक्रिया के अधीन विद्युत की आपूर्ति करने वाले विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए गए कोयले के लिए कोयला इंडिया लि. मंत्रालय द्वारा अधिसूचित देसी कोयले की कीमत में वास्तविक वृद्धि/कमी पर विचार करता है और याचिका संख्या 50/एमपी/2015 भुगतान प्रयोजनों के लिए वृद्धि सूची के पुनरीक्षण के लिए एमबी पावर (मध्यप्रदेश) लि. द्वारा दाखिल की गई है।

आयोग ने इस विचार पर आधारित दोनों याचिकाओं का निपटान किया कि यह विद्युत क्षेत्र के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रही डब्ल्यूपीआई पर विचार करते बिना पुनरीक्षण के लिए किसी कार्य को परिपक्वाधीन करेगा। विद्युत क्षेत्र में प्रयुक्त गोले के ग्रेड के लिए लागू डब्ल्यूपीआई की नई सीरीज या नई श्रृंखला शीघ्र ही वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा रिलीज की जाएगी। आयोग को यह आशा है कि विद्युत क्षेत्र के लिए डब्ल्यूपीआई की नई श्रृंखला याचिकाकर्ताओं और नए उत्पादकों की चिंता का पता लगाएगी।

ठ. 14/एमपी/2013: सासन पावर लि. और भारतीय रुपये के अप्रत्याशित अदृश्य और अनियंत्रणीय मूल्यहास के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ताओं के बीच निष्पादित 7.8.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 12 और 17 की प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत के सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासी प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता सासन पावर लि. ने निम्नलिखित निवेदनों के साथ याचिका दाखिल की।

(क) यह घोषणा कि पीपीए के अधीन यूएस डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के अप्रत्याशित अदृश्य और अनियंत्रणीय मूल्यहास

(ख) याचिकाकर्ता को उसी आर्थिक स्थिति में लाना जैसी वह अतिरिक्त इक्विटी और ऋण सेवा बाध्यताओं सहित रहा है।

आयोग ने 21.2.2014 के आदेश में पहले ही कहा है कि यूएस डॉलर की तुलना में आईएनआर का मूल्यहास सासन पावर लि. और सासन यूएमपीपी के प्राप्तकर्ताओं के बीच पीपीए के प्रावधानों के अनुसार रहा है और तदनुसार याचिकाकर्ता की प्रार्थना को रद्द कर दिया है। इस निष्कर्ष को न तो

याचिकाकर्ता द्वारा कोई चुनौती दी गई और न ही किसी प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई। केवल यही मुद्दा जिस पर याचिका आयोग के विचाराधीन थी वह अधिनियम की धारा 79(1)(बी) के अधीन विनियामक शक्ति का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करने की संभावना थी। अपीलीय न्यायधिकरण ने यह निर्णय दिया कि आयोग को उक्त अधिनियम की धारा 63 के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के अधीन अवधारित टैरिफ के मामले में उत्पादन कंपनियों को क्षतिपूर्ति टैरिफ प्रदान करने के लिए टैरिफ को संशोधित करने या अन्यथा अधिनियम की धारा 79(1)(ख) के अधीन कोई विनियामक शक्तियां नहीं हैं।

ड. 319/MP/2013: यह घोषणा की मांग करते हुए याचिका कि उत्पादन कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अवैध थी और पीपीए तथा कंपनी पद्धतियों के अनुसार नहीं थी।

टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लि. याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की जिसमें इस घोषणा की मांग की गई कि उत्पादन कंपनियों द्वारा (चाइना लाईट एवं पावर लि.) द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अवैध थी और पीपीए और यूटिलिटी पद्धतियों के अनुसार नहीं थी।

इस आदेश में आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:-

(क) टीपीटीसीएल याचिका में जेपीएल एवं टीपीडीटीएल के बीच विवाद में आवश्यक पार्टी है और इस प्रकार इसका नाम काटा नहीं जा सकता।

(ख) टाटा पीपीए और पीएसए अंतर्संबंध है और जेपीएल और टीपीडीटीएल के बीच संविदात्मक संबंध है।

(ग) एमजीटीपीपी के यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन हरियाणा पीपीए, टाटा पीपीए

और टीएसए के उपबंधों के अनुसार घोषित किया गया और इस प्रकार वैध है।

- (घ) याचिकाकर्ता पारेषण प्रभारों के भुगतान के कारण हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं है।
- (ङ) 2012-13 के दौरान याचिकाकर्ता को एमजीटीपीपी से विद्युत की आपूर्ति में कमी के लिए याचिकाकर्ता उपलब्धता में क्षमता प्रभार समानुपात अदा करने के लिए उत्तरदायी था और टाटा पीपीए के तदनुसूची उपबंध के साथ पठित पीएसए अनुसूची 7 के पैरा 1.2.5 के अनुसार दण्ड के दावे के लिए हकदार है। आयोग ने क्षमता प्रभार के भुगतान के प्रयोजन के लिए और याचिका संख्या 170/एमपी/2013 में 25.1.2016 के आदेश में दण्ड के लिए 55.05 प्रतिशत के रूप में वर्ष 2012-13 के दौरान एमजीटीपीपी की उपलब्धता को अवधारित किया है जो जेपीएल द्वारा टीपीटीसीएल/टीपीडीडीएल को विद्युत की आपूर्ति के लिए लागू होगी।

ढ. 83/MP/2016 सासन पावर लि. और एमपी पावर मैनेजमेंट लि. के बीच 7.8.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका के मामले में

आईए नं. 18/2016: सासन पावर लि. और पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लि. सहित विभिन्न प्राप्तकर्ताओं के बीच 7.8.2007 के अनुच्छेद 17 पीपीए के साथ पठित अधिनियम की धारा 79 के अधीन दालिख विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(2) के अधीन पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लि. की ओर से आवेदन

आई ए नं. 19/2016: राजस्थान वितरण कंपनियों की ओर से आवेदन

आई ए सं. 18/2016 पीएसपीसीएल द्वारा दाखिल की गई जिसमें निर्देशों/आदेशों की मांग की गई (i) पीएसपीसीएल को विद्युत आपूर्ति के विनियम के संबंध में 31.5.2016 के नोटिस के साथ पठित सासन पावर लि. के 4.6.2016, 6.6.2016 और 8.6.2016 के नोटिस/पत्र का स्थगन (ii) याचिका संख्या 83/एमपी/2016 में 3.6.2016 के आदेश के अनुसार कड़ाई से कार्य करने के लिए एसपीएल को निर्देश देना और 6.6.2016 के पत्र के माध्यम से पीएसपीसीएल द्वारा अनुरोध करना। (iii) एसपीएल को अवैध होने पर बल न देना और इस तथ्य के बावजूद बिना शर्त अंडरटेकिंग लेना कि आयोग ने 3.6.2016 के आदेश के अनुसार विस्तृत व्याख्या दी है। (iv) डब्ल्यूआरएलडीसी को एसपीएल द्वारा मांगे गए पीएसपीसीएल को विद्युत आपूर्ति विनियमित न करने के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी को निर्देश देना।

आई ए सं. 19/2016 को राजस्थान वितरण कंपनियों अर्थात् अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. (राजस्थान कंपनियों) द्वारा दाखिल की गई जिसमें एसपीएल को निर्देश की मांग की गई (i) आयोग के आदेश दिनांक 3.6.2016 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कंपनियों के 4.6.2016 के पत्र को स्वीकार करना (ii) राजस्थान कंपनियों को विद्युत आपूर्ति के विनियम सहित कार्यवाहियों से एसपीएल को नियंत्रित करना और (iii) डब्ल्यूआरएलडीसी को निर्देश देना और एसपीएल द्वारा अनुरोध की गई विद्युत आपूर्ति के विनियम के कार्यान्वित न करना।

आयोग ने राजस्थान कंपनियों और पीएसपीसीएल के संबंध में 8.6.2016 के एसपीएल के पत्र के माध्यम से जारी विद्युत के विनियम को प्रभावित न करने के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी को निर्देश दिया। चूंकि पार्टियां बकाया देयताओं के परिसमापन के लिए भुगतान योजना के लिए सहमत नहीं रही। अतः आयोग ने विक्रेता तथा प्राप्तकर्ता (अंततोगत्वा संबंधित राज्यों में उपभोक्ता) के हित में

निर्देश जारी करने के लिए इसे उपयुक्त समझता है। एमपीपीएमसीएल और राजस्थान कंपनियों/पीएसपीसीएल के बीच कोई अंतर नहीं। एनपीपीएमसीएल के मामले में 30.6.2016 तक विधि प्रसंगों में परिवर्तन का कोई बकाया देयता नहीं थी और केवल बकाया देयताएं वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से संबद्ध है। तदनुसार हमने पीएसपीसीएल और राजस्थान कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:-

- (क) राजस्थान कंपनियों और पीएसपीसीएल के विरुद्ध बकाया (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख में परिवर्तन के कारण) मूल रकम (विलंब भुगतान अधिभार को छोड़कर) 25.6.2016, 5.7.2016, 5.8.2016 और 5.9.2016 तक चार समान मासिक किस्तों में अदा होंगी।
- (ख) जहां तक विलंब भुगतान अधिभार का संबंध है हम एसपीएल और राजस्थान कंपनियों/ पीएसपीसीएल को निर्देश देते हैं कि वे इस मामले को ठीक से निपटाने का प्रयास करें। विवाद की स्थिति में कोई भी पार्टी को अधिनिर्णय और उपयुक्त निर्देश के लिए आयोग से संपर्क की स्वतंत्रता है।
- (ग) उक्त उप पैरा (क) में हमारे निर्देशों के अनुसार भुगतान में चूक के मामले में एसपीएल को पीपीए के उपबंधों के अनुसार पठित आरपीएस विनियम के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्रता है।

आयोग ने डब्ल्यूआरएलडीसी को निर्देश दिया कि वह पीएसपीसीएल और राजस्थान कंपनियों के संबंध में आरपीएस विनियमों के अनुसार कार्य करेगा यदि कोई अनुरोध उक्त पैरा 12(सी) के अनुसार एसपीएल से प्राप्त किया जाता है। उक्त निर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन उनको उपलब्ध उपचार के लिए पार्टी के अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना जारी किए गए और विद्युत अपीलीय न्यायधिकरण

और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न अपीलों में निर्देशों/आदेशों के अध्याधीन होगा।

ण. 182/MP/2015: उन उत्पादन केन्द्रों से पुनः आवंटित विद्युत प्राप्ति के लिए एनटीपीसी की असफलता के संबंध में एनटीपीसी लि. और टीपीपीडीएल के बीच विवाद जिन्होंने कई वर्षों के लिए विलंब हुआ है और वे उत्पादन केन्द्र जो अपने उपयोगी जीवन से बाहर रहे हैं और कुछ लागत पर कार्य कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता, टाटा पावर दिल्ली वितरण लि. ने याचिका दाखिल की और निम्नलिखित प्रार्थना की अर्थात्

- क) यह निर्णय करना कि पीपीए विधि के प्रचालन द्वारा विद्युत संयंत्रों के लिए प्रत्यर्थियों और याचिकाकर्ता के बीच पीपीए प्रविष्ट हुआ चूंकि वे परेशान हो गए।
- ख) प्रत्यर्थी एनटीपीसी पावर स्टेशन से अन्य विद्युत घाटे राज्य/कंपनियों को विद्युत के याचिकाकर्ता के समूचे फर्म शेयर के आवंटन के लिए केन्द्रीय सरकार को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में आवश्यक निर्देश/सलाह जारी करना।

आयोग ने याचिका का निपटान किया चूंकि याचिकाकर्ता किसी अन्य पार्टी एनटीपीसी केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र से याचिकाकर्ता को आवंटित विद्युत के पुनः आवंटन के लिए केन्द्र सरकार को सांविधिक सलाह की मांग कर रहा है। आयोग की दृष्टि में सांविधिक सलाह विद्युत उद्योग के संबंधित समूचे हित के मामले में सरकार को आयोग द्वारा दी जा सकती है और इसे विशेष कंपनी के व्यक्तिगत शिकायतों का पता लगाने के लिए आह्वान नहीं किया जा सकता। आयोग केन्द्र सरकार के अत्याधीन किसी सांविधिक सलाह को अर्पित नहीं कर सकता।

त. **72/एमपी/2016:** दिनांक 7.12.2015 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियमावली 2015 के पूंजीगत व्यय अनुपालन के "एब्सट्रेक्ट योजना" के सैद्धांतिक अनुमोदन की मांग करने वाली याचिका

याचिकाकर्ता मैथन पावर लि. ने केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 (2014 टैरिफ विनियम) के विनियम 3(9) और 12(2) के साथ पठित विनियम 13(3) (ii) के अधीन याचिका दाखिल की जिसमें दिनांक 7.12.2015 के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियमावली 2015 के पूंजीगत व्यय अनुपालन के "एब्सट्रेक्ट योजना" के सैद्धांतिक अनुमोदन की मांग की।

आयोग ने 20.3.2017 के आदेश के माध्यम से मौजूदा नए मानदण्ड के कार्यान्वयन का निर्देश दिया और निर्माणाधीन थर्मल उत्पादन केन्द्र से ईएसपी के पुनःस्थापन में अतिरिक्त क्षेत्रों की रेट्रोफिटिंग जैसे नई प्रणाली के स्थापन और मौजूदा प्रणाली का संशोधन अपेक्षित होगा ताकि डीनॉक्स के लिए एससीआर और एसओएक्स एफजीडी के स्थापन, निलंबित विशेष विषय मानदण्ड की पूर्ति की जा सके और याचिकाकर्ता को विनिर्दिष्ट तकनीक के निर्णय के लिए तथा एसईआर इत्यादि जैसे विभिन्न प्रणाली के स्थापन में सामाना किए जाने वाले बड़े मुद्दों और संबद्ध लागत के निर्णय के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से संपर्क करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता को विभिन्न पर्यावरणीय उपायों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ मामला उठाने का निर्देश दिया गया। तदनुसार याचिकाकर्ता को सीईए के अनुमोदन पर आधारित उपयुक्त चरण पर उपयुक्त याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई और एओईएफ के निर्देश के लिए स्वतंत्रता दी गई जिसे विधि के अनुसार निपटाया जाएगा।

थ. **149/एमपी/2015:** लिग्नाइट की अंतरण कीमत के निर्धारण पर कोयला मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के साथ एफईआरवी और इक्विटी

पर रिटर्न, आयकर, ओएण्डएम, ट्रूइंगअप अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए एनएलसी माइन्स के संशोधित लिग्नाइट अंतरण कीमत के लिए अनुमोदन की मांग करने के लिए याचिका

याचिकाकर्ता नेवली लिग्नाइट कार्पोरेशन ने लिग्नाइट की अंतरण कीमत के निर्धारण पर कोयला मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के साथ एफईआरवी और इक्विटी पर रिटर्न, आयकर, ओएण्डएम, ट्रूइंगअप अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए एनएलसी माइन्स के संशोधित लिग्नाइट अंतरण कीमत के संशोधन के लिए मौजूदा याचिका दाखिल की।

आयोग ने निर्देश दिया कि दावा वेतन पुनरीक्षण के प्रभाव के संबंध में पूर्ण ब्यौरों के अभाव के कारण इस क्रम में निर्णित नहीं किया जा सकता चूंकि इसे मात्रात्मक नहीं किया गया है। तथापि याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार सभी संगत ब्यौरो सहित आयोग से संपर्क के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है।

द. **227/एमपी/2015:** लिग्नाइट की अंतरण कीमत के निर्धारण पर कोयला मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के साथ एफईआरवी और इक्विटी पर रिटर्न, आयकर, ओएण्डएम, ट्रूइंगअप अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण 29.12.2011 से 31.3.2014 की अवधि के लिए एनएलसी बरसिंगार माइन्स के लिग्नाइट अंतरण कीमत के संशोधन के लिए

याचिकाकर्ता नेवली लिग्नाइट ने अंतरण कीमत के निर्धारण पर कोयला मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के साथ एफईआरवी और इक्विटी पर रिटर्न, आयकर, ओएण्डएम, ट्रूइंगअप अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण 29.12.2011 से 31.3.2014 की अवधि के लिए एनएलसी बरसिंगार माइन्स के लिग्नाइट अंतरण कीमत के संशोधन के अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की।

आयोग ने निर्देश दिया कि दावा वेतन पुनरीक्षण के प्रभाव के संबंध में पूर्ण ब्यौरों के अभाव के

कारण इस क्रम में निर्णित नहीं किया जा सकता चूंकि इसे मात्रात्मक नहीं किया गया है। तथापि याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार सभी संगत ब्यौरो सहित आयोग से संपर्क के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है।

घ. 157/एमपी/2015: वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए प्रचालन अवधि के दौरान "विधि में परिवर्तन" के कारण कोस्टल गुजरात पावर लि. की लागत/राजस्व में कमी/वृद्धि के लिए टैरिफ के समायोजन की मांग करते हुए 22.4.2007 के पीपीए (समय-समय से यथासंशोधित) के अनुच्छेद 13.2(ख) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003

की धारा 79(1)(बी) के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता, कोस्टल गुजरात पावर लि. ने वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए प्रचालन अवधि के दौरान "विधि में परिवर्तन" के कारण कोस्टल गुजरात पावर लि. की लागत/राजस्व में कमी/वृद्धि के लिए टैरिफ के समायोजन की मांग करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बोली मांगनिर्देश के पैराग्राफ 4.7 और पीपीए के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(बी) के अधीन याचिका दाखिल की।

योजना की प्रचालन अवधि के दौरान विधि में परिवर्तन के अधीन आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:-

विधि विषय में परिवर्तन	निर्णय
आयातित कोयले पर क्लीन उर्जा उपकरण का उदग्रहण	अनुमति
मूलभूत सीमा शुल्क में परिवर्तन और आयातित कोयले पर काउण्टर वेलिंग ड्यूटी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के परिणाम अध्याधीन अनुमति
उत्पाद शुल्क में	अनुमति
केन्द्रीय बिक्री कर में कमी	अनुमति
गुजरात मूल्य वृद्धि कर में वृद्धि	अनुमति नहीं
सेवा कर कर में वृद्धि	अनुमति
हरित उपकरण का उदग्रहण	अनुमति नहीं
एमओईएफ द्वार लगाई गई अतिरिक्त शर्त	अनुमति नहीं
वाहन लागत	अनुमति नहीं

6.4.2.5 इनफर्म पावर (विविध याचिकाएं)

क. केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(के) अधीन याचिका जिसमें पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति के लिए स्वीकृति की मांग की गई।

i. 8//एमपी/2017 : याचिकाकर्ता, एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लि. ने 31.1.2017 से 31.7.2017 तक 6 महीने के आगे प्रथम यूनिट के (यूनिट 2) (300 मेगावाट 4x300 मेगावाट) के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण और आरंभ के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए अवधि के विस्तार की अनुमति के लिए अनुमति की मांग करने

- के लिए याचिका दाखिल की। आयोग ने क्रमशः 31.4.2017 से 31.7.2017 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो दूसरा यूनिट (यूनिट 1) पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण और आरंभ के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए अवधि के विस्तार की अनुमति दी। इसके अलावा आयोग ने उक्त तारीखों तक परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन को सुनिश्चित करने के सभी प्रयासों के लिए याचिकाकर्ता से आशा की।
- ii. **247/एमपी /2016:** एनटीपीसी लि. के मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने 27.4.2017 तक या या 1320 मेगावाट (2X660 MW) के यूनिट के और स्टेज-2 के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा तक परीक्षण के दौरान ग्रिड में पावर अंतःपरिवर्तन के लिए आयोग की अनुमति की मांग के लिए याचिका दाखिल की। आयोग ने 23.12.2016 के आदेश के माध्यम से 27.4.2017 तक या या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण आरंभ करने के लिए ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःपरिवर्तन की अनुमति दी और 23.12.2016 के आदेश माध्यम से आयोग ने याचिका का निपटान किया।
- iii. **225//एमपी/2016 :** कांती बिजली उत्पादन निगम लि. ने आरंभिक सिंक्रॉनाइजेशन से 6 महीने के आगे केबीयूएनएल के एमटीपीएस स्टेज-II, (2X195 MW) के यूनिट-1 और यूनिट-2 के पूर्ण भार ट्रायल ऑपरेशन सहित परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण और स्टार्टअप पावर की निकासी के लिए अवधि के विस्तार की अनुमति के लिए आयोग के अनुमति की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। आयोग ने 23.12.2016 के आदेश के माध्यम से यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख या 31.3.2017 तक यूनिटों के पूर्ण भार परीक्षण सहित जो भी पहले हो आरंभ परीक्षण के लिए स्टार्टअप पावर के निकासी और ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए समय के विस्तार की अनुमति और याचिका का निपटान किया।
- iv. **199//एमपी /2016:** एनटीपीसी लि. ने सोलापुर एसटीपीपी (2X660 MW) के यूनिट 1 के (660 मेगावाट) के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभ गतिविधियों की तारीख से 15 महीने के आगे स्टार्टअप पावर निकासी के विस्तार की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग करे हुए याचिका दाखिल की। आयोग ने 8.11.2016 के आदेश के माध्यम से याचिका का निपटान किया और 6.5.2017 तक यूनिट-1 के लिए ग्रिड से स्टार्टअप पावर के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति दी।
- v. **212//एमपी /2016:** एनटीपीसी लि. ने प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन से 6 महीने के आगे मौदा एसटीपीएस स्टेज-II, (2X660 MW) के यूनिट-1 के पूर्ण भार ट्रायल ऑपरेशन सहित परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतःपरिवर्तन के लिए अनुमति के लिए आयोग के अनुमति की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। आयोग ने 31.10.2016 के आदेश के माध्यम से यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख यूनिट-1 पूर्ण भार परीक्षण 27.12.2016 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख जो भी पहले हो आरंभ परीक्षणों के लिए ग्रिड में इनफर्म

पावर के अंतः परिवर्तन की अनुमति दी और याचिका का निपटान किया।

vi. **159//एमपी/2016:** जिंदल पावर लि. ने 31.3.2016 तक **4x600 MW** पावर प्लांट के यूनिट-4 के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। आयोग ने 31.12.2016 तक यूनिट-4 के पूर्ण भार परीक्षण या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो आरंभिक परीक्षणों के लिए ग्रिड में इनफर्म पावर अंतःक्षेपण की अनुमति और याचिका का निपटान किया।

vii. **117//एमपी/2016:** बीआरबीसीएल ने आरंभिक सिंक्रॉनाइजेशन से 6 महीने के आगे नवी नगर पीपीपी (**4X250 MW**) के यूनिट-1 (250 मेगावाट) के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण और आरंभ के इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण और स्टार्टअप पावर की निकासी के लिए अवधि के विस्तार की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। आयोग ने 14.9.2016 के आदेश के माध्यम से 31.3.2017 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो के पूर्ण भार परीक्षण सहित स्टार्टअप पावर की निकासी और ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए समय विस्तार की अनुमति दी और याचिका का निपटान किया।

viii. **119//एमपी/2016:** एनपीसीआईएल ने 30.9.2016 तक या केकेएण्डपीपी यूनिट-2 के प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन तक जो भी पहले हो विचलन व्यवस्थापन तंत्र के साथ ग्रिड के साथ स्टार्टअप पावर के सतत निकासी के लिए आयोग

की अनुमति की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। आयोग ने 19.8.2016 के आदेश के माध्यम से 6.5.2017 तक यूनिट-1 के लिए ग्रिड से स्टार्टअप पावर की निकासी के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति दी और याचिका का निपटान किया।

ix. **118//एमपी/2016:** एसकेएस पावर जनरेशन ने याचिका दाखिल की जिसमें 30.9.2016 के प्रत्याशित आरंभिक सिंक्रॉनाइजेशन की तारीख से 6 महीने के आगे यूनिट-1 (**300x4MW**), बिंजकोट टीपीपी के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण और आरंभ के लिए इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण और स्टार्टअप पावर की निकासी के लिए अवधि के विस्तार की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग की। आयोग ने 29.7.2016 के आदेश के माध्यम से याचिका का निपटान किया और 31.1.2017 तक या वाणिज्यिक प्रचालन वास्तविक तारीख जो भी पहले हो यूनिट के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभिक परीक्षण के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए समय के विस्तार की अनुमति दी।

x. **25//एमपी/2017:** लेंको अमरकंटक पावर लि. ने याचिकाकर्ता के थर्मल पावर प्लांट के यूनिट-3 (660 मेगावाट) के लिए स्टार्टअप पावर के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। आयोग ने 29.3.2017 के आदेश के माध्यम से इन्टरकनेक्शन सुविधा पर मीटरिंग की उपलब्धता के अध्याधीन चंपा पूलिंग स्टेशन में समर्पित लाइन के प्रभार की तारीख तक अंतरिम आधार पर स्टेज-1 और 2 के स्विचयार्ड के बीच

इन्टरकनेक्शन सुविधा का प्रयोग करते हुए यूनिट-3 के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभिक परीक्षण के लिए ग्रिड से स्टार्टअप पावर की निकासी की अनुमति से याचिका का निपटान किया।

6.5 हाइड्रो उत्पादन

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग ने सीपीएसयू अर्थात् एनएचपीसी, एनएचडीसी, एसजेवीएनएल, एनटीपीसी, टीएचडीसी, डीवीसी और बीबीएमबी और एक मैसर्स हिमाचल बस्पा पावर कं. लि. द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के लिए टैरिफ को विनिर्मित किया जो उत्तरी पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के लिए 31.3.2017 को कुल स्थापित क्षमता 15426.13 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एनएचपीसी का तीस्ता लॉ डैम 11.8.2016 को 160 मेगावाट क्षमता का आरंभ किया गया जिसकी प्रत्येक की 40 मेगावाट की क्षमता थी। 31.3.2017 को स्थापित क्षमता और विभिन्न प्रकार के हाइड्रो उत्पादन केन्द्र प्रत्येक के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुबंध-VII** में दी गई है।

निम्नलिखित याचिकाएं वर्ष 2016-17 के दौरान ली गई हैं:-

- क. 2004-09 की अवधि के निपटान के लिए एसजेवीएनएल के नाथफा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (6x 250=1500 MW) के लिए ट्रूइंगअप याचिका।
- ख. 2009-14 अवधि के बीबीएमबी के निपटान के लिए अंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका।
- ग. 2009-14 अवधि के एनएचपीसी की नव-निर्मित परियोजना तीस्ता लॉ डैम प्रोजेक्ट स्टेज-IV (4x40=160 MW) के अनंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए विद्युत याचिका।

घ. 2009-14 अवधि के लिए निम्नलिखित हाइड्रो स्टेशनों के निपटान के लिए ट्रूइंगअप याचिकाएं:-

- क. एनएचपीसी का दुलहस्ती हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन (390 MW)
- ख. एनएचपीसी का तीस्ता-V हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (510 MW)
- ग. डीवीसी का मैथॉन हाइडल पावर स्टेशन यूनिट नं. 1 से 3 (2 x 20 + 1 x 23.2 = 63.2 MW)
- घ. डीवीसी का पंचेत हाइडल पावर स्टेशन यूनिट I & II (2x40= 80 MW)
- ङ. डीवीसी का तिलय्या हाइडल पावर स्टेशन यूनिट I & II (2 x 2=4 MW)
- च. एनएचपीसी का यूरी-I हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (480 MW)
- छ. एनएचपीसी का चमेरा-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (300 MW)
- ज. डीवीसी का इन्दिरा सागर पावर स्टेशन (250 x 8= 1000 MW)
- झ. एनएचडीसी का ओंकेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (520 MW)
- ञ. 2012.14 अवधि के लिए एनएचपीसी के चटक पावर स्टेशन (11 x 4=44 MW)
- ट. एनएचडीसी का टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टेज-I (8 x 250= 1000 MW)



- | | |
|--|--|
| <p>ठ. 2012.14 अवधि के लिए एनएचपीसी का चमेरा.पू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (231 MW)</p> | <p>ख. एनएचपीसी का तीस्ता-V हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (510 MW)</p> |
| <p>ड. 1.4.2013 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए तीस्ता लॉ डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन-III (132 MW)</p> | <p>ग. डीवीसी का मैथॉन हाइडल पावर स्टेशन यूनिट नं. 1 से 3 (2 x 20 + 1 x 23.2 = 63.2 MW)</p> |
| <p>ढ. 2010.14 अवधि के लिए सेवा-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (120 MW)</p> | <p>घ. एनएचपीसी का चमेरा-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (300 MW)</p> |
| <p>ण. नाथपा झाकड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (6 x 250 = 1500 MW)</p> | <p>ड. 2012.14 अवधि के लिए एनएचपीसी के चमेरा-III हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (231 MW)</p> |
| <p>ड. 2014.19 अवधि के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित हाइड्रो स्टेशनों की याचिकाओं का निपटान:-</p> | <p>च. 2010.14 अवधि के लिए सेवा-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (120 MW)</p> |
| <p>क. एनएचपीसी का दुलहस्ती हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन (390 MW)</p> | <p>छ. एनएचपीसी का यूरी-I हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (480 MW)</p> |

- ज. डीवीसी का तिलय्या हाइडल पावर स्टेशनए यूनिट I और II (2 x2=4MW)
- झ. एसवीजेएनएल का रामपुरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (412 MW)
- ञ. एनएचपीसी का निमो बाजगो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (45 MW)
- ट. डीवीसी का पंचेत हाइडल पावर स्टेशनए यूनिट I और II (2 x40=80MW)
- ठ. एनएचडीसी का ओंकेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (520 MW)
- ड. एनएचपीसी का यूरी-II पावर स्टेशन (240 MW)
- ड. टीएचडीसी का ओंकेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (520 MW)
- ण. डीवीसी का इन्दिरा सागर पावर स्टेशन (1000 MW)
- त. एनएचपीसी का चटक पावर स्टेशन (44 MW)
- त. टीएचडीसी का टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टेज-I (1000 MW)
- द. एचबीपीसीएल का करचम वागू एचईपी (1000 MW)
- ध. एसजेवीएनएल का नाथपा झाकड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (6 x 250=1500 MW)
- च. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की निम्नलिखित विभिन्न याचिकाएं निपटाई गई:-
- क. **383/एमपी/2014:-** मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कं. लि. द्वारा प्रचालित कुछेक थर्मल एवं हाइडेल केन्द्रों के संबंध में विनियम विनियम के खण्ड 5. 2(एफ) के अधीन यथा अपेक्षित आरजीएमओ के कार्यान्वयन के लिए समय के विस्तार हेतु केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के खण्ड 4 भाग-7 के अधीन याचिका
- ख. **65/एमपी /2014:-** एनटीपीसी के कुछेक यूनिटों के एफजीएमओ कार्यान्वयन की अपेक्षाओं के संबंध में विनियम 5.2(एफ)(4) की छूट की मांग करते हुए केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 4 भाग-7 के अधीन याचिका
- ग. **40/एमपी/2016:-** एनएचडीसी हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों अर्थात् इन्दिरा सागर पावर स्टेशन और ओंकारेभवर पावर स्टेशन के संबंध में एनपी के राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा घोषित क्षमता और प्रमाणन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 31(3) के अधीन याचिका
- घ. **76/एमपी/2015:-** बेरासूल पावर स्टेशन के संबंध में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के प्रस्ताव के



अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 15(1) के अधीन याचिका

केविविआ की परिधि के अधीन आने वाले हाइड्रो पावर स्टेशनों के लिए 31.3.2017 को समन्वित टैरिफ **अनुबंध-VIII** में संलग्न है।

6.6 नवीकरणीय उर्जा

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरंभ की जाने वाली सौर पीवी और सौर थर्मल पावर परियोजना के लिए बेंचमार्क पूंजी लागत मानदण्ड के अवधारण के मामले में आदेश जारी किया। (स्वप्ररेणा आदेश 17/एसएम/2016 दिनांक 23.3.2016)। आयोग ने रु. 530.02 लाख प्रति मेगावाट पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सौर पीवी पावर परियोजना के लिए बेंचमार्क पूंजी लागत मानदण्ड निर्धारित किया। आयोग ने 1200 लाख रुपये प्रति मेगावाट पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सौर थर्मल पावर परियोजना के लिए बेंचमार्क पूंजी लागत मानदण्ड निर्धारित किया।

आयोग द्वारा यथानिर्धारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए टैरिफ के ब्यौर **अनुबंध IX** में दिए गए हैं।

6.7 पारेषण

देश में पारेषण प्रणाली में तेज गति से विकास हो रहा है और आयोग टैरिफ के निर्धारण, ट्रूइंग अप याचिकाएं तथा संयोजकता से संबद्ध विविध याचिकाएं, निर्बाध पहुंच, अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों की शेयरिंग तथा विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं ग्रिड संबद्ध मुद्दों से संबंधित वृहत कार्य का संचालन करता है।

क. पारेषण टैरिफ:

आयोग ने टैरिफ अवधि 2014-19 के दौरान आरंभ की जाने वाली प्रत्याशित/आरंभ की गई पारेषण आस्तियों के लिए अनंतिम आदेशों सहित अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध याचिकाओं में कई आदेश जारी किए। अधिकांश टैरिफ याचिकाएं केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए

पारेषण टैरिफ के टूइंग अप से संबद्ध पावर ग्रिड द्वारा दाखिल की गई और केविविआ के अधीन (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए दाखिल की गई और कई याचिकाएं केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन 2015-16 के दौरान आरंभ की जाने वाली प्रत्याशित/आरंभ की गई आस्तियों के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए थी।

आयोग ने 01.04.2014 से 31.03.2019 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस व प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 5 के अधीन फीस व प्रभारों की टूइंग अप के संबंध में आदेश जारी किए।

ख. ग्रिड अनुशासन की मॉनिटरिंग व प्रवर्तन:

अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में यह व्यवस्था है कि एनएलडीसी राष्ट्रीय ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा और प्रचालन की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा और आरएलडीसी संबंधित क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समन्वित प्रचालन और प्रचालनों की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

एनएलडीसी और आरएलडीसी ने कंपनियों द्वारा ग्रिड कोड के उल्लंघनों के संबंध में कई याचिकाएं दाखिल की। आयोग ने उल्लंघनों में अन्तर्ग्रस्त पार्टियों की सुनवाई के बाद कंपनियों द्वारा ग्रिड अनुशासन के प्रवर्तन और मॉनिटरिंग के लिए कई आदेश जारी किए। आयोग के कुछ आदेश संक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं।

- (1) **याचिका संख्या 30/एमपी/2014 में 28.9.2016 का आदेश:** एनएलडीसी ने केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8(2) और 8(4) और सीईए (ग्रिड की संयोजकता के लिए तकनीकी मानदण्ड) विनियम 2007 के

विनियम 4(2) और 6(6) के अनुसार संयोजकता प्रदान करने के मामले में याचिका सं. 30/एमपी/2014 दाखिल की। एनएलडीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई सभी संयोजकता की समीक्षा के लिए सीटीयू को अंतःराज्यिक उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की निकासी के लिए अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए एसटीयू को निर्देश के लिए प्रार्थना की कि सीईए मानदण्डों का अनुपालन किया जाए और लीलो व्यवस्था के माध्यम से संयोजकता प्रदान करने को बंद किया जाए।

आयोग ने 28.9.2016 के आदेश से यह पाया कि अस्थायी/अंतरिम लीलो के सभी मामलों को पुनरीक्षण की आवश्यकता है जहां वे 6 महीने से अधिक के लिए प्रचालन में हैं। सीटीयू को अस्थायी लीलो व्यवस्थाओं की असंबद्धता के लिए टाइम लाइन के संबंध में निर्णय के लिए और अस्थायी लीलो व्यवस्थाओं की पुनरीक्षण के लिए याचिका सं. 30/एमपी/2014 में आदेश जारी करने की तारीख से 1 माह की अवधि के अंदर संबंधित क्षेत्र की आरपीसी सहित इस प्रकार के सभी मामलों के लिए सीटीयू को निर्देश दिया गया। जहां कहीं लीलो प्रचालन में है वहां आरपीसी यह सुनिश्चित करेगा कि लीलो इस आदेश के तीन महीने के अंदर असंबद्ध है जब तक कि आरपीसी सभी संगत घटकों को ध्यान में रखते हुए विस्तार प्रदान करने का निर्णय नहीं करता। इसके अलावा जब कभी अंतरिम लीलो व्यवस्था की जाती है तो सीटीयू रिएक्टिव पावर अपेक्षा के निर्धारण के लिए अध्ययन करेगा और रिएक्टिव पावर क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रयोगताओं/उत्पादकों को निर्देश देगा।

आयोग ने यह भी पाया कि उन सभी मामलों में जहां समर्पित पारेषण लाइन की आरंभ न होने के कारण प्रचालनगत नहीं किया गया है या कुछ प्रणाली सुदृढीकरण लाइन एसटीओ

के अधीन उत्पादक अंतःक्षेपण कर रहे हैं तब सीटीयू को एलटीए (आंशिक या पूर्ण रूप से जैसी भी स्थिति हो) को प्रचालन करना चाहिए और एलटीए करारों में यथानिर्दिष्ट एलटीए के प्रचालनीकरण की तारीख से उत्पादकों पर पारेषण प्रभारों के लिए बिलों को जुटाना चाहिए। सीटीयू को इन सभी प्रकार के मामलों की पुनरीक्षण के लिए निर्देश दिया गया और उत्पादकों पर पारेषण प्रभारों को बिलों को जुटाने और आंशिक एलटीए सहित एलटीए के प्रचालनीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

आयोग द्वारा यह भी पाया गया कि जहां तक व्यवहार्य हो अंतःराज्यिक उत्पादन केन्द्रों को स्टार्टअप पावर या इनफर्म पावर अंतःक्षेपण के लिए आईएसटीएस को अंतरिम संयोजकता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। केवल अपवादात्मक मामलों में अंतःराज्यिक उत्पादन केन्द्रों को अंतरित संयोजकता संबंधित एसटीयू द्वारा वर्णित सिफारिशों के आधार पर प्रदान की जा सकती है।

- (2) **याचिका सं. 206/एमपी/2014 में 16.9.2016 का आदेश:** पावरग्रिड ने यूआरटीडीएसएम फेज-2 के नि पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए संयोजकता विनियमों के साथ पठित केविविआ (सीटीयू को अंतरराज्यिक परियोजना के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम 2010 के अधीन अनुमोदन के मामले में।

आयोग ने ओपीजीडब्ल्यू के अनुमोदन से फेस-2 के लिए पीएमयू प्रदान करने के लिए और योजना के फेज-1 के लिए सिद्धांतः अनुमोदन याचिका सं. 129/एमपी/2012 में 6.9.2013 के आदेश के माध्यम से सिद्धांतः अनुमोदन प्रदान किया।

इस मामले पर 6.10.2015 को सुनवाई की

गई जिसमें याचिकाकर्ता को पीएमयू की स्थापना, पीडीएस, रिमोट कंसोल और प्रशिक्षित कार्मिकों की सं. इत्यादि तथा फेज-1 के विभलेषण के विकास के अधीन पीएमयू पर पायलट परियोजना की स्थिति जैसी क्षेत्रवार प्रगति की मौजूदा स्थिति दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

आयोग ने क्षेत्रवार प्रगति की मौजूदा स्थिति के बाद अर्थात् पीएमयू पीडीएस की स्थापना और प्रशिक्षित कार्मिकों की सं. इत्यादि के अवलोकन के बाद यह पाया कि फेज-1 के कार्यान्वयन के लिए कुल 351 पीएमयू में से 101 पीएमयू की आपूर्ति की गई और तीन उपकेन्द्रों पर कार्य प्रगति पर है और 34 पीडीएस उपकरणों में से केवल 27 पीडीएस उपकरण की आपूर्ति की गई है और 12 स्थापित किए गए हैं।

आयोग ने यह भी पाया कि यूआरटीडीएसएम योजना को दृश्यता और सुरक्षा में सुधार करने तथा ग्रिड असफलता की संभावना को कम करने के प्रयोजन से अनुमोदित किया गया। फेज-1 के मौजूदा प्रगति पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता ने योजना के फेज-1 को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रयास प्रतीत नहीं होता। फेज-1 के लिए कार्यान्वयन अवधि 2014-15 थी तथापि यह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्थिति के अनुसार अभी भी कार्यान्वयन के अधीन है। आयोग ने यूआरटीडीएस में योजना के फेज-1 की प्रगति से अप्रसन्नता व्यक्त की और योजना के फेज-1 के कार्य को शीघ्रता से करने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया ताकि इसे नवंबर, 2016 तक पूरा किया जा सके। इसके अलावा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने फेज-1 में पर्याप्त प्रगति नहीं की अतः योजना के फेज-2 के कार्यान्वयन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता को फेज-1 योजना के कार्यान्वयन के बाद

सीईए से परामर्श करते हुए योजना के फेज-2 के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई जिसपर विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।

- (3) **याचिका सं. 91/एमपी/2014 में 13.7.2016 का आदेश:** केविविआ (अननुसूचित अंतःपरिवर्तन प्रभार और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 12 और 13 तथा भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अधीन प्रचालन कोड के खण्ड 5.2 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79; केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 के विनियम 7(1) और (2), 12, 13 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111, 114 और 115 के अधीन याचिका।

याचिकाकर्ता ने उक्त याचिका के माध्यम से पवन या सौर उर्जा परियोजनाओं में फ्रिक्वेंसी बैंड के छूट के लिए प्रार्थना की अर्थात् 49.9-50.5 एचजेड को 49.7 एचजेड-50.3 एचजेड करना और 150 एम मेगावाट की विचलन सीमा के लागू करने से छूट या अनुसूची का 12 प्रतिशत करना और ग्रिड कोड के विनियम 5.2 (यू) के अधीन यथाप्रदत्त "मस्ट रन" के रूप में पवन या सौर उर्जा परियोजनाओं के लिए एसएलडीसी को आवश्यक निर्देश देना।

आयोग ने 13.7.2016 के आदेश के माध्यम से यह कहते हुए सौर व पवन परियोजनाओं के किसी प्रकार के छूट में मना किया कि विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम में विचलन सीमा ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदान की गई है। इसके बाद परिवर्ती नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के लिए पूर्वानुमान अनुसूचीकरण और असंतुलन पर फ्रेमवर्क विकसित करते समय विचलन व्यवस्थापन

मेन्यू में विनिर्दिष्ट विचलन सीमाओं का पालन करते हुए नवीकरणीय उर्जा उत्पादकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों और त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 7.8.2015 को ग्रिड कोड एवं डीएसएम विनियमों को संशोधित किया जिसके द्वारा त्रुटि की परिभाषा पवन एवं सौर उत्पादकों को परिवर्तित किया जो प्रादेशिक इकाइयां हैं और उन्हें '15: बैंड के अंदर प्रतिकूल वाणिज्यिक प्रभाव से छूट दी गई। इसके अलावा सौर/पवन उत्पादक के बेकिंग डाउन से पूर्व पारंपरिक उत्पादन केन्द्रों की बेकिंग डाउन के संबंध में एसएलडीसी तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत डाटा के अवलोकन के बाद आयोग ने यह पाया कि एसएलडीसी तमिलनाडु ने ग्रिड कोड के विनियम 5.2 (यू) के अनुसार मस्ट रन के रूप में पवन/सौर उर्जा को नहीं माना है। और तदनुसार समय-समय से यथासंशोधित ग्रिड कोड के विनियम 5.2(यू) के अनुपालन में असफल रहा है।

- (4) वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रिड अनुशासन के प्रवर्तन और मॉनिटरिंग के लिए आयोग द्वारा निपटाई गए अन्य याचिकाएं जिसमें याचिका सं. 224/MP/2016, 265/MP/2015, 88/MP/2016, 103/MP/2014, 135/MP/2016, 191/MP/2016, 188/MP/2014, 134/MP/2016, 222/MP/2015, 36/MP/2015 यह शामिल है।

ग. निर्बाध पहुंच का प्रवर्तन

निर्बाध पहुंच विद्युत अधिनियम 2003 का एक महत्वपूर्ण घटक है। आयोग को अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणालियों के लिए निर्बाध पहुंच को सरल बनाने के कार्य का दायित्व सौंपा गया है। आयोग ने केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच तथा संयोजकता प्रदान करना व संबद्ध मामले) विनियम, 2009 और केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच)

विनियम, 2008 जारी किया जिसमें अन्तरराज्यिक प्रणाली में मध्यकालिक निर्बाध पहुंच एवं अल्पकालिक पहुंच, दीर्घकालिक पहुंच को सरल बनाया गया है। 2016-17 की अवधि के दौरान आयोग ने अन्तरराज्यिक प्रणाली में निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए याचिकाओं का निपटान किया।

- (1) **याचिका संख्या 9/एमपी/2016 में 16.5.2016 का आदेश** : याचिका सं. एनएचपीटीएल ने विद्युत उपकरण के शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए लोड पर आरंभिक रूप में प्रभारित करने के लिए आईएसटीएस बिना पावर ग्रिड के उपकेन्द्र में 765 केवी एवं 400 केवी बस के साथ एनएसपीटीएल प्रयोगशाला की संयोजकता प्रदान करने के मामले में उक्त याचिका दाखिल की और इस प्रयोजन के लिए केविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के अधीन भार स्थितियों के लिए संयोजकता करार के अनुमोदन के लिए दाखिल की।

याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि एनएचपीटीएल प्रयोगशाला एक राष्ट्रीय संपत्ति है चूंकि इससे आर्थिक रूप से देश के अंदर ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुगम होता है। अतः एक समर्थ पर्यावरण वैश्विक भागीदारों से प्रतिस्पर्धा के लिए व्यवस्था की जा सकती है। फिलहाल ट्रांसफार्मर को अन्य देशों में ले आया जाता है जिससे कम से कम 6 महीने की आवश्यकता होती है जिसमें ट्रांसफार्मर का परीक्षण समय केवल 20 दिन होता है और परीक्षण की लागत परिवहन की लागत सहित लगभग 4.5 करोड़ होती है जो कुल परीक्षण लागत का लगभग 55 प्रतिशत है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आरंभिक तौर पर कम से कम एक से दो वर्षों के लिए पारेषण/विभवसनीयता प्रभार के अधित्याग का अनुरोध किया और इस सुविधा को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए न्यूनतम प्रभार

लगाने का अनुरोध किया।

आयोग ने सीटीयू और पोसोको से इनपुट की सुनवाई के बाद सीटीयू को निर्देश दिया कि आदेश के जारी करने के एक सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता सीटीयू और पोसोको के बीच पारस्परिक सहमति के बीच में विशेष वितरण के रूप में याचिकाकर्ता के साथ संयोजकता करार पर हस्ताक्षर किए जाएं। इसके अलावा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता को विद्युत प्रणाली के प्रभाव पर विचार करते हुए प्रत्येक शॉर्ट सर्किट के समक्ष डब्ल्यूआरएलडीसी के साथ सूक्ष्मता से समन्वय करना होगा जिसके लिए डब्ल्यूआरएलडीसी द्वारा समन्वयन अपेक्षित होगा अतः याचिकाकर्ता को केविआ (आरएलडीसी के फीस व प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के उपबंधों के अनुसार डब्ल्यूआरएलडीसी के “प्रयोक्ताओं” के रूप में रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया और “प्रयोक्ताओं” के रूप में एक समय रजिस्ट्रेशन प्रभार अदा करने का निर्देश दिया और पोसाको की अनुमोदित क्रियाविधि के अनुसार परीक्षण प्रभार अदा करने का निर्देश दिया। पारेषण प्रभारों के संबंध में आयोग ने यह पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता ग्रिड से किसी एमडब्ल्यू को प्राप्त नहीं करेगा अतः किसी प्रकार की पहुंच के लिए आवेदन अपेक्षित नहीं होगा। तथापि याचिकाकर्ता पूरे माह के लिए शेयरिंग विनियमों के अनुसार दस हजार एमवीए के तदनुसूची विश्वसनीयता प्रोत्साहन प्रभार उद्गृहीत होगा।

- (2) **याचिका संख्या 121/एमपी/2015 में 13.6.2016 का आदेश** : भद्रचलम तिलंगाना में फैंक्ट्री में केप्टिव उपभाग के लिए अनंतपुर जिला आंध्रप्रदेश में पवन उर्जा परियोजना में आईटीसी लि. द्वारा उत्पादित उर्जा के लिए अन्तरराज्यिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए याचिका की मांग के

मामले में।

याचिकाकर्ता आईसीटी लि. ने उक्त याचिका दाखिल की जिसमें अप्रैल से जुलाई 2015 और सितंबर 2014 के माह के लिए एसटीओ की मनाही को चुनौती दी और निर्बाध पहुंच प्रदान करने से संबंधित और निर्बाध पहुंच की मनाही से उदभूत कई मुद्दे उठाए।

आयोग ने पार्टियों की सुनवाई के बाद यह कहा कि यद्यपि केप्टिव उपभोग के लिए पावर हेतु केप्टिव उत्पादन संयंत्रों द्वारा किए जाने वाले निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन हेतु निर्धारित कोई विनिर्दिष्ट फॉर्म नहीं है तथापि संव्यवहार की किस्म द्विपक्षीय संव्यवहार के समान है इसलिए दिपक्षीय संव्यवहारों के लिए लागू फार्मेट केप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा केप्टिव उपभोग के लिए केप्टिव उत्पादन संयंत्र से विद्युत के अंतरण के लिए अल्पकालिक अन्तरराज्यिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होगा। इसके अलावा केप्टिव उपभोग के लिए पारेषण और केप्टिव उत्पादन की किस्म के संव्यवहार के लिए एसएलडीसी से सहमति अपेक्षित है और राज्य भार प्रेषण की सहमति आयोग द्वारा अनुमोदित विस्तृत क्रियाविधि में यथाप्रदत्त इस प्रकार के रूप में होगी। उस मामले में आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि राज्य आयोग ने अंतःराज्यिक इकाइयों के लिए विचलन के लिए कोई दर अधिसूचित नहीं की है जो अंतरराज्यिक विद्युत का विक्रय कर रहे हैं। अतः निर्बाध पहुंच विनियम 2008 के विनियम 20(5) में आयोग द्वारा निर्धारित दर विचलन के लिए लागू होगी।

एसटीओ आवेदन के लिए एसएलडीसी द्वारा सहमति प्रदान करने के संबंध में आयोग ने पाया कि तेलंगाना एसएलडीसी और आंध्रप्रदेश एसएलडीसी ने निर्बाध पहुंच विनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार सहमति प्रदान करने के लिए किसी आवेदन से संव्यवहार नहीं किया है। आयोग ने यह

भी पाया कि एसआरएलडीसी ने सहमति के रूप में एपीएसएलडीसी द्वारा प्रतिक्रिया की कमी पर विचार करते हुए निर्बाध पहुंच विनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं किया।

यह पाया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता की शक्ति अंतःराज्यिक और अंतरराज्यिक निर्बाध पहुंच के प्रयोजन के लिए एपट्रेन्सको के 33/132/220 केवी उपकेन्द्र से अनुसूचित की जाने वाली है। अतः एपीएसएलडीसी से याचिकाकर्ता से परामर्श करते हुए अंतरराज्यिक और अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के लिए अनुसूचित क्षमता (डब्ल्यूटीजी नहीं) अपेक्षित है और तदनुसार आवश्यक लेखा योजना को अंतिम रूप देना अपेक्षित है।

पूर्वानुमान/अनुसूचीकरण के संबंध में आयोग ने सभी पवन उत्पादकों को निर्देश दिया कि लागू विनियमों के अनुसार पूर्वानुमान/अनुसूचीकरण किया जाए और एसएलडीसी/आरएलडीसी को निर्देश दिया कि लागू विनियमों के अनुसार पवन उत्पादन के लिए पूर्वानुमान/अनुसूची की मांग की जाए।

- (3) **याचिका सं. 11/एमपी/2016 में 26.9.2016 का आदेश:** केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 110,111 और 115 के साथ पठित केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 10, 19 और 23 के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(सी)(एफ) के अधीन याचिका के मामले में

याचिकाकर्ता एनईटीएसएल ने 1.2.2012 से 31.1.2017 तक की अवधि के लिए लेंकों अनपरा "सी" से 100 मेगावाट पावर की

आपूर्ति के लिए ट्रेनगेटको सहित पीपीए में प्रवेश किया और तदनुसार मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए सीटीयू को आवेदन किया। सीटीयू ने 16.6.2013 से 31.5.2016 (36 महीने) की अवधि के लिए 6.8.2012 को मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की। चूंकि एनईटीसीएसएल को प्रदान किया गया मध्यकालिक निर्बाध पहुंच पीपीए की बकाया अवधि अर्थात (1.6.2016 से 31.1.2017) को कवर नहीं किया गया था। अतः एनईटीसीएसएल ने 1.6.2016 से 31.1.2017 की अवधि के लिए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए सीटीयू को आवेदन किया। मध्यकालिक निर्बाध पहुंच सूचना पत्र में उल्लिखित कुछ पारिषण लाइनों से आरंभ क्रमिक सहित उपलब्ध पारिषण क्षमता की वृद्धि के अध्याधीन 1.9.2016 से 31.1.2017 तक की अवधि के लिए सीटीयू द्वारा प्रदान किया गया। इसके बाद सीटीयू ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि सूचना पत्र में उल्लिखित पारिषण लाइनों के गैर उपलब्धता के कारण एनईटीसीएसएल को मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रचालनगत नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आयोग ने याचिका सं. 134/एमपी/2016 में 31.8.2016 के आदेश के माध्यम से समर्पित पारिषण लाइन की गैर उपलब्धता के कारण ग्रिड में 500 एमवी पावर का अंतःक्षेपण से इंड भारत (उत्कल) एनर्जी लि. भारत का अस्वीकृत किया और इस प्रकार अप्रयुक्त क्षमता पीपीए की शेष अवधि के लिए ट्रेनगेनको को विद्युत के संव्यवहार के लिए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अधीन याचिकाकर्ता को प्रदान की जा सकती है।

याचिकाकर्ता, पोसोको और सीटीयू की सुनवाई के बाद आयोग ने यह पाया कि किसी निश्चित सूचना के अभाव में कि इंड भारत द्वारा दीर्घकालिक पहुंच के अधीन विद्युत के गैरअनुसूचीकरण के कारण

परिणामी क्षमता तीन महीने या अधिक के लिए उपलब्ध होगी और यह क्षमता मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। फिलहाल उक्त क्षमता वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध है और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आगामी दिवस या पावर एक्सचेंज के अधीन प्रयुक्त किया जा रहा है। इस प्रकार इंड भारत द्वारा एलटीए के अधीन विद्युत के गैर अनुसूचीकरण के कारण उपलब्ध क्षमता याचिकाकर्ता के एमटीओ के प्रचालनीकरण के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। आगे आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई हेतु सीटीयू को निर्देश दिया कि उक्त पारिषण लाइनें यथासंभव आरंभ की जाएं और एनईटीएसएल का एमटीओ प्रचालनगत किया जाए। सीटीयू द्वारा एमटीओ का लंबित प्रचालनीकरण से याचिकाकर्ता एसटीओए प्रदान करने के लिए पोसोको से संपर्क कर सकता है जिसपर निर्बाध पहुंच विनियम 2008 के अनुसार और उसके अधीन विस्तृत क्रियाविधि के अनुसार पोसोको द्वारा विचार किया जाएगा।

- (4) **याचिका सं. 306/एमपी/2015 में 16.3.2017 का आदेश:** अन्तरराज्यिक पारिषण प्रणाली में दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते सीटीयू को शामिल करते हुए विवादों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका के मामले में

याचिकाकर्ता पीटीसी इण्डिया लि. ने मौजूदा याचिका दाखिल की जिसमें शेयरिंग विनियमों के कार्यान्वयन की तारीख से 300 मेगावाट से 273 मेगावाट एलटीए की मात्रा कम करने के लिए पावरग्रिड को निर्देश की मांग करते हुए मौजूदा याचिका दाखिल की और एलटीए की कमी की तारीख से वसूल की गई अतिरिक्त पारिषण प्रभार और फीस को वापिस करने के लिए मौजूदा याचिका दाखिल की।

आयोग ने पार्टियों की सुनवाई के बाद यह पाया कि याचिकाकर्ता ने एलएपीएल की पठारी टीपीएस के 300 मेगावाट की संस्थापित क्षमता से सहायक उपभोग की कटौती के बाद 273 मेगावाट के लिए एलटीओ के लिए आवेदन किया जिसे एलटीओए प्रदान करते समय अनदेखा किया गया। चूंकि याचिकाकर्ता सहायक उपभोग के निवल क्षमता के लिए आईएसटीएस में अंतःक्षेपण कर सका। अतः याचिकाकर्ता सहायक उपभोग में तदनुरूपी क्षमता के लिए पारिषण प्रभारों से भरा रहा। आयोग ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का एलटीओए/एलटीए 1.7.2011 से 300 मेगावाट से 273 मेगावाट किया जाए और बीपीटीए और टीसीए में तदनुरूपी उपबंध तदनुसार संशोधित किए जाएंगे। याचिकाकर्ता 1.7.2011 से 27 मेगावाट में तदनुरूपी पारिषण प्रभारों की वापसी के लिए हकदार होगा। आयोग ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता का मामला संयोजकता विनियम के विनियम 18 के अधीन कवर नहीं होगा और याचिकाकर्ता से आवेदन की गई क्षमता की तदनुरूपी एलटीओए मात्रा की कमी की मांग के लिए कोई अधित्याग प्रभार अदा करना अपेक्षित नहीं होगा।

- (5) वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रिड अनुशासन के प्रवर्तन और मॉनिटरिंग के लिए आयोग द्वारा निपटाई गए अन्य याचिकाएं जिसमें याचिका सं. 205/MP/2011, 163/MP/2012, 135/MP/2014, 249/MP/2015, 449/MP/2014, 117/MP/2015, में याचिका सं. 98/MP/2014, 304/MP/2015, 226/MP/2015, I.A. 34/2015 & 5/2016 यह शामिल है।

घ. आईएसटीएस पारिषण प्रभारों और हानियों की शेरिंग :

- (क) याचिका संख्या 239/एमपी/2015 में 30.6.2016 का आदेश: याचिकाकर्ता असम

पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि. और असम विद्युत ग्रिड कार्पोरेशन लि. ने मौजूदा याचिका दाखिल की जिसमें केविआ (आईएसटीएस प्रभारों की हानि और शेरिंग) तीसरा संशोधन, विनियम 2015 के कार्यान्वयन के अनुसरण में असम के पीओसी बिलों में असामान्य वृद्धि के घटक और पुनरीक्षण व जांच की मांग की और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के अनुसार वहनीय लागत पर विद्युत की आपूर्ति के लिए अधिनिर्णय की पूर्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के लिए इस प्रकार के असामान्य वृद्धि को दूर करने के लिए उपचारी उपाय किए।

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि एकसमान प्रभार, 9 स्लेबों की शुरुआत, औसत आहरण में शीर्ष वापसी जैसे विषयों के कारण असम के संबंध में पीओसी प्रभारों में असामान्य वृद्धि के घटक रहे हैं।

याचिकाकर्ता, आरपीसी, पावरग्रिड और पोसाको की सुनवाई के बाद आयोग ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गए मुद्दे पर शेरिंग विनियम पर तीसरे संशोधन में कारणों के विवरण में विचार किया गया है। एकसमान प्रभारों के मुद्दे को देखने की अब कोई अपेक्षा नहीं है जिसे विद्युत के प्रवाह की मात्रा और दिशा, दूरी पर आधारित पीओसी प्रभारों की शुरुआत करते हुए प्रतिस्थापित करने की मांग की गई है। इसके अलावा तीन स्लेबों के स्थान पर नौ स्लेबों की शुरुआत के साथ पारिषण प्रभार अब पारिषण प्रणाली के वास्तविक प्रयोग के अनुसार वितरित किए गए हैं।

असम में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र की गैर उपलब्धता और भौगोलिक स्थान के संबंध में आयोग ने यह पाया कि शेरिंग विनियम के अधीन पीओसी तंत्र की मूलभूत दार्शनिकता प्रयोग आधारित है। यदि असम राज्य आईएसटीएस से अधिक उर्जा ले रहा है तो

इसे पीएससी प्रभारों के लिए अदा करना होगा जो राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट है।

(ख) **याचिका संख्या 10/एसएम/2014 में 30.6.2016:** केविविआ (आईएसटीएस प्रभारों की हानि और शेयरिंग) के विनियम 8(6) का गैर अनुपालन।

आयोग ने 20.6.2014 के आदेश के माध्यम से यह पाया कि उडुपी उत्पादन परियोजना, एसआर (कर्नाटक) को 845 मेगावाट पावर की आपूर्ति के लिए और एनआर (पंजाब) को 94 मेगावाट पावर के लिए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2004 के अनुसार 6.11.2006 के आवेदन के लिए एलटीए प्रदान किया गया लेकिन बीपीटीए आज तक हस्ताक्षर नहीं किया गया है। एलटीए प्रदान करने से संबद्ध पारेषण प्रणाली में नजदीकी आईएसटीएस प्वाइंट अर्थात् पावरग्रिड का 400/220 केवी असम उपकेन्द्र तथा हसन मैसूर 400 केवी डी/सी लाइन के रूप में प्रणाली सुदृढीकरण में उत्पादन स्विचयार्ड से समर्पित पारेषण लाइन भी शामिल है।

शेयरिंग विनियम 2009 के विनियम 8(6) के अनुसार दीर्घकालिक हिताधिकारी (कर्नाटक और पंजाब मामले में) को प्रणाली के लिए पारेषण प्रभार अदा करना है। यूपीसीएल से एलटीए मात्रा पीओसी में शामिल नहीं की गई है। अतएव यूपीसीएल की तदनुसूची अंतःक्षेपण और निकासी प्रभार दोनों की पीओसी संगणना के लिए विचार नहीं किया जा रहा है जिससे सभी उपभोक्ताओं के लिए उच्चतर एकसमान प्रभार है जो यूपीसीएल द्वारा प्रयुक्त पारेषण प्रणाली की लागत को समाजकृत कर रहा है। आयोग ने यह भी पाया कि मामले को एसआरपीसी फोरम में कई बार विचार किया गया लेकिन अभी तो कोई भी समाधान नहीं हुआ। इसके अलावा संघटकों ने वैधता समिति बैठक में कभी कोई

चिंता प्रकट नहीं की। इस प्रकार केपीटीसीएल और पीएसपीसीएल शेयरिंग विनियम 2009 को के विनियम 8(6) के अनुसार पारेषण प्रभार अदा नहीं कर रहे हैं और सभी अन्य डीआईसी पर इस कारण से भार बना हुआ है।

30.6.2016 के आदेश के माध्यम से आयोग ने यह पाया कि कर्नाटक के एसकॉम को सीटीयू द्वारा प्रदान किया गया एलटीए 1.7.2011 से अर्थात् 400 केवी हसन-मैसूर डी/सी पारेषण लाइन के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रचालनीकृत माना जाएगा। चूंकि कर्नाटक एसकॉम अपने शेयर के तदनुसूची तथा पीसीपीसीएल का शेयर के अनुरूप यूपीसीएल से उर्जा की निकासी कर रहे हैं अतः वे कर्नाटक और पीएसपीसीएल दोनों को एलटीए मात्रा के लिए पीओसी अंतःक्षेपण प्रभार अदा करने के लिए उत्तरदायी होंगे और पीएसपीसीएल को प्रदान एलटीए मात्रा के लिए पीओसी निकासी प्रभार के लिए दायी होंगे। यूपीसीएल के लिए प्रतिदेय पीओसी स्लेब दर संगत आवेदन अवधि के लिए लागू दक्षिण क्षेत्र के लिए कम से कम अंतक्षेपण स्लेब दर होगी। वे 1.7.2011 से 30.4.2015 तक की अवधि के लिए लागू होगी। 1.5.2015 से यथासंशोधित शेयरिंग विनियम के विनियम 2.8.1(ए) के उपबंध लागू होंगे। पीएसपीसीएल ने तीन वर्षों की अवधि के लिए यूपीसीएल को अस्थायी रूप से पावर अभ्यर्पित की है। यूपीसीएल के निपटान पर 18.5 मेगावाट की अबद्ध क्षमता भी है। इस प्रकार पावर का क्रेता विनियम के अनुसार पीओसी प्रभार अदा करने का दायी होगा। यदि 18.5 मेगावाट अबद्ध नहीं की जाती तो पीओसी प्रभार यूपीसीएल द्वारा वहन किए जाएंगे। पीजीसीआईएल को टीएसए के हस्ताक्षर के लिए कर्नाटक एसकॉम एवं पीएसपीसीएल की असफलता के मामले में समूचे निर्देश के लिए आयोग से संपर्क करना

चाहिए चूंकि एसआरपीसी के प्रयास से परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। 400 केवी हसन-मैसूर डी/सी पारेषण लाइन को हस्तक्षेपकारी पारेषण सुविधा के रूप में विचार नहीं किया जा सकता चूंकि इसे आईएसटीएस के रूप में विकसित किए जाने वाले दक्षिण क्षेत्र के संघटकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार केविविआ (हस्तक्षेपकारी पारेषण सुविधाओं की दरें, प्रभार और निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 इस मामले में लागू नहीं होगा।

- (ग) वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रिड अनुशासन के प्रवर्तन और मॉनिटरिंग के लिए आयोग द्वारा निपटाई गए अन्य याचिकाएं जिसमें याचिका सं. 79/MP/2016, 43/MP/2016, 35/MP/2016, 155/MP/2016, 143/MP/2015 शामिल है।

ड. पारेषण आस्ति के कार्यान्वयन के लिए विनियामक अनुमोदन

भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के उन्नयन के लिए सौर पार्क स्थापित करने की योजना की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 12.12.2014 के पत्र के माध्यम से 2014-15 से 2018-19 की पांच वर्ष की अवधि में सौर ऊर्जा की 20,000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता से अधिक के लक्ष्य सहित देश के विभिन्न भागों में कम से कम 25 सौर पार्कों की स्थापना के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार की सूची प्रेषित की है। जहां तक पारेषण और निकासी सुविधा का संबंध है एमएनआरई ने बताया है कि एक या अधिक पूलिंग स्टेशनों से ऊर्जा के लिए निकट के सौर पार्क उपकेन्द्रों की स्थापना का उत्तरदायित्व सीटीयू या एसटीयू का केन्द्रीय/राज्य आयोग द्वारा अधिसूचित विभिन्न विनियमों में निर्धारित आवश्यक तकनीकी और वाणिज्यिक क्रियाविधि के अनुपालन के बाद होगा। तदनुसार सीटीयू ने क्रमशः याचिका संख्या 36/एमपी/2016 और 143/एमपी/2016 के माध्यम से गुजराज राज्यों में बन्सकन्ता (रदनेशदा) और कर्नाटक राज्यों में टूमकूर (पवगदा) में सौर

पार्कों से संबद्ध पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन के लिए आयोग से सम्पर्क किया।

आयोग ने याचिका संख्या 36/एमपी/2016 में दिनांक 19.08.2016 के आदेश के माध्यम से 2000 मेगावाट सौर पार्क से संबद्ध पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन विनियमों के विनियम 3 के अधीन विनियामक अनुमोदन की सहमति दी। इसके अलावा 700 मेगावाट सौर पार्क से संबद्ध पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन याचिका सं. 143/एमपी/2016 में 30.03.2017 के आदेश के माध्यम से प्रदान किया।

सौर पार्क में उत्पादन परियोजना से मिलान करती हुई पारेषण प्रणाली के विकास के संबंध में आयोग ने एसपीपीडी से समन्वय के लिए सीटीयू को निर्देश दिया जो आंतरिक पारेषण प्रणाली के विकास के लिए उत्तरदायी है। सीटीयू को उक्त आदेश के अनुबंध के अनुसार तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

सौर उत्पादन के आरंभ में विलंब के कारण पारेषण प्रभारों की वसूली के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि सौर ऊर्जा उत्पादकों के आरंभ में विलंब के लिए पारेषण प्रभारों को केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2015 और केविविआ (केन्द्रीय पारेषण कंपनी को अन्तरराज्यिक पारेषण योजना के कार्यनिष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 के कारणों के विवरण के अनुसार इस प्रकार के सौर उत्पादकों/एसपीपीडी द्वारा अदा किया जाएगा।

(च) पारेषण अनुज्ञप्ति

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में यह व्यवस्था है कि उपयुक्त आयोग धारा 15 के अधीन इसे किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति

प्रदान कर सकता है (क) पारेषण अनुज्ञप्ति के रूप में विद्युत के पारेषण के लिए या (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत के संवितरण के लिए या (ग) विद्युत व्यापार के रूप में विद्युत में व्यापार के लिए।

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग ने कई आदेशों के माध्यम से कई कंपनियों को पारेषण अनुज्ञप्तियां प्रदान की जो अधिनियम के धारा 63 के अधीन "पारेषण सेवा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली और पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतियोगिता के प्रोत्साहन के लिए मार्ग निर्देश" तथा "पोरषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा मार्ग निर्देश" के अनुसार पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ओडिसा उत्पादन फेस 2 ट्रांसमिशन लि. (67/टीएल/2016), खरगोन ट्रांसमिशन लि. (157/टीएल/2016), एन.आर.एस.एस XXXVI ट्रांसमिशन लि. (161/टीएल/2016), वरौरा कुरनूल ट्रांसमिशन लि. (111/टीएल/2016), गुडगांव पलवल ट्रांसमिशन सिस्टम लि. (122/टीएल/2016), नोरथ कर्णपूरा ट्रांसको लि. (116/टीएल/2016) जैसी कंपनियों को दिए गए।

छ. पारेषण टैरिफ का अंगीकार

अधिनियम, 2003 की धारा 63 में यह व्यवस्था है कि उपयुक्त आयोग टैरिफ को अपनाएगा यदि इस प्रकार का टैरिफ केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शिता प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

आयोग ने 2016-17 के दौरान आयोग ने कई आदेशों के माध्यम से ओडिसा उत्पादन फेस 2 ट्रांसमिशन लि. (66/एडीपी/2016), खरगोन ट्रांसमिशन लि. (156/एटी/2016), एन.आर.एस. एस XXXVI ट्रांसमिशन लि. (162/टीएल/2016), वरौरा कुरनूल ट्रांसमिशन लि. (112/एटी/2016), गुडगांव पलवल ट्रांसमिशन लि. (120/टीएल/2016), नोरथ कर्णपूरा ट्रांसको लि. (121/एटी/2016) के संबंध में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से निर्धारित पोरषण टैरिफ अपनाया गया।

ज. स्वप्रेरणा याचिका:

- (1) **याचिका संख्या 8/एसएम/2015 में आदेश दिनांक 31.5.2016** : केविआ (भारतीय विद्युत कोड) विनियम 2010 के विनियम 5.2 (ओ) के गैर अनुपालन के संबंध में सदस्य सचिव एनआरपीसी के रिपोर्ट 24.6.2015 के आधार पर आयोग ने 31.7.2015 के आदेश के माध्यम से समय-समय से यथासंशोधित केविआ (भारतीय विद्युत कोड) विनियम 2010 (ग्रिड कोड) के विनियम 5.2 (ओ) के उपबंधों के गैर अनुपालन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन प्रत्यर्थियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया।

आयोग ने एनआरएलडीसी, एनएलडीसी, एनआरपीसी, पीजीसीआईएल और एनआरके संघटकों की निवेदनों पर विचार करने के बाद 31.5.2016 के आदेश के माध्यम से आयोग ने इन निर्देशों की अवहेलना और ग्रिड कोड के उपबंधों की अवहेलना के लिए विशेष रूप से जहां ग्रिड सुरक्षा शामिल है, करने के लिए एचबीपीएनसी और पीएसटीसीएल के आचरण पर अप्रसन्नता व्यक्त की। आयोग ने बताया कि ऐसे कोई शमनकारी घटक नहीं है जो अधिनियम की धारा 142 के अधीन आरंभ प्रभारों से एचबीपीएनएल और पीएसटीसीएल को बाहर करते हैं। प्रत्यर्थियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित किए गए और तदनुसार पीएसटीसीएल, पंजाब और एचबीपीएनएल हरियाणा के प्रत्येक प्रधान पर प्रत्येक पर एक लाख रुपये का दण्ड लगाया गया।

आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए पीएसपीटीसीएल, एचबीपीएनएल, आरआरबीपीएनएल, यूपीपीटीसीएल और बीबीएम को निर्देश दिया कि लक्ष्य भार राहत मौक परीक्षण के दौरान और वास्तव में 765 केवी आगरा-ग्वालियर पारेषण लाइन एसपीएसयोजना के प्रचालन के लिए प्रत्येक

समय उपलब्ध करवाई गई है कि वे आदेश के जारी करने के 6 महीने के बाद मौक परीक्षण के दौरान तथा वास्तव में 765 केवी आगरा-ग्वालियर पारेषण लाइन की एसपीएस योजना के प्रचालन के दौरान पाई गई किसी कमी के ब्योरे सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

- (2) **याचिका संख्या 9/एसएम/2014 और 10/एसएम/2015 में आदेश दिनांक 5.8.2015 : 30.5.2014 को उत्तरी क्षेत्र में भार क्रेष और टावर के ढहने की जांच और अप्रैल 2015 से जून 2015 (2015-16 की पहली तिमाही) के दौरान उत्तरी क्षेत्र में टावर ढहने के कारण लाइन आउटेज की जांच।**

सीईए की वेबसाइट से उपलब्ध सूचना के आधार पर आयोग ने 19.6.2014 के माध्यम से आयोग ने 30.5.2014 को पारेषण लाइनों के ट्रिपिंग और पारेषण टावरों के ढहने के प्रभावों में जांच के लिए पावरग्रिड को निर्देश दिया और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा एनएलडीसी द्वारा प्रस्तुत अप्रैल से जून 2015 की तिमाही (2015 की प्रथम तिमाह) के लिए "पारेषण दबावों पर प्रचालनगत फीडबैक" पर रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने पाया कि टावर ढहने की बढ़ती घटनाओं पर पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता है और सीईए ओरसीटीयू को निर्देश दिया कि 2015 की प्रथम तिमाही के दौरान टावर ढहने की घटनाओं की जांच की जाए और टावर ढहने के कारणों को शामिल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

सीईए, सीटीयू, पोसोको द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने और टावर की असफलता पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति की सुनवाई के बाद यह पाया कि प्रयोग किए गए सदस्यों की संख्या के संबंध में निर्माण या

डिजाइन में कमी, सदस्यों/बोल्ट इत्यादि की मोटाई या सामग्री की किस्म के संबंध में कुछ कमी रही हो और इस प्रकार पीजीसीआईएल को टावर असफलता के वैयक्तिक मामलों पर केन्द्रीत करने के स्थान पर स्थितियों को ठीक से देखने की आवश्यकता है। परिवर्तित पवन, ढांचे, ओएण्डएम पद्धतियां और काम का पहलू तथा प्रयुक्त सामग्री पर विचार करते हुए टावर डिजाइन की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। आयोग ने ठीक से तत्काल प्रभाव से टावर की असफलता पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए पीसीसीआईएल को निर्देश दिया। पीसीसीआईएल को निर्देश दिया कि आदेश की जारी होने की तारीख से तीन महीनों के अंदर अपने सभी उपकेन्द्रों में एनीमूमीटर की स्थापना का रोडमैप प्रस्तुत करें।

आयोग ने यह भी पाया कि टावर ढहने के कारणों को स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच करने की आवश्यकता है जो विशेष रूप से मौजूदा टावरों के सुदृढीकरण और टावर डिजाइन के संदर्भ में अनुसंधान संस्था या शैक्षणिक महत्व रखती हो ताकि टावर असफलता से बचा जा सके और स्टाफ को निर्देश दिया कि वे शीघ्रता से कार्य करें और अपेक्षित क्रियाविधि के अनुपालन के बाद यथाशीघ्र स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपा जाए।

- (3) **याचिका संख्या 8/एसएम/2016 में आदेश दिनांक 6.5.2016 :** आयोग ने 6.5.2016 के आदेश के माध्यम से यह पाया कि 2014 टैरिफ विनियमों के विनियम 7 के अनुसार उत्पादन कंपनियों और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापिधारियों से आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संगत टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ के पुनरीक्षण/या/और उदाहरण के लिए आवेदन दाखिल करना अपेक्षित है और यह उक्त विनियमों के अनुबंध के रूप में संलग्न

फॉर्मेट के अनुरूप हो। तथापि टैरिफ के अवधारण/ट्रूअप के दाखिल अधिकांश याचिकाओं में उत्पादन कंपनियों/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ विनियमों के अनुसार अपने दावे के औचित्य में समर्थनकारी दस्तावेज सहित पूर्ण सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं। तदनुसार पत्र पूर्ण सुनवाई अवस्था में जारी किए जाते हैं और निर्देश कार्यवाहियों के रिकॉर्ड या अपेक्षित सूचना दाखिल करने के लिए उत्पादन कंपनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को अंतरिम आदेश के माध्यम से आयोग को जारी किए जाते हैं। प्रायः उत्पादन कंपनियों/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपेक्षित सूचना दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हैं। चूंकि अपेक्षित सूचना प्रत्यर्था हिताधिकारियों को प्रतियां सौंपने के बाद दाखिल की जानी होती है। अतः प्रत्यर्था हिताधिकारी अपनी प्रतिक्रियाओं को दाखिल करने के लिए समय की अपेक्षा रखते हैं। इसके परिणामतः टैरिफ याचिकाओं की अंतिम सुनवाई में विलंब होता है जिससे टैरिफ याचिकाओं के निपटान में विलंब होता है।

उत्पादन कंपनियों/पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया कि अपेक्षित सूचना टैरिफ याचिकाओं के साथ दाखिल की गई है। टैरिफ याचिकाओं के मामले में जिन्हें पहले दाखिल किया गया है लेकिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है वहां उत्पादन कंपनियों/पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के अंदर अपेक्षित सूचना दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

6.8 वर्ष 2016–17 के दौरान सरकार को सांविधिक सलाह

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(2) में शामिल उपबंधों के अनुसार केविविआ को राष्ट्रीय

विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति, प्रतिस्पर्धा, विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, कार्यशुलता और मितव्ययिता का विकास, विद्युत उद्योग में निवेश का उन्नयन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को लिखित अन्य मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सूचित करने का अधिदेश है। इन उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय आयोग ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित महत्व के विभिन्न 25 विषयों पर केन्द्र सरकार को सूचित की है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान केविविआ ने टीबीसीबी रूट और विद्युत के व्यापार के लिए कुशल और मितव्ययी ढंग से पारेषण क्षमता के विकास के लिए सरकार को सलाह दी है।

6.9 2016–17 के दौरान अन्य गतिविधियां

6.9.1 राजभाषा का कार्यान्वयन और प्रोत्साहन

2016–17 के दौरान केविविआ राजभाषा के कार्यान्वयन, उन्नयन और प्रोत्साहन के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया।

माननीय अध्यक्ष केविविआ की अध्यक्षता में हिंदी पखवाड़ा 01.09.2016 से 14.09.2016 तक आयोजित किया गया। एक वाद-विवाद प्रतियोगिता दिनांक 08.09.2016 को आयोजित की गई। दिनांक 18 जनवरी, 2017 को प्ररनोत्तरी विजय प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें विधि, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, प्रशासन, वित्त, साहित्य, कला, राजभाषा नीति और प्रशासनिक शब्दावली से संबंध प्रश्नों को शामिल किया गया। दिनांक 16 फरवरी, 2017 को कम्प्यूटर में हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम सचिव, केविविआ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। दिनांक 23.11.2016 को हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें दो प्रतिष्ठित कवियों को आमंत्रित किया गया। सचिव केविविआ और केविविआ के कई वरिष्ठ अधिकारी और स्टाफ सदस्य इस अवसर पर उपस्थित रहे।

इसके अलावा हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठके क्रमशः 11.05.2016, 09.08.2016, 20.11.2016 और 20.02.2017 को आयोजित की गई जिसमें वर्ष की प्रत्येक तिमाही के

दौरान की गई प्रगति की समीक्षा की गई और शासकीय व्यवहारों में हिंदी के प्रयोग की योजनाओं को तैयार किया गया।

6.9.2 आंतरिक हिंदी पत्रिका “सौदामनी”

आयोग आंतरिक पत्रिका सौदामनी हिंदी में प्रकाशित करता है। इस पत्रिका में अवधि के दौरान आयोग में आयोजित सेमिनारों, कार्यशालाओं, बैठक/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा आयोग में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों (अर्थात् निबंध, लेख, कविताएं इत्यादि) को प्रकाशित किया जाता है। इस मैगजीन में मुख्य रूप से आयोग में आयोजित राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाले सभी कार्यक्रमों को प्रमुखता से शामिल किया जाता है।

6.9.3 स्वच्छ भारत अभियान

“स्वच्छ भारत अभियान” के संबंध में विभिन्न गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित की गईं। अनुच्छेद लेखन, वार्ता इत्यादि सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों/स्टाफ ने भाग लिया और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। केविविआ परिसर में स्वच्छता अभियान कार्यान्वित किया गया जिसका लक्ष्य रिकार्ड का बेहतर प्रबंधन, कार्यस्थल व वातावरण इत्यादि को ठीक करना रहा।

6.9.4 वार्षिक दिवस व्याख्यान

आयोग केविविआ का वार्षिक दिवस मनाने के लिए “वार्षिक दिवस व्याख्यान माला का आयोजन करता है जिसमें प्रत्येक वर्ष वार्षिक दिवस व्याख्यान के लिए प्रतिष्ठित वक्ता को आमंत्रित किया जाते हैं ताकि केविविआ के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ वक्ता के विचारों और अनुभव के आदान प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया जा सके जिसे उसके बाद में प्रकाशित किया जाएगा। आयोग ने 25.07.2016 को अपना 18वां वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर श्री बिबेक देबराय, सदस्य नीति आयोग ने विद्युत

क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों पर केन्द्रीत करते हुए राष्ट्र निर्माण में बुनियादी ढांचे के महत्व पर वार्षिक दिवस व्याख्यान प्रस्तुत किया।

6.9.5 सीसीएमएस (ईकोर्ट) की स्थापना के लिए पहल

प्रणाली को सूचना की पहुंच के लिए कुशल, मितव्ययी और प्रभावी ढंग सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय उपाय के रूप में आयोग ने “नेटवर्क समेकन के माध्यम से “सौदामनी” को आरंभ किया। इस प्रणाली में परंपरागत ई-फाइलिंग और ई-हियरिंग साफ्टवेयर के नियोजन को शामिल किया गया। नई प्रणाली का उद्देश्य डिजिटीकृत याचिकाओं/उत्तरों/अनुस्मारकों/टिप्पणियों/आपत्तियों आदि की फाइलिंग को प्रोत्साहित करना है ताकि स्टैकहोल्डरों इत्यादि को संगत मामलों के अद्यतन स्थिति प्रदान करने के लिए एसएमएस/ईमेल सेवाओं का प्रयोग करते हुए परंपरागत रिपोर्टों के उत्पादन, डिजिटीकृत याचिकाओं, आरओपी की पहुंच की व्यवस्था की जा सके। इस प्रणाली से समन्वित लोचशील, गतिशील डाटाबेस विकसित करने के लिए आयोग को समर्थ करने की आशा है जो विभिन्न डाटा विश्लेषण उपकरणों का प्रयोग करते हुए निर्णय लेने के लिए आयोग को समर्थ बनाएगा। इस प्रणाली के भाग के रूप में ई-रजिस्ट्रेशन, ई-फाइलिंग और ई-प्लीडिंग मॉड्यूल आरंभ किए गए हैं।

6.9.6 केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति

केन्द्रीय परामर्श समिति की बैठक 18.04.2016 को आयोजित की गई जिसमें “विद्युत बाजार के विकास” पर ध्यान केन्द्रित किया गया। बैठक के दौरान सीएसी ने इन विषयों पर विचार विमर्श किया। (i) नवीकरणीय उर्जा क्षमता/उर्जा संरक्षण/उपभोक्ता मांग इत्यादि की पृष्ठभूमि में कंपनियों द्वारा कंट्रेक्टिंग पावर में मौजूदा संरचना/पद्धति। (ii) पारेषण बुनियादी ढांचा, पारेषण प्रभारों और हानियों के अवधारण के लिए विनियामक सिद्धांतों, बाजार पहुंच के लिए नियमावली इत्यादि सहित विद्युत बाजारों के लिए

सरल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। (iii) सहायक सेवाएं, नवीकरणीय उर्जा समेकन/आरपीओ/आरईसी, मौजूदा उपलब्ध क्लियरिंग और व्यवस्थापन तंत्र, निर्बाध पहुंच फ्रेमवर्क, पावर एक्सचेंजों पर मौजूद उपलब्ध सीमित उत्पाद रेंज के कारण मौजूद उपलब्ध उत्पादों में वृद्धि में नए उत्पाद बाजारों की अपेक्षा। (iv) उत्पादकों और क्रेताओं को उपलब्ध मौजूदा बाजार फ्रेमवर्क के अतिरिक्त अन्य सरल फ्रेमवर्क की अपेक्षा।

केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति निम्नलिखित बिंदुओं पर एकमत रही:

क. दीर्घकालिक और मध्यकालिक विद्युत क्रय कांट्रेक्टों की अवधि कई दशक पीछे स्थापित की गई और चूंकि तत्कालिक विद्युत बाजार में कई परिवर्तन रहे। इसलिए दीर्घकालिक/मध्यकालिक विद्युत क्रय कंट्रेक्ट की अवधि पर विचारविमर्श आवश्यक



था और विद्युत बाजार तथा भावी विकास के परिवर्तित परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच आवश्यक थी।

ख. यह पाया गया कि स्टैकहोल्डरों को पारिषण क्षमता/पारिषण क्षमता के अनुसार पारदर्शिता की कमी का अनुभव कर रहे हैं जिससे उनके द्वारा सूचित निर्णय से बचा गया और बदले में संकुलता से छुटकारा मिला। इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए गए और स्टैकहोल्डरों को

उपयुक्त निर्णय लेने में मदद हो।

ग. यह भी पाया गया कि बाजार में अपनाई गई गुण क्रम की पारिषण प्रणाली को यह समझने के लिए जांच की आवश्यकता है कि क्या ये प्रणाली परिवर्तित बाजार परिदृश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है या तंत्र में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि बाजार को अधिक जवाबदेह बनाया जा सके और समूची प्रणाली कुशलता में विकास किया जा सके।

घ. यह भी अनुभव किया गया कि कई छोटे

विनियामक हस्तक्षेप विभिन्न स्तरों पर लिया जाना अपेक्षित है ताकि प्रणाली स्टेकहोल्डर को मित्रवत् बनाया जा सके और विद्युत बाजार में विभिन्न उत्पादों में कारोबार की मात्रा का विस्तार किया जा सके।

6.9.7 विनियामक फोरम (FOR), भारतीय विनियामक फोरम (FOIR) और दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम (SAFIR) की गतिविधियां

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से विद्युत मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है। इस फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं। विद्युत क्षेत्र में विनियामकों के एकीकरण का मुख्य उद्देश्य केविविआ, एससीआरसी और जेईआरसी द्वारा तैयार किया गया है। विनियामक फोरम ने विभिन्न बैठकों के दौरान विस्तृत जांच के बाद विभिन्न विषयों पर सरकार को सिफारिशें उपलब्ध करवाईं। केविविआ एफओआर को सचिवीय सेवा प्रदान करता है। विनियामक फोरम की 5 बैठकें 2016-17 के दौरान आयोजित की गईं जिनमें विभिन्न विषयों पर

विचार-विमर्श किया गया और सिफारिशों की गईं। अध्यक्ष केविविआ/विनियामक फोरम तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग, और अध्यक्ष पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने कंपेंडिया के सभी खण्डों और अध्ययन रिपोर्टों को रिलीज किया। विनियामक फोरम ने वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित अध्ययनों को पूरा किया:

- क. वितरण हानि में कमी कंपनियों के लिए उत्तम पद्धतियां और रणनीतियां
- ख. सीजीआरएफ और ओमडसमैन की कार्यप्रणाली की समीक्षा

निम्नलिखित सतत अध्ययन है:

- क. लागत जमा टैरिफ की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ-विवेचनीय विश्लेषण
- ख. ग्रिड पर विद्युत वाहन के प्रभाव पर अध्ययन

विनियामक फोरम विद्युत क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर विनियामक आयोग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। "एफओआर" विद्युत क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर विनियामक आयोग के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :

क्र.स.	कार्यक्रम के ब्यौरे	आयोजन स्थल	आयोजन की अवधि
1.	विनियामक आयोग के अधिकारियों के लिए दसवां क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	सिंगापुर में विदेशी संघटक आईआईटी कानपुर द्वारा देशी संघटक	13-20 अक्टूबर 2016
2.	"सीजीआरएफ के अधिकारियों एवं ओमडसमैन के लिए उपभोक्ता हित के संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीटीआई, फरीदाबाद	17-18 नवंबर 2016
3.	विनियम के विधिक पहलुओं पर प्रशिक्षण	एनपीटीआई, फरीदाबाद	12-13 जनवरी 2017

आयोग भारतीय विनियामक फोरम को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है जिसमें न केवल अध्यक्ष शामिल हैं बल्कि विद्युत विनियामक आयोगों के और अन्य विनियामकों जैसे टीएमपी, पीएनजीआरबी, सीसीआई, ईआरए जैसे अन्य विनियामक प्राधिकरणों के सदस्य भी शामिल हैं।

एफओआईआर को भारत में विभिन्न आधारभूत क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुभवों के शेयर के लिए प्लेटफार्मों के रूप में मूल रूप से स्वीकार किया गया है। फोरम विनियामक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया में है। एफओआईआर अपने सदस्यता आधार के विस्तार में कार्य कर रहा



है। केविविआ के अध्यक्ष श्री गिरीश प्रधान को अध्यक्ष, एफओआईआर एवं पीएनजीआरबी, श्री कृष्णन की अवधि पूरी होने के बाद 17 अगस्त, 2016 से अध्यक्ष, एफओआईआर के रूप में चयन किया गया। एफओआईआर की 42वीं और 43वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक नई दिल्ली और अहमदाबाद में 16 सितंबर, 2016 और 11 जनवरी, 2017 को आयोजित की गई। एफओआईआर की 17वीं और 18वीं वार्षिक जनरल बॉडी की बैठक पांडिचेरी में 24 जून, 2016 को आयोजित की गई। एफओआईआर ने गोवा में 03 फरवरी, 2017 को कार्यशाला भी आयोजित की।

साफिर वर्ष 1999 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है जो संबद्ध अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा इस क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों, क्षेत्र के बुनियादी विनियामकों के नेटवर्क के रूप में (जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं) जो क्षेत्र में सक्रिय है। सदस्यों की 4 श्रेणियां हैं अर्थात् शैक्षणिक संस्थाएं, उपभोक्ता निकाय/एनजीओ, कारपोरेट/कंपनियां और विनियामक निकाय हैं। इसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना विनियामक सुधार प्रक्रियाओं और

अनुभवों से संबंधित डाटा बैंक उपलब्ध करवाना, जानकारी और विशेषज्ञता का लाभप्रद विनिमय करना तथा विश्व सर्वोत्तम पद्धतियों का तत्परता से कार्यान्वयन करना है।

मौजूदा स्थिति में श्री गिरीश भा. प्रधान, अध्यक्ष केविविआ सीईओ भूटान विद्युत प्राधिकरण श्री संद्रुप के थिनले की अवधि पूर्ण होने के बाद साफिर के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2016-17 में साफिर ने अपने सदस्य के लिए विभिन्न उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण और ज्ञान देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए। साफिर की 11वीं कार्यकारी समिति की बैठक नई दिल्ली में 27 मई, 2016 को आयोजित की गई जबकि कार्यकारी समिति की 12वीं बैठक जयपुर में 12 नवंबर, 2016 को आयोजित की गई।

6.9.8 सेमीनार / सम्मेलन / प्रशिक्षण / विनिमय कार्यक्रम

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और स्टाफ की सेमीनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/संयंत्र दौरा/विनिमय कार्यक्रमों में उपस्थिति **अनुबंध-X** और **अनुबंध-XI** में दिए गए हैं।

7

उपभोक्ताओं के लाभ
तथा क्षेत्र के विकास
के लिए विनियामक
प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

7. उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

क. उपभोक्ताओं के लाभ

केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से एक नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना है जिनमें वे उपभोक्ता तथा प्रदायकर्ता शामिल हैं जो सभी स्टेक होल्डरों के प्रति उचित और पारदर्शी और तटस्थ रवैया अपनाते हैं। उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा उपायों के लिए केविविआ द्वारा शुरू की गई पहल निम्नानुसार है:

1. ग्रिड प्रचालन की सुरक्षा

क. ग्रिड नियंत्रण के लिए सतत प्रयासों से बेहतर ग्रिड फ्रिक्वेंसी और ग्रिड प्रचालन हुआ। इसमें उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।

2. बाजार मॉनिटरिंग

क. अल्पकालिक बाजार कीमते स्थिर रही। अल्पकालिक संव्यवहारों में 119.23 बिलियन यूनिट को स्पर्श किया जिससे पिछले वर्ष से 4 बिलियन यूनिट की वृद्धि हुई। पावर एक्सचेंजों पर औसत आगामी दिवस कीमत प्रति यूनिट 2.50 रुपये पर स्थिर रहा। निम्नतर थोक बिक्री कीमते (अल्पकाल के माध्यम से) का उपभोक्ता टैरिफ पर नरम प्रभाव रहा।

3. हरित ऊर्जा का उन्नयन

क. ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य सहित परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा के समाकलन के लिए प्रभावी विनियामक फ्रेमवर्क।

ख. उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित वातावरण के लिए विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करना।

ख. क्षेत्र का विकास

क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

1. नवीकरणीय ऊर्जा पर बल

क. पवन एवं सौर तकनीक के लिए पूर्वानुमान और अनुसूचीकरण तथा विचलन के लिए फ्रेमवर्क का लक्ष्य परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बनाए रखना है।

2. ग्रिड अनुशासन

क. फ्रिक्वेंसी बैंड को कड़ा करने और ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के माध्यम से ग्रिड प्रचालन में अनुशासन सुनिश्चित करने के सतत प्रयास।

ख. पहल से ग्रिड प्रचालन की सुरक्षा आसान बनाया गया जो उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं सहित सभी स्टेकहोल्डरों के हित में है।

3. बाजार विकास

क. सहायक सेवा प्रचालन के माध्यम से आयोग ने ग्रिड सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परवर्ती एवं भार संचालन के लिए अनुपूरक बाजार तंत्र को सरल किया।

ख. आयोग ने पावर एक्सचेंजों पर बाजार सत्र के विस्तार को अनुमति दी जिससे बाजार की आकस्मिता आवश्यकताओं का प्रबंधन किया गया और उनकी बेहतर प्रणालियों के संतुलन की अनुमति दी गई।

8

**वर्ष 2016–17
के दौरान जारी
की गई अधिसूचनाएं**

8. वर्ष 2016–17 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	राजपत्र तारीख	विनियम
1.	162	6.4.2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016
2.	201	6.5.2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016
3.	237	30.5.2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों में लेन-देन के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2016
4.	279	5.7.2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016
5.	280	5.7.2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रभारों की शेयरिंग व हानियाँ) विनियम, 2010 को अनुसरण में अधिसूचना
6.	46	30.1.2017	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017
7.	98	17.02.2017	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में सयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (छठा संशोधन) विनियम, 2017

9

**वर्ष 2017–18
के लिए
कार्यसूची**

9. वर्ष 2017-18 के लिए कार्यसूची

- क. वर्ष नवीकरणीय उर्जा स्रोतों का प्रयोग करते हुए उत्पादित विद्युत के टैरिफ की निबंधन व शर्तों की समीक्षा ।
- ख. पारेषण योजना की समीक्षा और अन्य संबद्ध मामले ।
- ग. रिज़र्व शटडाउन और क्षतिपूर्ति तंत्र के लिए विस्तृत प्रचालन क्रियाविधि ।
- घ. सहायक सेवाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा ।
- ङ. प्रचालनगत अनुभवों पर आधारित विचलन व्यवस्थापन तंत्र दर और ग्रिड फ्रिक्वेंसी के प्रचालन बैण्ड की समीक्षा ।
- च. संयोजकता विनियमों की समीक्षा ।
- छ. सामान्य नेटवर्क पहुंच पर विनियामक फ्रेमवर्क ।
- ज. अगली नियंत्रण अवधि (2019-24) के लिए पारंपरिक उत्पादन और पारेषण के लिए निबंधन व शर्तों पर एप्रोच पेपर ।

10

लेखों का
वार्षिक विवरण

10. लेखों का वार्षिक विवरण

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 44.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 34.96 करोड़) विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि से (भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रखे गए) जारी किए गए। वर्ष 2015-16 (पिछले वर्ष ₹ 9.37 करोड़) के दौरान ₹ 10.78 का अव्ययित शेष वर्ष 2016-17 में अग्रेषित किया गया और यह वर्ष 2016-17 (पिछले वर्ष ₹ 44.33 करोड़) के लिए ₹ 55.50 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि हो गया। इसमें से वर्ष के दौरान ₹ 40.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 33.55 करोड़) की रकम प्रयोग की गई और ₹ 14.85

करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 10.78 करोड़) का शेष 2017-18 में आगे ले जाया गया।

इसके अलावा, वर्ष 2016-17 में अर्जित 0.71 करोड़ रुपये का ब्याज को वर्ष 2016-17 में विद्युत मंत्रालय को प्रेषित किए गए। इसके अलावा फीस के कारण प्राप्त 124.57 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 102.85 करोड़ रुपये) की रकम भारत के लोक लेखा के अधीन केविविआ निधि खाते में उसे रखने के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रेषित किया गया। इसके ब्यौरे अनुबंध-XII में दिए गए हैं।

11

आयोग का
मानव संसाधन

11. आयोग का मानव संसाधन

आयोग का अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यनिष्पादन के लिए अत्यंत व्यापक अधिदेश है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में आयोग की कुशलता इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, विधि, पर्यावरण, प्रबंध सूचना प्रणाली और अन्य संबद्ध कुशलताओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव सहित इसके स्टाफ की गुणवत्ता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है।

संगठनात्मक चार्ट अनुबंध XIII में दिए गए हैं। इसके अलावा, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले मानव संसाधन का उपयोग करता है। इनहाउस कुशलताओं और उपलब्ध अनुभव को पूरा करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए इसने विनियम बनाये हैं।

क्रम.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	1	1	0
2.	प्रमुख	4	4	0
3.	संयुक्त प्रमुख	5	3	2
4.	उप प्रमुख	13	13	0
5.	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	0	1
6.	सहायक प्रमुख	16	13	3
7.	न्यायपीठ अधिकारी	2	2	0
8.	सहायक सचिव	2	2	0
9.	वेतन एवं लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	2	0
10.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1	1	0
11.	प्रधान निजी सचिव	3	3	0
12.	निजी सचिव	5	5	0
13.	सहायक अनुभाग अधिकारी	6	6	0
14.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	0	1
15.	निजी सहायक	7	0	7
16.	आशुलिपिक	3	1	2
17.	हिंदी टंकक (अ.श्रे.लि.)	1	0	1
18.	स्वागती एवं टेलिफोन आपरेटर	1	1	0
19.	ड्राईवर	4	4	0
20.	एमटीएस	4	4	0
	कुल	82	65	17



केविआ में, वर्ष 2016-17 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी		
क्र.स.	पद का नाम	भरे गए पदों की संख्या
1.	सहायक सचिव (वि. फोरम)	1
2.	सहायक प्रमुख (वि.मा.)	1
3.	सहायक अनुभाग अधिकारी	1
	कुल	3

अनुबंध

पिछले वर्ष 2015-16 से लाई गई		वर्ष 2016-17 रजिस्टर्ड की गई याचिकाओं की संख्या		कुल	निपटाई गई	31.3.2017 को लंबित
507		322		829	522	307
क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
1	जीटी/341/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए क्वास गैस आधारित समन्वित साइकिल पावर स्टेशन (656.20 मेगावाट) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	24.3.2017	उत्पादन टैरिफ
2	जीटी/289/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए फिरोज गांधी उनचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-2 (420 मेगावाट) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	31.3.2017	उत्पादन टैरिफ
3	जीटी/281/2015	2 नवम्बर 2015	टोरंट पावर लि.	31.3.2019 तक यूनिट 51 (प्रथम ब्लॉक) की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की अवधि के लिए टोरंट पावर लिमिटेड की 1200 मेगावाट डीजीईएन मेगा पावर परियोजना के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	31.3.2017	उत्पादन टैरिफ
4	एमपी/182/2015	1 सितम्बर 2015	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि.	टीपीडीडीएल और एनटीपीसी के बीच प्रविष्ट 8.5.8 के विद्युत क्रय करार से संबंधित विषयों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (ए एवं एफ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग के उपयुक्त निर्देशों की मांग करने वाली याचिका	31.3.2017	विविध याचिका
5	एमपी/160/2015	25 जून 2015	एनटीपीसी लि.	एनटीपीसी लिमिटेड के 50 मेगावाट राजगढ़ सौर पीवी स्टेशन के लिए जैनरिक टैरिफ की प्रयोज्यता के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 की के विनियम 111 और 119 एवं केविविआ (नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण की निबंधन व शर्तों) के विनियम 8 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (एफ) के अधीन याचिका	31.3.2017	विविध याचिका
6	जीटी/252/2014	26 अगस्त 2014	एनएचपीसी लि0	चटक पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु याचिका	24.3.2017	उत्पादन टैरिफ
7	जीटी/299/2014	11 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रैडिंग अप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.03.2014 की अवधि के लिए नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन दादरी स्टेज 1 (840 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	24.3.2017	उत्पादन टैरिफ
8	जीटी/326/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रैडिंग अप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.03.2014 की अवधि के लिए झनौर गंधार गैस पावर स्टेशन (657.39 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमादेन के लिए याचिका	30.3.2017	उत्पादन टैरिफ



9	जीटी/337/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.03.2019 के लिए सप्त सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (1980 मेगावाट) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.3.2017	उत्पादन टैरिफ
10	जीटी/178/2015	8 जुलाई 2015	टीएचडीसी इंडिया लि.	1.4.2014 से 31.03.2019 अवधि के लिए टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (एचपीपी) स्टेज 1 (4250 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	29.3.2017	उत्पादन टैरिफ
11	एमपी/143/2016	24 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) केविआ (केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता के लिए अंतरराज्यिक पारेषण योजना के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम 2010 (ii) केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 और 114 और iii केविआ बनसकन्ता (राधानेस्दा) अल्ट्रा मेगा सौर उर्जा पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियाम अनुमोदन प्रदान करने के लिए (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभार एवं हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के साथ अधिनियम की धारा 79 (1) (ग) और 79 (1) (के) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38 (2) के अधीन याचिका	30.3.2017	विविध याचिका
12	टीटी/515/2014	14 दिसम्बर 2014	पावर लिंक्स ट्रांसमिशन लि0	पावर लिंक प्रेषण लि. की उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली एवं पूर्वोत्तर इंटर कनेक्टर, ताला हाइड्रो विद्युत परियोजना से संबद्ध पूर्वोत्तर अंतक्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट मुजफ्फर पुर, गोरखपुर पारेषण लाइन के लिए 2013-14 की अवधि के लिए टैरिफ की ट्रैंग अप वार्षिक पारेषण प्रभारों के अनुमोदन के लिए याचिका	31.3.2017	पारेषण टैरिफ
13	एमपी/291/2015	24 नवम्बर 2015	ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ आन्ध्र प्रदेश लि.	अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियां विनियम 2010 की शेयरिंग और भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के उपबंधों के अधीन आंध्रप्रदेश के लिए सिंहादरी स्टेज 1 पावर के लिए हानियों के भुगतान से छूट के लिए याचिका	30.3.2017	विविध याचिका
14	जीटी/434/2014	30 अक्टूबर 2014	जय प्रकाश पावर वेंचर लि0	2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए जेपी करचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	30.3.2017	उत्पादन टैरिफ
15	एमपी/76/2014	25 अप्रैल 2014	स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि0	बल्क पावर पारेषण करार दिनांक 30.4.2009 के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त अधिक पारेषण प्रभारों की वापसी और 60 मेगावाट से 30 मेगावाट (यूनिट-1 15 मेगावाट, यूनिट-2 15 मेगावाट) दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच की कमी के लिए याचिका	23.3.2017	विविध याचिका

16	जीटी/129/2015	6 मई 2015	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी	1.4.2014 से 31.03.2019 की अवधि के लिए ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कम्पनी लि. की 726.6 (2 x 363.3) एमडब्ल्यू पलाटना समन्वित साइकिल गैस आधारित पावर परियोजना के टैरिफ के अवधारण के लिए यथा संशोधित टैरिफ के अवधारण, आवेदन के प्रकाशन और अन्य संबद्ध मामले) केविआ, विनियम 2004 और केविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 79 (1)(ख) के अधीन याचिका	30.3.2017	उत्पादन टैरिफ
17	एमपी/224/2016	11 नवम्बर 2016	डालमिया सीमेंट (भारत) लि0	केविआ विनियमों के उल्लंघन में बैकअप आपूर्ति प्रभावों के उदग्रहण के लिए याचिका	24.3.2017	विविध याचिका
18	एमपी/25/2017	20 फरवरी 2017	लैंको अमरकंटक पावर लि.	अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ता के थर्मल पावर संयंत्र के यूनिट-3 के लिए स्टार्टअप पावर के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति के लिए प्रत्यर्थियों के निर्देश की मांग करते हुए केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 की धारा 111 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 79 (1)(ग) के अधीन याचिका	29.3.2017	विविध याचिका
19	जीटी /7/2016	14 जनवरी 2016	यूदीपी पावर कार्पोरेशन लि0	11.11.2010 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए कुदुपी तालुका, आदुपी जिला, कर्नाटक में उदुपी पावर का कार्पो. लि. द्वारा स्थापित 2 X 600 मेगावाट थर्मल विद्युत संयंत्र के टैरिफ की पुनरीक्षण के लिए ट्रैडिंग अप याचिका	24.3.2017	उत्पादन टैरिफ
20	एमपी/449/2014	11 दिसम्बर 2014	मलाना पावर कंपनी लि0	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 60 के साथ पठित धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका	10.3.2017	विविध याचिका
21	जीटी /346/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए क्वास जीपीएस (656.20 मेगावाट) के टैरिफ का ट्रैडिंग अप के लिए याचिका	15.3.2017	उत्पादन टैरिफ
22	एमपी/12/2017	2 फरवरी 2017	गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन	सभी आस्तियों पर प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अधीन याचिका जिसमें प्रतिभूति न्यासी/ऋणदाता के पक्ष में याचिकाकर्ता 1 के चल व अचल आस्तियां शामिल हैं और किसी परवर्ती अंतरिती के लिए निर्दिष्टकर्ता है और परियोजना में ऋणदाता को कोई पुनर्वृत्त करता है, मोडगेज के अनुसरण में ऋणदाता के लाभ के लिए उसके पक्ष में कार्य करता है और प्रविष्टि के ज्ञापन एवं प्रतिभूति सृजित करने वाले अन्य दस्तावेज/द्वितीय करार तथा मोडगेज संपत्तियों और परियोजना आस्तियों के मोर्टगेज/दृष्टिबंधक/कार्य के माध्यम से भावी पुनर्वृत्त करार शामिल है।	22.3.2017	विविध याचिका



23	जीटी /319/2014	20 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए फिरोज गांधी उच्चतर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (420 मेगावाट) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	22.3.2017	उत्पादन टैरिफ
24	जीटी /190/2015	14 अगस्त 2015	एनएचपीसी लि.	2012-14 अवधि के लिए एनएचपीसी लि. के चटक पावर स्टेशन (4 x 11 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण याचिका संख्या 3/ जीटी /13 में 23.1.2015 के आदेश में अवधारित टैरिफ का टूईगअप	21.3.2017	उत्पादन टैरिफ
25	जीटी /172/2015	8 जुलाई 2015	टीएचडीसी इंडिया लि0	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए 2012-14 अवधि के लिए एनएचपीसी लि. के टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्टेज 1 (4 x 11 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण के लिए याचिका संख्या 195/जीटी/13 में 27.1.2015 के टैरिफ आदेश का टूईगअप	20.3.2017	उत्पादन टैरिफ
26	जीटी/322/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-2 (1000 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	21.3.2017	उत्पादन टैरिफ
27	एमपी/143/2015	10 जून 2015	एनटीपीसी लि.	केविविआ (निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014 के अनुसार उत्पादन केन्द्र के हिताधिकारियों में क्षमता प्रभारों की शेयरिंग पर स्पष्टीकरण के लिए याचिका	20.3.2017	विविध याचिका
28	एमपी/177/2016	20 सितम्बर 2016	इंडियन विंड पावर एसोसियेशन – महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल	केविविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र को जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 की छूट के लिए याचिका और वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा भविष्य के लिए याचिकाकर्ता के सदस्यों को नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र जारी करने पर प्रत्यर्था, एनएलडीसी के विरुद्ध निर्देशों की मांग करना	20.3.2017	विविध याचिका
29	एमपी/72/2016	4 मई 2016	मीथेन पावर लि0(एमपीएल)	पर्यावरण मंत्रालय वन एवं जलवायु परिवर्तन दिनांक 7.12.2015 द्वारा जारी किए गए पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियमावली 2015 के साथ अनुपालन में पूंजी व्यय की "एक्सट्रेक्ट योजना" के सैद्धांतिक अनुमोदन की मांग करते हुए विनियम 3(9) और 12(2) के साथ पठित केविविआ (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) 2014 (टैरिफ विनियम 2014) के विनियम 2014(3)(2) के अधीन याचिका	20.3.2017	विविध याचिका

30	एमपी/187/2013	7 अक्टूबर 2013	दक्षिण क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र	मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि. नेलोर द्वारा विद्युत के अंतर्क्षेपण के अधीन दक्षिण क्षेत्र में रक्षित ग्रिड प्रचालन के लिए केविआ (अननुसूचित अंतर्परिवर्तन प्रभार और संबद्ध मामले) (दूसरा संशोधन) विनियम 2012 के विनियम 7.2 और केविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के विनियम 6.4.6, 6.4.9, 2.3.1.5 के गैर अनुपालन के लिए याचिका	20.3.2017	विविध याचिका
31	जीटी/336/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए टांडा थर्मल पावर स्टेशन (440 MW) के अवधारण के लिए याचिका	21.3.2017	उत्पादन टैरिफ
32	जीटी/263/2014	26 अगस्त 2014	रत्नागिरी गैस एवं पावर प्राईवेट लि0	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए रतनगिरी पावर स्टेशन (1967.08 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	21.3.2017	उत्पादन टैरिफ
33	एमपी/149/2015	8 जून 2015	नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि0.	लिग्नाइट के अंतरण कीमत के निर्धारण पर कोयला मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के साथ एफईआरवी एवं इक्विटी पर रिटर्न, आयकर, ओ एण्ड एम, टूईंगअप के कारण 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए एनएनसी माइन के संशोधित लिग्नाइट अंतरण कीमत के लिए अनुमोदन की मांग करने वाली याचिका	20.3.2017	विविध याचिका
34	एमपी/117/2015	10 जून 2015	डीबी पावर लि	208 मेगावाट के मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अधित्याग के लिए प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता कम्पनी द्वारा अदा अधित्याग प्रभारों के वापसी के लिए प्रतयर्थी/सीटीयू के विरुद्ध उपयुक्त निदेशों की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) 79(1)(के) की याचिका	20.3.2017	विविध याचिका
35	एमपी/136/2016	17 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि0	पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में 2015-19 के लिए सलाकटी एवं बोगगांव उपकेन्द्रों में विशेष सुरक्षा बलों के नियोजन के लिए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए याचिका	20.3.2017	विविध याचिका
36	एमपी/157/2015	10 जून 2015	कोस्टल गुजरात पावर लि.	वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 अवधि के दौरान "विधि में परिवर्तन" के कारण कोस्टल गुजरात पावर लि. की राजस्व/लागतों में वृद्धि/कमी के लिए टैरिफ के समायोजन की मांग करते हुए याचिका	17.3.2017	विविध याचिका
37	एमपी/136/2014	10 जुलाई 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि0	केविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(सी) और (एफ)	20.3.2017	विविध याचिका
38	आरपी/03/2016	18 जनवरी 2016	जीएमआर कामालंगा एनर्जी लि.	याचिका संख्या 77/जीटी/2013 में 12.11.2015 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	17.3.2017	पुनरीक्षण याचिका
39	जीटी/339/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 4 (1000 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	10.3.2017	उत्पादन टैरिफ



40	जीटी/266/2014	26 अगस्त 2014	अरावली पावर कंपनी प्रा.लि.	1.4.2014 to 31.3.2019. तक की अवधि के लिए अरावली कंपनी प्रा. लि. (3 X 500 MW) के अनुमोदन के लिए याचिका	9.3.2017	उत्पादन टैरिफ
41	जीटी/316/2014	20 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019. तक की अवधि के लिए फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज I & II (1600 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	10.3.2017	उत्पादन टैरिफ
42	जीटी/344/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रैडिंग अप कार्य के बाद 1.4.2009 to 31.3.2014 की अवधि के लिए सिपट एसटीपीएस स्टेज-2 (2 X 500 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	15.3.2017	उत्पादन टैरिफ
43	जीटी/205/2015	20 अगस्त 2015	दामोदर वैली कार्पोरेशन लि.	दुर्गापुर स्टील टीपीएस यूनिट-1 और 2 के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	17.3.2017	उत्पादन टैरिफ
44	एमपी/306/2015	26 नवम्बर 2015	पीटीसी इंडिया लि.	अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली को दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए नोडल एजेन्सी होने के नाते सीटीयू को शामिल करने वाले विवादों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के साथ पठित धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका	16.3.2017	विविध याचिका
45	जीटी/261/2014	26 अगस्त 2014	एसजेवीएनएल लि०	1.4.2014 से 31.3.2019. की अवधि के लिए नेपथा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन (6 X 250 MW) के टैरिफ के उत्पादन के अनुमोदन के लिए याचिका	15.3.2017	उत्पादन टैरिफ
46	जीटी/262/2014	26 अगस्त 2014	एसजेवीएनएल लि०	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए नेपथा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन (6 X 250 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के अनुमोदन के लिए याचिका	15.3.2017	उत्पादन टैरिफ
47	जीटी/08/2016	12 जनवरी 2016	एसजेवीएनएल लि०	1.4.2004 से 31.3.2009. की अवधि के लिए नेपथा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन (6 X 250 MW) के पुनरीक्षण के लिए केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 79 (1)(ए) के अधीन याचिका	15.3.2017	उत्पादन टैरिफ
48	टीटी/438/2014	25 अक्टूबर 2014	अरावली पावर कंपनी प्रा.लि.	1.4.2014 से 31.3.2019. की अवधि के लिए अरावली पावर कंपनी प्रा. लि. के झज्जर-मुंडका 400 केवी डी/सी आईएसटीएस आरिस्ट के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	15.3.2017	पारेषण टैरिफ
49	टीटी/439/2014	1 दिसम्बर 2014	अरावली पावर कंपनी प्रा.लि.	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अर्थात् 1.3.2011 से 31.3.2014. की अवधि के लिए 31.3.2014 को लेखा परीक्षित लेखों पर आधारित अरावली पावर कंपनी प्रा० लि० की 400केवी डी/सी झज्जर-मुंडका पारेषण लाइन के टैरिफ के लिए अनुमोदन के लिए याचिका	15.3.2017	पारेषण टैरिफ

50	याचिका संख्या 109/TT/2013 में याचिका आरपी/16/2015	29 जुलाई 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	याचिका सं 109/टीटी/2013 में 20.5.2015 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	22.8.2016	पुनरीक्षण याचिका
51	आरपी/08/2016 in Petition No. 118/MP/2015	24 फरवरी 2016	एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लि.	याचिका सं 118/एमपी/2015 में 20.12.2015 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	14.3.2017	पुनरीक्षण याचिका
52	एमपी/563/2014	30 दिसम्बर 2014	मोनेत इस्पात एंड एनर्जी लि.	केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 के विनियम 12 और 13 के अधीन याचिका	10.3.2017	विविध याचिका
53	एमपी/226/2015	1 अक्टूबर 2015	टीआरएन एनर्जी प्रा. लि.	27 दिसंबर 2013 के पत्र के साथ पठित 14.9.2015 के एलटीए के प्रचालनीकरण के लिए उपयुक्त निदेशों की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) और 79(1)(के) के अधीन याचिका	10.3.2017	विविध याचिका
54	एमपी/227/2015	6 अक्टूबर 2015	नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	एनएलसी बरसिंगसार माइन के संबंध में टूईंगअप के कारण 29.12.2011 से 31.3.2014 की अवधि के लिए लिग्नाइट अंतरण कीमत के पुनरीक्षण के लिए याचिका अनुमोदन की मांग करने वाली याचिका	14.3.2017	विविध याचिका
55	एसएम/3/2017	10 मार्च 2017	सीईआरसी	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अनुसार टैरिफ अवधि 2014-19 के दौरान पारेषण टैरिफ का अंतरिम टूईंगअप	8.3.2017	स्व प्रेरणा से
56	एमपी/167/2015	24 जून 2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन काउन्टर दावे के लिए याचिका	10.3.2017	विविध याचिका
57	एमपी/96/2015	20 मार्च 2015	छेतीनड पावर कार्पोरेशन प्रा. लि.	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका	8.3.2017	विविध याचिका
58	जीटी/256/2014	26 अगस्त 2014	नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	एनएलसी टीपीएस-2 स्टेज-1 (630 मेगावाट) और स्टेज1 (840 मेगावाट) के लिए केविविआ टैरिफ विनियम 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण (वार्षिक नियत प्रभार और उर्जा प्रभार) के लिए याचिका	8.3.2017	उत्पादन टैरिफ
59	एमपी/310/2015	21 दिसम्बर 2015	जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 63 और 79 के अधीन याचिका	2.3.2017	विविध याचिका
60	जीटी/340/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (500 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	3.3.2017	उत्पादन टैरिफ
61	जीटी/280/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-3 (1 x 500 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	3.3.2017	उत्पादन टैरिफ



62	एमपी/308/2015	17 दिसम्बर 2015	न्यू पावर रिन्यूएबलस प्रा.लि. एवं अन्य	केविविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के लिए नवीकरण उर्जा प्रमाणपत्र के जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 14 और 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका	2.3.2017	विविध याचिका
63	एमपी/188/2014	4 अगस्त 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	एसएलडीसी के लिए एससीडीए/ईएमएस प्रणाली की आस्तियों के लिए लागत की वसूली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और विनियम 54 (रियायत के लिए शक्ति) और विनियम 55 (कठिनाई को दूर करने की शक्ति) के विनियम 24, 111 & 113 के अधीन याचिका	2.3.2017	विविध याचिका
64	एमपी/179/2015	8 जुलाई 2015	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. एवं अन्य	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111, 114 और 115 तथा केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 के विनियम 7(1)(2) 12 और 13; केविविआ (अनुसूचति अंतर प्रवर्तन प्रभार और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 12 और 13 तथा भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अधीन प्रचालन कोड के खंड 5.2 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	28.2.2017	विविध याचिका
65	एमपी/120/2014	25 जून 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	कैगा 3 एवं 4 (2 x 235 MW) परियोजना से संबद्ध पारिषण प्रणाली के अधीन मैसूर सबस्टेशन के विस्तार तथा 400/220 केवी कोजीकोड सबस्टेशन (नया) से संबद्ध मैसूर (पावरग्रिड) कोजीकोड 400 केवी डी/सी लाइन के निर्माण से संबंधित आयोग से निर्देश की मांग करने वाली याचिका	28.2.2017	विविध याचिका
66	एमपी/50/2016	28 मार्च 2016	आरई कनेक्ट एनर्जी सोल्यूशन्स प्रा. लि.	केविविआ (विद्युत बाजार) विनियम 2010 के उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 के अधीन याचिका	28.2.2017	विविध याचिका
67	एमपी/133/2014	3 जुलाई 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के अधीन और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 की कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति विनियम 55 के अधीन याचिका	28.2.2017	विविध याचिका
68	एमपी/168/2015	30 जून 2015	पोरवल औओ कंपोनेट्स लि.	केविविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाण पत्र जारी करने और मान्यता की निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 2014 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की अन्य लागू उपबंधों और धारा 66 और 79 के अधीन याचिका	28.2.2017	विविध याचिका

69	एमपी/165/2015	30 जून 2015	अतापी पावर	विन्टेज आधारित मलटीपलायर के लाभ और विस्तार की आरंभ की तारीख से नवीकरण पीय उर्जा प्रमाणपत्रों की मान्यता और जारी करने के लिए याचिका	28.2.2017	विविध याचिका.
70	जीटी/204/2015	20 अगस्त 2015	दामोदर वैली कार्पोरेशन	31-3-2014 तक वाणिज्यिक प्रचालन की संबंधित तारीखों से दुर्गापुर स्टील टीपीएस यूनिट-1 और 2 (2 x 500 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में टूअप याचिका	27.2.2017	उत्पादन टैरिफ
71	जीटी/296/2015	3 दिसम्बर 2015	दामोदर वैली कार्पोरेशन	टैरिफ अवधि 2014 - 2019. के लिए कोडरमा टीपीएस यूनिट-1 और 2 (2 x 500 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में याचिका	28.2.2017	उत्पादन टैरिफ
72	आरपी/46/2016 in आरपी/279/2014	16 सितम्बर 2016	एनटीपीसी लि.	याचिका संख्या 279/जीटी/2014 दिनांक 30.7.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	21.2.2017	पुनरीक्षण याचिका
73	जीटी/338/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-1 (1260 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	24.2.2017	उत्पादन टैरिफ
74	जीटी/342/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-3 (1000 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	24.2.2017	उत्पादन टैरिफ
75	जीटी/323/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-3 (2100 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	24.2.2017	उत्पादन टैरिफ
76	एमपी/16/2016	3 फरवरी 2016	ससान पावर लि.	प्रचालन अवधि के दौरान राजस्व और लागतों पर प्रभाव डालते हुए "विधि में परिवर्तन" के कारण क्षतिपूर्ति के लिए क्रियाविधि और सासन पावर लि. के बीच निष्पादित 7.8.2007 विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13.2 (ख) एवं प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत के अवापति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	17.2.2017	विविध याचिका
77	याचिका संख्या 37/टीटी/2011 में आरपी/17/2015	20 जुलाई 2015	जेपी पावरग्रिड लि.	याचिका संख्या 37/टीटी/2011 में पारित 7 मई, 2015 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करना	24.2.2017	पुनरीक्षण याचिका
78	टीटी/85/2015	4 मार्च 2015	पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि0	पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना- III के अधीन 8 नम्बर आस्तियों के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के अनुमोदन के लिए याचिका	24.2.2017	पारेषण टैरिफ
79	281/जीटी/2014में आरपी/47/2016	16 सितम्बर 2016	एनटीपीसी लि.	याचिका संख्या 281/जीटी/2014 में दिनांक 29.7.2016 के आदेश के पुनरीक्षण की याचिका	21.2.2017	पुनरीक्षण याचिका



80	आरपी/01/2016	5 जनवरी 2016	ससान पावर लि.	याचिका संख्या 402/एमपी/2014 में दिनांक 18.11.2015 के केविआ के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करने वाली याचिका	16.2.2017	पुनरीक्षण याचिका
81	जीटी/317/2014 में आरपी/53/2016	27 सितम्बर 2016	एनटीपीसी लि.	याचिका संख्या 317/जीटी/2014 दिनांक 29.7.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	17.2.2017	पुनरीक्षण याचिका
82	जीटी/180/2015	17 जुलाई 2015	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2014-2019 की अवधि के लिए चन्द्रपुर टीपीएस यूनिट 7 & 8 (2 x 250 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	17.2.2017	उत्पादन टैरिफ
83	112/टीटी/2013 में आरपी/24/2015	23 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 112/TT/2013 में दिनांक 7.10.2015 के आदेश के पुनरीक्षण की याचिका	16.2.2017	पुनरीक्षण याचिका
84	जीटी/293/2014	11 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि0	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-2 (2000 मेगावाट) के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका।	16.2.2017	उत्पादन टैरिफ
85	एमपी/383/2014	28 सितम्बर 2014	एमपी पावर जनरेंटिंग कॉ लि.	मध्य प्रदेश पावर जनरेंटिंग कं. लिमिटेड द्वारा प्रचालित कुछेक थर्मल एवं हाइड्रल उत्पादन केन्द्रों के संबंध में विनियम खंड 5.2 (एफ) के अनुसार आवश्यक प्रतिबंधित गवर्नर मोड ऑपरेशन (आरजीएमओ) के कार्यान्वयन के लिए केविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 भाग-7 धारा 4 के तहत आवेदन	15.2.2017	विविध याचिका
86	जीटी/184/2014	1 अगस्त 2014	एसजेवीएन लि.	प्रथम यूनिट की वास्तविक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (412 MW) के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका।	15.2.2017	उत्पादन टैरिफ
87	एमपी/65/2014	3 अप्रैल 2014	एनटीपीसी लि.	एनटीपीसी की कुछ इकाइयों के लिए एफजीएमओ कार्यान्वयन एफजीएमओ की अपेक्षा के संबंध में विनियम 5.2(एफ)4 की छूट की मांग करने वाले केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 भाग 7 के विनियम (4) के अधीन याचिका	13.2.2017	विविध याचिका
88	जीटी/473/2014	14 दिसम्बर 2014	नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 अवधि के लिए उपगत (ट्रूंगअप) अतिरिक्त पूंजी व्यय के कारण एनएलसी टीपीएस II स्टेज-1 (630 मेगावाट) और स्टेज-2 (840 मेगावाट) के लिए केविआ टैरिफ विनियम 2009 के अंतर्गत 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ के पुननिर्धारण (वार्षिक नियत प्रभार और उर्जा प्रभार) के लिए याचिका	10.2.2017	उत्पादन टैरिफ
89	जीटी/181/2015	17 जुलाई 2015	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2011-14 की अवधि के लिए चंद्रपुरा टीपीएस यूनिटों 7 और 8 के टैरिफ के अनुमोदन के लिए ट्रूंगअप याचिका	9.2.2017	उत्पादन टैरिफ

90	जीटी/115/2015	23 अप्रैल 2015	दामोदर वैली कार्पोरेशन	टैरिफ अवधि 2009-2014 के लिए मेजिआ थर्मल पावर स्टेशन यूनिट संख्या 5 और टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में ट्रूईगअप याचिका	9.2.2017	उत्पादन टैरिफ
91	याचिका संख्या 135/टीटी/2012 में आरपी/06/2016	29 जनवरी 2016	जिंदल पावर लि.	याचिका क्रमांक 135/टीटी/2012 में पारित 18.12.2015 के आदेश क पुनरीक्षण लिए याचिका की पुनरीक्षण की गई।	8.2.2017	पुनरीक्षण याचिका
92	एमपी/156/2014	17 जुलाई 2014	अदानी पावर लि.	उत्तर हरियाणा/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और अदानी पावर लि. में निष्पादित 7.8.2008 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	6.2.2017	विविध याचिका
93	जीटी/327/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-2 (1000 MW) के अवधारण के लिए याचिका	6.2.2017	उत्पादन टैरिफ
94	जीटी/343/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूईगअप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 तक विंध्यालय एसटीपीएस स्टेज 3 के टैरिफ की पुनरीक्षण के लिए याचिका	6.2.2017	उत्पादन टैरिफ
95	जीटी/274/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूईगअप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-1 (3 x 200 MW + 2 x 500 MW) के टैरिफ की पुनरीक्षण के लिए याचिका	6.2.2017	उत्पादन टैरिफ
96	जीटी/194/2015	14 अगस्त 2015	एनएचपीसी लि.	चमेरा -III पावर स्टेशन के संबंध में 2012-14 की अवधि के लिए पूंजी व्यय की ट्रूईगअप के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2009 के विनियम 6 और विद्युत विनियम 2003 की धारा 62(1)(क), केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 की धारा 79 (1)(86) के अधीन याचिका	6.2.2017	उत्पादन टैरिफ
97	जीटी/249/2014	26 अगस्त 2014	एनएचपीसी लि.	चमेरा - III पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	6.2.2017	उत्पादन टैरिफ
98	टीडी/201/2016	19 अक्टूबर 2016	एट्रीया एनर्जी सर्विसेज प्रा. लि.	अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	1.2.2017	ट्रेडिंग
99	जीटी/372/2014	28 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए रिहाण्ड सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-3 (1000 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका।	6.2.2017	उत्पादन टैरिफ
100	जीटी/248/2014	26 अगस्त 2014	एनएचपीसी लि.	तीस्ता लॉ डैम-III पावर स्टेशन के संबंध में 2014-2009 की अवधि के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	6.2.2017	उत्पादन टैरिफ



101	जीटी/193/2015	14 अगस्त 2015	एनएचपीसी लि.	तीस्ता लॉ डैम - III पावर स्टेशन के संबंध में 2013 - 2014 के लिए पूंजी व्यय ट्रूईगअप के लिए याचिका	6.2.2017	उत्पादन टैरिफ
102	एमपी/08/2014	24 जनवरी 2014	एमको एनर्जी लि.	निर्माण एवं प्रचालन अवधि के दौरान (विधि में परिवर्तन) के आफसेट वित्तीय/वाणिज्यिक प्रभाव के लिए उपयुक्त समायोजन/क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए याचिका	1.2.2017	विविध याचिका
103	एमपी/8/2017	27 जनवरी 2017	एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	31.1.2017 से 31.7.2017 से 6 महीने से आगे बिंजकोटे टीपीपी एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़ लि. के) (4 X 300MW) के प्रथम यूनिट (Unit #2 (300 MW) के पूर्ण भार परिक्षण सहित आरंभ व परिक्षण के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और इनफर्म पावर के अंतर्क्षण के लिए अवधि के विस्तार के लिए अनुमति मांगते करते हुए केविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पाहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना तथा संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(के) के अधीन याचिका	2.2.2017	विविध याचिका
104	एमपी/125/2014	30 जून 2014	एनएचपीसी लि.	1.5.1994 से 31.3.1997 तक की अवधि के लिए चमरा-1 एचडू प्रोजेक्ट के लिए एनआरपीसी द्वारा संशोधित प्रादेशिक उर्जा लेखा के बाद जारी बकाया बिल पर ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के लिए याचिका	31.1.2017	विविध याचिका
105	जीटी/292/2014	11 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए रामगुण्डम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-1 और 2 (2100 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	24.1.2017	उत्पादन टैरिफ
106	जीटी/345/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूईगअप 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए कोरबा क्स 500 मेगावाट) एसटीपीएस स्टेज- I & II (3 एक्स 200 मेगावाट + 3 ए के टैरिफ के संशोधन के लिए याचिकाए	25.1.2017	उत्पादन टैरिफ
107	जीटी/328/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019. मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-1 (1000 मेगावाट) के टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका।	1.2.2017	उत्पादन टैरिफ
108	जीटी/308/2014	12 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019. तक की अवधि के लिए दादरी जीपीएस (829.78) के टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका।	27.1.2017	उत्पादन टैरिफ

109	टीटी/558/2014	29 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में भारतीय भाग के लिए बांग्लादेश इलेक्ट्रिक ग्रिड और भार के बीच इंटरकनेक्शन के अधीन बहरामपुर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख-1.9.2013) में रिएक्टर बे और संबद्ध लाइन बेज तथा 1 नं. 80 एमवीएआर बस रिएक्टर बहरामपुर में 400 केवी एस/सी फरक्का जीरत टी/एल के लीलो बहरामपुर टी/एल 400 केवी डी/सी बहरामपुर के लिए 2014-19 के टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए पारेषण टैरिफ के टूड़गअप के लिए याचिका	31.1.2017	पारेषण टैरिफ
110	जीटी/251/2014	26 अगस्त 2014	एनएचपीसी लि.	सेवा -2 विद्युत स्टेशन के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण और 2009-14 अवधि के लिए पूंजी व्यय के लिए टूड़गअप याचिका	27.1.2017	उत्पादन टैरिफ
111	जीटी/270/2014 में आरपी/36/2016	17 अगस्त 2016	एनटीपीसी लि.	याचिका 270 / जीटी / 2014 में 27.6.2016 के आयोग के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	27.1.2017	पुनरीक्षण याचिका
112	टीडीएल/194/2016	10 अक्टूबर 2016	आरई न्यू सौलर सर्विसेज प्रा. लि.	अंतरराज्यिक श्रेणी 4 व्यापार अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए आवेदन	27.1.2017	ट्रेडिंग
113	टीटी/53/2016	1 अप्रैल 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में व्यापक बैंड संचार नेटवर्क के विस्तार के अधीन पूर्वी क्षेत्र में प्रोजेक्ट फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के अधीन आस्ति-1 केन्द्रीय सेक्टर 789.635 km के अधीन 11 नं ओपीजीडब्ल्यू लिंक आस्ति-2 केन्द्रीय सेक्टर 112,886 Km के अधीन 11 नं ओपीजीडब्ल्यू लिंक आस्ति-2 केन्द्रीय सेक्टर 527.751 KM के अधीन 11 नं ओपीजीडब्ल्यू लिंक के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.19 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविवि (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन याचिका	27.1.2017	पारेषण टैरिफ
114	टीटी/099/2014 में आरपी/32/2016	3 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 99/ टीटी / 2016 में दिनांक 29.4.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	27.1.2017	पुनरीक्षण याचिका
115	104/एमपी/2016	4 जुलाई 2016	एनआरएसएस एक्सएक्सआईएक्स ट्रांसमिशन कंपनी लि.	पारेषण परियोजनाओं को आरंभ करते हुए प्रोत्साहित करने की नीति शीर्षक से विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 15.7.15 के आदेश और 2.1.204 के पारेषण यसेवा करार के अधीन 7.4.16 से आरंभ अवधि के लिए मासिक पारेषण प्रभारों की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(सी) के साथ पठित 79(1)(एफ) के अधीन याचिका	23.1.2017	विविध याचिका
116	जीटी/283/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1-4-2014 से 31-3-2019 तक की अवधि के लिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन ए स्टेज-2 (3 x 500 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका।	21.1.2017	उत्पादन टैरिफ



117	जीटी/437/2014	9 दिसम्बर 2014	अरावली पावर कंपनी प्रा. लि.	यूनिट-1 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अर्थात् 5.3.11 से 31.3.14 तक की अवधि के लिए और 31.3.2014 को लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर याचिका संख्या 229/2010 के संशोधन/ ट्रूईंगअप की अवधि के लिए 31.1.2014 को लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन (3 X 500 MW) के अनुमोदन के लिए केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 और 79(1)(क) के अधीन याचिका	17.1.2017	उत्पादन टैरिफ
118	टीटी/384/2014	28 सितम्बर 2014	पारबती कोलुम ट्रांसमिशन कंपनी लि.	केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अधीन 2014-2019 की नियंत्रण अवधि के लिए कोलदम एचईपी के लिए पारबती (बनाला) पूलिंग स्टेशन के लीलो प्वाइंट से आरंभ 400 केवी (क्वेद) 2 X S/C पारबती-कोलदस पारेषण लाइन के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	16.1.2017	पारेषण टैरिफ
119	155/एमपी/2016	30 अगस्त 2016	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लि.	पारेषण परियोजना के आरंभ की तारीख से पारेषण प्रभारों की वसूली की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्य लागू उपबंधों और धारा 63 और 79(1)(एफ) और 79(1)(सी) के अधीन याचिका	4.1.2017	विविध याचिका
120	टीटी/118/2014	19 जून 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में एनआर/डब्ल्यू आर भाग-ख में सिक्किम में उत्पादन परियोजना में विद्युत के अंतरण के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन आस्ति (7) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.19 तक पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	29.12.2016	पारेषण टैरिफ
121	जीटी/107/2016	6 जुलाई 2016	एनएचपीसी लि.	11.3.2016 से 31.3.2019. अवधि के लिए तीसरा लॉ डैम प्रोजेक्ट स्टेज-4 के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	3.1.2017	उत्पादन टैरिफ
122	एमपी/238/2016	21 नवम्बर 2016	माई होम पावर प्रा. लि.	श्रेणी-3 से श्रेणी 2 में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी के परिवर्तन के लिए याचिका	2.1.2017	विविध याचिका
123	टीटी/164/2016	1 सितम्बर 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 301/TT/2013 में 14.3.2016 के केविआ के ओदश में कवर की गई याचिका सं. 44/टीटी/2014 में 18.4.2016 के केविआ के आदेश में कवर किए गए पश्चिमी क्षेत्र में उडीसा भाग सी में फेज 1 उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली की आसिक्तियों के लिए 2014 -19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2009 एवं केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन याचिका	28.12.2016	पारेषण टैरिफ

124	टीटी/149/2016	29 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में एसवीसी के अधीन आस्ति : 400/220 केवी लुधियाना उपकेन्द्र: (+) 600 एमवीएआर/ (-) 400 एमवीएआर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 की अवधि तक पारेषण टैरिफ के अवरुद्धकरण के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के लिए विनियम 86 के अधीन याचिका	28.12.2016	पारेषण टैरिफ
125	एसएम/11/2016	28 दिसम्बर 2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 11 के अधीन प्रतिदेय फीस व प्रभार का अवधारण	28.12.2016	स्वप्रेरणा से
126	टीटी/156/2015	11 जून 2015	पारबती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लि.	केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-2019 की नियंत्रण अवधि के लिए सर्किट 2 के लिए पारबती 3 एचईपी के लीलो प्वाइंट के लिए पारबती 2 एचईपी से सर्किट 1 के लिए पारबती (बनाला) पूलिंग स्टेशन के लीलो प्वाइंट में पारबती 2 एचईपी से आरंभ 400 केवी (क्वेद) 2X एस/सी पारबती कोलदम पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.12.2016	पारेषण टैरिफ
127	टीटी/245/2015	21 अक्टूबर 2015	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र	केविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस व प्रभार एवं अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए पूर्वी प्रोदशिक भार प्रेषण के लिए फीस व प्रभारों के अवधारण के लिए याचिका	29.12.2016	पारेषण टैरिफ
128	टीटी/242/2015	21 अक्टूबर 2015	दक्षिणी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र	1.4.2014 से 31.3.2019 अवधि के लिए एसएलडीसी प्रभारों के लिए केविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस व प्रभार एवं अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन	29.12.2016	पारेषण टैरिफ
129	एमपी/95/2016	27 जून 2016	एस्सार पावर (झारखंड) लि.	बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कं. लि. द्वारा दिनांक 9.7.2010 के पीपीए की समाप्ति से उठे विवादों के अधिनिर्णय के लिए याचिका	27.12.2016	विविध याचिका
130	एमपी/132/2016	9 अगस्त 2016	नवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लि.	केविआ (आईडजीसी) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 के बाद अन्य संबद्ध मुद्दों एवं अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों तथा केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन की अनुसूची के लिए नियत न्यूनतम तकनीक के पुनरीक्षण की मांग करने वाली याचिका	27.12.2016	विविध याचिका



131	एमपी/158/2015	10 जून 2015	पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लि.	विचलन (डीएसएम) प्रभारों के गैर भूगतान के लिए साख पत्र खोलने में चूक और पीडीडी जे एण्ड के द्वारा निकासी अनुसूची की अधिकता में विचलन प्रभारों के भुगतानों में चूक याचिका	28.12.2016	विविध याचिका
132	205/जीटी/2013 में आरपी/25/2016	14 जुलाई 2016	एनटीपीसी लि.	याचिका संख्या 205/जीटी/2013 में 14.3.2016 के आदेश के पुनर्नरीक्षण की याचिका	27.12.2016	Review Petition
133	एमपी/247/2016	21 दिसम्बर 2016	एनटीपीसी लि.	प्रथम सिंक्रानाइजेशन 27.9.16 की तारीख से 6 महीने की अवधि के आगे मौदा एसओपीस स्टेज II (2 x 660 MW) के यूनिट-1 प्रचालन एवं पूर्ण भार परिक्षण सहित परिक्षण के लिए विद्युत के अंतःपरिवर्तन की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग करने वाली याचिका	23.12.2016	विविध याचिका
134	एमपी/101/2016	4 जुलाई 2016	एस्सार पावर (झारखंड) लि.	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विनियम 18 के अधीन बल्क विद्युत पारेषण करार दिनांक 24.2.2010 के अधीन सहमत दीर्घकालिक पहुंच की 350 मेगावाट की अधित्याग के लिए याचिका	22.12.2016	विविध याचिका
135	एमपी/100/2016	4 जुलाई 2016	एस्सार पावर (झारखंड) लि.	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 के अधीन बल्क विद्युत पारेषण करार दिनांक 24.2.2010 के अधीन सहमत दीर्घकालिक पहुंच की 750 मेगावाट तदन्तर संयोजकता की सीमा तक दीर्घकालिक पहुंच को स्थगित करने के लिए याचिका	22.12.2016	विविध याचिका
136	टीटी/241/2015	21 अक्टूबर 2015	पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लि.	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 के लिए डब्ल्यूआरएलसीसी प्रभारों के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस व प्रभार एवं अन्य संबद्ध मामले) के विनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा 4 के अधीन आवेदन	26.12.2016	पारेषण टैरिफ
137	टीटी/243/2015	21 अक्टूबर 2015	पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लि.	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 के लिए एनआरएलसीसी प्रभारों के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस व प्रभार एवं अन्य संबद्ध मामले) के विनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा 4 के अधीन आवेदन	26.12.2016	पारेषण टैरिफ

138	टीटी/244/2015	21 अक्टूबर 2015	पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लि.	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 के लिए एनएलडीसी प्रभारों के लिए केविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस व प्रभार एवं अन्य संबद्ध मामले) केविनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा 4 के अधीन आवेदन	26.12.2016	पारेषण टैरिफ
139	टीटी/240/2015	21 अक्टूबर 2015	पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लि.	नियंत्रण अवधि 2014 से 2019 के लिए एनएलडीसी प्रभारों के लिए केविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस व प्रभार एवं अन्य संबद्ध मामले) केविनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन	26.12.2016	पारेषण टैरिफ
140	टीटी/71/2016	2 मई 2016	परबती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लि.	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए टूटिंग पारेषण टैरिफ (ii) उत्तरी क्षेत्र में (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.8.13) पारबती पूलिंग स्टेशन के लीलो प्वाइंट में पारबीती-3 एचईपी के लीलो प्वाइंट से आरंभ 400 केवी (क्वेड) एस/सी पारबती कोलदम पारेषण लाइन (सीकेट-2) की अनुभाग के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 "केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन याचिका	23.12.2016	पारेषण टैरिफ
141	एमपी/191/2016	7 अक्टूबर 2016	डीबी पावर लि.	केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के साथ पठित 79(1)(सी) के अधीन याचिका	20.12.2016	विविध याचिका
142	एमपी/40/2016	3 मार्च 2016	एनएचडीसी लि.	एनएचडीसी के हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों अर्थात् इन्दरा सागर पावर स्टेशन और ऑकारेश्वर पावर स्टेशन के संबंध में मध्यप्रदेश के राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा घोषित क्षमता और प्रमाणन के लिए टैरिफ विनियम 2014 की निबंधन व शर्तें विनियम 31(3) के अधीन याचिका	20.12.2016	विविध याचिका
143	एमपी/105/2016	5 जुलाई 2016	द ओध सुगर मिल्स लि.	केविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 14 एवं 15 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) के अधीन याचिका	20.12.2016	विविध याचिका
144	252/टीटी/2015में आरपी/39/2016	29 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 252/टीटी/2015 में 25.4.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	19.12.2016	पुनरीक्षण याचिका
145	टीटी/312/2014	20 सितम्बर 2014	परबती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लि.	2014 - 2019 की नियंत्रण अवधि के लिए 400 केवी डी/सी कोलडम-लुधियाना पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	19.12.2016	पारेषण टैरिफ



146	एमपी/135/2016	17 अगस्त 2016	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि.	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 116 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 और 94 (2) के अधीन याचिका	15.12.2016	विविध याचिका
147	एमपी/88/2016	9 जून 2016	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि.	विश्वसनीयता, चयनात्मकता, गति और संवेदनशीलता और उन्हें कार्यात्मक बनाए रखते हुए संरक्षण प्रणाली प्रदान करने के मामले में आयोग के समक्ष केएसइवी लि. द्वारा दाखिल याचिका संख्या 86/MP/2014 18.8.2015 के आदेश पर समय के विस्तार करने वाली याचिका	15.12.2016	विविध याचिका
148	एटी/162/2016	30 अगस्त 2016	एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लि.	NRSS XXXVI पारेषण लि. द्वारा स्थापित "बर्बई (आरआरवीपीएनएल) पर सिकर-नीमराना 400 केवी डी/सी लाइन के लीलो सहित उत्तरी क्षेत्र (NRSS-XXXVI) में प्रणाली सुदृढीकरण योजना" पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों को अपनाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 अधीन आवेदन	14.12.2016	टैरिफ का अंगीकार
149	टीटी/246/2014	24 अगस्त 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में "उड़ीस पार्ट-क में फेज 1 उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली" के अधीन आर्स्टि (09) संख्या के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	14.12.2016	पारेषण टैरिफ
150	टीटी/18/2016	10 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश भारतीय भाग और भारत (एनईआर) के बीच प्रोजेक्ट रेडियल इंटर कनेक्शन के अधीन सुर्जा मनीनगर सबस्टेशन (टीएसईसीएल) में 2 नंबर संबद्ध बेज सहित इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पारेषण लाइन 400 केवी डी/सी सुर्जा मनीनगर (त्रिपुरा) के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	8.12.2016	पारेषण टैरिफ
151	टीएल/161/2016	30 अगस्त 2016	एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लि.	NRSS XXXVI पारेषण लि. में पारेषण लाइसेंस के संबंध में केविविआ (पारेषण अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें, क्रियाविधि और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 अधीन आवेदन	7.12.2016	पारेषण अनुज्ञापित
152	एमपी/225/2016	11 नवम्बर 2016	कांती बिजली उत्पादन निगम लि.	आरंभिक सिंक्रोनाइजेशन से 6 महीने के आगे केबीयूएनएल के मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-2 (2 X 195 MW) के यूनिट-1 और यूनिट-2 के पूर्ण भार ट्रायल प्रचालन सहित परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतर्क्षेपण और स्टार्टअप पावर की निकासी के लिए अवधि के विस्तार की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग करने के लिए याचिका	6.12.2016	विविध याचिका

153	एमपी/219/2016	4 नवम्बर 2016	सिपट ट्रांसमिशन लि.	बंधक सम्पत्तियों के बंधक/दृष्टिबंध तथा सिपट पारेषण लि. की परियोजना आस्तियों के जरिए अन्य प्रतिभूति सृजित करने वाले दस्तावेज/वित्तीय करारों तथा प्रतिभूति न्यासी/ऋणकर्ताओं के पक्ष में प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए अनुज्ञप्ति के समानुदेशन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और (4) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	6.12.2016	विविध याचिका
154	जीटी/306/2014	11 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ड्रूप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-1 (1260 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	5.12.2016	उत्पादन टैरिफ
155	जीटी/296/2014	11 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ड्रूप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (2 X 500 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	6.12.2016	उत्पादन टैरिफ
156	जीटी/295/2014	11 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ड्रूप कार्य के बाद स्टेज-I (1.10.2011) की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए सिपट एसटीपीएस स्टेज-1 (1980 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	6.12.2016	उत्पादन टैरिफ
157	एमपी/159/2012	13 जुलाई 2012	कोस्टल गुजरात पावर लि.	इण्डोनेशियन सरकार और अन्य घटकों द्वारा नई कोयला कीमत विनियम के नियमन के कारण आयातित कोयला कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि और अन्य अंतरणीय प्रतिकूल प्रभाव के टैरिफ में ऑफसेट के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 63 और 79 के अधीन याचिका	6.12.2016	विविध याचिका
158	एमपी/155/2012	9 जुलाई 2012	अदानी पावर लि.	इण्डोनेशियन सरकार द्वारा नए कोयला कीमत विनियम के नियमन और भारत सरकार सीआईएल द्वारा देशी कोयले के आवंटन में परिस्थितियों के कारण पीपीए के अधीन विधि (अनुच्छेद 13) में परिवर्तन या फोर्स मजुरे (अनुच्छेद 12) की पुनरावृत्ति और/या फ्रस्टेशन के कारण पुनरीक्षण टैरिफ और/या परिवर्तन सहित विनियमन के लिए तंत्र विकसित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2002 की धारा 79 के अधीन याचिका	6.12.2016	विविध याचिका



159	टीटी/48/2016	23 मार्च 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) केन्द्रीय सेक्टर के अधीन 21.003 कि.मी में नंबर ओपीजीडब्ल्यू (ii) डब्ल्यूबीएसईटीसीएल सेक्टर के अधीन 17.03 कि0मी. ओपीजीडब्ल्यू लिंक का नंबर और (iii) डीवीसी सेक्टर 196.81 कि0मी. के अधीन ओपीजीडब्ल्यू लिंक का नंबर (iv) केन्द्रीय सेक्टर के अधीन ओपीजीडब्ल्यू लिंक 278.641 कि.मी. का 02 नंबर (v) डब्ल्यूबीएसईटीसीएल सेक्टर के अधीन ओपीजीडब्ल्यू लिंक 35.044 कि.मी का 2 नंबर और (vi) पूर्वी क्षेत्र में में मौजूद (यूएलडीसी) माइक्रोवेव लिंक के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संप्रेषण प्रणाली के अधीन डीवीसी सेक्टर 0.80 कि.मी के अधीन ओपीजी लिंक 01 नंबर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 से पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधिन अनुमोदन के लिए याचिका	5.12.2016	पारेषण टैरिफ
160	जीटी /318/2014	20 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 to 31.3.2019. की अवधि के लिए रिहन्द स्टेज 2 (1000 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	1.12.2016	उत्पादन टैरिफ
161	टीटी/100/2014 आरपी/29/2016	1 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 100/TT/2014 में 29.4.2016 के पुनरीक्षण के लिए याचिका	24.11.2016	पुनरीक्षण याचिका
162	एमपी/57/2016	31 मार्च 2016	पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लि.	नियंत्रण अवधि .4.14 से 31.3.2019. के लिए एनएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एनएलडीसी के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (आरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन याचिका	21.11.2016	विविध याचिका
163	एमपी/60/2016	31 मार्च 2016	पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लि.	केविविआ (आरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन याचिका	21.11.2016	विविध याचिका
164	एमपी/138/2016	18 अगस्त 2016	अरुणाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रा.लि.	श्रेणी 3 से श्रेणी 2 (जम्मू और कश्मीर सहित) अंतरराज्यिक विद्युत व्यापार अनुज्ञप्ति के उन्नयन के लिए आवेदन	18.11.2016	विविध याचिका
165	एमपी/59/2016	6 अप्रैल 2016	पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लि.	नियंत्रण अवधि 1.4.14 से 31.3.2019. के लिए एनएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (आरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन याचिका	18.11.2016	विविध याचिका

166	टीएल/157/2016	30 th August, 2016	खारगोन ट्रांसमिशन लि.	खरगौन पारेषण लि. को पारेषण अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए केविविआ (पारेषण अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें व अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15(1) के साथ पठित धारा 14 के अधीन आवेदन	17.11.2016	ट्रेडिंग लाईसेंस
167	एमपी/54/2016	1 अप्रैल 2016	पावर सिस्टम आपरेशन कार्पोरेशन लि.	नियंत्रण अवधि 1.4.14 से 31.3.2019. के लिए एनएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एसआरएलडीसी के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (आरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन याचिका	18.11.2016	विविध याचिका
168	एमपी/55/2016	30 मार्च 2016	पावर सिस्टम आपरेशन कार्पोरेशन लि.	नियंत्रण अवधि 1.4.14 से 31.3.2019. के लिए एनआरएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एनआरएलडीसी के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (एनआरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन याचिका	18.11.2016	विविध याचिका
169	एमपी/56/2016	31 मार्च 2016	पावर सिस्टम आपरेशन कार्पोरेशन लि.	नियंत्रण अवधि 1.4.14 से 31.3.2019. के लिए आरएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आरएलडीसी के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (आरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन याचिका	18.11.2016	विविध याचिका
170	एटी/156/2016	30 अगस्त 2016	खारगोन ट्रांसमिशन लि.	खरगौन पारेषण लि. द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभार के अंगीकार के लिए केविविआ (पारेषण अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें व अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन	11.11.2016	टैरिफ का अंगीकार
171	एमपी/82/2016	28 मई 2016	एनटीपीसी लि.	31.12.2015 से आगे दस वर्षों के लिए पूर्व हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (अब हरियाणा विद्युत क्रय केन्द्र) के साथ 22.12.1995 के विद्युत क्रय करार के विस्तार के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (क) के अधीन याचिका	10.11.2016	विविध याचिका



172	टीटी/129/2016	3 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिण क्षेत्र में मैसूर उपकेन्द्र (1.5.2006) में 2 X 315 MVA, 400 /220 kV ICTs के साथ नीलमंगल मैसूर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के लिए टैरिफ ब्लॉक 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रेंडिंगअप पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	25.10.2016	पारेषण टैरिफ
173	एमपी/199/2016	18 अक्टूबर 2016	एनटीपीसी लि.	सौलापुर एसटीटीपी (2X660 MW) के Unit-I (660 MW) के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभ पूर्व गतिविधियों के लिए उसके आरंभ की तारीख से 15 महीने के आगे स्टार्टअप पावर की निकासी के विसतार की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग करते हुए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) (चौथी संशोधन) विनियम 2014 के विनियम 8(7) के अधीन याचिका	8.11.2016	विविध याचिका
174	जीटी/268/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए रामगुदम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज- III, (500 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	8.11.2016	उत्पादन टैरिफ
175	टीटी/27/2016	19 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: रांची-पश्चिमी क्षेत्र पूलिंग स्टेशन (सिपत) और आस्ति 2: पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से NER/SR/ WVR से और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात और पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क के लिए सामान्य योजना और पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से NER/SR/WVR से एवं पूर्वी क्षेत्र से उत्तर क्षेत्र द्वारा आयात, उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 765 केवी पूलिंग केन्द्र के लिए सामान्य योजना के अधीन रांची में 765 kv 3 x 80 MVAR बस रिएक्टर II बेज सहित के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 से पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	7.11.2016	पारेषण टैरिफ
176	याचिका सं एमपी/205 /2011 में 2016 के 5 व आई. ए. सं. 34 /2015 (2013 की अपील सं. 16 में 13.1.14 के अधि निर्णय के माध्यम से अपील न्याधिकरण के अनुसार परवर्ती आदेश	17 अक्टूबर 2011	मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.	यूआई संगणना सहित अनुसूचीकरण एवं प्रेषण, मीटरिंग, उर्जा लेखांकन के लिए स्वतंत्र उत्पादन केन्द्रों के रूप में सिंहपुरी एनर्जी प्रा. लि. द्वारा और याचिकाकर्ता द्वारा विकसित थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए और स्वतंत्र उत्पादन केन्द्र के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा विकसित की जा रही 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए एसआरएलडीसी और पोसोको को निर्देश देने के लिए याचिका	3.8.2016	विविध याचिका

177	टीटी/017/2014 में आरपी/30/2016	3 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 17/टीटी/2014. में 31.5.2016 के आदेश के पुनरीक्षण की याचिका	31.10.2016	पुनरीक्षण याचिका
178	एमपी/166/2016	1 सितम्बर 2016	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लि.	याचिकाकर्ता के पारेषण आस्तियों पर प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) के अधीन याचिका	31.10.2016	विविध याचिका
179	एमपी/212/2016	26 अक्टूबर 2016	एनटीपीसी लि.	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका	31.10.2016	विविध याचिका
180	एमपी/114/2016	15 जुलाई 2016	माई होम पावर प्रा लि.	श्रेणी III से श्रेणी II में व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए श्रेणी के परिवर्तन के लिए याचिका	31.10.2016	विविध
181	टीटी/147/2016	29 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: उत्तरी प्रणाली सुदृढीकरण योजना- XXXII के अधीन 400 केवी डी/सी पटियाला पंचकुला टी/एल के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	28.10.2016	पारेषण टैरिफ
182	248/टीटी/2015 में आरपी/49/2016	20 सितम्बर 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या . 248/टीटी/2015. में 30.5.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	27.10.2016	पुनरीक्षण याचिका
183	113/टीटी/2013 में आरपी/43/2016	8 सितम्बर 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 113/ टीटी /2013. में 18.3.2016 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करने वाली याचिका	27.10.2016	पुनरीक्षण याचिका
184	एमपी/62/2014 में आरपी/34/2016	5 अगस्त 2016	रत्न इंडिया पावर लि.	याचिका संख्या 62/एमपी/2014. में 25.5.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	20.10.2016	पुनरीक्षण याचिका
185	जीटी/269/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	.4.2014 से 31.3.2019 के लिए राजीव गांधी समन्वित साइकल पावर प्रोजेक्ट, कायामकुलम (359.58 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	27.10.2016	उत्पादन टैरिफ
186	याचिका संख्या. 127/2012, 128/टीएल/2012 एवं 156/एमपी/2012 आरपी/10/2015	4 जून 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 127/2012, 128/टीएल/2012 & 156/एमपी/2012. में 6.4.2015 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	20.10.2016	पुनरीक्षण याचिका



187	एमपी/35/2016	3 मार्च 20116	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	अधिनियम की धारा 79 (I) (सी) और 79 (I) (के) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38 (2) के अधीन याचिका जिसके साथ (i) केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 (ii) (केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी के लिए अन्तरराज्यिक पारेषण योजना के कार्यनिष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 2010 (iii) केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 और 114 (iv) नबीनगर- II एसटीपीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के कार्यनिष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने और दीर्घकालिक पहुंच करार को हस्ताक्षर करने के लिए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभाओं और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010	20.10.2016	विविध याचिका
188	एमपी/10/2016	20 जुलाई 2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 का गैर अनुपालन	20.10.2016	स्व प्रेरणा से
189	आरपी/26/2016 in 50/एमपी/2015	15 जुलाई	एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लि.	याचिका संख्या .50/एमपी/2016. में 25.05.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	20.10.2016	पुनरीक्षण याचिका
190	टीटी/106/2016	6 जुलाई 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 4.2.2016) 400 केवी आरएपीपी-सुजलपुर के सीकेटी-1 के लिए 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी बे का 01 नंबर आस्ति-2: पश्चिमी क्षेत्र में आरएपीपी 7 और 8 के एटीएस पार्ट के लिए सुजलपुर 400 केवी बेज के उपबंध के अधीन 400 केवी आरएपीपी सुजलपुर पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 28.2.2016) के सीकेटी-2 के लिए 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी बे का 01 नंबर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अनुमोदन के लिए याचिका	26.10.2016	पारेषण टैरिफ
191	टीटी/160/2016	30 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र वैलूर टीपीएस से संबद्ध अनुपूरक पारेषण प्रणाली के अधीन वैलूर-टीपीएस मेलाकोटियर 400 केवी डी/सी लाइन के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ अवधि के टूटिंगअप के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	26.10.2016	पारेषण टैरिफ

192	जीटी/207/2014 आरपी/41/2016	8 सितम्बर 2016	एनटीपीसी लि.	याचिका संख्या 207/जीटी/2014 में 20.7.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	27.10.2016	पुनरीक्षण याचिका
193	टीटी/163/2016	30 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i)2009-14 टैरिफ ब्लॉक लिए ट्रूंग अन्तरराज्यिक पारेषण पारेषण टैरिफ (i) रामपुर एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन रामपुर में (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2014) 400 केवी डी/सी नाथफा-झाकरी नालागढ़ (ट्रिपल स्नोबर्ड) लाइन के पहले सर्किट के लीलो के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अनुमोदन के लिए याचिका	26.10.2016	पारेषण टैरिफ
194	टीटी/124/2016	1 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i)2009-14 टैरिफ ब्लॉक लिए ट्रूंग पारेषण टैरिफ (i)पूर्वी उत्तरी और दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में रिपेक्टरों और स्पेयर आईसीटी के उपबंध के अधीन भिवाड़ी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2013) में आर्स्ट-1 315 एमवीए 400/220 केवी भिवाड़ी में टैरिफ ब्लाक 2009-14 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अनुमोदन के लिए याचिका	26.10.2016	पारेषण टैरिफ
195	टीटी/145/2016	29 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i)2009-14 टैरिफ ब्लॉक लिए ट्रूंग पारेषण टैरिफ (ii)दक्षिणी क्षेत्र के लिए रिपेक्टरों और स्पेयर आईसीटी के उपबंध के लिए टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अनुमोदन के लिए याचिका	21.10.2016	पारेषण टैरिफ
196	जीटी/302/2014 में आरपी/48/2016	17 सितम्बर 2016	एनटीपीसी लि.	याचिका संख्या 302/जीटी/2014. में 30.7.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	20.10.2016	पुनरीक्षण याचिका
197	एमपी/74/2016	4 मई 2016	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लि.	प्रत्यर्थी के साथ याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित पारेषण सेवा करार के अनुसार परियोजना की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और प्रभावी तारीख के घोषणा की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू अन्य उपबंधों और धारा 79 (1)(ग) के साथ पठित धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका	14.10.2016	विविध याचिका
198	टीडीएल/2/2016	8 जनवरी 2016	एनटीपीसी लि.	विद्युत में अन्तरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञापति प्रदान करने के लिए याचिका	14.10.2016	ट्रेडिंग



199	जीटी/254/2014	26 अगस्त 2014	नवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लि.	एनएलसी टीपीएस 1 विस्तार 2 X 210 MW के लिए केविविआ टैरिफ विनियम 2014 की अधीन 2014-19 की अवधि के लिए (वार्षिक नियत प्रभार और उर्जा प्रभार) टैरिफ के लिए याचिका	4.10.2016	उत्पादन टैरिफ
200	जीटी/207/2015	22 जुलाई 2015	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2014 - 2019 की अवधि के लिए मेजीया टीपीएस यूनिट 7 और 8 (2 x 500 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	3.10.2016	उत्पादन टैरिफ
201	आरसी/211/2015	18 अगस्त 2015	पावर एक्सचेंज इंडिया लि.	केविविआ (पावर मार्केट) विनियम 2010 के विनियम 18 (1) 19(1) और 20 के अधीन यथानिर्धारित नेटवर्थ मानदण्ड और शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समयावधि की मांग करते हुए आवेदन	29.9.2016	विनियामक अनुपालन
202	याचिका सं 251/ जीटी/2013 आरपी/05/2016	25 जनवरी 2016	ब्रखा बीस मैनेजमेंट बोर्ड	याचिका संख्या 251/GT/2013 में 12.11.2015 के पुनरीक्षण के लिए याचिका	30.9.2016	पुनरीक्षण याचिका
203	जीटी/354/2014	28 सितम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए मैथन हाइड्रल पावर स्टेशन यूनिट नंबर I, II and III (2 X 20 MW + I X 23.2 MW) के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	20.9.2016	उत्पादन टैरिफ
204	जीटी/352/2014	28 सितम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए मेजीया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट नंबर IV (4 X 210 MW) के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	20.9.2016	उत्पादन टैरिफ
205	जीटी /351/2014	28 सितम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए तिलाया हाइड्रल पावर स्टेशन यूनिट नंबर I, and II (2 X 2 MW) के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	23.9.2016	उत्पादन टैरिफ
206	जीटी /350/2014	28 सितम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए बोकारो थर्मल पावर स्टेशन यूनिट नंबर I, II and III (3 X 210 MW) के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	27.9.2016	उत्पादन टैरिफ
207	जीटी /349/2014	28 सितम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट नंबर I, II and III (3 X 130 MW) के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	23.9.2016	उत्पादन टैरिफ
208	टीएल/122/2016	29 जुलाई 2016	गुडगांव पलवल ट्रांसमिशन लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15(1) के साथ पठित धारा 14 के अधीन पारोषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	29.9.2016	व्यापार अनुज्ञप्ति
209	टीएल /116/2016	18 जुलाई 2016	नार्थ करनपुरा ट्रांसको लि.	नार्थ करनपुरा ट्रांसको लि. के लिए पारोषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में केविविआ (पारोषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 200 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, 15, 79 (1) (e) के अधीन आवेदन	29.9.2016	व्यापार अनुज्ञप्ति

210	टीए/111/2016	14 जुलाई 2016	वरोरा कुमाऊं ट्रांसमिशन लि.	वरोरा-कुरनूल पारेषण लि. के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2003 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अधीन आवेदन	29.9.2016	व्यापार अनुज्ञप्ति
211	याचिका संख्या 291/टीटी/2013 में आरपी/7/2016	27 जनवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 291/टीटी/2013 में 24.11.2015 के पुनरीक्षण के लिए याचिका	29.9.2016	पुनरीक्षण याचिका
212	एमपी/030/2014	22 फरवरी 2014	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) के विनियम 8 (2) और 8 (4) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के लिए संयोजकता हेतु तकनीकी मानदण्ड) विनियम 2007 के विनियम 4(2) and 6 (6) के अनुसार संयोजकता प्रदान करने के लिए याचिका	28.9.2016	विविध याचिका
213	टीटी/25/2016	19 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रेंगअप और (ii) दक्षिण गी क्षेत्र में डीवीसी और मैथॉन (आरबी) से संबद्ध अनुपूरक पारेषण प्रणाली के अधीन मैथॉन-कोडरमा (कोडरमा-गया का भाग) लाइन आस्टि-1 400 केवी डी/सी (क्वेद) लाइन के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	29.9.2016	पारेषण टैरिफ
214	जीटी/334/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए तलचर थर्मल पावर स्टेशन (460 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	26.9.2016	उत्पादन टैरिफ
215	11/एमपी/2016	25 जनवरी 2016	नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लि.	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 110,111, 112 & 115 के साथ पठित (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) के विनियम 10,19 and 23 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(सी) और (एफ) के अधीन याचिका	26.9.2016	विविध याचिका
216	जीटी/253/2014	26 अगस्त 2014	नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	2014-19 की अवधि के लिए केविविआ टैरिफ विनियम 2014 के अधीन एमडब्ल्यू एनएलसी टीपीएस I 6 X 50 + 3 X 100 के लिए टैरिफ के अवधारण (वार्षिक नियत प्रभार और उर्जा प्रभार) के निर्धारण के लिए याचिका	26.9.2016	उत्पादन टैरिफ
217	याचिका संख्या.153/2015 में 19/आरपी/2016	21 मार्च 2016	ससान पावर लि.	याचिका संख्या 2015 का 153 में 19.2.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	22.9.2016	पुनरीक्षण याचिका



218	जीटी/229/2014	24 अगस्त 2014	एनएचपीसी लि.	2014-19 की अवधि के लिए नीमू बाज़गो एचई प्रोजेक्ट (3 x 15 MW) के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण की याचिका	22.9.2016	उत्पादन टैरिफ
219	एमपी/43/2016	14 मार्च 2016	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लि.	पारेषण परियोजनाओं के पूर्व आरंभ करने को प्रोत्साहित करने के लिए नीति के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 15.7.2015 के आदेश और 24.7.2013 के पारेषण सेवा करार के साथ पठित 23.12.2015 के राजस्व शेयरिंग करार 22.12.2015 के पारेषण सेवा करार के अधीन 26.12.2015 से आरंभ अवधि के लिए मासिक पारेषण प्रभारों के भुगतान की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(सी) के साथ पठित धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका	21.9.2016	विविध याचिका
220	286/जीटी/2014 में आरपी/27/2016	18 जुलाई 2016	एनटीपीसी लि.	याचिका संख्या 286/जीटी/2014 में 31.5.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	22.9.2016	पुनरीक्षण याचिका
221	टीटी/243/2014	24 अगस्त 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि	उत्तरी क्षेत्र ग्रिड स्टेज 2 के लिए विशेष संरक्षण योजना के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	22.9.2016	पारेषण टैरिफ
222	एमपी/158/2016	30 अगस्त 2016	लैंको अमरकंटक पावर लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और अन्य राहतों के विनियम 3 (42) के अनुसार उक्त खण्डों के लिए परिवर्ती निर्देशों और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के विनियम 3(42) के विपरीत पावर ग्रिड भरारी उपकेन्द्र बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 765/400 केवी स्विचयार्ड में 02 टाई बेज सहित 400 केवी लाइन बेज के याचिकाकर्ता के 2 नंबर के रखरखाव और प्रचालन के लिए प्रत्यर्थी नंबर 1 और याचिकाकर्ता के बीच निष्पादित की जाने वाली प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के खण्ड 3.1.4 और 6.2 विपरीत हैं उसकी घोषणा की मांग करते हुए अन्य बातों के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (एफ) और 79 (1) (के) के साथ पठित 79 (1) (बी) के अधीन याचिका	21.9.2016	विविध याचिका
223	टीटी/543/2014	29 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 06.06.1989) विंध्याचल में बैक टू बैक (2 X 250 MW) एचवीटीवी के साथ 400 केवी एस/सी सिंगरौली विंध्याचल पारेषण लिंक के लिए 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 के लिए ट्रैंगअप पारेषण के टैरिफ के लिए याचिका	20.9.2016	पारेषण टैरिफ

224	जीटी/353/2014	28 सितम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	2014-19 अवधि के लिए पंचल हाइडल पावर स्टेशन यूनिट नंबर 1 और 2 (2 X 40 MW) के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	20.9.2016	उत्पादन टैरिफ
225	एमपी/123/2016	1 अगस्त 2016	ओडिशा जनरेशन फेस II ट्रांसमिशन लि.	(i) झारसुगडा (सुन्दरगढ़) - रायपुर पूल 765 केवी डी/सी लाइन (हेक्सा जेब्रा कंडक्टर) और (ii)ओपीजीसी- झारसुगडा (सुन्दरगढ़) 400 केवी डी/सी (ट्रिपल स्नोबर्ड कंडक्टर) निम्नलिखित पारेषण लाइनों के लिए प्रतिभूति न्यासी/ऋणदाताओं के पक्ष में किसी भावी प्रतिभूति सृजन के लिए और परियोजना में ऋणदाता/प्रतिभूति न्यासी के लाभ के लिए परियोजना आस्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से दृष्टिबंधक की असत्यापित विलेख के अनुसरण में प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में प्रतिभूति सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	20.9.2016	
226	एसएम/05/2016	28 अप्रैल 2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविआ (व्यापार अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 का गैर अनुपालन	20.9.2016	स्व प्रेरणा से
227	एमपी/76/2016	18 मई 2016	पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लि.	केविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र के जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 2014 निर्देश देने के लिए शक्ति) और विनियम 15 (छूट के लिए शक्ति) और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित विनियम 24 के अधीन याचिका	20.9.2016	विविध याचिका
228	एमपी/159/2016	30 अगस्त 2016	जिंदल पावर लि.	30 सितंबर 2016 के आगे 4 X 600 MW पावर प्लांट के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतर्क्षेपण की अनुमति के लिए अनुमति की मांग करते हुए केविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 की धारा 8(7)के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(के) के अधीन याचिका	20.9.2016	विविध याचिका
229	टीटी/134/2015	12 मई 2015	टोरंट पावर ग्रिड लि.	अनुज्ञापित नं. 2/पारेषण /केविआ 16.05.2007 के माध्यम से टोरंट पावर ग्रिड लि. द्वारा निर्मित, रक्षित, और प्रचालित पारेषण प्रणाली के लिए 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 01 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए पूंजी लागत की टूईंगअप के लिए याचिका	19.9.2016	पारेषण टैरिफ



230	एमपी/02/2014	17 जनवरी 2014	नवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लि.	विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 2012 की अपील संख्या 250 में 3.7.2013 के आदेश और आयोग द्वारा 2010 की याचिका संख्या 15 में पारित 20.9.2012 के आदेश के अनुसरण में आयकर के लिए समायोजन की मात्रा के संबंध में केरल राज्य विद्युत बोर्ड की याचिका	9.9.2016	विविध याचिका
231	एमपी/206/2014	14 अगस्त 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	यूनिफाइड रियल टाइम डाइनैमिक राज्य परिमाणन फेज-2 के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए याचिका	16.9.2016	विविध याचिका
232	जीटी/287/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए अंत जीपीएस (419.33 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	19.9.2016	उत्पादन टैरिफ
233	टीटी/57/2014	31 मार्च 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2009-14 ब्लॉक अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में मौजूदा यूएलडीसी के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के लिए फीस व प्रभारों के अवधारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(घ) और धारा 28 की उपधारा (4) के अनुमोदन के लिए याचिका	15.9.2016	पारेषण टैरिफ
234	याचिका संख्या टीटी/100/2012 में आरपी/6/2015	23 मार्च 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या टीटी/100/2012 में 20.1.2015 के पुनरीक्षण के लिए याचिका	15.9.2016	पुनरीक्षण याचिका
235	एमपी/117/2016	26 जुलाई 2016	भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.	आरंभिक सिंक्रोनाइजेशन से 6 महीने से आगे नबी नगर टीपीपी (4 x 250 MW) के यूनिट संख्या 1 (250 MW) के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण और आरंभ करने के लिए इनफर्म पावर के अंतर्क्षेपण और स्टार्टअप पावर की निकासी की अवधि के विस्तार की अनुमति के लिए अनुमति की मांग करते हुए केविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका	14.9.2016	विविध याचिका
236	एमपी/58/2016	31 मार्च 2016	एमबी पावर (एमपी) लि.	18.1.2014 के बैक टू बैक पीपीए (प्रत्यर्था संख्या 6 और प्रत्यर्था संख्या 2 से 5 के बीच) के साथ पठित 20.1.2014 के पीपीए (याचिकाकर्ता और प्रत्यर्था संख्या 6 के बीच) के उपबंधों के अनुसार परवर्ती राहत और "विधि में परिवर्तन" की घोषणा के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) (बी) and (एफ) के अधीन याचिका	14.9.2016	विविध याचिका

237	एमपी/47/2016	16 मार्च 2016	एम.बी. पावर(मध्य प्रदेश) लि.	18.1.2014 के बैक टू बैक (प्रत्यर्था संख्या 6 और प्रत्यर्था संख्या 2 से 5 के रूप में नामित विवाद में पार्टियों के बीच) के साथ पठित याचिकाकर्ता के बीच (मैसर्स एम.बी. पावर (एमपी) लि0 और प्रत्यर्था संख्या 6 (मैसर्स पीटीसी इण्डिया लि.) के बीच हस्ताक्षरित 20.1.2014 के पीपीए के उपबंधों के अनुसार परवर्ती राहतों और "विधि में परिवर्तन" से उद्भूत क्षतिपूर्ति के लिए दावों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) (बी) और (एफ) के अधीन याचिका	14.9.2016	विविध याचिका
238	टीटी/96/2016	2 जुलाई 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण योजना XIV के अधीन संबद्ध बेज और 1 x 315 MVA 400/220kV ट्रांसफार्मर द्वारा होसर उपकेंद्र की वृद्धि के लिए याचिका	22.8.2016	पारेषण टैरिफ
239	जीटी/273/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	टैरिफ अवधि 2009-14 के लिए तलचर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेशन (460 MW) के लिए 2009 की याचिका संख्या 304 में अंतिम टूअप याचिका	31.8.2016	उत्पादन टैरिफ
240	टीटी/247/2015 में आरपी/31/2016	3 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 247/टीटी/2015 में 29.4.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	26.8.2016	पुनरीक्षण याचिका
241	टीटी/98/2016	2 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए टूअप पारेषण टैरिफ (ii) दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण योजना XVIII के अधीन होसर में मौजूदा बैंगलोर सलेन 400 केवी एस/सी लाइन के लीलो के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	30.8.2016	पारेषण टैरिफ
242	टीटी/97/2016	2 जुलाई 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूइंगअप (ii) पश्चिमी क्षेत्र में एम.बी. पावर (एम.पी.) लि. के कनेक्टिविटी के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन याचिका संख्या टीटी/38/2014 में दिनांक 24.11.2015 केविविआ आदेश में कवर किए गए 400 केवी डीसी एमवी टीपीएस (अन्नपुर) जबलपुर पूल स्टेशन टीएल तक अंतरिम आकस्मिकता 2 नंबर 50 एमवीएआर लाइन नंबर (बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित) सहित 2 नंबर लाइन बेज के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन	22.8.2016	पारेषण टैरिफ



243	टीटी/23/2015	22 जनवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(1) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए टूअप फीस एवं प्रभार का अवधारण (2) एनएलडीसी (पावरग्रिड भाग) के अधीन संचार योजना के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक की अवधि के लिए फीस व प्रभार के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन याचिका	14.9.2016	पारेषण टैरिफ
244	जीटी/206/2015	22 जुलाई 2015	दामोदर वैली कार्पोरेशन लि.	टैरिफ अवधि 2011-14 के लिए मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट संख्या 7 और 8 के टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में टूअप याचिका	14.9.2016	उत्पादन टैरिफ
245	टीटी/148/2016	29 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए टूईगअप पारेषण और (ii) पश्चिमी क्षेत्र सीपत-1 पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	9.9.2016	पारेषण टैरिफ
246	टीटी/152/2016	29 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वात्तर क्षेत्र में "पलाटना और जीबीपीपी और बोंगांव टीपीएस प्रोजेक्ट" के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ और 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए टूअप पारेषण टैरिफ के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	08/09/2016	पारेषण टैरिफ
247	याचिका संख्या टीटी/53/2015 में आरपी/35/2016	9 अगस्त 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या टीटी/53/2015 में 21.4.2016 के आदेश पुनरीक्षण के लिए याचिका	7.9.2016	पुनरीक्षण याचिका
248	एमपी/106/2015	6 अप्रैल 2015	एनएसएल नागापत्तनम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	बैंक गारंटी के नकदीकरण और निर्बाध पहुंच को रद्द करने में प्रत्यर्था की कार्रवाई के विरुद्ध केविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की अन्य लागू उपबंधों और धारा 79 (i) (सी) और (एफ) के अधीन याचिका	7.9.2016	विविध याचिका
249	एटी/120/2016	29 जुलाई 2016	गुड़गाव पलवल ट्रांसमिशन लि.	याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित की जारी पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों को अपनाने के लिए याचिका	6.9.2016	टैरिफ का अंगीकार
250	याचिका संख्या टीटी/91/2012 में आरपी/19/2015	29 जुलाई 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या TT/91/2012 में 26.5.2015 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	7.9.2016	पुनरीक्षण याचिका

251	एमपी/68/2015	2 मार्च 2015	एनटीपीसी लि	केविविआ टैरिफ विनियम 2014 -19 के विनियम 30(4) के अनुसार हिताधिकारियों को प्रोत्साहन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एकसमान पद्धति प्रदान करने के लिए याचिका	6.9.2016	विविध याचिका
252	एटी/121/2016	29 जुलाई 2016	नार्थ करनपुरा ट्रांसको लि.	उत्तरी करनपुरा ट्रांसको लि. द्वारा स्थापित की जारी पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकार के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका	6.09.2016	पारेषण टैरिफ का अंगीकार
253	टीटी/422/2014	23 नवम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: बीना उपकेन्द्र में 765 kV 3x80 एमवीएआर बस रिएक्टर बेज सहित आस्ति-2: इंदौर उपकेन्द्र में 765 kV 3x80 एमवीएआर बस रिएक्टर बेज सहित आस्ति-3: ग्वालियर उपकेन्द्र में 765 kV 3x80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर बेज सहित (765 केवी एस/सी ग्वालियर जयपुर दूसरा सर्किट पारेषण लाइन की पूर्ति तक आंतरिक आकस्मिक योजना के अधीन बस रिएक्टर के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली) आस्ति-4: 765 केवी एस/सी ग्वालियर-जयपुर दूसरा सर्किट पारेषण लाइन और 765/400 केवी फागी (आरवीपीएन-जयपुर) उपकेन्द्र का बे एक्सटेंशन और आस्ति-5: केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में उड़ीसा पार्ट-सी में फेज-1 उत्पादन परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन 765 kV S/C बीना-ग्वालियर थर्ड सर्किट पारेषण लाइन के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	27.4.2016	पारेषण टैरिफ
254	एमपी/150/2015	24 जून 2015	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	असम ग्रिड के माध्यम से कुरीछु एनर्जी के पुनः आयात की योजना के अधीन भूटान की रॉयल सरकार को उर्जा के निर्यात के लिए 1.4.2003 से आगे की अवधि के लिए उर्जा की लागत की उगाही की अनुमति के लिए याचिका	13.6.2016	विविध याचिका
255	याचिका संख्या 229/2010में आरपी/12/2015	24 जून 2015	अरावली पावर कंपनी प्रा. लि.	31.3.2014. तक यूनिट-1 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अवधि के लिए इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-I (3 X 500 MW) के टैरिफ के अनुमोदन करने वाले 2010 के याचिका संख्या 229 में 6.5.2015 के आदेश का पुनरीक्षण	27.6.2016	पुनरीक्षण याचिका
256	एमपी/419/2014	29 अक्टूबर 2014	रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	4.8.2010 के पारेषण सेवा करार के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (1) (f) के अधीन याचिका	27.6.2016	विविध याचिका



257	टीटी/418/2014	29 अक्टूबर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज सहित पुनः (जीआईएसएस) में 750 केवी 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर और 240 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर तथा पुर्ण जीआईएस में 2 X 1500 MVA, 765/400kV ICT 1 & 2 संबद्ध बेज और उपकरण सहित पुणे जीआईएस/एस में 400 केवी डी/सी पुणे-पारली के लीलो और 765 केवी एस/सी सोलापुर-पुर्ण टीएल आस्ति-2: पश्चिम क्षेत्र में 'कृष्णापटनम यूएमपीपी पार्ट ख से संबद्ध पारेषण प्रणाली' के अधीन 400 केवी 50एमवीएआर लाइन रिएक्टर और संबद्ध बेज सहित पुर्ण जीआईएस एस/एस में 400 केवी डी/सी ओरंगाबाद-पुणे के लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	31.5.2016	पारेषण टैरिफ
258	टीटी/416/2014	29 अक्टूबर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिण क्षेत्र में तमिलनुडु पार्ट-ए1 (क) के नागपट्टनम/कूडालोर क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजनाओं से संबद्ध पारेषण सामान्य योजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन 1 X 125 MVAR बस रिएक्टर के साथ नागपट्टनम में नए 400केवी जीआईएस पूलिंग स्टेशन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	22.8.2016	पारेषण टैरिफ
259	टीटी/164/2015	2 जुलाई 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-1 के अधीन 400 केवी डी/सी सिलिगुडी-पुरनिया (एचटीएलएस कंड.) के सीकैटी-1 के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.4.2016	पारेषण टैरिफ
260	टीटी/415/2014	29 अक्टूबर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति 1: वर्धा से सोलापुर (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2015) 500 एमवीएआर ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग करते हुए 1 X 315 MVA (3rd) ट्रांसफार्मर द्वारा उपकेन्द्र की 400/220 केवी सोलापुर एस/एस वृद्धि के विस्तार आस्ति 2: पश्चिमी क्षेत्र में सोलापुर एसटीपीपी (2X660 MW) के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन सोलापुर (पीजी) एस/एस (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2015) बे-विस्तार सहित 400 केवी डी/सी सोलापुर (एसटीपीपी) सलेहपुर (पीजी) टी/एल के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.5.2016	पारेषण टैरिफ

261	टीटी/411/2014	29 अक्टूबर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ ब्लॉक 2014-19 के लिए उत्तरी क्षेत्र में पारबती-III से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन पारबती पूलिंग स्टेशन (बनाला) में 400 kV D/C Parbati-II-Koldam पारेषण लाइन के प्रथम सीकेटी के लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से (1.4.2014) 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.7.2016	पारेषण टैरिफ
262	आरसी/175/2015	10 जुलाई 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविआ (पावर मार्केट) विनियम 2010 के अन्य लागू उपबंधों तथा विनियम 24 के अनुपालन में आवेदन	6.5.2016	विनियामक अनुपालन
263	RP/14/2015 in याचिका संख्या टीटी/201/2012	10 जुलाई 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ ब्लॉक 2009-2014 के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड भाग-2 के केन्द्रीय भाग के लिए प्रणाली से संबद्ध पारेषण आस्तियां (गुप-3) के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या 201/TT/2012 में 6.5.2015 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	29.6.2016	पुनरीक्षण याचिका
264	टीटी/410/2014	29 अक्टूबर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(एफ) एवं लुधियाना (एस/एस) में संबद्ध बेज सहित में बबुरा सब-स्टेशन (क) आईसीटी 500 MVA 400/220 KV बस्सी एक्सटेंशन उपकेन्द्र (ख) ICT 315 MVA 400/220 KV इलाहाबाद उपकेन्द्रों (ग) ICT 500 MVA 400/220 KV मेरठ एक्सटेंशन उपकेन्द्र (घ) बबुरा सब-स्टेशन 400/220KV, 105MVA ICT (ङ) (लुधियाना एस/एस) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2014) में संबद्ध 500 एमवीए आईसीटी (च) उत्तरी क्षेत्र में "उत्तरी क्षेत्र भाग क में ट्रांसफार्मर की वृद्धि" के अधीन लुधियाना एस/एस में 220 केवी बेज के 2 नम्बर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 21.3.19 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	2.6.2016	पारेषण टैरिफ
265	टीटी/189/2015	27 जुलाई 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना के केन्द्रीय क्षेत्र के भाग के लिए (1030.426 km) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	10.8.2016	पारेषण टैरिफ
266	एसएम/8/2015	27/7/2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के विनियम 5.2(ओ) का गैर-अनुपालन	31.5.2016	स्वप्रेरणा से



267	409/409/2014	29 अक्टूबर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	<p>आस्ति-1: वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.11.2014 जबलपुर 765/400 केवी पूलिंग एस/एस में 400 KV 125 एमवीएआर (3 Ph) बस रिएक्टर-2 बेज सहित</p> <p>आस्ति-2: वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2015 जबलपुर 765/400 केवी पूलिंग एस/एस में 765 KV, 3*80+1*80 (Spare) एमवीएआर बस रिएक्टर-2 बेज सहित और आस्ति-3: पश्चिमी क्षेत्र में "उड़ीसा (पार्ट-बी) में फेज-1 उत्पादन परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली" के अधीन जबलपुर पूलिंग एस/एस में प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2015 (बस रिएक्टर के रूप में अंतरिम आकस्मिकता) 765/400 केवी जबलपुर पूलिंग एस/एस में 6 रमजयगढ़ ckt.#2 और 3*80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के लिए 765 केवी बे के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका</p>	28.4.2016	पारेषण टैरिफ
268	टीटी/403/2014	29 अक्टूबर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिण प्रादेशिक ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण-XIII से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन 2X500 MVA ट्रांसफार्मर सहित मधुगिरी में नए 400/220 केवी सबस्टेशन की स्थापना एवं संबद्ध बेज सहित गूटी-मधुकिगरी 400/220 केवी डी/सी लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2019 तक टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	19.7.2016	पारेषण टैरिफ
269	जीटी/401/2014	29 अक्टूबर 2014	टोरंट पावर लि.	यूनासुजेन गैस आधारित समन्वित साइकल पावर प्रोजेक्ट (382.5 MW) के केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अनुसार 1.4.2014 से 31.3.2014 अवधि के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	18.8.2016	उत्पादन टैरिफ
270	टीटी/399/2014	29 अक्टूबर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(क) पर्ली एस/एस में 400 KV, 1*125MVAR बस रिएक्टर (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.10.2014) और (ख) पश्चिम क्षेत्र में रिएक्टर (भाग 2) की स्थापना के अधीन 400/220 KV पुणे एस/एस में स्विचेबल लाइन रिएक्टर में 50 MVAR Line reactor (4nos) का प्रत्यावर्तन (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2015)	26.4.2016	पारेषण टैरिफ
271	टीटी/199/2015	6 अगस्त 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में सासन एवं मुन्द्रा यूएमपीपी के लिए उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण के अधीन संबद्ध बेज सीकर-रतनगढ़ लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 तथा केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	28.4.2016	पारेषण टैरिफ

272	टीटी/201/2015	4 अगस्त 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में एनटीपीसी लि. के कुदीगी टीपीएस फेज -1 (3 x 800 MWI) से पावर की निकासी के लिए अपेक्षित पारेषण प्रणाली से संबद्ध उपकेन्द्र विस्तार कार्य के अधीन कुदीगी टीपीएस-नरेन्द्र (न्यू) 400 kv 2 x D/c Quad lines में 4 नंबर 400 केवी लाइन बेज के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.19 तक टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	29.7.2016	पारेषण टैरिफ
273	टीटी/208//2015	17 अगस्त 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: भिवानी और हिसार में संबद्ध बेज सहित भिवानी-हिसार 400 केवी डी/सी लाइन और आस्ति-2: उत्तरी क्षेत्र में एनआरएसएस XXV के अधीन हिसार में संबद्ध बेज सहित हिसार में मोगा-भिवाड़ी 400 केवी डी/सी लाइन के लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	26.4.2016	पारेषण टैरिफ
274	टीटी/213/2015	31 जुलाई 2015	उत्तरपूर्व पारेषण कंपनी लि.	आस्ति-1: पलानटन-सिलचर टिवन मूज कंडक्टर पारेषण लाइन आस्ति-2: सिलचर रानीहाट में डीसी टावर में एक सर्किट टिवन मूज कंडक्टर पारेषण लाइन 214.41 किलोमीटर आस्ति-3: बिरनीहाट-बोंगेगांव (डीसी टावर पर एक सर्किट) टिवन मूज कंडक्टर पारेषण लाइन 201 किलोमीटर आस्ति-4: सिलचर-अजरा (डीसी टावर पर एक सर्किट) आस्ति-5: पूर्वोत्तर पारेषण कं. लि. का अजरा-बोंगेगांव केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014-19 के लागू उपबंधों के अधीन आस्तियों की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अर्थात 1.9.2012 से 22.2.2015 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	16.8.2016	पारेषण टैरिफ
275	टीटी/215/2015	8 सितम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी उत्तरी दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र के लिए स्पेयर आईसीटी और रिएक्टर के उपबंधों के अधीन गंगटोक एस/एस में आस्ति-1 50 एमवीए 3 पीएच आईसीटी के 01 नंबर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	25.4.2016	पारेषण टैरिफ
276	एमपी/216/2015	8 सितम्बर 2015	एस्सार स्टील इंडिया लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) (च) के अधीन याचिका	6.7.2016	विविध याचिका



277	एमपी/222/2015	23 सितम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविआ (कारोबार का संचालन) (संशोधन) विनियम 2009 और विनियम 35 (छूट की शक्ति) और आरएलडीसी फीस व प्रभार विनियम 2015 के विनियम संख्या 36 (कठिनाई का निराकरण) के विनियम 111 के साथ पठित विनियम 24 के अधीन याचिका	30.8.2016	विविध याचिका
278	जीटी/347/2014	28 सितम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	अवधि 2014-19 के लिए मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट नंबर I, II और III (3 X 210 MW) के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	31.8.2016	उत्पादन टैरिफ
279	टीटी/230/2015	13 अक्टूबर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में "सिक्किम में उत्पादन परियोजनाओं से एनआर/डब्ल्यूआर भाग ख में विद्युत के अंतरण" के लिए पारिषण प्रणाली के अधीन किशन गंज उपकेन्द्र में संबद्ध बेज द्वारा 400 केवी क्वेड किशन गंज पटना पारिषण लाइन के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक आर्स्टि-1 के टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	31.5.2016	पारिषण टैरिफ
280	टीटी/233/2015	11 सितम्बर 2015	उत्तर पूर्व पारिषण कंपनी लि.	आर्स्टि-1 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 1.9.2012 तक पलाटना सिलचर और आर्स्टि-2 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2009-2014 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 1.3.2013 तक सिलचर-बाईरनीहट के लिए पारिषण टैरिफ के अवधारण के लिए 2009-2014 अवधि के लिए टूअप याचिका	29.7.2016	पारिषण टैरिफ
281	एमपी/234/2015	14 अक्टूबर 2015	एनटीपीसी लि.	वाणिज्यिक प्रचालन की अनुमानित तारीख से अर्थात् 31.10.2015 to 31.3.2019 तक की अवधि के लिए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-V (500 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	31.8.2016	उत्पादन टैरिफ
282	एमपी/236/2015	20 अक्टूबर 2015	बुदगी ट्रांसमिशन लि.	पारिषण परियोजना के प्रथम घटक के पूरा होने की तारीख से पारिषण प्रभारों की वसूली के लिए याचिका	27.6.2016	विविध याचिका
283	एमपी /239/2015	21 अक्टूबर 2015	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारिषण प्रभार और हानियां की शेरिंग) (तीसरा संशोधन) विनियम 2015 के माध्यम से संशोधन के कार्यान्वयन के बाद असम के पीओसी प्रभारों की असामान्य वृद्धि के मामले में केविविआ (अन्तरराज्यिक पारिषण प्रभार और हानियां की शेरिंग) विनियम 2010 के विनियम 21 "कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति" के अधीन याचिका	30.6.2016	विविध याचिका

284	एमपी /246/2015	06 अक्टूबर 2015	पावर एक्सचेंज इंडिया लि.	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (पावर मार्केट) विनियम 2010 के विनियम 63 (i) और 63 (iii) के विनियम 111 और 113, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66, 79 (1) (c), 79 (1) (k) and 178 के अधीन याचिका	8.8.2016	विविध याचिका
285	टीटी/247/2015	27 अक्टूबर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में भाग क में ट्रांफार्मर की वृद्धि के अधीन मोगा में 2 नंबर 220 kV लाइन बेज के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	29.4.2016	पारेषण टैरिफ
286	एमपी/249/2015	27 अक्टूबर 2015	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि.	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (सी) और 79 (1) (f) के अधीन याचिका	6.7.2016	विविध याचिका
287	टीटी/256/2015	30 अक्टूबर 2015	पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लि.	केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अधिनियम 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए उत्तरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आइवीपी परियोजना के लिए डब्ल्यू आर एनआर एचवीडीसी इन्टरकनेक्टर के अधीन कुरुक्षेत्र में संबद्ध जीआईसी बेज नंबर 1 सहित कुरुक्षेत्र में 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर और 4 नंबर जीआईसी बेज कुरुक्षेत्र में संबद्ध बेज सहित अब्दुल्लापुर सोनीपत 400 केवी डीअसईसी ट्रिपल के लीलो जालंधर में 1 नंबर 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर और नकोदर में 1 नंबर 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर में 2 नंबर पारंपरिक बेज जालंधर में पारंपरिक बेज नंबर 2 कुरुक्षेत्र में जीआईसी बेज संबद्ध बेज सहित 400 / 220 केवी नकोदर (पीएसटीसीएल) सबस्टेशन वाया एक सीकेटी कुरुक्षेत्र (एनआर) जालंधर में 400 केवी डीसी क्वेड लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	25.5.2016	पारेषण टैरिफ



288	टीटी /254/2015	30 अक्टूबर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ ब्लॉक अवधि 2014-19 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी के लारा एसटीपीएस उत्पादन प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन रायगढ़ (कोटरा) पीएस में संबद्ध बेज सहित रायगढ़ (कोटरा) पीएस पारेषण लाइन के लिए आर्स्टि-1 400 केवी लारा एसटीपीएस-1 के लिए वास्तविक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	25.5.2016	पारेषण टैरिफ
289	टीटी /255/2015	30 अक्टूबर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आर्स्टि-1 टीएस ट्रांसको सेक्टर वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2015 के अधीन 19.50 KM ऑप्टिक फाइबर आर्स्टि 1 के लिए और आर्स्टि-2 दक्षिण क्षेत्र में मौजूदा समन्वित भार प्रेषण और संचान माइक्रोवेव लिंक (भाग-3) के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.6.2015 केएसईबीएल सेक्टर के अधीन ऑप्टिक फाइबर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.19 तक के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	29.7.2016	पारेषण टैरिफ
290	टीटी /252/2015	30 अक्टूबर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा भाग क में फेज 1 उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन आर्स्टि (5 नम्बर) के लिए वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	25.4.2016	पारेषण टैरिफ
291	टीटी /258/2015	30 अक्टूबर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में एनआर/डब्ल्यूआर भाग क में सिविकम में उत्पादन परियोजना से विद्युत के अंतरण के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन किशन गंज उपकेन्द्र में आर्स्टियों के 8 नंबर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	26.5.2016	पारेषण टैरिफ

292	टीटी /257/2015	30 अक्टूबर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में रूपांतरण क्षमता और रिएक्टिव क्षतिपूर्ति की वृद्धि के अधीन पुरनिया उपकेन्द्र में आस्ति-1 संबद्ध बेज सहित पुरनिया उपकेन्द्र में 160 एमवीए 220/132 kV, आस्ति-2 160 MVA ट्रांसफार्मर II के लिए वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	26.5.2016	पारेषण टैरिफ
293	टीटी 253/2015	30 अक्टूबर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: मेरठ-कैथल 400 केवी डी/सी टीएल और बागपत जीआईएसएस/एसटीएन (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 25.12.2015) के 400 केवी डी/सी (क्वेद) के दोनों सर्किटों का लीलो आस्ति-2: बागपत जीआईएस (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015) में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-3: बागपत में 220 केवी लाइन बेज सहित 500 एमवीए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015 आस्ति-4: उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना-XIX के अधिन प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015 4 नम्बर 220 केवी लाइन बेज सहित बागपत में जीआईएसएस/स्टेशन 4 नंबर 220 केवी लाइन बेज सहित के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	30.6.2016	पारेषण टैरिफ
294	टीटी/259/2015	4 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: चैरियाली में 200 MVA, 400/132/33kV ICT - 2 बेज सहित आस्ति-2: बिस्वानाथ में 80 MVAR Bus Reactor-1 बेज सहित, आस्ति-3: बिस्वानाथ में 80 MVAR Bus Reactor-2 बेज सहित, आस्ति-4: 1X315 MVA, 400/220/33kV ICT बेज सहित 400 केवी आगरा उपकेन्द्र के , आस्ति-5: पश्चिमोत्तर और और पूर्वोत्तर में पूर्वोत्तर उत्तर/पश्चिम इन्टर कनेक्टर-I प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 15.11.2015 से 31.3.2019 तक बलीपारा विस्वानाथ में बेज सहित के अधीन प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 15.11.2015 से 31.3.2019 तक 400 केवी डी/सी बलीपारा विस्वानाथ चरियापली पीसी के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	26.5.2016	पारेषण टैरिफ



295	टीटी/263/2015	30 अक्टूबर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	<p>(क) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2015 बेज सहित बरेली (न्यू) एस/एस में – (क3) 765/400 KV 1500 MVA MVA ICT और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2015 बेज सहित बरेली (न्यू) बरेली (ओल्ड) पारेषण लाइन के डीसी (क्वेद) का दूसरा सर्किट (क2) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2015 एस/एस में बरेली (न्यू) में लाइन रिएक्टर और लखनऊ (न्यू) में स्विचबल लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी लखनऊ बरेली पारेषण लाइन के बेज सहित (ख) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 5.7.2015 बरेली में 765 kV, 3 x 80 MVAR बस रिएक्टर (ग) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 25.4.2015</p> <p>बरेली (न्यू) बरेली (ओल्ड) पारेषण लाइन के डीसी (क्वेद) का पहला सर्किट (घ) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.8.2015</p> <p>बेज सहित और बरेली (न्यू) 765/400 kV 1500 MVA ICT-II काशीपुर (पीटीसीयूएल) पारेषण लाइन सर्किट पहला (ई) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.8.2015 बेज सहित बरेली (न्यू) एस/एसी में (ड) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 23.4.2015 संबद्ध बेज प्रथम सर्किट बरेली (न्यू) काशीपुर (पीटीसीयूएल) पारेषण लाइन (च) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 24.04.2015) संबद्ध बेज बरेजल न्यू काशीपुर का दूसरा सर्किट 400 kV D/C काशीपुर – रूड़की (छ) उत्तरी क्षेत्र में “उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना- XXI” के अधीन प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015</p> <p>संबद्ध बेज सहित 400 kV D/C रूड़की सहारनपुर लाइन के लिए के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका</p>	30.5.2016	पारेषण टैरिफ
296	टीटी/262/2015	2 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	<p>एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि. (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2016) के लिए संयोजकता के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज और 400 केवी (क्वेद) डी/सी लाइन एनसीसी उत्पादन स्विचयार्ड से नेल्लोर पूलिंग स्टेशन तक के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका</p>	23.5.2016	पारेषण टैरिफ

297	टीटी/261/2015	2 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में "छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन प्रोजेक्ट के लिए चंपा और रायगढ़ (नजदीक तमनार) में पूलिंग स्टेशन की स्थापना" के अधीन 765 केवी एस/सी लाइन बेज सहित, राजगढ़ पीएस (नजदीक कोटरा)-चम्पा पीएस 765 केवी एस/सी लाइन सहित और 765/400 kV 6 x 1500 MVA चम्पा पूलिंग की स्थापना सहित चम्पा पीएस-पीसी धरमजयगढ़ (कोरबा) 765 केवी एस/सी लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	27.5.2016	पारेषण टैरिफ
298	टीटी/264/2015	2 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	"दक्षिणी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XXII (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 15.12.15) के अधीन 765 केवी करनूल एस/एस और रायचूर उपकेन्द्र में संबद्ध बे विस्तार सहित 765 केवी एस/सी करनूल रायचूर पारेषण लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	12.5.2016	पारेषण टैरिफ
299	टीटी/260/2015	2 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	"पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए चंपा एवं रायगढ़ (नजदीक तमनार) में पूलिंग स्टेशन की स्थापना के अधीन 765/400 kV 6 x 1500 MVA चंपा पूलिंग स्टेशन की स्थापना और रायगढ़ पीएस (कोटरा) चंपा पीएस 765 केवी एस/सी लाइन सहित चंपा पीएस धरमजयगढ़ (कोरबा) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	31.5.2016	पारेषण टैरिफ



300	MP/265/2015	29 अक्टूबर 2015	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि.	(i) अन्तर संबद्ध भारतीय ग्रिड तथा दक्षिण प्रादेशिक ग्रिड की सुरक्षा सुनिश्चिम करने के लिए पारेषण घटक के ओएण्डएम की उत्तम प्रक्रिया के बाद और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम 2010 के विनियम 3 (ई) के साथ पाठित केविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (पहला संशोधन) विनियम 2012 के विनियम 5(2)(1) के अनुसार कार्यात्मक बनाने और गति, चयनात्मकता, विभवसनीयता वाली सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने के मामले में केविआ के समक्ष एसआरएलडीसी द्वारा दाखिल आईए 36/2013 सहित 146एमपी/2013 याचिका संख्या में 20.2.2014 तथा (ii) याचिका संख्या 86/MP/2014 और 374/MP/2014 18.8.2015 के आयोग के आदेश के अनुसरण में कुछेक कार्यों के कार्यान्वयन के लिए समय अवधि की समीक्षा की मांग करते हुए अधिनियम की धारा 94(एफ) के अधीन याचिका	3.5.2016	विविध याचिका
301	टीटी/266/2015	30 अक्टूबर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में टैरिफ ब्लॉक अवधि 2014-19 के लिए "उड़ीसा-पार्ट बी में पारेषण प्रणाली फेज-1 के लिए पारेषण प्रणाली" के अधीन धरमजयगढ़ उपकेन्द्र और केवल धरमजयगढ़ उपकेन्द्र लाइन बेज में बेज सहित 2*330 MVAR स्विचबल लाइन रिक्टर और 765 kV D/C धरमजयगढ़-जबलपुर पीसी टी/एल के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	26.5.2016	पारेषण टैरिफ
302	टीटी/268//2015	2 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम उत्पादन परियोजना भाग ख के अधीन रंगपो उपकेन्द्र में संबद्ध बेज और रंगपो में 400 KV D/C तीस्ता-III किशनगंज लाइन (लीलो 1) के 1 सीकेटी के लीलो आस्ति-1 के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	11.5.2016	पारेषण टैरिफ
303	टीटी/269/2015	2 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति (क) 765/400 केवी जयपुर फगी आरवीपीएनएल एस/एसी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 9.8.15 और आस्ति (ख) उत्तरी क्षेत्र में फेज-1 उत्पादन परियोजना (भाग ग) के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 24.8.15 संबद्ध बेज और भिवानी में 3 x 80 MVAR गैर स्विचबल लाइन रिक्टर तथा जयपुर (फगी) आरवीपीएनएल में 3 x 80 MVAR स्विचबल लाइन रिक्टर सहित 765 केवी जयपुर (फगी) आरवीपीएनएल भिवानी पारेषण लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.20 19 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	23.5.2016	पारेषण टैरिफ

304	टीटी/270/2015	4 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र से अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2016 से विद्युत के आयात के लिए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध कार्य के अधीन नागार्जुन सागर एस/एस में 2 नम्बर 400 केवी बेज और खममन एस/एस में 2 नम्बर 400 केवी बेज के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	23.5.2016	पारेषण टैरिफ
305	टीटी /271/2015	4 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XVI के अधीन किशनपुर और न्यू वानपोह में संबद्ध बेज सहित आस्ति-1 किशनपुर-न्यू वानपोह 400 केवी डी/सी लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	11.5.2016	पारेषण टैरिफ
306	टीटी /273/2015	3 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-I प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015 जीआईएस वाराणसी में संबद्ध बेज और 1500 MVA 765/400 ICT-I आस्ति -II प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015 जीआईएस वाराणसी में संबद्ध बेज और 1500 MVA 765/400 1500 MVA ICT-2 आस्ति -III प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015 जीआईएस वाराणसी में संबद्ध बेज 330 MVAR 765kV Bus Reactor-I आस्ति -IV प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015 और दोनों में 240 MVAR लाइन रिएक्टर से संबद्ध 765 S/C बबलिया - वाराणसी लाइन आस्ति -V प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 30.12.2015 240 MVAR लाइन रिएक्टर सहित संबद्ध बेज और 765 S/C गया - वाराणसी लाइन आस्ति -VI झारखण्ड में फेज-1 उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 20.11.2015 धरमजय गढ़ में संबद्ध बेज सहित 765 S/C रांची - धरमजयगढ़ पारेषण लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	30.5.2016	पारेषण टैरिफ



307	टीटी /274/2015	6 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्त) विनियम 2014 और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम आस्ति-1:कानपुर जीआईआईएस उपकेन्द्र (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2016) में दोनों सीकेटी में 330 एमवीएआर नॉन स्विचेबल एलआर और वाराणसी जीआईआईएस एस उपकेन्द्र में दोनों सीकेटी में 240 एमवीएआर स्विचेबल एलआर सहित संबद्ध बेज और 765 केवी डीसी वाराणसी कानपुर (न्यू) आस्ति-2: झटीकरा उपकेन्द्र (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2016) में 330 एमवीएआर नॉन स्विचेबल एलआर और कानपुर जीआईआईएस एस उपकेन्द्र में 330 एमवीएआर स्विचेबल सहित जीआईआईएस झटीकरा लाइन और संबद्ध बेज आस्ति-3: 400 केवी डीसी क्वेद कानपुर न्यू जीआईआईएस कानपुर ओल्ड लाइन एवं संबद्ध बेज (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2016) आस्ति-4: वाराणसी जीआईआईएसएस में संबद्ध बेज एवं 400 केवी डीसी सासाराम इलाहाबाद लाइन का एक सीकेटी का लीलो (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015) आस्ति-5: 765 400 केवी कानपुर न्यू जीआईआईएस उपकेन्द्र में 2*1500 MVA 765 400 केवी आईसीटी एक और दो संबद्ध बेज (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.01.2016) आस्ति-6: कानपुर न्यू जीआईआईएस में संबद्ध बेज एवं 240 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015) आस्ति-7: कानपुर न्यू जीआईआईएस सबस्टेशन में बस रिएक्टर 240 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.01.2016) आस्ति-8: जीआईआईएस कानपुर न्यू में संबद्ध बेज एवं 125 एमवीएआर 400 केवी बस रिएक्टर (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.01.2016) आस्ति-9: झटीकरा उपकेन्द्र में संबद्ध बेज एवं 240 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 01.12.2015) (10)1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका के अधीन उत्तरी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल पार्ट 3 और झारखण्ड में फेस-1 उत्पादन परियाजेजना के लिए पारे इज्ञण प्रणाली के अधीन वाराणसी जीआईआईएस उपकेन्द्र (प्रत्याशित व 31.1.2016) में संबद्ध बेज और 125 एमवीएआर 400 केवी बस रिएक्टर के लिए पारे ाण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	31.5.2016	पारेषण टैरिफ
-----	----------------	------------------	---	---	-----------	--------------

308	टीटी /276/2015	6 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में कैगा 3 /7 4 (2x 235 MW) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन मेसूर एसएस के विस्तार और कोझीकोड में रिएक्टर सहित न्यू 400/220 KV S/S सहित मेसूर-कोझीकोड 400 केवी डी/सी लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	30.5.2016	पारेषण टैरिफ
309	टीटी /277/2015	5 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015 वाराणसी में प्रत्येक सर्किट में 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित संबद्ध बेज और सासाराम पास करते हुए वाराणसी को 400 केवी डीसी क्वेद बिहार शरीर सासाराम लाइन की दोनों सीकेटी का विस्तार आस्ति-2: सासाराम एसएस (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015) में पूर्वी क्षेत्र बस के लिए उत्तरी क्षेत्र से शिफ्ट की जाने वाली 400 केवी डी/सी सासाराम इलाहाबाद लाइन का एक सर्किट आस्ति-3: उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XXVIII के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2015 गया बे में 240 एमवीएआर गैर-स्विचेबल एल/आर सहित वाराणसी जीआईएस में संबद्ध बेज और 765 केवी एसरूसी गया-फतेहपुर लाइन का लीलो (भाग में लूप) से केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	30.5.2016	पारेषण टैरिफ
310	एसएम/14/2014	21 सितम्बर 2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	उन्के विरुद्ध धारा 142 के अधीन विनियम 30(7) के उपबंधों का गैर अनुपालन जिन्होंने विनियम क आंशिक रूप से पालन करने या पूर्ण रूप से पालन करने में असफल हुए हैं।	20.5.2016	स्व प्रेरणा से
311	टीटी /283/2015	2 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1 संबद्ध बेज सहित जीआईएस (न्यू) 400 केवी डीसी कोलाहपुर-महुसा कोलहापुर जीआईएस (न्यू) आस्ति-2 पश्चिमी क्षेत्र में दक्षिण क्षेत्र ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण—XVII से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन 400 केवी कोल्हापुर जीआईएस (न्यू) में संबद्ध बेज सहित 124 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	25.5.2016	पारेषण टैरिफ



312	टीटी /248/2015	2 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पश्चिम क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र (भाग क) के लिए अन्तरप्रादेशिक प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध ओरंगाबाद एस/एस (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 15.3.16) में संबद्ध बेज सहित आस्ति-2 2 x 240 MVAR स्विचेबल लाइन रिएक्टर तथा आस्ति-1 सोलापुर औरंगाबाद लाइन रिएक्टर व सोलापुर एसएस में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 7.10.2015 में संबद्ध बेज सहित पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	30.5.2016	पारेषण टैरिफ
313	टीटी /275//2015	6 नवम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1 संबद्ध उपकरणों सहित 275.93 किलोमीटर ओपीजीडब्ल्यू फाइबर ऑप्टिक केबल जो 1.4.2014 से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन है आस्ति-2 पावर टेल सहित लागत समानुपात के अधीन 88.63 km को शामिल करते हुए 124 km ओपीजीडब्ल्यू फाइबर ऑप्टिक केबल आस्ति-3 दक्षिण क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र एस/एस और उत्पादन केन्द्रों के लिए फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के अधीन 30.3.15 से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन है उनको पावर टेल सहित लागत समानुपात के अधीन 1717.112 km को शामिल करते हैं उनके लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिकावाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	29.7.2016	पारेषण टैरिफ
314	याचिका संख्या. एसएम/06/2014 मेंआरपी/23/2015	16 नवम्बर 2015	पंजाब राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि.	याचिका संख्या TT/53/2015 में 9.10.2015 के पुनरीक्षण के लिए याचिका	29.6.2016	पुनरीक्षण याचिका
315	जीटी/335/2014	21 नवम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूईंग अप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए औरिया जीपीएस (663.36 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	28.6.2016	उत्पादन टैरिफ
316	जीटी/295/2015	3 दिसम्बर 2015	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2013-2014 की अवधि के लिए कोडरमा टीपीएस यूनिट 1 के टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में टूअप याचिका	22.8.2016	उत्पादन टैरिफ
317	जीटी/331/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूईंग अप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए अंता जीपीएस (419.33 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	25.5.2016	उत्पादन टैरिफ

318	याचिका संख्या 208/जीटी/2013 और 305/जीटी/2014 में आरपी/26/2015	28 अक्टूबर 2015	एनटीपीसी लि.	याचिका संख्या 208/GT/2013 और 305/GT/2014 में 31.8.2015 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	20.6.2016	पुनरीक्षण याचिका
319	एमपी /304/2015	8 दिसम्बर 2015	सुपर स्मेलटर लि.	डीवीसी द्वारा निर्बाध पहुंच की मनाही के लिए केविआ (पारेषध में निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 9 और 79(1) के अधीन याचिका	28.7.2016	विविध याचिका
320	जीटी/329/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूईंग अप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए टांजा टीपीएस (440 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	23.08./2016	उत्पादन टैरिफ
321	जीटी /321/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूईंग अप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए फिरोज गांधी उच्चतर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज- III, (210 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	27.6.2016	उत्पादन टैरिफ
322	जीटी/320/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि तक के लिए फिरोज गांधी उच्चतर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज- I, (420 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	25.5.2016	उत्पादन टैरिफ
323	जीटी/317/2014	20 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूईंग अप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए रिहन्द स्टेज- I, (1000 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	29.7.2016	उत्पादन टैरिफ
324	जीटी/332/2014	21 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूईंग अप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए फिरोज गांधी उच्चतर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज- II, (420 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	25.5.2016	उत्पादन टैरिफ
325	जीटी/302/2014	11 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (705 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.7.2016	उत्पादन टैरिफ
326	जीटी/300/2014	11 सितम्बर 2014		31.1.2010 से 31.3.2014 की अवधि तक के लिए नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज- II, (980 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	23.8.2016	उत्पादन टैरिफ



327	टीटी /290/2015	9 दिसम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज और 2 नंबर 200 केवी लाइन बेज सहित जयपुर साउथ सबस्टेशन में 400/220 केवी 500 एमवीए आईसीटी-1 आस्ति-2: संबद्ध बेज और 2 नंबर 200 केवी लाइन बेज सहित जयपुर साउथ सबस्टेशन में 400/220 केवी 500 एमवीए आईसीटी-2 आस्ति-3: संबद्ध बेज और 2 नंबर 200 केवी लाइन बेज सहित सौहवाल सबस्टेशन में 400/220 केवी 500 एमवीए आईसीटी आस्ति-4: संबद्ध बेज और 2 नंबर 200 केवी लाइन बेज सहित आगरा-जयपुर साउथ सबस्टेशन में 400/220 केवी 50 एमवीए के एक सीकेटी पर लीलो आस्ति-5: सोहवाल उपकेन्द्र में 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी डीसी बलिया लखनऊ का सेकेण्ड सीकेटी का लीलो आस्ति-6: सहवाल उपकेन्द्र में 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी डीसी बलिया लखनऊ का सीकेटी का लीलो आस्ति-7: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में एनआरटीएसएस के अधीन संबद्ध बेज सहित जयपुर साउथ उपकेन्द्र में 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी डी/सी आगरा जयपुर के दो सीकेटी का लीलो केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रैडिंगअप के लिए याचिका	18.4.2016	पारेषण टैरिफ
328	एमपी /307/2015	16 दिसम्बर 2015	उदूपी पावर कार्पोरेशन लि.	याचिका संख्या 517/MP/2014 में 5.10.2015 के आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 17 के अधीन याचिका	27.6.2016	विविध याचिका
329	एसएम/10/2015	21 जुलाई 2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	अप्रैल 2015 से जून (2015-16 की प्रथम तिमाही) के दौरान उत्तरी क्षेत्र में टावर ढहने के कारण लाइन आउटेज की जांच	14.6.2016	स्व प्रेरणा से
330	जीटी/294/2014	11 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए सिमहादरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II, (1000 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.7.2016	उत्पादन टैरिफ
331	जीटी/291/2014	11 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए रिहन्द स्टेज- I, (1000 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	23.8.2016	उत्पादन टैरिफ

332	टीटी /313/2015	30 दिसम्बर 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: जतीकला 765 400 केवी सबस्टेशन में 400 केवी डीसी बमनौली मुंडका/बवाना के दोनों सर्किट का लीलो आस्ति-2: आगरा-जतीकला 765 400 केवी सबस्टेशन में 400 केवी पारेषण लाइन आस्ति-3: उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड पार्ट-1 के केन्द्रीय पार्ट के लिए 765 केवी प्रणाली के अधीन मेरठ 765 केवी एससी पारेषण लाइन के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ (II) और 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए (I) के टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 2009 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	23.5.2016	पारेषण टैरिफ
333	जीटी/290/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (1000 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	28.7.2016	उत्पादन टैरिफ
334	एमपी /5/2016	6 जनवरी 2016	एनटीपीसी लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2009 के विनियम 5(3) की व्याख्या के संबंध में एनएचपीसी लि. और यूपीपीसीएल के बीच विवाद के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एएफ) के अधीन याचिका	26.8.2016	विविध याचिका
335	जीटी/286/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए फरीदाबाद जीपीएस (431.586 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	31.5.2016	उत्पादन टैरिफ
336	एमपी /09/2016	14 जनवरी 2016	राज्य हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा. लि.	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 की कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति विनियम 115 और केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) और विनियम 111-113 (अंतर्निहित शक्ति) के विनियम 8 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) और धारा 79(1) (सी) अधीन याचिका	16.5.2016	विविध याचिका
337	याचिका संख्या 303/जीटी/2014 में आरपी/02/2016	23 दिसम्बर 2015	एनटीपीसी लि.	सिमहादरी तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज- II (2X 500 MW) के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका संख्या 303/GT/2014 में 2.11.2015 के आदेश के पुनरीक्षण की याचिका	9.5.2016	पुनरीक्षण याचिका
338	जीटी/282/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूईंग अप कार्य के बाद वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अर्थात् 4.4.2012 से 31.3.2014 से अवधि के लिए फरक्का एसटीपीएस, स्टेज- III, (1 x 500 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	24.8.2016	उत्पादन टैरिफ



339	एमपी /12/2016	8 जनवरी 2016	टोरंट पावर लि.	टीईएल से टोरंट पावर स्टेशन लि. को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए याचिका संख्या 209/MP/2014 में दिनांक 7.1.2015 के आदेश के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन की याचिका	27.4.2016	विविध याचिका
340	टीटी /13/2016	29 जनवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014व केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना XIII के अधीन फरक्का-मालदा में संबद्ध बेज उपकरणों के 1 सीकेटी (सीकेटी-2) फरक्का-मालदा 400 केवी डीसी तथा एचटीएलएस कंडक्टर की रिकंडक्टिंग आस्ति-2 तथा फरक्का एवं मालदा के संबद्ध बे उपकरणों के उन्नयन (स्थापन तथा 1 सीकेटी (सीकेटी-1) फरक्का मालदा 400 केवी डीस तथा एचटीएलएस कंडक्टर आस्ति 1 के लिए प्रत्याशित))वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	30.6.2016	पारेषण टैरिफ
341	जीटी/281/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-I (1000 MW) के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.7.2016	उत्पादन टैरिफ
342	एमपी /17/2016	2 फरवरी 2016	नवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लि.	1.1.2006 की अवधि के लिए एनएलसी माइन में तैनात सीआईएसएफ कार्मिक के वेतन पुनरीक्षण और 1.1.2007 से अवधि के लिए कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के कारण एनएलसी माइन द्वारा किए गए प्रचालन और रखरखाव खर्चों में वृद्धि के कारण एनएलसी टीपीएस विस्तार (2 x 210 MW) और स्टेज-I (3 x 210 MW) TPS-II स्टेज-II (4 x 210 MW) अर्थात एनएलसी टीपीएस-1 (600MW) निवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लि. के विद्युत केन्द्र के संबंध में ब्याज सहित टैरिफ के भुगतान पर विवाद के लिए याचिका	30.8.2016	विविध याचिका
343	जीटी/279/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-I (840 MW) के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.7.2016	उत्पादन टैरिफ
344	टीटी /21/2016	5 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आस्ति-1: दीमपुर उपकेन्द्र में 1 x 100 MVAR, 220/132 kV, 3-फेज स्पेयर ICT और आस्ति-II: ज़ीरो उपकेन्द्र में 1 x 5 MVA, 132/33 kV, 1-फेस स्पेयर ट्रांसफार्मरों और रिपेक्टरों के उपबंधों के अधीन केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के टूटगअप के लिए याचिका	16.6.2016	पारेषण टैरिफ

345	टीटी /22/2016	16 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 14.2.2016) 132/33 kV निरजूली उप-केन्द्र (पावरग्रिड) में 132/33 kV, 50 MVA, 3-Ph ICT-I आस्ति-2: (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 29.3.2016) 132 / 33 kV निरजूली उप-केन्द्र (पावरग्रिड) में 132/33 kV, 50 MVA, 3-Ph ICT-II और आस्ति-3: वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 28.5.2016) 400/220 kV बलीपारा उप-केन्द्र (पावरग्रिड) में 132/33 kV, 50 MVA, 3-Ph ICT-II बेज सहित के अधीन " 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में " उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना-II (एनइआरएसएस-II)" केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	27.6.2016	पारेषण टैरिफ
346	टीटी /23/2016	22 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज और उपकरण सहित मलेकूटेटेयूर उपकेन्द्र में 1 X 500 MVA, 400/220/33kV ICT आस्ति-2: संबद्ध बेज और उपकरण सहित सोमानहल्ली उपकेन्द्र में 1 X 500 MVA, 400/220/33kV ICT और आस्ति-3: केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण योजना-XX" के अधीन मैसूर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज और उपकरण सहित 1 X 500 MVA, 400/220/33kV ICT पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	28.6.2016	पारेषण टैरिफ
347	टीटी /24/2016	18 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	चमेरा-3 से विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन जालंधर वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2013 में लाइन रिक्क्टर एवं बेज सहित 400 केवी डी/सी चमेरा पूलिंग स्टेशन जालंधर के लिए टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए "II" पारेषण टैरिफ और ("I") 2009-14 के लिए टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	23.8.2016	पारेषण टैरिफ



348	टीटी/26/2016	18 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2016 अनंतपुर जिला एपी पार्ट-ए (फेज-1) में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन एनपी कंता में स्थापना एवं एनपी कंता में 400 केवी कडप्पा-कोलर एससी लाइन के लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	30.6.2016	पारेषण टैरिफ
349	टीटी /271/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के टूईंग कार्य के बाद कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-1 (840 MW) के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	27.7.2016	उत्पादन टैरिफ
350	जीटी/270/2014	10 सितम्बर 2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए सिमहादरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-1 (2 x 500 MW) के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	27.6.2016	उत्पादन टैरिफ
351	टीटी /29/2016	24 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन वास्तविक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पूर्वी क्षेत्र में "पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना-IX" के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन आस्ति-1: (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 30.4.2016) 400 केवी मैथोन एस/एस में 1 No. of 1 X 125 MVAR बस रिक्टर और बेज सहित आस्ति-2: (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 30.4.2016) 400 केवी मैथोन एस/एस में 1 x 500 MVA, 400/220 kV ICT (1st) सहित 1 No. of 1 X 315 MVA, 400/220 kV ICT की स्थापना और आस्ति-3: (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.5.2016) 400 केवी मैथोन एस/एस में 1 x 500 MVA, 400/220 kV ICT (2nd) सहित 1 No. of 1 X 315 MVA, 400/220 kV ICT की स्थापना पारेषण टैरिफ का अनुमोदन केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	29.6.2016	पारेषण टैरिफ

352	एमपी /30/2016	23 फरवरी 2016	भोपाल दुले ट्रांसमिशन कंपनी लि.	भोपाल-धुले पारेषण कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही धुले में भोपाल इंदौर पारेषण लाइन से जबलपुर-भोपाल पारेषण लाइन, भोपाल-भोपाल 400 केवी डीसी टीएल औरंगगाबाद-धुले 400 केवी डी/सी लाइन और उपकेन्द्र के लिए परियोजना आस्तियों तथा बंधक संपत्तियों के विनिर्देशन/बंधक/दृष्टिबंधक के जरिए भावी पुनरवृत्त संव्यवहारों के लिए अन्य प्रतिभूति सृजनकारी दस्तावेजों/वित्तीय करारों के अनुसरण में ऋणदाताओं के लाभ के लिए और उनकी ओर से परियोजना के लिए किसी पुनरवृत्त ऋणदाता के परवर्ती अंतरितियों के लिए प्रतिभूति निकासी/ऋणदाता के पक्ष में सभी चल और अचल आस्तियों पर प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अनुमोदन के लिए याचिका	6.4.2016	विविध याचिका
353	एमपी /34/2016	2 मार्च 2016	महेशवर ट्रांसमिशन लि. एंड सेबी कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	(i) महेशवरम - महबूब नगर 400 केवी डी / सी लाइन (ii) निजामाबाद - येदुमेलरम (शंकरपल्ली) 400 केवी डी/सी लाइन के लिए परियोजना आस्तियों तथा बंधक संपत्तियों के विनिर्देशन/बंधक/दृष्टिबंधक के जरिए भावी पुनरवृत्त संव्यवहारों के लिए अन्य प्रतिभूति सृजनकारी दस्तावेजों/वित्तीय करारों के अनुसरण में ऋणदाताओं के लाभ के लिए और उनकी ओर से परियोजना के लिए किसी पुनरवृत्त ऋणदाता के परवर्ती अंतरितियों के लिए प्रतिभूति निकासी/ऋणदाता के पक्ष में सभी चल और अचल आस्तियों पर प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अनुमोदन के लिए याचिका	6.4.2016	विविध याचिका
354	जीटी/265/2014	26 अगस्त 2014	एनएचडीसी लि.	2014-19 की अवधि के लिए इन्दिरा सागर एचई प्रोजेक्ट (8 X 125 MW) के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	31.5.2016	उत्पादन टैरिफ
355	एमपी /36/2016	7 मार्च 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	तुमकुर (पावागाडा) कर्नाटक में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर के लिए पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए (i) अन्तरराज्यिक पारेषण को केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी विनियम 2010 के निष्पादन के विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए (ii) केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 और 114 और (iii) केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 सहित अधिनियम 79(1) (सी) और 79(1) (के) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38(2) के अधीन याचिका	19.8.2016	विविध याचिका



356	याचिका संख्या जीटी/283/2014 में आरपी/11/2016	3 मार्च 2016	एनटीपीसी लि.	याचिका संख्या 283/GT/2014 में 25.1.2016 के आदेश पुनरीक्षण के लिए याचिका	30.6.2016	पुनरीक्षण याचिका
357	याचिका संख्या टीटी/37/2014 में आरपी/12/2016	10 मार्च 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 37/TT/2014 में 22.1.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	17.8.2016	पुनरीक्षण याचिका
358	टीटी/39/2016	8 मार्च 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: WRSS-II Set-A के अधीन वर्धार्ग में एफएससी 400 kV D/C रायपुर - वर्धार्ग T/L आस्ति-2 WRSS-II Set-A के अधीन वर्धार्ग में एफएससी 400 kV D/C Seoni - Wardha T/L आस्ति-3 (आस्ति 5), आस्ति-1 कोरबा-बाल्को (लॉक 179/2) 400 केवी डीसी पारेषण लाइन प्रथम सीकेटी आस्ति-2 बाल्को (179/2) - वंदना (176/0) 400 kV D/C पारेषण लाइन - प्रथम सीकेटी आस्ति-3: कोरबा-वंदना (176/0) 400 kV D/C transmission line - Second ckt आस्ति-4 बाल्को (179/2) - Birsinghpur 400 kV D/C transmission line - First Ckt आस्ति-5- Vandana (176/0) - Birsinghpur 400 kV D/C transmission line - Second ckt and WRSS-II, पश्चिम क्षेत्र को सेट डी योजना 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	28.6.2016	पारेषण टैरिफ
359	याचिका संख्या टीटीटीटी /161/2015 में आरपी/13/2016 in	10 मार्च 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 616/TT/2015 में 30.12.2015 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	30.5.2016	पुनरीक्षण याचिका
360	याचिका संख्या टीटी /248/2013 में आरपी/15/2016	15 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 248/TT/2013 में 18.12.2015 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	30.5.2016	पुनरीक्षण याचिका
361	जीटी/264/2014	26 अगस्त 2014	एनएचडीसी	2014 - 2019 तक की अवधि के लिए ऑकारेश्वर एचई प्रोजेक्ट (8 X 65 MW) के लिए उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	26.5.2016	पुनरीक्षण याचिका
362	एसएम/02/2016	14 मार्च 2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति और अन्य संबद्ध मामलों के लिए क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 का गैर अनुपालन	8.6.2016	पुनरीक्षण याचिका
363	एसएम/04/2016	15 मार्च 2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति और अन्य संबद्ध मामलों के लिए क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 का गैर अनुपालन	4.7.2016	पुनरीक्षण याचिका
364	याचिका संख्या टीटी/ 272/2015 में आरपी/ 16/2016	17 मार्च 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 272/TT/2015 में 25.1.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	31.5.2016	पुनरीक्षण याचिका

365	याचिका संख्या टीटी /253/2015 मेंआरपी /17/2016	17 मार्च 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 253/TT/2015 में 25.1.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	31/05/2016	पुनरीक्षण याचिका
366	याचिका संख्या टीटी/ 278/2015 मेंआरपी/ 18/2016	17 मार्च 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 278/TT/2015 में 25.1.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	31.5.2016	पुनरीक्षण याचिका
367	याचिका संख्या टीटी /34/2014 में आरपी/14/2016	15 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 34/TT/2014 में 31.12.2015 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	31.5.2016	पुनरीक्षण याचिका
368	एमपी/46/2016	29 फरवरी 2016	एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि. एंड एएनआर	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अनुमोदन के लिए याचिका	25.5.2016	विविध याचिका
369	जीटी/259/2014	26 अगस्त 2014	कांति बिजली उत्पादन निगम लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (2 X 110 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.7.2016	उत्पादन टैरिफ
370	टीटी /49/2016	21 मार्च 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति कः संबद्ध बेज सहित रायपुर पीएस दुर्ग (400 केवी डीसी पारेषण लाइन) रायपुर (वर्तमान एसएस) आस्ति खः 400 केवी डीसी रायगढ़ पीएस (नजदीक कोटरा) रायगढ़ (मौजूदा) एसएस पारेषण लाइन तथा संबद्ध बेज आस्ति गः संबद्ध बेज सहित 765 केवी डीसी रायगढ़ पीएस (नजदीक कोटरा) रायपुर पीएस (दुर्ग) पारेषण लाइन तथा संबद्ध बेज आस्ति घः संबद्ध बेज सहित याचिका संख्या 162/टीटी/2013 पूलिंग स्टेशन में 71 आदेश के 71 के पेज 8 रायगढ़ 1.6.13 में स्पेयर यूनिट सहित 240 एमवीएआर बस रिएक्टर 765 केवी और स्पेयर यूनिट सहित 765/400 केवी 1500 एमवीएआर आईसीटी-1 आस्ति ङः संबद्ध बेज सहित बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित 765 केवी डीसी रायगढ़ पीएस (नजदीक कोटरा) रायपुर पीएस (दुर्ग) सीकेटी-1 के लिए पार्ट-2 765 केवी 3x80 MVAR शंट रिएक्टर और संबद्ध बेज सहित रायगढ़ पूलिंग स्टेशन (नजदीक कोटरा) रायगढ़ पूलिंग स्टेशन में आईसीटी-2 और 400 केवी 80 एमवीएआर तथा 765/400 केवी 1500 एमवीएआर आस्ति-चः संबद्ध बेज सहित रायपुर पूलिंग स्टेशन (दुर्ग) में 240 एमवीएआर बस रिएक्टर और 765/400 केवी 1500 एमवीएआर आईसीटी आस्ति-छः संबद्ध बेज सहित रायपुर पूलिंग स्टेशन (दुर्ग) में 240 एमवीएआर बस रिएक्टर और 765/400 केवी 1500 एमवीएआर आईसीटी-3 आस्ति-जः संबद्ध बेज सहित रायपुर पूलिंग स्टेशन (दुर्ग) में 240 एमवीएआर बस रिएक्टर और 765/400 केवी 1500 एमवीएआर आईसीटी-4 केविविआ केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए रायपुर और रायगढ़ (कोटरा) पूलिंग स्टेशन के स्थापना के अधीन केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्त) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारे ण टैरिफ के ट्रेडिंगअप के लिए याचिका	20/06/2016	पारेषण टैरिफ



371	जीटी/258/2014	26 अगस्त 2014	रत्नागिरी गैस पावर प्रा.लि.	ट्रूइंगअप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए रत्नगिरी पावर स्टेशन (1967.08 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	21.6.2016	उत्पादन टैरिफ
372	टीटी /52/2016	29 मार्च 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	<p>आस्ति-1: फतेहपुर एक्सटेंशन में 400/220 kV, 315 MVA ICT -I</p> <p>आस्ति-2: फतेहपुर एक्सटेंशन में 400/220 kV, 315 MVA ICT -II</p> <p>आस्ति-3: फतेहपुर में सिंगरौली कानपुर का लीलो</p> <p>आस्ति-4: फतेहपुर में फतेहपुर (यूपीपीसीएल)-कानपुर (यूपीपीसीएल) 220 केवी डी/सी का लीलो</p> <p>आस्ति-5: फतेहपुर में इलाहाबाद-कानपुर 400 केवी एस/सी लाइन का लीलो</p> <p>आस्ति-6: 765 केवी सासाराम- फतेहपुर एस/सी पारेषण लाइन</p> <p>आस्ति-7: 220 केवी लाइन बेज सहित और गया उपकेन्द्र में 220 केवी डीसी डेहरी बोध गया सीकेटी-1 का लीलो</p> <p>आस्ति-8: 220 केवी लाइन बेज सहित और गया उपकेन्द्र में 220 केवी डीसी डेहरी बोध गया सीकेटी-2 का लीलो</p> <p>आस्ति-9: गया एक्सटेंशन में 315 MVA 400/220 kV ICT-I</p> <p>आस्ति-10: गया एक्सटेंशन में 315 MVA 400/220 kV ICT-II</p> <p>आस्ति-11: केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तीर क्षेत्र में डीवीसी और मैथोन राइट बैंक परियोजना के अधीन अनुपूरक पारे ण प्रणाली के अधीन 765 केवी एस/एसी फतेहपुर-आगरा पारे ण लाइन के लिए</p> <p>केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पारे ण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारे ण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका</p>	27/06/2016	पारेषण टैरिफ
373	जीटी/257/2014	26 अगस्त 2014	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्रा. लि.	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए भिलाई एक्सपेंशन पावर प्लांट (2 X 250 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	2.8.2016	उत्पादन टैरिफ

374	टीटी/69/2016	2 मई 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	ईआरएसएस XII की पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना के अधीन 10 नंबर की आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	22.8.2016	पारेषण टैरिफ
375	जीटी/250/2014	26 अगस्त 2014	एनएचपीसी लि.	यूरी-II पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	22.7.2016	उत्पादन टैरिफ
376	टीटी/244/2014	24 अगस्त 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में "उड़ीसा पार्ट-बी में फेज-1 उत्पादन प्रोजेक्ट्स के लिए पारेषण प्रणाली" के अधीन आस्ति I: जबलपुर 765/400 KV PS में 4 x 500 MVA, 765/400 kV ICT-2 के एक यूनिट के साथ आस्ति II: धरमजयगढ़ सीकेटी#1 के लिए जबलपुर में बस रिएक्टर के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली 3 x 80 MVAR, 765 KV Line Reactor आस्ति III: धरमजयगढ़ में 765 केवी एस/सी रांची-डब्ल्यूआर पूलिंग स्टेशन (नजदीक सिपत) के लीलो और धरमजयगढ़ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765 KV, 3 x 110 MVAR, Bus Reactor-I आस्ति -IV: धरमजयगढ़ उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 765 KV, 3 x 110 MVAR, Bus Reactor-2 आस्ति V: 765 KV D/C झारसुगडा-धरमजयगढ़ पूलिंग स्टेशन (नजदीक कोरबा) के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	26.4.2016	पारेषण टैरिफ
377	टीटी/242/2014	24 अगस्त 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0	केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में रिएक्टर (पार्ट-II) के स्थापन के अधीन 400 केवी ग्वालियर उपकेन्द्र में (क) 400 kV दामोह उपकेन्द्र में 1 x 125 एमवीएआर बस रिएक्टर (ख) 400 केवी बछाउ उपकेन्द्र में 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर (ग) 400 केवी पिराना उपकेन्द्र में 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर (घ) 400 केवी इटारसी उपकेन्द्र में 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर -I (ङ) 400 केवी इटारसी उपकेन्द्र में 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर -2 (च) 1x125 एमवीएआर बस रिएक्टर के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	28.4.2016	पारेषण टैरिफ



378	जीटी/238/2014	24 अगस्त 2014	एनएचपीसी लि.	यूरी पावर स्टेशन के संबंध में 2009-2014 की अवधि के लिए पूंजी व्यय के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	13.7.2016	उत्पादन टैरिफ
379	जीटी/234/2014	24 अगस्त 2014	एनएचपीसी लि.	तीस्ता-V पावर स्टेशन के संबंध में 2014-2019 के लिए टैरिफ और 2009-14 की अवधि के लिए पूंजी व्यय के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	16.8.2016	उत्पादन टैरिफ
380	एमपी /65/2016	28 अप्रैल 2016	इंडिया भारत एनर्जी उत्कल लि.	यूनिट I 350 MW प्रोजेक्ट के वाणिज्यिक प्रचालन की प्राप्ति के लिए समय बढ़ाने के लिए विद्युत अधिनियम, की धारा 79(1) (ग) के साथ पठित केंविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8(7) के चौथे परन्तुक के अधीन याचिका	31.5.2016	विविध याचिका
381	टीएल/67/2016	2 मई 2016	ओडिशा जनरेशन फेस II ट्रांसमिशन लि.	ओडीसा उत्पादन फेज II पारेषण लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15(1) के साथ पठित धारा 14 के अधीन पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए याचिका	30.6.2016	पारेषण अनुज्ञप्ति
382	एडीपी/66/2016	28 अप्रैल 2016	ओडिशा जनरेशन फेस II ट्रांसमिशन लि.	ओडीसा उत्पादन फेज II पारेषण लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों को अंगीकार करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	31.5.2016	टैरिफ का अंगीकार
383	एमपी /62/2016	28 मार्च 2016	एस्सार पावर एमपी लि.	एस्सार पावर एमपी लि. द्वारा प्रतिदेय यूआई प्रभारों के संबंध में बकाया परिसमाप्ति के लिए समय विस्तार के लिए आवेदन	22.4.2016	विविध याचिका
384	एमपी /75/2016	5 मई 2016	पैन इंडिया नेटवर्क इन्फ्रावेस्ट लि.	श्रेणी I से श्रेणी IV तक पैन इण्डिया नेटवर्क इन्फ्रावेस्ट लि. के अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति को कम करने के लिए आवेदन	4.7.2016	विविध याचिका
385	टीडीएल/63/2016	22 मार्च 2016	क्लीनटैक सौलर एनर्जी (इंडिया) प्रा. लि.	क्लिंटेक सौलर एनर्जी (इण्डिया) प्रा. लि. को श्रेणी-1 अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	29.8.2016	व्यापार अनुज्ञप्ति

386	एमपी /70/2016	2 मई 2016	जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी लि. एंड एएनआर.	i) धरमजयगढ़ जबलपुर पूल 765 kV I x D/C Line और (ii) जबलपुर पूल बीना 765 kV S/C Line निम्नलिखित पारिषण लाइनों के लिए परियोजना और बंधक संपत्तियों के बंधक/दृष्टिबंधक के माध्यम से भावी पुनवृत्त संव्यवहारों के लिए और अन्य प्रतिभूति सृजित दस्तावेजों/वित्तीय करारों तथा बंधक करार के अनुसरण में ऋणदाताओं के लाभ के लिए और उनकी ओर से कार्य कर रही परियोजनाओं के लिए किसी पुनवृत्त ऋणदाता तथा किसी परवर्ती अंतरितियों के लिए और प्रतिभूति न्यासी/ऋणदाता के पक्ष में याचिकाकर्ता की सभी चल व अचल आस्तियों पर प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अधीन अनुमोदन के लिए प्रतिभूति सृजन के लिए याचिका	15.7.2016	विविध याचिका
387	आईटी/32/2016	29 फरवरी 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र वाया एनईआर/एसआर/डब्ल्यूआर और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात और पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क हेतु सामान्य योजना पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा आयात, उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 765 केवी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना के अधीन (400 केवी से 765 केवी की वृद्धि) संबद्ध बेज सहित बलिया उपकेन्द्र में आस्ति-6 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-5: 765/400 केवी आगरा (वृद्धि) उपकेन्द्र सहित 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर-2 आस्ति-4: 765/400 केवी आगरा (वृद्धि) उपकेन्द्र सहित 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर-3	20.6.2016	पारिषण टैरिफ
				आस्ति-4: 765/400 केवी आगरा (वृद्धि) उपकेन्द्र सहित 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर-3 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) के अधीन टैरिफ 2009-14 के लिए और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अधीन पारे ण टैरिफ के टूटगअप के लिए याचिका		
388	टीटी/68/2016	2 मई 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पूर्वी क्षेत्र में "सिक्किम से उत्तरी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र पार्ट-बी तक पावर प्रोजेक्ट का ट्रांसफर" के अधीन आस्ति (4 नंबर) के लिए पारिषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	29.7.2016	पारिषण टैरिफ



389	टीटी/90/2016	13 जून 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में "झारखंड और पश्चिमी बंगाल पार्ट ए 1 में फेज-1 उत्पादन प्रोजेक्ट के लिए पारेषण प्रणाली" के अधीन चंदवा (जीआईएस) में 2 X 125 MVAR 400 kV बस रिएक्टर सहित और गया उपकेन्द्र और रांची, चंदवा (जीआईएस) में 400 kV D/C रांची-चंदवा-गया लाइन बेज के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.7.2016	पारेषण टैरिफ
390	टीटी /78/2016	19 मई 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में "पलाटना गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट और बोंगेगांव" के अधीन पारेषण आस्ति के 8 नंबर के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधिन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधिन 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के दूइंगअप के लिए याचिका	16.6.2016	पारेषण टैरिफ
391	टीटी/75/2015	6 फरवरी 2015	एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन हज़ीरा (एस्सार पावर पारेषण कंपनी के पारेषण आस्ति का स्टेज-1) में 400/220 kV GIS उपकेन्द्र और 400/220 kV डी/सी गंधार हज़ीरा पारेषण लाइन, 400 केवी एस/सी विंध्याचल-कोरबा लाइन के लीलो के समन्वित आस्ति के लिए 2014-15 से 2018-19 तक की नियंत्रण अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	17.6.2016	पारेषण टैरिफ
392	टीटी/106/2014 में आरपी/22/2016	6 जून 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 106/TT/2014 में 21.12.2015 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	29.6.2016	पुनरीक्षण याचिका
393	एसएम/3/2016	16 मार्च 2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	नवीकरणीय स्रोत विनियम 2012 के टैरिफ अवधारण के लिए केविविआ (निबंधन एवं शर्तें) के 8 के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के अधीन सामान्य स्तरीकृत उत्पादन टैरिफ का अवधारण	29.4.2016	स्वप्ररेणा से
394	एसएम/06/2016	3 मई 2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (व्यापार अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 का गैर अनुपालन	27.6.2016	स्वप्ररेणा से
395	एसएम /7/2016	3 मई 2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (व्यापार अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 का गैर अनुपालन	13.7.2016	स्वप्ररेणा से
396	जीटी/233/2014	24 अगस्त 2014	एनएचपीसी लि.	चमेरा-II पावर स्टेशन के संबंध में 2009-2014 की अवधि के लिए पूंजी व्यय के दूइंगअप के लिए याचिका	17.6.2016	उत्पादन टैरिफ

397	एटी/112/2016	14 जुलाई 2016	वरौरा कुमूल ट्रांसमिशन लि.	वरौरा-कुरनूल पारेषण लि. द्वारा स्थापित पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकार के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका	30.8.2016	टैरिफ का अंगीकार
398	एसएम/8/2016	6 मई 2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	2014-19 के लिए टैरिफ याचिका के संबंध में चेक लिस्ट	6.5.2016	Suo Motu
399	GT/231/2014	24 अगस्त 2014	एनएचपीसी लि.	दुलहस्ती पावर स्टेशन के संबंध में 2009-14 और 19 की अवधि के लिए पूंजी व्यय के टूटगअप के लिए याचिका	30.8.2016	उत्पादन टैरिफ
400	एमपी /79/2016	25 मई 2016	मारुति क्लीन कोल एंड पावर लि.	केविविआ (फीस का भुगतान) विनियम 2012 के विनियम 2(1)(i) के साथ पठित केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के अधीन केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के साथ विनियम 111 और विनियम 115 के केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और के विनियम 12(6) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (f) के साथ पठित धारा 79 (1) (c) and 79 (1) (k) के अधीन याचिका	9.8.2016	विविध याचिका
401	टीटी/92/2016	13 जून 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए " उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना- XXXIV (NRSS-XXXIV) के अधीन गलादनी-हीरानगर 400/220 केवी सामभा (पावरग्रिड) पर 220 केवी एस/सी लाइन (सामभा उपकेन्द्र से 220 केवी बेज को हटा दिया गया) के लीलो के लिए 2019 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	28.7.2016	पारेषण टैरिफ
402	एमपी /87/2016	8 जून 2016	राज्य पुरा राजनन्दगाँव वरौरा ट्रांसमिशन लि. एंड एएनआर.	रायपुर-राजनंदगाँव-वरौरा पारेषण प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट आस्तियों और बंधक संपत्तियों के दृष्टिबंधन समानुदेशन/ के माध्यम से दस्तावेजों/वित्तीय करारों का सृजन करते हुए अन्य प्रतिभूतियों और प्रतिभूति न्यासी/ऋणदाताओं के पक्ष में प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए अनुज्ञप्ति निर्दिष्ट करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) & 17(4) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	28.7.2016	विविध याचिका
403	एमपी /83/2016	31 मई 2016	एमपी पावर मैनेजमेंट कं. लि.	सासन पावर लि. और याचिकर्ता के बीच 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	3.6.2016	विविध याचिका
404	GT/219/2014	24 अगस्त 2014	एनटीपीसी लि.	टूटगअप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि तक रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-3 के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	8.8.2016	उत्पादन टैरिफ



405	एमपी /93/2016	14 जून 2016	हरयाणा पावर परचेज सेन्टर	केविविआ (विद्युत का विनियम) विनियम 2010 और सासन पावर लि. और एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लि. के बीच 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	16.6.2016	विविध याचिका
406	GT/217/2014	24 अगस्त 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूइंगअप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि तक रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज- I & II (2100 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	27.6.2016	उत्पादन टैरिफ
407	GT/207/2014	14 अगस्त 2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूइंगअप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि तक तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज- I (1000 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय -V के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 79 (i) (a) और 62 के अधीन याचिका	20.7.2016	उत्पादन टैरिफ
408	SM/9/2016	17 जून 2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	पावर एक्सचेंज पर राउण्ड दि क्लॉक अंतःदिवस/आकरिमक बाजार (विस्तारित बाजार सत्र) का प्रचालन	17.6.2016	स्व: प्रेरणा
409	RP/24/2016 in Petition No. TT/58/2015	5 जुलाई 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका संख्या 58/TT/2015 में 29.4.201 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	26.8.2016	पुनरीक्षण याचिका
410	टीटी/201/2014	10 अगस्त 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन विध्यांचल IV और रिहन्द III (1000 MW)(Group-3) उत्पादन प्रोजेक्ट के अधीन सतना और ग्वालियर में संबंधित लाइन रिएक्टर और संबद्ध बेज सहित 765 kV S/C सतना - ग्वालियर सीकंटी-2 पारेषण लाइन के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	23.5.2016	पारेषण टैरिफ
411	टीटी /102/2016	4 जुलाई 2016	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ (ii) (क) वेमागिरी में गजुवाका-विजयवाड़ा लाइन, 400 केवी डी/सी के दोनों सर्किट के लिए लीलो (ख) दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड के प्रणाली सुदृढीकरण-VI के अधीन विजयवाड़ा में 400/220 केवी उपकेन्द्र का विस्तार के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रूइंगअप के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	25.7.2016	पारेषण टैरिफ

412	टीटी/185/2014	1 अगस्त 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	<p>आस्ति-1: औरंगाबाद (एमएसईटीसीएल)-औरंगाबाद (पीजी) 400 केवी डी/सी (क्वेड) लाइन (Ckt#1) और और दोनों अंत में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी अकोला-औरंगाबाद (एमएसईटीसीएल) का औरंगाबाद (पीजी) में स्थानांतरण आस्ति-2: औरंगाबाद (एमएसईटीसीएल)-औरंगाबाद (पीजी) 400 केवी डी/सी को दोनों अंत में संबद्ध बेज सहित अकोला-औरंगाबाद एमएसईटीसीएल का औरंगाबाद (पीजी) में स्थानांतरण</p> <p>आस्ति-3: सियोनी उपकेन्द्र में 765 केवी सियोनी-वर्धा सीकेटी#1 के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिपक्टर</p> <p>आस्ति-4: सियोनी उपकेन्द्र में सियोनी-वर्धा सीकेटी#2 में 765 केवी सियोनी-वर्धा सीकेटी#2 के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिपक्टर आस्ति-5: एपी 38-एपी 44-एपी45ए/0 से 400 केवी डी/सी वापी-कला पारेषण लाइन डब्ल्यूआर 1 (400 केवी डी/सी नवसारी-बोयसर पारेषण लाइन का भाग) आस्ति-6: 400/220 केवी वर्धा उपकेन्द्र में बस रिपक्टर के रूप में प्रभारित की जाने वाली 400 केवी डीसी वर्धा-औरंगाबाद के लिए 80 एमवीएआर लाइन रिपक्टर आस्ति-7 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन 400/220 केवी वर्धा उपकेन्द्र में बस रिपक्टर 1 के रूप में प्रभारित की जाने वाली 400 केवी डीसी वर्धा-औरंगाबाद पारेषण लाइन सीकेटी#2 के लिए 80 एमवीएआर लाइन रिपक्टर के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका</p>	29.4.2016	पारेषण टैरिफ
413	टीटी/180/2014	25 जुलाई 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	<p>केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में, रिहन्द-दादरी बाईपोल के लिए अतिरिक्त कनवर्टर ट्रांसफार्मर (स्पेयर) के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रुइंगअप के लिए याचिका</p>	18.4.2016	पारेषण टैरिफ



414	एमपी /103/2016	4 जुलाई 2016	एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन कंपनी लि.एंड एनआर	(i) जालंधर सांभा 400 केवी डी/सी लाइन और (ii) अमरगढ़ (मल्टी-सर्किट टावर्स पर) यूरी वरौरा 400 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों का लीलो (iii) अखनूर/राजौरी के माध्यम से रूट किया गया सांभा – अमरगढ़ 400 केवी डी/सी (iv) अमरगढ़ में 400/220 kV GIS sub-station सहित, 7 x 105 MVA (1 ph units) की स्थापना लिए निम्नलिखित परियोजना आस्तियों तथा बंधक संपत्तियों के विनिर्देशन/बंधक/दृष्टिबंधक के जरिए भावी पुनरवृत्त संव्यवहारों के लिए अन्य प्रतिभूति सृजनकारी दस्तावेजों/वित्तीय करारों के अनुसरण में ऋणदाताओं के लाभ के लिए और उनकी ओर से परियोजना के लिए किसी पुनरवृत्त ऋणदाता के परवर्ती अंतरितियों के लिए प्रतिभूति निकासी/ऋण दाता के पक्ष में याचिकाकर्ता की सभी चल और अचल आस्तियों पर प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अनुमोदन के लिए याचिका	27.7.2016	विविध याचिका
415	टीटी/139/2014	10 जुलाई 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में संचार (यूएलडीसी) माइक्रोवेव लिंक्स और मौजूदा यूएलडीसी के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली (847.124 km) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	12.4.2016	पारेषण टैरिफ
416	एमपी /135/2014	10 जुलाई 2014	एनटीपीसी लि.	फरीदाबाद सोलर पीवी (5MW) के लिए केविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) और धारा 32 के अधीन याचिका	29.6.2016	विविध याचिका
417	एमपी /109/2016	13 जुलाई 2016	छत्तीसगढ़ डब्ल्यूआर ट्रांसमिशन लि.	छत्तीसगढ़-डब्ल्यूआर पारेषण लि. के आस्तित्व प्रोजेक्ट और बंधक संपत्तियों के विनिर्देशन/ बंधक/दृष्टिबंधक के जरिए भावी पुनरवृत्त संव्यवहारों के लिए प्रतिभूति न्यासी/ऋणदाताओं और अन्य प्रतिभूति सृजित दस्तावेजों के पक्ष में प्रतिभूति ब्याज के विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और (4) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	16/08/2016	विविध याचिका

418	टीटी/1127/2014	30 जून 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में ट्यूटीकोरिन एरिया – पार्ट-ए में इन्द-भारत पावर (मद्रास) लि. एलटीओए उत्पादन प्रोजेक्ट्स और कोस्टल प्राइवेट लि. के साथ कॉमन प्रणाली के अधीन 1X80 MVAR, 400 kV बस रिएक्टर (400 केवी में प्राथमिक प्रभार) ट्यूटकोरिन में नया 765 केवी पूलिंग स्टेशन के साथ ट्यूटरिन पूलिंग स्टेशन में ट्यूटकोरिन जेवी – मदुरई 400 केवी डी/सी (क्वेद) दोनों के लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक टैरिफ पारेषण के अनुमोदन के लिए याचिका	29.7.2016	पारेषण टैरिफ
419	एसएम/10/2014	20 जून 2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेरिंग) विनियम 2010 के विनियम 8(6) का गैर-अनुपालन	30.6.2016	स्वप्रेरणा से
420	एसएम/09/2014	20 जून 2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	30.05.2014 को उत्तरी क्षेत्र में लोड क्रैश का निरीक्षण	14.6.2016	स्वप्रेरणा से
421	टीटी/1119/2014	19 जून 2014	एचपी पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अनुसार केविविआ के आदेश दिनांक 14.3.2012 की याचिका संख्या 15/सूओ-मोटो/2012 को पीओसी प्रभारों में शामिल करने के लिए एच.पी. पावर पारेषण कार्पोरेशन लि. के संबंध में टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	16.5.2016	पारेषण टैरिफ
422	आरसी/140/2016	23 अगस्त 2016	पावरग्रिड पर्ली ट्रांसमिशन लि.	गदरवाड़ा (बी) पारेषण लि. से पावरग्रिड पर्ली पारेषण लि. के अन्तरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापति के नाम को बदलने केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अधीन विनियामक अनुपालन आवेदन	29.8.2016	Regulatory Compliance
423	टीटी/117/2014	16 जून 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति 1: रायपुर-उपकेन्द्र में 400 kV, 125 MVAR बस रिएक्टर, आस्ति 2: सियोनी उपकेन्द्र में 400 kV, 125 MVAR बस रिएक्टर, आस्ति 3: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए "पश्चिमी क्षेत्र में रिएक्टर (भाग-II) की स्थापना" के अधीन रायपुर-उपकेन्द्र में, रायपुर-उपकेन्द्र में 400 kV, 63 MVAR लाइन रिएक्टर के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	26.5.2016	पारेषण टैरिफ



424	टीटी/116/2014	16 जून 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति 1: जबलपुर-उपकेन्द्र में 420 kV, 125 MVAR बस रिएक्टर, आस्ति 2: खण्डवा उपकेन्द्र में 420 kV, 125 MVAR बस रिएक्टर, आस्ति 3: भटपारा उपकेन्द्र में 420 kV, 125 MVAR बस रिएक्टर, आस्ति 4: रायगढ़ उपकेन्द्र में 420 kV, 125 MVAR बस रिएक्टर आस्ति 5: सोलापुर उपकेन्द्र में 420 kV, 80 MVAR बस रिएक्टर, आस्ति 6: 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में "पश्चिमी क्षेत्र में रिएक्टर की स्थापना" के अधीन औरंगाबाद उपकेन्द्र 420 kV, 125 MVAR बस रिएक्टर के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.4.2016	पारेषण टैरिफ
425	टीटी/115/2014	13 जून 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(क) औरंगाबाद बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित की जाने वाली 765 केवी डी/सी औरंगाबाद-पड़घे लाइन सीकेटी-I का 765 kV, 240 MVAR स्विचेबल लाइन रिएक्टर (ख) 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में "छत्तीसगढ़ (आईपीपी-ई) में आईपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए पश्चिमी क्षेत्र के उत्तरी/पश्चिमी भाग में प्रणाली सुदृढीकरण" के अधीन औरंगाबाद बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित की जाने वाली 765 केवी डी/सी औरंगाबाद-पड़घे लाइन सीकेटी-II का 765 kV, 240 MVAR स्विचेबल लाइन रिएक्टर के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	27.4.2016	पारेषण टैरिफ
426	टीटी/110/2014	4 जून 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पश्चिमी क्षेत्र में डीएण्डएनएच के यूटी में कला में 400/220 kV जीआईएस उपकेन्द्र की स्थापना के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन (आंतरिक आकस्मिक प्रबंध) (मल्टी-सर्किट टावर) कला उपकेन्द्र में 400 केवी डी/सी वापी-नवीकरणीय मुम्बई पारेषण लाइन के एक सर्किट के लीलो और डीएण्डएनएच के यूटी में कला में 2 x 315, 400/220 kV जीआईएस उपकेन्द्र के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.4.2016	पारेषण टैरिफ
427	एमपी/119/2016	28 जुलाई 2016	न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. के 2 x 1000 MW कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (केकेएनपीपी-2) के यूनिट-2 के सिंक्रोनाइजेशन में प्रत्याशित देरी के लिए याचिका	19.8.2016	विविध याचिका

428	टीटी /109/2014	4 जून 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: नवासारी उपकेन्द्र में 400/220 KV I X 500 MVA ट्रांसफार्मर, आस्ति-2: 765/400 केवी इन्दौर उपकेन्द्र में 400 केवी लाइन बेज, आस्ति-3: पश्चिमी क्षेत्र में बेज और ट्रांसफार्मर की वृद्धि के अधीन 400/220 केवी पिराना उपकेन्द्र में 220 केवी लाइन बेज 2 नंबर 220 केवी लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	23.5.2016	पारेषण टैरिफ
429	टीटी /108/2014	4 जून 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: 450 ओएचएमएस एनजीआर सहित नेल्लोर-थिरुवलम 400 केवी क्वेद लाइन के प्रत्येक सर्किट के दोनों सिरों पर 1x50 MVAR लाइन रिएक्टर, थिरुवलम में 400/220 केवी उपकेन्द्र का विस्तार, नेल्लोर में 400/220 केवी उपकेन्द्र का विस्तार, नेल्लोर-थिरुवलम 400 केवी डी/सी क्वेद लाइन, आस्ति-2: दक्षिणी क्षेत्र में "दक्षिणी क्षेत्र मे प्रणाली सुदृढीकरण XVIII योजना सहित पारेषण प्रणाली के अधीन" थिरुवलम और मेलाकोटाइयूर उपकेन्द्रों में बे विस्तार सहित थिरुवलम और मेलाकोटाइयूर 400 केवी डी/सी लाइन पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	31.5.2016	पारेषण टैरिफ
430	टीटी /107/2014	2 जून 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति 1: 400 केवी लेवल पर 765 केवी एस/सी बरेली-लखनऊ पारेषण लाइन और आस्ति-2: केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डी/सी बरेली (न्यू) बरेली (न्यू) बरेली (मौजूदा) का एक सर्किट 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए " उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XXI" के अधीन पारेषण प्रभारों के अनुमोदन के लिए याचिका	25.4.2016	पारेषण टैरिफ
431	एमपी /118/2016	28 जुलाई 2016	एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	30 सितम्बर, 2016 की प्रतयाशित आरंभिक सिंक्रोनाइजेशन तारीख से 6 महीने के आगे एसकेएस पावर उत्पादन (छत्तीसगढ़) लि. की टीपीपी बिंजकोट यूनिट नं. 1 300 MW) (4 X 300MW) के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण और आरंभ के लिए इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण और स्टार्टअप पावर के निकासी के लिए अवधि बढ़ाने की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग करते हुए तारीख तक यथासंशोधित केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका	29.7.2016	विविध याचिका



432	टीटी /104/2014	30 मई 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: वर्धा उपकेन्द्र में 765केवी 3 X 110 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-1: वर्धा उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित 765 केवी डीसी रायपुर वर्धा लाइन 1 सीकेटी 1 के लिए 3 X 110 लाइन रिएक्टर आस्ति-3 क: 765 केवी डीसी रायपुर पूलिंग स्टेशन पारेषण लाइन आस्ति-3 ख: 765 केवी 240 रायपुर पूलिंग स्टेशन (बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित) वर्धा 1 बे 1 के 765 केवी 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन आस्ति-3 ग: केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन परियोजना के लिए पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय भाग सहित छत्तीसगढ़ में पूलिंग स्टेशन के समेकन के अधीन रायपुर पूलिंग स्टेशन (बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित) 765 केवी 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर के लिए 2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.4.2016	पारेषण टैरिफ
433	एमपी /103/2014	30 मई 2014	महाराष्ट्र स्टेट इल्कट्रीसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लि.	गंभीर विषयों से उत्पन्न बड़े ग्रिड व्यवधान और दक्षिण क्षेत्र सिंक्रोनाइजेशन के ट्रायल रन से उदभूत सभी चिंताओं के संतोषजनक समाधान तक नए ग्रिड ओवर 765 केवी रायचूर (एसआर) सोलापुर (डब्ल्यूआर) -I * S/C सहित एसआर के सिंक्रोनाइजेशन अपूर्ण एसआर के सतत ट्रायल प्रचालन को स्थगित करते हुए केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग), (एफ) और (के) के अधीन याचिका	5.4.2016	विविध याचिका
434	एमपी /134/2016	17 अगस्त 2016	इंडिया भारत एनर्जी उत्कल लि.	मौजूदा लीलो के माध्यम से विद्युत की निकासी और समय-समय से पूर्ण समर्पित 400 केवी पारेषण लाइन के विस्तार के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के साथ पठित केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) 2009 के विनियम 8(7) के चौथे परन्तुक के अधीन याचिका	30.8.2016	विविध याचिका

435	टीटी /100/2014	27 मई 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना XV के अधीन कोटपुतली एसएस में आस्ति ख: 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी 1 और 2 तथा 6 नंबर 220 केवी लाइन बेज एवं कोटपुतली उपकेन्द्र में 400 केवी एससी भिवाड़ी बसी टीएल के आस्ति क लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 2014 केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 4(3) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	29.4.2016	पारेषण टैरिफ
436	टीटी /99/2014	27 मई 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में हमीरपुर एस/एस में 315 MVA ICT-II बेज सहित, 400/220 केवी के लिए 1.4.2014 से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.4.2016	पारेषण टैरिफ
437	एमपी/98/2014	27 मई 2014	श्याम सेन्चुरी फेरियस एंड अदर	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 और विनियम 5 के विनियम 17, 18 और 26 के साथ पठित धारा 79(क)(सी) के अधीन याचिका केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 (उचित तदनुसूची विनियम पूर्व)	30.6.2016	विविध याचिका
438	एमपी /91/2014	19 मई 2014	द साउथर्न इंडिया मिल्स एसोसियशन	केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 के विनियम 7(1) और (2), 12, 13 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111, 114 और 115; केविविआ (यूआई प्रभारों और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 12 और 13 और भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अधीन प्रचालन कोड के खंड 5.2 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	13.7.2016	विविध याचिका
439	एमपी /084/2014	12 मई 2014	ससान पावर लि.	मासिक बिलों के अनुसार सासन पावर लि. द्वारा दावा की गई वसूली की प्रक्रिया और सासन पावर लि. के बीच निष्पादित दिनांक 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छे 17 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9.6.2016	विविध याचिका
440	एमपी /62/2014	31 मई 2014	इंडिया बुल्स पावर लि.	केस-1 बोली प्रक्रिया के अधीन पीपीए में टैरिफ भुगतान के उद्देश्य के लिए केविविआ द्वारा प्रकाशित घरेलू कोयले की बढ़ती दरों की गणना के लिए तंत्र के पुनरीक्षण के लिए याचिका	25.5.2016	विविध याचिका



441	टीटी /46/2014	28 फरवरी 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र के जरिए एनईआर/एसआर/डब्ल्यूआर से और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयायित और पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क के लिए सामान्य स्कीम और पूर्वी क्षेत्र के जरिए ए एनईआर/एसआर/डब्ल्यूआर से और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयायित और पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 765 केवी पूलिंग स्टेशनों के लिए सामान्य स्कीम के अधीन आरिस्त (05 नंबर) के टैरिफ के पारेषण के अवधारण के लिए याचिका	29.7.2016	पारेषण टैरिफ
442	टीटी /44/2014	28 फरवरी 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आरिस्त-I 765 kV बीना-ग्वालियर सीकेटी-3 के आरंभ तक बस रिएक्टर के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले ग्वालियर उपकेन्द्र में 3 x 80 MVAR लाइन रिएक्टर बेज सहित आरिस्त -II 765 kV बीना-ग्वालियर सीकेटी-3 के आरंभ तक 765 kV एस/सी बीना-ग्वालियर के आरंभ तक बस रिएक्टर के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले बीना उपकेन्द्र में 3 x 80 MVAR लाइन रिएक्टर बेज सहित आरिस्त -III केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पश्चिमी क्षेत्र में "उड़ीसा पार्ट-सी में फेज-1 उत्पादन प्रोजेक्ट्स के लिए पारेषण प्रणाली" के अधीन 765 kV S/C एस/सी बीना-ग्वालियर सीकेटी-3 के अधीन 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	18.4.2016	पारेषण टैरिफ
443	टीटी /36/2014	28 फरवरी 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आरंभिक व्यवस्था के लिए नागापट्टीनम पूलिंग स्टेशन में नेवेली-त्रिवी 400 केवी लाइन के एक सर्किट के लीलो के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु पार्ट-ए1(क) के नागापट्टीनम/कुडालोर एरिया में आईएसजीएस प्रोजेक्ट्स के साथ सामान्य पारेषण योजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन बाईपास हो जाएगी।	31.5.2016	पारेषण टैरिफ
444	एमपी /32/2014	28 फरवरी 2014	उत्तरपूर्वी इंटरकनेक्शन कंपनी लि.	पूर्वोत्तर इंटरकनेक्शन कं लि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही पुरनिया-बिहारशरु से 400 केवी पारेषण डी/सी क्वेद पारेषण लाइन और बोंगेगांव-सिलिगुड़ी से 400 केवी पारेषण डी/सी क्वेद पारेषण लाइन के लिए पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के लिए सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 63 और 79 के अधीन याचिका	24.8.2016	विविध याचिका

445	टीटी /22/2014	11 फरवरी 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में संचार (यूएलडीसी) माइक्रोवेव लिंक्स और मौजूदा यूएलडीसी के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली (847.124 km) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	27.5.2016	पारेषण टैरिफ
446	टीटी /20/2014	7 फरवरी 2014	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.	(i) 400 kV D/C गोरखपुर-लखनऊ पारेषण लाइन, और (ii) 400 kV D/C लाइन उत्तरी क्षेत्र में ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सहित, पावर लिंक्स पारेषण लि. के उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली और पूर्व उत्तर इन्टरकनेक्टर, ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक से संबद्ध उत्तरी क्षेत्र 400 केवी डीसी बरेली मंडोला पारेषण लाइन के लिए 2013-14 के संशोधित प्राक्कलन और वित्तीय वर्ष 2009-13 अवधि के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों के टूइंगअप की याचिका	23.5.2016	पारेषण टैरिफ
447	टीटी /19/2014	7 फरवरी 2014	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.	(i)400 केवी डी/सी सिलीगुडी-पुरनिया पारेषण लाइन (ii) 400 केवी डीसी पुरनिया-मुजफ्फरपुर पारेषण लाइन और (iii) पावर लिंक पारेषण लि. की उत्तर-पूर्व पारेषण प्रणाली तथा पूर्वोत्तर इन्टरकनेक्टर तला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से संबद्ध पूर्वी क्षेत्र में 220 केवी डीसी मुजफ्फरपुर पीजीसीआईएल मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) पारेषण लाइन के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के संशोधित प्राक्कलन और वित्तीय 2009-13 की अवधि के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों की टूइंगअप के लिए याचिका	16.5.2016	पारेषण टैरिफ
448	टीटी/18/2014	7 फरवरी 2014	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.	पावर लिंक पारेषण लि. की उत्तर क्षेत्र पारेषण प्रणाली और तला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से संबद्ध पूर्वोत्तर अंतरक्षेत्र 400 केवी डीसी मुजफ्फरपुर भरतपुर पारेषण लाइन के वित्तीय वर्ष 2013-14 के संशोधित प्राक्कलन और वित्तीय 2009-13 की अवधि के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों की टूइंगअप के लिए याचिका	6.5.2016	पारेषण टैरिफ
449	टीटी/17/2014	7 फरवरी 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2009-14 ब्लॉक अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में माइक्रोवेव लिंक मौजूदा यूएलडीसी के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के लिए फीस व प्रभार के अवधारण के अनुमोदन के लिए याचिका	31.5.2016	पारेषण टैरिफ
450	एमपी/04/2014	7 फरवरी 2014	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि.	पारेषण आस्तियों और उत्पादन के प्रयोग के अधीन यूटिलिटी पद्धतियों का उल्लंघन करते हुए प्रणाली सुरक्षा पर एसआरएलडीसी द्वारा एसटीओए और यूआरएस पावर के मनमानी मनाही और दक्षिण एस-2 क्षेत्र में संघटकों द्वारा ग्रिडको सहित पावर पर निर्बाध पहुंच की मनमानी मनाही पर विवाद के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(एफ) के अधीन याचिका	29.7.2016	विविध याचिका



451	एमपी/319/2013	7 दिसम्बर 2013	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि.	यह घोषणा करते हुए याचिका कि उत्पादन कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अवैध थी और यूटिलिटी पद्धतियों और पीपीए की शर्तों के अनुसार नहीं थी।	18.4.2016	विविध याचिका
452	एमपी /315/2013	7 दिसम्बर 2013	पीईएल पावर लि.	दिनांक 24.10.2010 के बल्क पावर पारेषण करार के लिए निबंधन व शर्तों तथा विद्युत की निकासी के लिए याचिकाकर्ता को दिए गए निर्बाध पहुंच अनुमोदन से उदभूत विवादों के अधिनिर्णय के लिए याचिका	12.7.2016	विविध याचिका
453	टीटी/289/2013	6 नवम्बर 2013	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ ब्लॉक 2009-14 अवधि के लिए पश्चिम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में आईपीपी उत्पादन परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन अंतरिम आकस्मिकता योजना (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2014) के अधीन 400 केवी डीसी बड़ोदरा असोज पारेषण लाइन से प्रत्यक्ष इन्टरकनेक्शन के लिए पिराना उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी बड़ोदरा-पिराना पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	8.7.2016	पारेषण टैरिफ
454	टीटी /258/2013	25 सितम्बर 2013	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अधीन टैरिफ ब्लॉक 2014-19 के लिए दक्षिण क्षेत्र में प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए वैलूर टीपीएस से संबद्ध अनुपूरक पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बेज और उपकरण सहित तिरुविलम पावरग्रिड चित्तौड़ अपट्रांसको 400केवी डीसीस क्वेद के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	5.4.2016	पारेषण टैरिफ
455	एमपी /158/2013	29 अगस्त 2013	पावर एक्सचेंज इंडिया लि.	सामूहिक संव्यवहसरो के लिए पावर एक्सचेंज को आर्वाटि पारेषण कॉरिडोर की मौजूदा पद्धति के कारण उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए याचिका	4.4.2016	विविध याचिका
456	टीटी /239/2013	25 जून 2013	दामोदर वैली कार्पोरेशन	1.4.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए डीवीसी के अन्तरराज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	10.5.2016	पारेषण टैरिफ
457	टीटी /104/2013	15 मई 2013	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आर्स्टि-1: 400 केवी डीसी सिलीगुडी-पुरनिया (एचटीएलएस) पारेषण लाइन का रिकंडक्टिंग सीकेटी-1 आर्स्टि-2: प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (1.6.2013) से 31.3.2014 तक पूर्वी क्षेत्र में ईआरएसएस-1 के अधीन पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	12.4.2016	पारेषण टैरिफ

458	एमपी /14/2013	11 फरवरी 2013	ससान पावर लि.	भारतीय रूप्ये के अनियंत्रणीय मूल्यहास और अप्रत्याशित अदृश्यता के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ताओं और सासन पावर लि. के बीच निष्पादित 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 और 17 तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	26.4.2016	विविध याचिका
459	टीटी /173/2013	7 जनवरी 2013	एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 2009 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन 2009-14 टैरिफ ब्लॉक में 12-13 और 13-14 वर्षों के लिए संबद्ध बेज और महान थर्मल पावर प्लांट सिपट पूलिंग उपकेन्द्र से 400 केवी डीसी क्वेद मूस पारेषण लाइन और संबद्ध बेज तथा हजारिका में 400 / 220 केवी जीआईएस उपकेन्द्र 400 केवी डीसी गंधार-हजीरा पारेषण लाइन और 400 केवी एस/सी विंध्याचल कोरबा पारेषण लाइन के लीलो की समन्वित आस्तियों के पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	15.6.2016	पारेषण टैरिफ
460	एमपी /163/2012	23 जुलाई 2012	भूसन पावर एंड स्टील लि.	28.8.2005 से 31.12.2006 तक की अवधि के लिए अदत्त अनुसूचित अंतःपरिवर्तन प्रभारों के लिए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण के लिए निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 के विनियम 20 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका	10.6.2016	विविध याचिका
461	जीटी/23/2013	4 अप्रैल 2013	एनटीपीसी लि.	ट्रूइंगअप कार्य के बाद 1.4.2009-31.3.2014 तक ज्ञानौर गंधार जीपीएस (657.39 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	*अपील न्याधीकरण के निर्देश के अनुपालन में याचिका सं. जीटी / 326 / 2014 में 30.03.2017 के आदेश के माध्यम से निर्णीत	उत्पादन टैरिफ
462	जीटी/168/2013	17 सितम्बर 2013	एसजेवीएनएल	2009-2014 की अवधि के लिए नाथ्या झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	21.4.2016	उत्पादन टैरिफ



463	टीटी /536/2014	12 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: हिसार और भिवानी उपकेन्द्रों (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.7.1995) में संबद्ध बेज सहित 400 केवी एससी हिसार भिवानी सीकेटी-1 पारेषण लाइन और हिसार बीबीएमबी डीसी लाइन 220 केवी से संबद्ध मोगा-हिसार डीसी पारेषण लाइन और आस्ति-2: केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 2009 के अधीन और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में मोगा हिसार भिवानी पारेषण प्रणाली के अधीन हिसार में संबद्ध बेज सहित (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.1998) भिवानी तक हिसार-बवाना पारेषा लाइन के 400 केवी एससी और 400 केवी बवाना-भिवानी पारेषण लाइन तथा 400 केवी बवाना-भिवानी पारेषा लाइन के 1 सीकेटी की समापित के लिए भिवानी उपकेन्द्र में 1 बे के लिए टैरिफ 2014-19 के टैरिफ के अवधारण और टैरिफ अवधि 2009-14 के लिए पारेषण टैरिफ के टूडंगअप के लिए याचिका	7.6.2016	पारेषण टैरिफ
464	टीटी /91/2012	14 मार्च 2012	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ ब्लॉक 2009-14 के लिए उत्तरी क्षेत्र में पारबती-3 एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए समन्वित आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	21.7.2016	पारेषण टैरिफ
465	टीटी /533/2014	12 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण योजना -VIII के अधीन पारेषण आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप	28.4.2016	पारेषण टैरिफ
466	टीटी /510/2014	12 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप और (ii) उत्तरी क्षेत्र में अतिरिक्त विशेष एनर्जी मीटर के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ का टूडंगअप के अवधारण के लिए केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन याचिका	21.7.2016	पारेषण टैरिफ
467	जीटी / 460/2014	14 दिसम्बर 2014	एनएचडीसी लि	2009-14 अवधि के लिए ऑकेश्वर एच. ई. प्रोजेक्ट (8 x 65 MW) के लिए टैरिफ उत्पादन के टूडंगअप के लिए याचिका	10.5.2016	उत्पादन टैरिफ

468	जीटी /461/2014	14 दिसम्बर 2014	एनएचडीसी लि	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए इन्दिरा सागर पावर स्टेशन के टैरिफ के लिए याचिका	26.5.2016	उत्पादन टैरिफ
469	जीटी/472/2014	14 दिसम्बर 2014	नवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए वास्तविक अतिरिक्त पूंजी व्यय में वृद्धि के कारण एनएलसी टीपीएस I (6 x 50 + 3 X 100 MW) के लिए केविआ टैरिफ विनियम, 2009 के अधिन 2009-14 अवधि के लिए पूंजीगत खर्च और उसके टैरिफ का ट्रूंगअप	26.5.2016	उत्पादन टैरिफ
470	टीटी/534/2014	12 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	क) कुरनूल-थिरुवलम 765 केवी डी/सी लाइन ख) 765/400 kV सहित 2 x 1500 MVA ट्रांसफार्मर के लिए थिरुवलम में 400 केवी उपकेन्द्र के उन्नयन और और कुरनूल में 765/400 केवी उपकेन्द्र का विस्तार ग) कुरनूल में 765 केवी उपकेन्द्र का विस्तार और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 से केविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 और केविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन "दक्षिण क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण योजना- XIX" के अधीन कुरनूल-थिरुवलम 765 केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक सर्किट के दोनों अंत में 1x240 एमवीएआर लाइन रिक्टर के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	12.5.2016	पारेषण टैरिफ
471	जीटी/474/2014	14 दिसम्बर 2014	नवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए वास्तविक अतिरिक्त पूंजी व्यय में वृद्धि के कारण एनएलसी टीपीएस I (2 X 210 MW) के लिए केविआ टैरिफ विनियम, 2009 के अधिन 2009-14 अवधि के लिए पूंजीगत खर्च और उसके टैरिफ के ट्रूंगअप के लिए याचिका	27.7.2016	उत्पादन टैरिफ
472	एमपी /483/2014	14 दिसम्बर 2014	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.	भारतीय ऊर्जा विनियम में क्रॉस बार्डर संव्यवहारों के लिए सहमति की मांग करते हुए केविआ (पावर मार्केट) विनियम, 2010 के विनियम 63 (iii) के अधीन याचिका	26.5.2016	विविध याचिका
473	टीटी /487/2014	12 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2009-14 ब्लॉक अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में मौजूदा यूएलडीसी के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के लिए फीस व प्रभारों के अवधारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(घ) और धारा 28 की उपधारा (4) के अधिन याचिका	31.5.2016	पारेषण टैरिफ
474	टीटी /540/2014	15 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आरिस्त-1: (वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2014) (केन्द्रीय क्षेत्र) फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली का 9.292 km और आरिस्त-2: 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मौजूदा यूएलडीसी के स्थान पर (वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2014) फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली का 392.393 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	27.6.2016	पारेषण टैरिफ



475	टीटी /545/2014	29 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2009-14 ब्लॉक अवधि के लिए फीस और प्रभार, 2014-19 ब्लॉक अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में (पोसोको के गठन के बाद याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई एसएलडीसी प्रणाली और संचार प्रणाली भाग अर्थात् पावरग्रिड भाग) यूएलडीसी योजना के लिए 2014-19 ब्लॉक अवधि के लिए फीस और प्रभार के दूइंगअप के लिए याचिका	15.7.2016	पारेषण टैरिफ
476	टीटी /506/2014	10 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पूर्वी क्षेत्र में फरक्का-III से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ के लिए पारेषण टैरिफ के दूइंगअप के लिए याचिका	21.4.2016	पारेषण टैरिफ
477	टीटी /476/2014	10 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: बिहारशरीफ सीकेट II और IV की वर्तमान स्थिति से एनटीपीसी के कहलगांव स्विचयार्ड के स्टेज II के पुनर्विन्यास के लिए 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन आस्ति-2: बिहारशरीफ में पुरनिया बेज (1 & 2) के साथ सासाराम बेज (#3 & 4) और कहलगांव #1 बेज सासाराम #1 बे सहित की अदला-बदली के लिए 400 केवी पारेषण लाइन और आस्ति-3: पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न उपकेन्द्रों के लिए स्प्लिट बस व्यवस्था के अधीन 400 केवी बिहारशरीफ उपकेन्द्र के लिए टाई लाइन ब्रेकर सहित स्प्लिटिंग व्यवस्था के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	22.4.2016	पारेषण टैरिफ
478	GT/47/2015	17 फरवरी 2015	टीएचडीसी इंडिया लि.	2014-2019 अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी (400 MW) के उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	15.7.2016	उत्पादन टैरिफ
479	टीटी /11/2015	15 जनवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2009-14 ब्लॉक अवधि के लिए फीस और प्रभार, 2014-19 ब्लॉक अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में (पोसोको के गठन के बाद याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई एसएलडीसी प्रणाली और संचार प्रणाली भाग अर्थात् पावरग्रिड भाग) यूएलडीसी योजना के लिए 2014-19 ब्लॉक अवधि के लिए फीस और प्रभार	14.7.2016	पारेषण टैरिफ
480	टीटी /19/2015	15 जनवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i)2009-14 ब्लॉक अवधि के लिए फीस और प्रभार (ii) उत्तरी क्षेत्र में (पोसोको के गठन के बाद पीजीसीआईएल द्वारा रखी गई एसएलडीसी प्रणाली और संचार प्रणाली भाग अर्थात् पीजीसीआईएल भाग) यूएलडीसी योजना के लिए 2014-19 ब्लॉक अवधि के लिए फीस और प्रभार के अवधारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा 4 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	15.7.2016	पारेषण टैरिफ

481	टीटी /20/2015	15 जनवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविआ के निम्नलिखित आदेशों में कवर की गई आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अधिन टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2009 के अधिन 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के टूटगअप के लिए याचिका	26.5.2016	पारेषण टैरिफ
482	टीटी /26/2015	22 जनवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: संबद्ध बेज वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.1998 सहित बवाना-भिवानी दो लाइन और बवाना-भिवानी 1 से संबद्ध बेज सहित 400 केवी हिसार जयपुर मलेरकोटा उपकेन्द्र में 315 एमवीएआर आईसीसी-2 आस्ति-2: वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2011 220 केवी जालंधर दसुआ लाइन संबद्ध बेज सहित जालंधर में आईसीटी-1 और चमेरा-मोगा लाइन के लीलो संबद्ध बेज सहित जयपुर में आईसीटी जयपुर आईसीटी-2 से संबद्ध नालागढ़ में बस रिक्कर संबद्ध बेज सहित जालंधर में संबद्ध बेज सहित नालागढ़ में आईसीटी-1 संबद्ध बेज सहित नालागढ़ हिसार लाइन और केवी अब्दुल्लापुर बवाना आस्ति-3: उत्तरी क्षेत्र नाथफा-झाकरी पारेषण लाइन के अधीन 400 केवी डी/सी नाथफा-झाकरी नालागढ़ लाइन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2013 के लिए 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के टूटगअप के लिए याचिका	3.6.2016	पारेषण टैरिफ
483	टीटी /27/2015	22 जनवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: रांची में संबद्ध बेज और पारेषण लाइन रांची (पीजी)-400 केवी डीसी मैथन (आरबी) के लिए केविविआ केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अधिन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2009 के अधिन 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के टूटगअप के लिए याचिका आस्ति-2: 400 केवी डीसी मैथन मेजिया पारेषण लाइन आस्ति-3:केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पूर्वी क्षेत्र में डीवीसी और मैथन (आरबी) परियोजना से संबद्ध अनुपूरक पारेषण प्रणाली के अधीन 400 केवी डी/सी बिहारशरीफ-सासाराम (क्वेद) ए पारेषण टैरिफ के टूटगअप के लिए याचिका	18.4.2016	पारेषण टैरिफ



484	टीटी/32/2015	29 जनवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और दक्षिण क्षेत्र में निवेली लिगनाई कार्पोरेशन 2 विस्तार परियोजना से संबद्ध पारेक्षण प्रणाली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधिन 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के द्रुंगअप के लिए याचिका	25.4.2016	पारेषण टैरिफ
485	टीटी /33/2015	29 जनवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-क: शाहजहांपुर में 400 केवी डीसी लखनऊ-बरेली के 400 केवी सीकेटी2 का लीलो आस्ति ख: शाहजहांपुर में 220 केवी लाइन बेज की 3 नंबर से 315 एमवीएआर 420 केवी आईसीटी-1 आस्ति ग: शाहजहांपुर में 220 केवी लाइन बेज की 3 नंबर से 315 एमवीएआर 420 केवी आईसीटी-2 आस्ति घ: 400 केवी जीआईएस गुडगांव का विसतार आस्ति ङ : बस रिएक्टर के रूप में प्रयुक्त और रखी गई मौजूदा लाइन रिएक्टर संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी बरेली में 2x50 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति च: केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधिन केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए उत्तरी क्षेत्र में "उत्तरी क्षेत्र पारेक्षण सुदृढीकरण योजना " के अधिन शाहजहांपुर 125 एमवीएआर बए रिएक्टर के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	30.4.2016	पारेषण टैरिफ
486	टीटी /34/2015	29 जनवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	क. डब्ल्यूआरएस-2 सेट-ए ख. डब्ल्यूआरएस-2 सेट-बी ग. डब्ल्यूआरएस-2 सेट-ग घ. डब्ल्यूआरएस-2 केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधिन पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-2 के अधिन पश्चिमी क्षेत्र (पारवग्रिड भाग) में पारेक्षण प्रणाली के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधिन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधिन 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के द्रुंगअप के लिए याचिका	29.8.2016	पारेषण टैरिफ

487	टीटी/37/2015	29 जनवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	<p>आस्ति-1: (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2011) 400 केवी डी/सी कोटेश्वर एचईपी – कोटेश्वर पूलिंग स्टेशन सर्किट - I & II संबद्ध बेज सहित</p> <p>आस्ति-2: (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.3.2011) कोटेश्वर पूलिंग स्टेशन बेज सहित 765 केवी टिहरी-मेरठ लाइन के सर्किट - I का लीलो और</p> <p>आस्ति-3: (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.7.2011) कोटेश्वर पूलिंग स्टेशन बेज सहित 765 केवी टिहरी-मेरठ लाइन के सर्किट -II का लीलो शामिल करते हुए उत्तरी क्षेत्र में (प्रभावित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.5.2011)</p> <p>कोटेश्वर एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के टूटिंगअप के लिए याचिका</p>	18.7.2016	पारेषण टैरिफ
488	टीटी /51/2015	16 जनवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	<p>केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014</p> <p>और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 तक "दक्षिणी क्षेत्र में IL&FS (2x600 MW) से विद्युत की निकासी के लिए आकस्मिक योजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली" के अधीन उच्चर क्षमता कंडक्टर सहित निवेली TS-II-TS-I के सुदृढीकरण और संबद्ध बेज सहित नागापटनम पूलिंग स्टेशन में निवेली त्रिचि 400 केवी डीसी लाइन के दूसरे सर्किट के लीलो के लिए पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका</p>	20.7.2016	पारेषण टैरिफ
489	टीटी /61/2015	6 फरवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	<p>वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014</p> <p>और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन दक्षिण क्षेत्र में "दक्षिण क्षेत्र ग्रिड में प्रणाली सुदृढीकरण XVII से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन नरेन्द्र (न्यू कुडगी)-कोलहपुर (न्यू) से संबद्ध बेज और आस्ति-2 न्यू/कुदकी में संबद्ध बेज सहित और पारेषण लाइन आस्ति-2 नरेन्द्र (न्यू कुडगी) तथा नरेन्द्र मौजूदा में नए 765 400 केवी जीआईएस उपकेंद्र सहित नरेन्द्र मौजूदा 400 केवी डीसी क्वेद पारेषण लाइन नरेन्द्र न्यू कुडकी आस्ति 1 के लिए पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका</p>	26.5.2016	पारेषण टैरिफ



490	टीटी /81/2015	5 फरवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में संचार नेटवर्क के विस्तार के अधीन 2009-14 ब्लॉक अवधि के लिए फाइबल ऑप्टिक संचार प्रणाली के फीस व प्रभार के अवधारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(d) और धारा 28 की उपधारा 4 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	22.7.2016	पारेषण टैरिफ
491	टीटी /62/2015	6 फरवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: राजपुर उपकेन्द्र में देहर-भिवानी 400 केवी एससी लाइन का लीलो आस्ति-2: पंचकूला उपकेन्द्र में देहर-पानीपत 400 केवी एससी लाइन आस्ति-3: 220 केवी लाइन बे का चमेरा 400/220 केवी पूलिंग उपकेन्द्र (जीआईएस) का विस्तार आस्ति-4: केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन 2014-19 के लिए उत्तरी क्षेत्र में ' उत्तरी प्रणाली सुदृढीकरण योजना-XXVII से संबद्ध 400 केवी कोटा उपकेन्द्र का विस्तार के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	27.5.2016	पारेषण टैरिफ
492	टीटी /58/2015	9 फरवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 टैरिफ ब्लाक 2014-19 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आईपीपी (डी) में आईपीपी उत्पादन परियोजना के अधीन बोएसर उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित औरंगाबाद बोयसर पारेषण लाइन सीकेटी-2 के लिए 400 केवी 80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर बोयसर उपकेन्द्र में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित औरंगाबाद बोयसर 400 केवी 80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर तथा औरंगाबाद उपकेन्द्र 400/200 केवी 500 एमवीए आईसीटी-3 में बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित औरंगाबाद बोयसर पारेक्षण लाइन सीकेटी-2 के लिए औरंगाबाद उपकेन्द्र 400 केवी 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर बस रिएक्टर के रूप में प्रभारित औरंगाबाद बोयसर पारेषण लाइन सीकेटी 1 के लिए औरंगा उपकेन्द्र 400 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर में उपकरण एवं बेज सहित औरंगाबाद उपकेन्द्र 765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी-1 सहित संबद्ध बेज और 765 केवी डीसी वर्धा औरंगाबाद पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.4.2016	पारेषण टैरिफ

493	टीटी /65/2015	9 फरवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	वास्तीवक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र से कमेंग एचईपी (पूर्वोत्तर/पश्चिम इन्टरकनेक्टर-1) से पावर की तत्काल निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 7.11.2014) बोंगेगांव और बलीपारा सिरे पर प्रत्येक 2 नंबर 4X63 MVAR, 420 kV line Reactors में 30% नियत सीरीज क्षतिपूर्ति सहित बलीपारा उपकेन्द्र और बोंगेगांव उपकेन्द्र सहित बलीपर बोंगेगांव पारेषण लाइन आस्ति-1: 400 केवी डीसी क्वेद के पारेषा टैरिफ के केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अनुमोदन के लिए याचिका	14.7.2016	पारेषण टैरिफ
494	टीटी /66/2015	10 फरवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में 2014-19 टैरिफ ब्लाक अवधि के लिए "पश्चिमी क्षेत्र के लिए प्रणाली सुदृढीकरण से संबद्ध पावरग्रिड उपकेन्द्र में लाइन बेज और रिपेक्टर उपबंध" के अधीन वडोदरा-धुले (आईपीटीसी) टी/एल के लिए 765 केवी वडोदरा जीआईएस में 765 केवी लाइन बे एवं 3*80 MVAR line reactor के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	25.5.2016	पारेषण टैरिफ
495	टीटी /71/2015	13 फरवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में रिहन्द-3 (100 मेगावाट) उत्पादन परियोजना एवं विंध्याचल-4 के अधीन 6 नंबर आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	31.5.2016	पारेषण टैरिफ
496	एमपी/76/2015	16 फरवरी 2015	एनएचपीसी लि.	बैरासूल पावर स्टेशन के संबंध में नवीकरण एवं आधुनिकरण प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए याचिका	3.6.2016	विविध याचिका
497	एमपी/50/2015	17 फरवरी 2015	एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लि.	19-1-2005 के प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश के खण्ड 5.6 (6) के अधीन केविविआ द्वारा प्रकाशित देसी कोयले (भुगतान) के लिए वृद्धि दरों की संगणना के लिए पद्धति के पुनरीक्षण की मांग करते हुए याचिका	25.5.2016	विविध याचिका
498	टीटी /77/2015	18 फरवरी 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में "भिवानी में 2 नंबर 400 केवी लाइन बे का निर्माण" के अधीन भिवानी (पावरग्रिड) उपकेन्द्र में 2 नंबर 400 केवी लाइन बेज के लिए पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	23.5.2016	पारेषण टैरिफ
499	टीटी /53/2015	2 मार्च 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिण क्षेत्र में कुडनकुलम आटोमिक पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के टूटगअप के लिए याचिका	21.4.2016	पारेषण टैरिफ



500	टीटी /56/2015	2 मार्च 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक भद्रवती बेक टू बेक केन्द्र में स्पेयर कनवर्टर ट्रांसफार्मर की प्रापित और ट्रांसफार्मर की स्थापना के अधीन बेक टू बेक केन्द्र भद्रवती एचवीडीसी में 1X315 MVA 400/220 kV ICT की स्थापना के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.7.2016	पारेषण टैरिफ
501	टीटी /70/2015	2 मार्च 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: फतेहपुर उपकेन्द्र में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर-1 (आस्ति-1क) और 125 एमवीएआर बस रिएक्टर-2 (आस्ति-1ख) से संबद्ध बे आस्ति-2: बलिया उपकेन्द्र में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर-2 आस्ति-3: आगरा उपकेन्द्र में 765 केवी एससी-फतेहपुर-आगरा के संबद्ध बेज और संबद्ध लाइन सहित (आस्ति-3ख) सासाराम में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर-1 से संबद्ध बेज समन्वित आस्ति से संबद्ध बेज (आस्ति-3क), सहित और फतेहपुर और आगरा उपकेन्द्र 1500 MVA ICT-I (आस्ति-3ग) में टी/एल का संबद्ध लाइन बेज आस्ति-4: आगरा उपकेन्द्र में 1500 एमवीए आईसीटी-2 बेज सहित आस्ति-5: लखनऊ में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर से संबद्ध बेज आस्ति-6: सासाराम में संबधित बेज सहित 125 एमवीएआर 400 केवी बस रिएक्टर-2 (आस्ति-6क) और 400 केवी मेथून उपकेन्द्र और संबधित बेज (मेथॉन-गया (आस्ति-6ख) में 2 नंबर 50 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति-7: 400 केवी डी/सी मेथॉन-मेजिया पारेषण लाइन के लिए मेथॉन उपकेन्द्र में 400 केवी का 2 नंबर आस्ति-8: पटना में 400 केवी उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित बर्थ-बलिया 400 केवी डीसी पारेषण लाइन का लीलो आस्ति-9: केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में वाया एनईआर/एसआर/डब्ल्यूआर और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात और पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क हेतु सामान्य योजना पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा आयात, उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 765 केवी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना के अधीन संबद्ध बेज सहित सासाराम उपकेन्द्र में 1500 MVA 765/400 kV ICT-I के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधीन 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के टूइंगअप के लिए याचिका	18.4.2016	पारेषण टैरिफ

502	80/एमपी/2015	4 मार्च 2015	टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लि.	याचिका सं. 187/MP/2014 में दिनांक 11.9.2014 का आयोग के आदेश के अनुसार पावर एक्सचेंज सहित अल्पकाल के अधीन दगाछू परियोजना से प्राप्त विद्युत के विक्रय के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति के लिए प्रत्यश्रियों को निर्देशों की मांग करते हुए याचिका	26.5.2016	विविध याचिका
503	टीटी /82/2015	4 मार्च 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: न्यू पुरनिया एस/एस में 125 एमवीएआर, 400 केवी बस रिएक्टर बेज सहित आस्ति-2: 400 केवी डी/सी क्वेद लाइन एक सीकेटी न्यू सिलिगुडी-न्यू पुरनिया के न्यू पुरनिया अंत में नियत लाइन रिएक्टर के रूप में स्थापना के लिए नए पुरनिया बस पर स्थापित एक नंबर 63 एमवीएआर बस रिएक्टर की शिफ्टिंग आस्ति-3: न्यू पुरनिया 400 केवी बस में 1 नंबर न्यू 125 एमवीएआर की स्थापना आस्ति-4: दुर्गापुर और मेथॉन उपकेन्द्र में दुर्गापुर-मेथॉन 400 केवी डी/सी लाइन बेज सहित आस्ति-5: 400 केवी सिलिगुडी एसएस में 3 नंबर 63 एमवीएआर का स्थानान्तरण, सिलिगुडी 400 केवी बस रिएक्टर में 1 नंबर न्यू 125 एमवीएआर बस रिएक्टर की स्थापना आस्ति-6 नए सिलिगुडी उपकेन्द्र में नए 125 एमवीएआर बस रिएक्टर की स्थापना आस्ति-7: पूर्वी क्षेत्र में ईआरएसएस-II के अधीन बरीपाड़ा में 220/132 केवी, 160 एमवीए आईसीटी के लिए 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के द्रुङगअप के लिए याचिका	19.4.2016	पारेषण टैरिफ
504	टीटी /475/2014	10 दिसम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.12.2014) 400 केवी सुभाषग्राम उपकेन्द्र में 220 केवी लाइन बेज के 2 नंबर और 400/220 केवी सुभाषग्राम उपकेन्द्र से संबद्ध बेज 1 नंबर 1x500 MVA ICT आस्ति-2: (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.1.2015) मुजफ्फरपुर उपकेन्द्र में 125 MVAR Bus Reactor-I बेज सहित आस्ति-3:केविविआ (टैरिफ की निबंधान व शर्तों) विनियम 2014 और केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पूर्वी क्षेत्र में "पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना--VIII" के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.2.2015) संबद्ध बेज सहित मुजफ्फरपुर में मौजूदा 63 MVAR Bus Reacto के स्थान पर 125 MVAR Bus Reactor-II बेज सहित के लिए पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	23.5.2016	पारेषण टैरिफ



505	टीटी /87/2015	16 मार्च 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में " उत्तरी क्षेत्रीय सुदृढीकरण योजना- XXVI" के अधीन मेरठ में मेरठ-मोगा 765 केवी एस/सी पारेषण लाइन संबद्ध बेज सहित और मेरठ और मोगा प्रत्येक में (1 नंबर स्विचेबल और 1 नंबर गैर-स्विचेबल लाइन रिएक्टर) 2 नंबर 240 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के साथ मेरठ और मोगा 765/400 केवी उपकेन्द्र के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	18.4.2016	पारेषण टैरिफ
506	टीटी /445/2014	9 अप्रैल 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) 2009-14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रूंगअप पारेषण (ii) दक्षिणी क्षेत्र में तूतीकोरिन जेवी टीपीएस के एटीएस के अधीन 400/220 केवी मदुरई एस/एस के विस्तार और तूतीकोरिन जेवी - मदुरई 400 केवी डी/सी (क्वेड कंडक्टर) लाइन 2014-19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	30.6.2016	पारेषण टैरिफ
507	टीटी /111/2015	9 अप्रैल 2014	एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तों) विनियम 2009 के अधीन 2013-14 के लिए हजीरा और स्टेज-1 (आस्ति-1) के रूप में परिभाषित (वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2013) संबंधित बेज में 400 केवी एस/सी विंध्याचल-कोरबा पारेषण लाइन और 400 केवी डी/सी गंधार-हजीरा पारेषण लाइन और 400 केवी डी/सी जीआईएस उपकेन्द्र के लोलों की समन्वित आस्तियों के पूंजी व्यय की वार्षिक स्थिर लागत के ट्रूंगअप के लिए याचिका	15.6.2016	पारेषण टैरिफ
508	जीटी/471/2014	5 दिसम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2009-2014 टैरिफ अवधि के लिए दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट नं. 1 से 3 और 4 के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	29.7.2016	उत्पादन टैरिफ
509	जीटी/470/2014	5 दिसम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2009-2014 टैरिफ अवधि के लिए चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट नं. 1 से 3 के लिए ट्रूअप याचिका	29.7.2016	उत्पादन टैरिफ
510	टीटी /136/2015	22 मई 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति-1: दुर्गापुर उप-केन्द्र में स्पिलिट बस की व्यवस्था प्रबंध आस्ति-2: पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न उपकेन्द्रों के लिए स्पिलिट बस व्यवस्था के अधीन मैथॉन उपकेन्द्र में स्पिलिट बस की व्यवस्था के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29.4.2016	पारेषण टैरिफ
511	एमपी/121/2015	22 मई 2015	आईटीसी लि.	तेलंगाना, भद्राचलम ने अपनी फैक्ट्री में कैप्टिव खपत के लिए अनंतपुर जिला, आंध्रप्रदेश में पवन उर्जा प्रोजेक्ट में आईटीसी लि. द्वारा उत्पादित उर्जा के लिए अन्तरराज्यिक निर्बाध पहुंच को प्रदान करने के लिए याचिका	13.6.2016	विविध याचिका

512	जीटी/144/2015	28 मई 2015	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2014-19 अवधि के लिए मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 5 और 6 (2 X 250 = 500 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	16.3.2017	उत्पादन टैरिफ
513	टीटी/145/2015	28 मई 2015	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i)डीवीसी का अंदल टीपीएस (400 केवी दुर्गापुर-जमशेदपुर टीएल का भाग) की लीलो संयोजकता (ii)बरीपाड़ा और मेनधसल उपकेन्द्र में 400 केवी डी/सी बरीपाड़ा मेनधसल टी/एल और संबद्ध बेज (iii) जमशेदपुर में दुर्गापुर-जमशेदपुर टीएल और संबद्ध बेज का 400 केवी डी/सी अंदल (डीवीसी)-जमशेदपुर भाग (iv) केविविवि (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पूर्वी क्षेत्र में ईआरएसएस-1 के अधीन बरीपाड़ा उपकेन्द्र में संबद्ध बेज और 400 केवी डी/सी बरीपाड़ा-डीवीसी (जमशेदपुर) टीएल (400 केवी डी/सी जमशेदपुर-बरीपाड़ा का भाग) की समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविवि (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधीन और 2009-14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के टूडगअप के लिए याचिका	25.4.2016	पारेषण टैरिफ
514	एसएम/07/2015	28 मई 2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	पावर एक्सचेंजों का पुनरीक्षण	10.6.2016	स्वप्रेरणा से
515	जीटी/469/2014	5 दिसम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2009-14 अवधि के लिए बोकारो थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 1 से 3 की टूअप याचिका का	29.7.2016	उत्पादन टैरिफ
516	जीटी/468/2014	5 दिसम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2009-14 अवधि के लिए तिलाया हाइडल पावर स्टेशन यूनिट 1 और 2 (2X40 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	29.7.2016	उत्पादन टैरिफ
517	जीटी/467/2014	5 दिसम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2009-14 अवधि के लिए पंचेत हाइडल पावर स्टेशन यूनिट 1 और 2 (2X40 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	29.7.2016	उत्पादन टैरिफ
518	जीटी/466/2014	5 दिसम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2009-14 अवधि के लिए मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 4 (1X2100 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	29.7.2016	उत्पादन टैरिफ
519	जीटी/465/2014	5 दिसम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2009-14 अवधि के लिए मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 1 से 3 के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	29.7.2016	उत्पादन टैरिफ
520	जीटी/464/2014	5 दिसम्बर 2014	दामोदर वैली कार्पोरेशन	2009-14 अवधि के लिए मैथॉन हाइडल पावर स्टेशन यूनिट 1 से 3 3 (2 X 20 + 1 x 23.2 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	29.7.2016	उत्पादन टैरिफ
521	टीटी/427/2014	23 नवम्बर 2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2014-19 अवधि के लिए यूपीपीसीएल के अधीन मोदीपुरम में उप-भार प्रेषण केन्द्र के प्रभारों और फीस के अवधारण के लिए याचिका	16.5.2016	पारेषण टैरिफ
522	एमपी/162/2015	22 जून 20105	ससान पावर लि.	निर्माण अवधि के दौरान कार्यक्रमों 'विधि में परिवर्तन' के लिए क्षतिपूर्ति की संगणना के लिए याचिका	2.6.2016	विविध याचिका

अनुबन्ध-II

एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों / यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2017 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2017 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र / यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी का कोयला आधारित थर्मल उत्पादनकारी स्टेशन			
क.	पिट अहेड उत्पादनकारी स्टेशन		
1.	रिहंद एसटीपीएस (स्टे-I)	1000.00	01.01.1991
2.	रिहंद एसटीपीएस (स्टे-II)	1000.00	01.04.2006
3.	रिहंद एसटीपीएस (स्टे-III)	1000.00	27.03.2014
4.	विंध्याचल एसटीपीएस (स्टे-I)	1260.00	01.02.1992
5.	विंध्याचल एसटीपीएस (स्टे-II)	1000.00	01.10.2000
6.	विंध्याचल एसटीपीएस (स्टे-III)	1000.00	15.07.2007
7.	विंध्याचल एसटीपीएस (स्टे-IV)	1000.00	27.03.2014
8.	विंध्याचल एसटीपीएस (स्टे-V)	500.00	30.10.2015
9.	कोरबा एसटीपीएस (स्टे-I और II)	2100.00	01.06.1990
10.	सिपत (स्टे-I)	1980.00	01.08.2013
11.	सिपत एसटीपीएस (स्टे-II)	1000.00	01.01.2009
12.	रामागुंडम एसटीपीएस (स्टे-I और II)	2100.00	01.04.1991
13.	रामागुंडम एसटीपीएस (स्टे-III)	500.00	25.03.2005
14.	तलचर टीपीएस	460.00	01.07.1997
15.	तलचर एसटीपीएस (स्टे-I)	1000.00	01.07.1997
16.	तलचर एसटीपीएस (स्टे-II)	2000.00	01.08.2005
17.	कोरबा एसटीपीएस (स्टे-III)	500.00	21.03.2011
18.	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	01.05.1988
	उप-जोड़	21400.00	

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2017 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
ख.	गैर-पिट अहेड उत्पादनकारी स्टेशन		
1.	एफजीयूटीपीपी टीपीएस (स्टे-I)	420.00	13.2.1992 (अधिग्रहण की तारीख)
2.	एफजीयूटीपीपी (स्टे-II)	420.00	01.01.2001
3.	एफजीयूटीपीपी (स्टे-III)	210.00	01.01.2007
4.	एनसीटीपी दादरी (स्टे-I)	840.00	01.12.1995
5.	एनसीटीपी दादरी (स्टे-II)	980.00	30.07.2010
6.	फरक्का एसटीपीएस (स्टे I और II)	1600.00	01.07.1996
7.	फरक्का एसटीपीएस (स्टे-III)	500.00	04.04.2012
8.	टांडा टीपीएस	440.00	14.1.2000 (अधिग्रहण की तारीख)
9.	बदरपुर टीपीएस	705.00	01.04.1982
10.	कहलगांव एसटीपीएस	840.00	01.08.1996
11.	कहलगांव एसटीपीएस (स्टे-II)	1500.00	20.03.2010
12.	सिम्हाद्री (स्टे-I)	1000.00	01.03.2003
13.	सिम्हाद्री (स्टे-II)	1000.00	30.09.2012
14.	मौदा	1000.00	30.3.2014
15.	मौदा एसटीपीएस	1320.00	1.2.2017
16.	बड़-II	1320.00	18.02.2016
17.	कुडुगी यूनिट I	800.00	25.12.2016
18.	कुडुगी यूनिट II	800.00	1.3.2017
19.	बोंगेगांव	500.00	1.3.2017
20.	एफजीयूटीपीपी (स्टे-III)	500.00	31.3.2017
	उप.जोड़	16695.00	
	कुल एनटीपीसी कोयला (ए+बी)	38095.00	

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2017 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
	एनटीपीसी का गैस/तरल ईंधन आधारित स्टेशन		
1.	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997
2.	फरीदाबाद	431.59	01.01.2001
3.	अंटा सीसीजीटी	419.33	01.03.1990
4.	ओरय्या जीपीएस	663.36	01.12.1990
5.	गंधार जीपीएस	657.39	01.11.1995
6.	कवास जीपीएस	656.20	01.09.1993
7.	कयामकुलम सीसीजीटी	359.58	01.03.2000
	कुल एनटीपीसी (गैस)	4017.23	
	कुल एनटीपीसी (कोयला+गैस)	42112.23	



अनुबन्ध-III

नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2017 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2017 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	टीपीएस-I	600	21.02.1970
2.	टीपीएस-II ((स्टे-I)	630	23.04.1988
3.	टीपीएस-II (स्टे-II)	840	09.04.1994
4.	टीपीएस-I (विस्तार)	420	05.09.2003
5.	CFBC based Barsingsar TPS	250	21.01.2012
6.	टीपीएस-II (विस्तार) (यूनिट I और II)	(2 X 250)=500	यू-I जुलाई 2015 यू -II अप्रैल 2015
	कुल लिग्नाइट	3240	

अनुबन्ध-IV

दामोदर वैली कारपोरेशन के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2017 को संस्थापित क्षमता

उत्पादन केन्द्र	क्षमता (मेगावाट)	आरंभ
थर्मल		
बोकारो टीपीएस 'बी'	(3X210)=630	U-I मार्च 86, U-II नवम्बर 90, U-III अगस्त 93
बोकारो टीपीएस 'ए'	(1 X500)=500	फरवरी 2017
चन्द्रपुरा टीपीएस	(2X130)+(2X250)=760	U-II मई 65, U-III जुलाई 68, U-VII नवम्बर II, U-VIII जुलाई II
दुर्गापुर टीपीएस	(1 X 210) =210	U-IV सितम्बर 82
मेजिआ टीपीएस	(210 X4)+(250 X 2)+(2 X500)=2340	U-I मार्च 96, U-II मार्च 98, U-III सितम्बर 99, U-IV फरवरी 05, U-V फरवरी 08, U-VI सितम्बर 08, U-VII अगस्त II, U-VIII Aug 12
दुर्गापुर स्टील टीपीएस	(2X500)=1000	U-I मई 12, U-II मार्च 13
कोडरमा टीपीएस	(2X500)=1000 2014-15 के दौरान यूनिट II आरंभ की गई।	U-I जुलाई 13 U-II जून, 2014,
रंगनाथपुर टीपीएस	(2 X 600) = 1200	मार्च 16 मार्च 16
कुल थर्मल	7640	

अनुबन्ध-V

नीपको के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2017 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2017 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	
1.	अगरतला जीपीएस	84 (21 *4) गैस टर्बाइन	01.08.1998	
		51 (25.5 *2) स्टीम टर्बाइन	01.09.2015	
2.	असम जीपीएस	291	01.04.1999	
3.	त्रिपुरा गैस आधारित समन्वित साइकल पावर प्रोजेक्ट	101 (1 X 65.42 MW गैस टर्बाइन और (1 X 35.58 MW) स्टीम टर्बाइन) 101	गैस टर्बाइन (65.42 MW)	24.12.2015
			स्टीम टर्बाइन (35.58 MW)	31.03.2017
4.	कुल	527.00		

अनुबन्ध-VI

थर्मल पावर स्टेशनों का नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए औसत टैरिफ ब्रेक-अप रिपोर्ट – स्टेशन – कोयला							
क्र. सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	स्टेशन	मार्च 2017 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल एनर्जी शेड्यूल (एमयू)	सामान्य स्तर पर क्षमता प्रभार प्रति यूनिट (रूपये/ किलोवाट घण्टा)	ईसी (रूपये/ किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये/ किलोवाट घण्टा)
पिट हेड स्टेशन							
1	एनटीपीसी	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन	2000	13,940.68	0.611	1.436	2.047
2		फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन I	1600	9,572.19	0.844	2.517	3.361
3		फरक्का सुपर थर्मल स्टेशन -3	500	3,089.43	1.578	2.508	4.086
4		कहलगांव एसटीपीएस I	840	5,422.77	1.016	2.386	3.402
5		कहलगांव एसटीपीएस-2	1500	9,425.91	1.125	2.276	3.401
6		कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन I	2100	14,991.71	0.647	1.371	2.019
7		कोरबा एसटीपीएस स्टेज-3	500	3,587.46	1.477	1.368	2.845
8		रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन I	1000	5,967.66	0.841	1.604	2.445
9		रिहंद थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	7,370.69	0.869	1.592	2.461



10	रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	1000	7,065.46	1.494	1.574	3.068
11	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	2100	15,029.19	0.690	2.187	2.877
12	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	500	3,412.91	0.935	2.182	3.118
13	तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	7,023.19	0.909	1.657	2.566
14	तलचर एसटीपीएस 2	2000	14,365.21	0.820	1.663	2.483
15	तलचर थर्मल पावर स्टेशन 1	460	3,355.21	1.359	1.641	3.001
16	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1260	6,931.42	0.797	1.754	2.550
17	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	6,087.81	0.677	1.670	2.347
18	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	1000	6,734.75	1.081	1.656	2.737
19	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 4	1000	6,559.24	1.611	1.653	3.264
20	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 5	500	3,282.65	1.489	1.655	3.144

गैर पिट हेड स्टेशन

1	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	705	1,591.53	0.791	3.651	4.441
2	फिरोज गांधी थर्मल पावर स्टेशन 1	420	2,564.54	0.842	2.908	3.750
3	फिरोज गांधी थर्मल पावर स्टेशन 2	420	2,735.77	0.876	2.894	3.770
4	फिरोज गांधी उनचार टीपीएस-3	210	1,427.80	1.367	2.891	4.257
5	मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	3,431.30	1.942	2.493	4.435
6	मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	660	406.37	1.386	2.436	3.823
7	नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन 1	840	2,961.70	0.866	3.309	4.175

8	एनटीपीसी	नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेज.2	980	5,266.86	1.571	3.107	4.677
9		सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	6,883.82	0.932	2.740	3.673
10		सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	6,636.57	1.593	2.734	4.327
11		सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1980	14,799.02	1.363	1.318	2.681
12		सपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	7,665.49	1.285	1.356	2.641
13		टांडा थर्मल पावर स्टेशन 1	440	2,954.38	1.212	2.869	4.081
14		बड़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन.2	1320	7,280.21	1.910	2.652	4.562
15		बोंगेगांव टीपीएस	250	1,536.63	2.406	3.162	5.568
16	मैथॉन	मैथॉन राईट बैंक थर्मल पावर प्लांट	1050	6,886.59	1.585	1.949	3.534
17	एपीसीपीएल	अरावली पावर कं. प्रा. लि. झज्जर	1500	5,233.99	1.713	3.235	4.948
18	डीवीसी	बीटीपीएस बी	630	1,300.17	0.736	2.512	3.248
19		सीटीपीएस	260	1,717.77	0.968	2.436	3.404
20		डीटीपीएस	210	530.73	1.608	2.607	4.215
21		एमटीपीएस (1-3)	630	2,112.35	0.800	2.370	3.170
22		एमटीपीएस 4	210	319.15	1.145	2.370	3.515
23		एमटीपीएस (5-6)	500	3,351.69	1.369	2.245	3.614
24		एमटीपीएस (7-8)	1000	6,090.02	1.542	2.040	3.582
25		सीटीपीएस (7-8)	500	3,385.09	1.608	1.798	3.406
26		डीएसटीपीएस	1000	6,332.19	1.685	2.174	3.483
27		केटीपीएस	1000	3,521.87	1.708	1.994	3.882
28		आरटीपीएस	1200	2,017.28	1.402	2.009	3.396
29			बीटीपीएस ए	500	196.60	1.685	1.985
30	कांति बिजली	मुजफ्फरपुर टीपीएस स्टेज-I (2*110 मेगावाट)	220	657.12	1.158	4.070	5.228
31		मुजफ्फरपुर टीपीएस स्टेज-II (2*195 मेगावाट)	195	15.38	2.979	2.529	5.508
32	एनएसपीसीएल	एनएसपीसीएल भिलाई विस्तार पावर प्लांट	500	3,172.37	1.859	1.911	3.770
33	एनटीईसीएल	एनटीईसीएल-वैल्लूर	1500	8,686.03	1.933	2.464	4.397
34	एनएलसी	एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. (2x500 मेगावाट) – टीएएनीईडीसीओ और एनएलसीआईएल का एजेवी	1000	5,812.11	1.524	2.592	4.115

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए औसत टैरिफ ब्रेक-अप रिपोर्ट – स्टेशन – लिग्नाइट							
क्र. सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	स्टेशन	मार्च 2017 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल एनर्जी शेड्यूल (एमयू)	सामान्य स्तर पर क्षमता प्रभार प्रति यूनिट (रूपये/ किलोवाट घण्टा)	ईसी (रूपये/ किलोवाट घण्टा)	मानकीय स्तर पर कुल टैरिफ (रूपये/ किलोवाट घण्टा)
लिग्नाइट आधारित स्टेशन							
1	एनएलसी	एनएलसी टीपीएस I 600 मेगावाट	600	3,004.63	0.951	4.536	5.487
2		एनएलसी टीपीएस II स्टेज I 630 मेगावाट	630	3,709.32	0.722	3.159	3.882
3		एनएलसी टीपीएस II स्टेज II 840 मेगावाट	840	4,901.22	0.668	3.161	3.828
4		एनएलसी टीपीएस I विस्तार 420 मेगावाट	420	2,769.04	1.014	3.101	4.115
5		एनएलसी II विस्तार 500 मेगावाट	500	1,188.65	2.121	2.878	4.999
6		एनएलसी बीटीपीएस 250 मेगावाट	250	1,297.57	2.324	1.474	3.799
गैस आधारित स्टेशन							
1	ओटीपीसी	ओटीपीसी त्रिपुरा पावर कं. पलटाना प्रोजेक्ट	726.6	4,000.75	1.840	1.300	3.140
2	टोरंट	एसयूजीईएन	1147.5	4,749.61	1.209	3.854	5.063
3		यूएनओएसयूजीईएन	382.5	प्लांट में पीपीए नहीं है			
4		डीजीईएन	1200	3.79	प्लांट में पीपीए नहीं है		
5	नीपको	एजीबीपी	291	1,455.92	1.693 (रु. 31081.25 के एफसी पर आधारित)	1.526	3.231
6		एजीटीसीसीपी	135	872.37	टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाना है		
7		टीजीबीपी	101	175.54	टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाना है		
8	एनटीपीसी	एंटा गैस पावर स्टेशन	419	675.39	0.685	2.541	3.231
9		औरय्या गैस पावर स्टेशन	663	535.01	0.499	3.292	3.800
10		दादरी गैस पावर स्टेशन	830	2,274.69	0.531	2.756	3.301
11		फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन	432	1,155.77	0.729	2.348	3.073

12		झनोर गंधार गैस स्टेशन	657	2,219.24	0.931	2.009	2.768
13		राजीव गांधी गैस पावर स्टेशन	360	14.93	1.121	7.312 (लिविड फ्यूल पर आधारित)	1.121
14		कवास गैस पावर स्टेशन	656	1,679.30	0.809	2.045	2.672
15		रतनगिरी गैस एण्ड पावर प्रा. लि.	1967.08	130.98	1.340	1.820	3.160
16	आरजीपीपीएल	रतनगिरी गैस एण्ड पावर प्रा. लि. पीएच. Ph. III पीएसडीएफ	1050	6,886.59	1.340	3.33 (अप्रैल 16-सित्म्बर 16)	4.700
17		रतनगिरी गैस एण्ड पावर प्रा. लि. पीएच. IV पीएसडीएफ	1050	6,886.59	1.340	3.52 (अक्टूबर 16-मार्च 17)	4.700

अनुबन्ध-VII

हाइड्रो उत्पादन कंपनियों की संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन का वर्ष
क.	एनएचपीसी				
1	बैरा सियूल	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 X 60 = 180	1982
2	चमेरा-I	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 180 = 540	1994
3	चमेरा-II	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 100 = 300	2004
4	चमेरा-III	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 77 =231	2012
5	परबती स्टेज-III	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x130=520	2014
6	सलाल I एण्ड II	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	6 x 115 = 690	1995
7	यूरी - I	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	4 x 120 = 480	1997
8	यूरी - II	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	4 x 60 =240	2014
9	दुल्हस्ती	जम्मू और कश्मीर	पोंडेज	3 x 130 = 390	2007
10	नीमो बाजगो	जम्मू और कश्मीर	पोंडेज	3x15= 45	2013
11	चटक	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	4x11=44	2013
12	सेवा-II	जम्मू और कश्मीर	पोंडेज	4 x 30 = 120	2010
13	टनकपुर	उत्तराखण्ड	आरओआर	3 x 31.40 = 94.20	1993
14	धौलीगंगा	उत्तराखण्ड	पोंडेज	4 x 70 = 280	2005
15	तीस्ता - V	सिक्किम	पोंडेज	3 x 170 = 510	2008
16	तीस्ता निम्न डैम-III	सिक्किम	छोटे पोंडेज के साथ ROR	4 x 33 =132	2013
17	तीस्ता निम्न डैम-IV	सिक्किम	छोटे पोंडेज के साथ ROR	4 x40=160	2016
18	रंगित एच.ई. परियोजना	सिक्किम	पोंडेज	3 x 20 = 60	2000
19	लोकटक	मणिपुर	स्टोरेज	3 x 35 = 105	1983
	कुल आई. सी.			5121.20	
ख	एनएचडीसी				
20	इन्दिरा सागर	मध्यप्रदेश	स्टोरेज	8x125=1000	2005
21	ओंकरेश्वर	मध्यप्रदेश	पोंडेज	8x65 = 520	2007
	कुल आई. सी.			1520.00	
ग.	टीएचडीसी				
22	टिहरी	उत्तराखण्ड	स्टोरेज	4x250=1000	2007
23	कोटेश्वर	उत्तराखण्ड	पोंडेज	4x100=400	2012
	कुल आई. सी.			1400.00	
घ.	एसजेवीएनएल				
24	नाथपा झाकड़ी	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	6X250=1500	2004
25	रामपुर		टेनडम	6x68.66=412	2014
	कुल आई.सी.			1912.00.00	
ङ	डीवीसी				
26	मैथोन	झारखण्ड / प.बंगाल	स्टोरेज	63.20	1958
27	पनचेत	झारखण्ड / प.बंगाल	स्टोरेज	2x40=80	1991
28	तलिया	झारखण्ड	स्टोरेज	2x2=4	1953
	कुल आई.सी.			147.20	
च	नीपको				
29	रंगानदी	अरुणाचल प्रदेश	पोंडेज	3x135=405	2002
30	कोपीली स्टेज-I	असम	स्टोरेज	4x50=200	1997
31	कोपीली स्टेज-II	असम	स्टोरेज	1x25=25	2004
32	खंदोंग	असम	स्टोरेज	2x25=50	1984

33	दोयांग	नागालैण्ड	स्टोरेज	3x25=75	2000
	कुल आई.सी.			755.00	
छ.	एनटीपीसी				
34	कोलडम	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	4x200=800	2014
	कुल आई.सी.			800.00	
ज.	बीबीएमबी				
35	बीबीएमबी के उत्पादन केन्द्र	पंजाब	आरओआर / स्टोरेज	2918.72	1960-1983
	कुल आई.सी.			2918.72	
	आईपीपी				
36	करचम वांग्टू	हिमाचल प्रदेश	पॉडेज	1000.0	2011
	आई. सी. का कुल योग			15574.12	

अनुबन्ध-VIII

हाइड्रो उत्पादन स्टेशन का समन्वित टैरिफ

क्र. सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	उत्पादन स्टेशन का नाम	प्रकार (पॉडेज / स्टोरेज / आरओआर)	संस्थापित क्षमता (MW)	अनुसूचित मात्रा (MU)	वार्षिक नियत प्रभार (रुपये लाख में)	समन्वित टैरिफ (रुपये /kwh)
1	एनएचपीसी	बैरासियूल	पॉडेज के साथ आरओआर	180	640.96	13354.74	1.970
2		सलाल	आरओआर	690	3237.68	29634.33	1.100
3		टनकपुर	आरओआर	94.2	377.07	11665.00	2.960
4		चमेरा-I	पॉडेज	540	2142.17	31243.42	2.160
5		यूरी	आरओआर	480	2732.35	35680.58	1.590
6		चमेरा -II	पॉडेज के साथ आरओआर	300	1391.76	25499.19	1.960
7		धौलीगंगा	पॉडेज के साथ आरओआर	280	920.27	29509.16	2.990
8		दुलहस्ती	पॉडेज के साथ आरओआर	390	2198.85	93550.03	5.640
9		लोकटक	स्टोरेज	105	715.33	14248.06	3.650
10		रंगित	पॉडेज के साथ आरओआर	60	326.39	10416.38	3.530
11		तीस्ता -V	पॉडेज के साथ आरओआर	510	2678.31	51716.9	2.310
12		यूरी-II	आरओआर	240	1439.28	46923.05	4.860
13		नीमो बाजगो	पॉडेज के साथ आरओआर	45	238.74	18161.01	8.810
14		चटक	आरओआर	44	217.00	14613.38	7.980



15		सेवा-II	पोंडेज के साथ आरओआर	120	457.40	19890.41	4.330
16		चमेरा-III	पोंडेज के साथ आरओआर	231	892.86	40452.03	4.250
17		पारबती -III	पोंडेज के साथ आरओआर	520	666.68	33008.78	5.480
18		टीएलडीपी-III	पोंडेज के साथ आरओआर	132	538.02	36070.97	6.200
19		टीएलडीपी-IV	पोंडेज के साथ आरओआर	160	581.49	16164.18	2.557
20	नीपको	कोपिली	स्टोरेज	200	962.95	10984.46	1.091
21		खंदोग	स्टोरेज	50	189.33	4036.27	1.932
22		कोपिली-II	स्टोरेज	25	101.19	1417.26	1.722
23		दोयांग	स्टोरेज	75	246.48	10156.05	4.668
24		रंगानदी	पोंडेज के साथ आरओआर	405	1241.60	26046.93	2.178
25	एनएचडीसी	इन्दिरा सागर पावर स्टेशन	स्टोरेज	1000	3253.33	60213.11	3.697
26		ओंकेश्वर पावर स्टेशन	पोंडेज के साथ आरओआर	520	1416.63	40916.97	5.429
27	एनटीपीसी	कोलडम हाइड्रो पावर स्टेशन - I	संग्रहण क्षमता के साथ आरओआर	800	3632.60		3.46 (रुपये 1.86/kWh के अन्य प्रभारों को शामिल करके)
28	डीवीसी	मैथॉन एचएस	स्टोरेज	63.2	122.02	3174.19	2.930
29		पंचेत एचएस	पंच स्टोरेज	80	133.60	2683.86	1.430
30		तिलय्या एचएस		4	14.07	870.21	8.760
31	एसजेवीएन	नापथा झाकड़ी एचपीएस	लिमिटेड पोंडेज के साथ आरओआर	1500	6612.00	165684.29	2.882
32		रामपुर एचपीएस	एनजेएचपीएस के साथ मिलकर	412	1878.08	52170.64	3.226
33	टीएचडीसी	टिहरी एचपीपी	स्टोरेज	1000	3101.87	134104.53	5.179
34		कोटेभवर एचईपी	पोंडेज के साथ आरओआर	400	1208.79	39333.39	3.857

अनुबन्ध-IX

नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
लघु हाइड्रो पावर परियोजना			
एचपी, उत्तराखण्ड, डब्ल्यूबी और एनई राज्य (5 मेगावाट से कम)	5.07	-	-
एचपी, उत्तराखण्ड, डब्ल्यूबी और एनई राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	4.29	-	-
अन्य राज्य (5 मेगावाट से कम)	6.00	-	-
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	5.04	-	-

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017-18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्र प्रदेश	2.68	4.37	7.06	0.13	6.93
हरियाणा	2.73	4.98	7.71	0.13	7.58
महाराष्ट्र	2.74	5.09	7.84	0.13	7.70
पंजाब	2.75	5.21	7.96	0.13	7.83
राजस्थान	2.68	4.35	7.03	0.13	6.89
तमिलनाडु	2.68	4.30	6.98	0.13	6.85
उत्तर प्रदेश	2.69	4.45	7.14	0.13	7.01
अन्य	2.71	4.68	7.39	0.13	7.26



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017-18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
पवन कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.83	4.47	7.31	0.15	7.16
हरियाणा	2.89	5.09	7.98	0.15	7.83
महाराष्ट्र	2.90	5.21	8.11	0.15	7.96
पंजाब	2.91	5.33	8.23	0.15	8.09
राजस्थान	2.83	4.45	7.28	0.15	7.13
तमिलनाडु	2.83	4.40	7.23	0.15	7.08
उत्तर प्रदेश	2.84	4.55	7.39	0.15	7.25
अन्य	2.86	4.79	7.65	0.15	7.50

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017-18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.79	4.37	7.17	0.14	7.02
हरियाणा	2.85	4.98	7.82	0.14	7.68
महाराष्ट्र	2.86	5.09	7.95	0.14	7.80
पंजाब	2.87	5.21	8.07	0.14	7.93
राजस्थान	2.79	4.35	7.14	0.14	6.99
तमिलनाडु	2.79	4.30	7.09	0.14	6.95
उत्तर प्रदेश	2.80	4.45	7.25	0.14	7.11
अन्य	2.82	4.68	7.50	0.14	7.35

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017-18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
पवन कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.95	4.47	7.43	0.16	7.27
हरियाणा	3.01	5.09	8.10	0.16	7.94
महाराष्ट्र	3.02	5.21	8.23	0.16	8.07
पंजाब	3.03	5.33	8.35	0.16	8.20
राजस्थान	2.95	4.45	7.40	0.16	7.24
तमिलनाडु	2.95	4.40	7.35	0.16	7.19
उत्तर प्रदेश	2.96	4.55	7.51	0.16	7.36
अन्य	2.98	4.79	7.77	0.16	7.61

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017-18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.68	4.30	6.97	0.13	6.84
हरियाणा	2.73	4.89	7.62	0.13	7.48
महाराष्ट्र	2.74	5.00	7.74	0.13	7.61
पंजाब	2.75	5.11	7.86	0.13	7.73
राजस्थान	2.67	4.27	6.94	0.13	6.81
तमिलनाडु	2.67	4.23	6.90	0.13	6.76
उत्तर प्रदेश	2.68	4.37	7.05	0.13	6.92
अन्य	2.70	4.59	7.30	0.13	7.16



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017-18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्र प्रदेश	2.83	4.39	7.22	0.15	7.08
हरियाणा	2.88	5.00	7.88	0.15	7.74
महाराष्ट्र	2.89	5.12	8.00	0.15	7.86
पंजाब	2.90	5.23	8.13	0.15	7.98
राजस्थान	2.82	4.37	7.19	0.15	7.05
तमिलनाडु	2.82	4.32	7.14	0.15	7.00
उत्तर प्रदेश	2.83	4.47	7.30	0.15	7.16
अन्य	2.85	4.70	7.55	0.15	7.41

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017-18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्र प्रदेश	2.79	4.30	7.08	0.14	6.94
हरियाणा	2.84	4.89	7.73	0.14	7.58
महाराष्ट्र	2.85	5.00	7.85	0.14	7.70
पंजाब	2.86	5.11	7.97	0.14	7.83
राजस्थान	2.79	4.27	7.05	0.14	6.91
तमिलनाडु	2.78	4.23	7.01	0.14	6.86
उत्तर प्रदेश	2.79	4.37	7.16	0.14	7.02
अन्य	2.81	4.59	7.41	0.14	7.26

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017-18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
			(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (साईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.95	4.39	7.34	0.16	7.18
हरियाणा	3.00	5.00	8.00	0.16	7.84
महाराष्ट्र	3.01	5.12	8.13	0.16	7.97
पंजाब	3.02	5.23	8.25	0.16	8.09
राजस्थान	2.95	4.37	7.31	0.16	7.15
तमिलनाडु	2.94	4.32	7.26	0.16	7.11
उत्तर प्रदेश	2.95	4.47	7.43	0.16	7.27
अन्य	2.97	4.70	7.67	0.16	7.52

(₹/किलोवाट घण्टा)

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017-18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वृद्धिशील मूल्यहास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यहास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
बगास आधारित सह-उत्पादन परियोजना					
आन्ध्रा प्रदेश	3.11	2.84	5.95	0.20	5.75
हरियाणा	2.78	4.03	6.82	0.17	6.65
महाराष्ट्र	2.49	3.98	6.47	0.15	6.32
पंजाब	2.74	3.55	6.29	0.17	6.12
तमिलनाडु	2.41	3.06	5.47	0.15	5.32
उत्तर प्रदेश	3.14	3.16	6.31	0.20	6.10
अन्य	2.73	3.44	6.17	0.17	6.00



राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017-18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)	(₹/किलोवाट घण्टा)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आन्ध्र प्रदेश	2.54	3.99	6.53	0.10	6.43
हरियाणा	2.58	4.54	7.13	0.10	7.03
महाराष्ट्र	2.59	4.65	7.24	0.10	7.14
पंजाब	2.60	4.75	7.35	0.10	7.25
राजस्थान	2.54	3.96	6.50	0.10	6.4
तमिलनाडु	2.53	3.93	6.46	0.10	6.36
उत्तर प्रदेश	2.54	4.06	6.60	0.10	6.50
अन्य	2.56	4.27	6.83	0.10	6.73
बायो-गैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.37	4.19	7.56	0.23	7.33

अनुबन्ध-X

1.4.2016 से 31.3.2017 के दौरान भारत से बाहर केविआयोग के अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे की सूची

नाम	पद	विदेश यात्रा का विवरण	देश का नाम	वर्ष
श्री टी. राउत	प्रमुख (विधि)	1. नवीकरणीय ऊर्जा पर अध्ययन भ्रमण	जर्मनी	जुलाई-अगस्त, 2016
		2. यूएसएआईडी के जीटीजी कार्यक्रम के अधीन पावर ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने के समेकन पर यू.एस.ए. का अध्ययन दौरा यूएसएआईडी-एनएआरयूसी	यूएसए	20-24 / 2 / 2017
श्री एस. सी. श्रीवास्तव	प्रमुख (इंजी.)	यूएसटीडीए पवन एवं सौर ऊर्जा स्टोरेज परियोजना के अधीन अध्ययन दौरा	यूएसए	4-16 / 4 / 2016



अनुबन्ध-XI

1.4.2016 से 31.3.2017 के दौरान भारत से बाहर केविआयोग के अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे की सूची

नाम	पद	कार्यक्रम का विवरण	स्थान	वर्ष
श्री एस. सी. श्रीवास्तव	प्रमुख (इंजी.)	पम्प स्टोरेज पर कार्यशाला	नई दिल्ली	24/1/2017
श्री एस. के . चटर्जी	संयुक्त प्रमुख (वि.मा.)	पम्प स्टोरेज पर कार्यशाला	नई दिल्ली	24/1/2017
श्री एच. टी. गांधी	संयुक्त प्रमुख (वित्त)	पम्प स्टोरेज पर कार्यशाला	नई दिल्ली	24/1/2017
सुश्री वैशाली राणा	सहायक प्रमुख (एमआईएस)	विनियम के विधिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीटीआई, फरीदाबाद	12-13/2/2017
श्री रमनजेनयूलू गली	सहायक-प्रमुख (इंजी.)	विनियम के विधिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीटीआई, फरीदाबाद	12-13/2/2017
श्री जगदीश चन्द्र हूडा	सहायक प्रमुख (इंजी.)	विनियम के विधिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीटीआई, फरीदाबाद	12-13/2/2017
श्री संजीव टिंजन	सहायक प्रमुख (वि.मा.)	1. स्विच ग्लोबल	वड़ोदरा	9-11/10/ 2016
		2. ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर समेकन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कार्यशाला/ बूट कैम्प	एनआरएलडीसी, कटवारिया सराय	4-6/1/ 2017
		3. 23 और 24 जनवरी 2017 को राज्य नोडल एजेंसी के (एसएनए) के प्रमुख और नवीकरणीय ऊर्जा की राज्य प्रधान सचिव/सचिव के साथ समझौते की राष्ट्रीय पुनरीक्षण मीटिंग	आईएचसी, नई दिल्ली	24/1/2017
		4. एनर्जी सेक्टर पर एनआईटीआई-आईईईजे संयुक्त अध्ययन पर सम्मेलन	नीति आयोग, नई दिल्ली	7/2/2017
श्री अरुण कुमार	सहायक सचिव (एफओआर)	विनियम के विधिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीटीआई, फरीदाबाद	12-13/2/2017

अनुबन्ध-XII

वर्ष 2016-17 के लिए परिक्षित वार्षिक लेखा

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2017 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी केविविआ के प्रबंधक की है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है।

2. इन पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर पद्धतियों के अनुरूप लेखांकन मानक तथा प्रकटन मानकों आदि के बारे में केवल लेखांकन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका-टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) के अनुपालन के बारे में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानक में यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस बात के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण नहीं हो। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच, राशि के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन सम्मिलित हो। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार पर प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि:-

- (i) हमने वह सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
- (ii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप से लिए गए हैं;
- (iii) हमारी राय में, लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(1) के अंतर्गत यथापेक्षित (वर्ष 2003 व 2007 के संशोधन सहित) केविविआ द्वारा रख-रखाव किया गया है ऐसा बहियों का हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं:



(क) लेखों पर टिप्पणियां : शून्य

(ख) अनुदान सहायता :

वर्ष के दौरान (मार्च, 2017 में शून्य रूपए प्राप्त किए गए) प्राप्त 44.72 करोड़ की रूपए की अनुदान सहायता में से पूर्ववर्ती वर्ष की अव्ययित बकाया के लिए 10.78 करोड़ रूपए सहित) अर्थात् कुल 55.50 करोड़ रूपए रहा जिसमें केविआ 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 40.65 करोड़ रूपए का प्रयोग कर सका जिसमें 14.85 करोड़ रूपए का बकाया अप्रयुक्त रह गया।

(ग) प्रबंधन पत्र

वे कमियां, जिन्हें पृथक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया, उसे उपचारात्मक/सुधार कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केविआ की जानकारी में लाया गया।

(v) पिछले पैरा में अपने संप्रेक्षण के अधीन, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में तुलन पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा बहियों के अनुरूप है।

(vi) हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त कथित महत्वपूर्ण मामलों और इस पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-1 में उल्लिखित मामलों के अधीन, रहते हुए, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

क) जहां तक तुलन-पत्र का संबंध है, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, और

ख) जहां तक अधिशेष के आय तथा व्यय लेखा का संबंध है। यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(रितिका भाटिया)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

एवं

पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितम्बर, 2017

अनुबन्ध-1
{पैरा 4(vi) में उल्लिखित}

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	केविविआ का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा मेनुअल है जो 18 जून, 2013 को अनुमोदित हुआ। वर्ष 2016-17 के लिए केविविआ का वार्षिक लेखा की आंतरिक लेखा परीक्षा इसके अपने अधिकारियों द्वारा इनहाउस आयोजित की गई और रिपोर्ट 21 जून, 2017 को संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई। केविविआ के संव्यवहारों की आंतरिक लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 के लिए पूरी नहीं की गई है। केविविआ विद्युत मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा के भी अध्याधीन है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	मॉनिटरिंग प्राप्तियां और भुगतान तथा उसके लेखांकन के लिए आंतरिक नियंत्रण मैकेनिज्म केविविआ गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2016-17 के लिए नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन केविविआ के अधिकारियों की समिति द्वारा किया गया है जिसमें सहायक प्रमुख (अर्थशास्त्र), सहायक प्रमुख (प्रबंध सूचना प्रणाली) और सहायक सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन) शामिल हैं। तथापि केविविआ द्वारा रखा गया नियत अस्त रजिस्टर जीएफआर फार्म-40 में उल्लिखित फॉर्मेट के अनुरूप है।
4.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	के.वि.वि. आयोग उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित है।

31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 13 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन कन्वेंशन

वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा कथित न किया जाए वह ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोदभवन नीति पर तैयार किए जाते हैं। लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से विद्युत अधिनियम 2003 (2003 की 36) की धारा 100 की उपधारा (1) के केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए केविविआ (वार्षिक लेखा विवरिणी के फार्म एवं रिकार्ड) नियमावली, 2007 के अंतर्गत तैयार किया गया है। लेखों को लेखांकन सिद्धान्तों एवं मानक अनुपालन में तैयार किया गया है।

2. नियत आस्तियां

नियत आस्तियां आवक मालभाडा, शुल्क तथा करों तथा अर्जन से संबधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों सहित अर्जन की लागत पर कथित की जाती है।

3. मूल्यहास

- (i) नियत आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दी गई दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य प्रणाली में निकाला गया है।
- (ii) वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में जोड़/कटौतियों के संबंध में 30 सितम्बर तक अर्जित आस्तियों पर पूर्ण मूल्यहास और 30 सितम्बर के पश्चात अर्जित आस्तियों आधी दर से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण वर्ष का मूल्यहास 30 सितम्बर के बाद निपटाई गई/हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है और उस वर्ष के लिए आधी दर पर मूल्यहास 30 सितम्बर से पूर्व निपटाई गई/हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है।
- (iii) 5000/- रूपए या उससे कम की मूल्य की नियत आस्त को पूंजीगत किया जाता है और पूर्णतः मूल्यहास किया जाता है।

4. अमूर्त आस्तियों का उपाकरण

साफ्टवेयर का 5 वर्षों की अवधि के लिए या साफ्टवेयर के पूर्ण काल के लिए जो भी कम हो जब तक की अन्यथा कथित न किया गया हो, उपाकरण किया जाता है।

5. केविविआ निधि के लिए लेखांकन संव्यवहार

केविविआ निधि (निधि के प्रयोग का संगठन और ढंग) नियम, 2007 के अनुसार केविविआ निधि खाता भारत के पब्लिक लेखा में खोला गया है। केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस एवं रकम केविविआ निधि में क्रेडिट की जाती है। (भारत के पब्लिक लेखा में रखी गई) केविविआ की निधि से विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई रकम आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में परिगणित की जाती है।

6. सरकारी अनुदान / सब्सिडी

- (i) सरकारी अनुदान / सब्सिडी को उगाही आधार पर परिगणित किया जाता है।
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 12 के अनुसार तक अनुदान सहायता में से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रभारित मूल्यहास आस्थगित आय के रूप में आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है और तदनुरूपी रकम की पूंजी निधि से कटौती की गई है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में निर्धारित संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को परिगणित किया जाता है। विदेशी विनियम लाभ या हानि यदि कोई है तो उसे लेखा मानक-11 के अनुसार वर्ष के आय एवं व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

8. पट्टा

पट्टा किराया पट्टा निबंधनों के प्रति निर्देश से व्ययित किए जाते हैं।

9. सेवा निवृत्ति फायदे

कर्मचारियों की मृत्यु / सेवानिवृत्ति पर संदेह उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता को लेखा मानक-15 के अनुसार बीमांकन मूल्य के आधार पर परिगणित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी वेतन एवं पेंशन / ग्रेच्युटी के लिए अंशदान को प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परिगणित किया जाता है।

10. माल सूची

विनियमों के सार संग्रह आंतरिक एवं सरकारी तथा सरकारी कंपनियों व प्राइवेट पार्टियों को निर्धारित कीमत पर प्रयोग के लिए मुद्रित किया जाता है। वर्ष 2016-17 से, वर्ष के अंत में विनियमों के सार संग्रह की सूची कम लागत या उसकी बाजार कीमत पर परिगणित है।

हस्ता / -
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / -
सचिव

31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां**अनुसूची – 14 आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पण****1. केविविआ निधि**

- (i) केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोजन की निधि) तथा बजट का प्रारूप एवं तैयारी के लिए समय नियम 2007 के अनुसार इन निधियों में अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋणों को शामिल किया जाता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस, समय समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा या अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य रकम में शामिल हैं। निधि (क) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक के लिए (ख) अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपने कार्यों के निर्वाह में केन्द्रीय आयोग के व्यय तथा (ग) अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय के लिए प्रयुक्त होंगे। केन्द्रीय आयोग स्थापना से संबंधित और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए अपने वार्षिक बजट के लिए इन निधियों से रकम रिलीज करने की मांग करेगा।
- (ii) विद्युत मंत्रालय ने "अनुदान सहायता" के रूप में भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई सीईआरसी निधि से रिलीज राशि को मान लिया। मामला भारत के पूर्व अटार्नी जनरल श्री सौराब जी के मद पर आधारित सेबी के दिशा निर्देश में सीईआरसी निधि से आहरण के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ नवम्बर 2011 से फरवरी 2013 तक लिया और इसके बजट व्यय की सीमा तक सीईआरसी में प्राप्त फीस को रोकने के लिए सीईआरसी को अनुमति के लिए दौबारा जुलाई 2013 से अप्रैल 2014 तक लिया। तथापि प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा सहमति नहीं मिली। वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से विद्युत मंत्रालय ने निर्णय (सितम्बर 2015) किया की सीईआरसी निधि से रिलीज अनुदान सहायता के रूप में मानी जायेगी। तदनुसार वर्ष 2015-16 से सीईआरसी का समग्र व्यय उपचित आधार पर सीईआरसी निधि से रिलीज "अनुदान सहायता" से किया गया।
- (iii) केविविआ निधि नियमावली के अनुसार भारत के लोक लेखा के अधीन एक निधि खाता खोला गया है जो गैर व्ययगत और गैर ब्याज वहन खाता होगा। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 12559 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 10463 लाख) केविविआ निधि में जमा किए गए हैं और इसी अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने केविविआ के स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए निधि से ₹ 4472 लाख रूपए की रकम (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 3496 लाख की राशि) रिलीज की जो सीईआरसी निधि (भारत के लोक लेखा) में 31.03.2017 को ₹ 33643 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 25586 लाख) का शेष रखते हुये सीईआरसी के स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए थे।
- (iv) चालू वर्ष के दौरान, ₹ 12390 लाख (पूर्ववर्ष ₹ 11047 लाख) की राशि के सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आय सीईआरसी निधि लेखा (तुलन पत्र की अनुसूची 2) में अन्तर्गत की गई और ₹ 4472 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष से आगे ले जाई गई बचत को छोड़ कर) आयोग के व्यय की पूर्ति के लिए सीईआरसी निधि से (पूर्ववर्ती वर्ष

₹ 3496 लाख) रिलीज की गई। चालू वर्ष के अन्त में ₹ 1485 लाख की अव्ययित शेष (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 1078 लाख) सीईआरसी निधि वापस अन्तरित की गई।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में 31 मार्च 2017 को शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष में शून्य) मौजूदा कर सहित की पूंजी प्रतिबद्धता रही।

3. पट्टा दायित्व

वाहनों के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भावी दायित्व की राशि एक लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में 6 लाख) रही।

4. नियत आस्तियां

(i) विद्युत मंत्रालय से प्राप्त की गई सहायता अनुदान में से अर्जित अस्तियां मूल्यह्रासित हैं एवं पूंजी रिजर्व में तदनुसूची कटौती से प्रत्येक वर्ष अस्थगित आय के रूप में परिगणित की गई है।

(ii) चंद्रलोक बिल्डिंग का ग्राउन्ड फ्लोर तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल का मरम्मत कार्य 2015-16 में पूरा था। तथापि इन मदों पर किया गया व्यय, बिलों की लम्बी प्राप्ति को मरम्मत कार्य के अधीन पूंजीकृत किया गया और आस्तिवार आवंटन तथा कन्टेक्टरों की बिलों की प्राप्ति पर समायोजन एवं आवंटन के अधीन अनन्तिम रूप से अधीन मूल्यह्रास किया गया।

(iii) आस्तियों का भौतिक सत्यापन मई, 2017 में किया गया। भौतिक सत्यापन में पाई गई कमी/अधिकता जो महत्वपूर्ण नहीं थी।

5. चालू देयताएं :

31 मार्च 2017 तक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अंतर्गत केविआ द्वारा लगाए गए निवल दंड की राशि ₹ 1779 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 1778 लाख) की थी जिसमें ₹ 1290 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 1290 लाख) विभिन्न विविध न्यायालय में पार्टियों द्वारा विवादित रही और सीईआरसी में उनके द्वारा जमा नहीं करवाई गई। 492 लाख रुपये (पूर्ववर्ती वर्ष 488 लाख रुपये) की शेष रकम सीईआरसी में प्राप्त की गई। प्राप्त रकम से, 358 लाख रुपये (पूर्ववर्ती वर्ष 356 लाख) विभिन्न न्यायालयों में विवादित रही और चालू देयताओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। इसमें सीईआरसी के आदेश पर आधारित वापसी योग्य ₹ 1 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 1 लाख) शामिल है। प्राप्त रकम लेकिन विवादित बैंक में अल्पकालिक नियत जमा के अधीन रखी गई है और सीईआरसी निधि (भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई) जमा की जायेगी या न्यायालय मामलों के परिणाम के आधार पर, जैसा भी मामला

हो पार्टी को वापिस की जायेगी। शेष 134 लाख जो अविवादित है उसे सीईआरसी निधि में अन्तरीत (चालू वर्ष 2 लाख निवल और पूर्ववर्ष 132 लाख) किया गया है। यह विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन से है। भारत के नियन्त्रक एवं महापरीक्षक के कार्यालय से निर्देशों के अनुसार विवादित दंड की रकम से की गई नियत जमा पर 'प्राप्त' और 'उपचित लेकिन प्राप्त नहीं' ब्याज अन्य चालू देयताओं के अधीन प्ररीगणित किया गया है। इस कारण से आय एवं व्यय लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।

6. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

- (i) प्रबंधन की राय में चालू आस्तियां ऋणों और अग्रिमों का कारोबार के सामान्य उपकरण में उनकी वसूली पर तुलन पत्र में दर्शायी गई न्यूनतम सकल रकम के बराबर होता है।
- (ii) वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 16,91,875/- के डिमांड ड्राफ्ट आयोग की रजिस्ट्री में खो गए और केविविआ के कर्मचारी द्वारा धोखे से इसका नगदीकरण करा दिया गया। पुलिस अधिकारी के पास इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच मार्च, 2013 में पूरी हो गई थी और दोषी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया था। पुलिस जांच के निष्कर्षों को देखते हुए इस रकम को न तो आय के रूप में बुक किया गया और न ही हानि के लिए (चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट) प्रावधान को लेखा बहियों में किया गया।

7. कराधान

आयकर अधिनियम 61 की धारा 10 (23) (खखछ) के अनुसार आयोग की आय को आयकर से छूट प्राप्त है।

8. आय एवं व्यय लेखा :

2014-15 तक आय एवं व्यय लेखा में आय सीईआरसी द्वारा वास्तविक रूप से अदा की गई रकम की सीमा तक पता लगाई गई। तथापि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक के कार्यालय द्वारा उल्लेख करने पर लेखा नीति में परिवर्तन किया गया और उपचित आधार पर उपगत व्यय की सीमा तक भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता को आय के रूप में माना गया है। लेखा नीति में परिवर्तन के कारण चालू वर्ष में व्यय पर आय की ना तो अधिकता है और ना ही घाटा है।

9. देयताओं के लिए प्रावधान

वार्षिक लेख लेखांकन के उपचित आधार पर होते हैं। तदनुसार बकाया देयताओं, सांविधिक दायित्वों जैसे पेंशन और छुट्टी वेतन, अंशदान, सीपीएफ/ईपीएफ समरूप अंशदान लेखा परीक्षा फीस आदि के लिए प्रावधान किया गया है और उस लेखाओं में प्रदर्शित किया गया है।

10. माल सूची

विनियामों के सार संग्रह की माल सूची पूर्ववर्ती वर्ष तक के लिए परिगणित नहीं की जा रही है। माडल के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के कार्यालय के निदेशानुसार इसे चालू वर्ष से परिगणित किया गया है। लेखा नीति में परिवर्तन के कारण माल सूची में वर्ष के आय एवं व्यय लेखा पर उसी राशि के परिणामी प्रमाक से चार लाख रु. की वृद्धि हुई है।


11. अनुसूची 1 से 14 को 4 मार्च 2017 के अनुसार तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न भाग के रूप में अनुबद्ध किया गया है।
12. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।

हस्ता/—
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/—
सचिव

अनुबन्ध-XIII

संगठन चार्ट
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
(31-03-2017 के अनुसार)





केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001
फोन : +91-11-23353503, फैक्स : +91-11-23753923, वेबसाइट: www.cercind.gov.in